## इकाई 1 हिंदी व्याकरण का परिचय

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 ध्वनि के वर्गीकरण के आधार
1.4 ध्वनि का वर्गीकरण
  1.4.1 स्वर ध्वनि
  1.4.2 व्यंजन ध्वनि
  1.4.3 संयुक्त व्यंजन
1.5 ध्वनि परिवर्तन के कारण
  1.5.1 अभ्यंतर कारण
  1.5.2 बाह्य कारण
1.6 ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं
1.7 ध्वनि नियम
1.8 सारांश
1.9 पारिभाषिक शब्दावली
1.10 अभ्यास प्रश्न
1.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.12 निबंधात्मक प्रश्न

## 1.1 प्रस्तावना

दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की आवाजों के रूप में तरह-तरह की ध्वनियाँ सुनते रहते हैं जैसे घर में किसी वस्तु के गिरने की ध्वनि, कुत्ते के भौंकने या कौए की काँव-काँव की ध्वनि, रेल की सीटी या कार-मोटर के हार्न की ध्वनि अथवा आकाश में उड़ते हेलीकाप्टर की ध्वनि। इस तरह दैनिक जीवन में 'ध्वनि' शब्द किसी भी वस्तु/प्राणी से उत्पन्न आवाज के लिए प्रयुक्त होता है। भाषा के संदर्भ में ध्वनि का अर्थ सीमित और विशिष्ट है। वह केवल बोलने या उच्चारण से निकली ध्वनि तक सीमित है। इसीलिए भाषाविदों ने उसे 'भाषा ध्वनि' या भाषण ध्वनि(Speech Sound) कहा है। हम यह कह सकते हैं कि 'भाषा ध्वनि वह सीमित ध्वनि है जिसका प्रयोग मात्र भाषा में होता है।'

डॉ भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, 'भाषा-ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण (बोलने) और श्रोतव्यता (सुनने) की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो।'भाषा में ध्वनि का अध्ययन 'ध्वनि विज्ञान' में किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनोटिक्स और फोनॉलोजी (Phonetics, Phonology) दो शब्द प्रचलित हैं। दोनों का सम्बंध ग्रीक शब्द 'Phone' से है जिसका अर्थ 'ध्वनि' है। फोनोटिक्स और फोनोलोजी में प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा अन्तर है। 'फोनोटिक्स' में हम मुख्य रूप से ध्वनि शिक्षा, ध्वनि की परिभाषा, भाषा की विभिन्न ध्वनियाँ, उच्चारण में सहायक अवयव, ध्वनियों के वर्गीकरण, ध्वनि-गुण, ध्वनि की उत्पत्ति और सम्प्रेषण का अध्ययन किया जाता है। 'फोनोलोजी' में भाषा विशेष की ध्वनियों का प्रयोग, इतिहास तथा ध्वनि-परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भारतीय व्याकरण में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन 'शिक्षा शास्त्र' के रूप में प्राचीन काल से ही होता आया है। पाणिनि का 'अष्टाध्यायी' इस विषय का उल्लेखनीय ग्रंथ है। पाणिनि के साथ ही कात्यायन और पतंजलि के नाम सर्वोपरि हैं। 17 वीं शताब्दी में भट्टोज दीक्षित ने 'सिद्धान्त कौमुदी' में स्वर और व्यंजन का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। आधुनिक भाषा विज्ञान के भारतीय भाषा विद्वानों यथा - उदय नारायण तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, बाबूराम सक्सेना, मंगलदेव शास्त्री, भोलानाथ तिवारी, आदि तथा पाश्चात्य भाषाविदों ब्लूम फील्ड, पाइक, स्टीबल, रोबिन्स, ब्लाक ट्रेगर, डैनियल जोन्स आदि ने ध्वनि और स्वनिम विज्ञान के अनेक नए तथ्यों और नियमों पर गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा का आधार ही ध्वनि है। ध्वनि के अभाव में भाषा निर्मिति की कल्पना करना असम्भव है। भाषा ध्वनि की उत्पत्ति के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है -

(1) भाव या विचार
(2) विचार अभिव्यक्ति की इच्छा
(3) उच्चारण में प्राणवायु की सहायता
(4) वागवयवों का सही परिचालन

चूंकि भाषा ध्वनि का संवाहक मनुष्य है। अतः ये चारों विशेषताएं मनुष्य में होती हैं। मनुष्य की चेतना से विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार मन के द्वारा गति प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात

प्राणवायु के द्वारा वागवयवों से नियंत्रित होकर उच्चारित होते हैं। भाषा ध्वनि के उत्पन्न होने की यही प्रक्रिया है

## 1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

1. सामान्य ध्वनियों से अलग भाषा ध्वनि का वैशिष्ट्य और उसकी संरचना से परिचित हो सकेंगे।
2 भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि के विभिन्न आयामों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार, उनके वर्गीकृत रूप और प्रकृति से अवगत हो सकेंगे।
4. स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अन्तर को समझ सकेंगे।
5. भाषा में ध्वनि परिवर्तन के कारण एवं परिवर्तन की दिशाएं जान सकेंगे।
6. ध्वनि परिवर्तन के प्रसिद्ध नियमों को समझ कर यह जान सकेंगे कि भाषा में ध्वनि परिवर्तन किन नियमों के अन्तर्गत होता है।

## 1.3 ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार

ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्यतः तीन आधार माने गये हैं - 1. स्थान 2. प्रयत्न. और 3. करण । इन तीनों आधारों का अपना-अपना विशेष महत्त्व है। इसमें से किसी एक के अभाव में ध्वनि का उत्पन्न होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः ध्वनि वर्गीकरण के उपर्युक्त तीन आधारों का परिचय प्रासंगिक होगा।

**स्थान** (Place of Articulation) - ध्वनि का उच्चारण मुख विवर के स्थान विशेष या अंगविशेष से किया जाता है। 'स्थान' वह है, जहाँ भीतर से आती हवा रोककर या किसी अन्य प्रकार से उसमें विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्थान का भी प्रयत्न की तरह समान रूप से महत्व है। अतः इनके आधार पर भी ध्वनि का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर के अग्र, मध्य, पश्च भेद स्थान पर ही आधारित हैं। व्यंजनों में भी ओष्ठ से लेकर स्वर-यंत्र तक अनेक स्थानों पर प्रयत्न होता है। एक ध्वनि के लिए जिस प्रकार कई प्रयत्न अपेक्षित होते हैं, उसी प्रकार कई प्रयत्नों के लिए कई स्थान भी अपेक्षित हैं। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से प्रायः किसी भी ध्वनि के लिए प्रमुख प्रयत्न और प्रमुख स्थान का ही विचार किया जाता है। जैसे 'च' ध्वनि के लिए प्रमुख स्थान 'तालव्य' और प्रयत्न की दृष्टि से 'स्पर्श संघर्षी' कहा जायेगा। मुख विवर में प्रमुख स्थान ओष्ठ, दाँत, तालु (कठोर व कोमल) अलिजिह्व, उपलिजिह्व, स्वर यंत्र आदि हैं।

**प्रयत्न** - ध्वनि के उच्चारण के लिए हवा को रोककर जो प्रयास करना पड़ता है, उस क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो भेद हैं - अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न को आस्य प्रयत्न भी कहा गया है। 'आस्य' का अर्थ है मुँह। ध्वनि उच्चारण में मुँह के भीतर किया गया प्रयत्न 'अभ्यंतर प्रयत्न' कहा गया। विद्वानों के अनुसार कोमल तालु से ओंठ के बीच में किये गए प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न के अन्तर्गत आते हैं। विद्वानों ने बाह्य प्रयत्न का सम्बंध स्वरतंत्रियों से माना है।

इसके अन्तर्गत घोष-अघोष, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक के लिये किये गए प्रयत्न को माना है। इस सम्बन्ध में यह भी तथ्य जानना आवश्यक है कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण के लिए विभिन्न स्थानों पर एक से अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 'क' ध्वनि के उच्चारण के लिए स्पर्शीय, अल्प प्राणीय, घोषीय तथा निरानुनासिक - चार प्रयत्न अपेक्षित हैं।

**करण(**Articular) - करण का प्रयोग ध्वनि उच्चारण में सक्रिय अंग के लिये किया जाता है। जैसे जीभ आदि। स्थान, ध्वनि-उच्चारण का मूल स्थान है तो करण की सहायता से प्रयत्न सम्भव होता है। अतः स्थान और प्रयत्न की तरह 'करण' का भी विशेष महत्व है। (नोट - स्थान और करण के बारे में चित्र सहित विस्तृत विवरण आप अगली इकाई में पढ़ सकेगें।)

## 1.4 ध्वनि का वर्गीकरण

ध्वनियों का सबसे प्राचीन और प्रचलित वर्गीकरण स्वर (Vowel)और व्यंजन (Consonent) के रूप में मिलता है। 'स्वर' शब्द 'स्वृ' धातु से बना है जिसका अर्थ ध्वनि करना है। इसी तरह व्यंजन का सम्बंध 'अंज्' धातु से है जिसका अर्थ है जो प्रकट हो। 'स्वर' उन ध्वनियों को कहा गया जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है और 'व्यंजन' उन ध्वनियों को जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। आगे चलकर उच्चारण में हवा के प्रवाह के अबाधित या सबाधित होने के आधार पर पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों स्वीट, डैनियल जोन्स आदि ने स्वर व्यंजन को इस प्रकार परिभाषित किया - 'स्वर वह घोष (कभी कभी अघोष भी) ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख-विवर से अबाध गति से निकलती है।' 'व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख-विवर से अबाध गति से नहीं निकलने पाती। या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है।'

कुछ नवीन ध्वनि शास्त्रियों ने 'स्वर' और 'व्यंजन' के लिए नये नाम दिये हैं। जैसे हेफनर ध्वनियों को आक्षरिक (Syllabic) और अनाक्षरिक (Nonsyllabic) दो वर्गों में रखते हैं। 'सिबलिक' स्वर का समानार्थी न होकर भी उसके निकट है। इसी तरह 'नॉनसिबलिक' भी व्यंजन का प्रकृति से भिन्न नहीं है। अतः सर्वमान्य परिभाषा के आधार पर यह कह सकते हैं कि 'स्वर' वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख-विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों से निर्बाध होकर निकलती हो और 'व्यंजन' वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख-विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों से बाधित होकर निकलती हों। कतिपय अपवादों को छोड़कर स्वर-व्यंजन में भिन्नता है जो उनकी विशेषता भी मानी जा सकती है। जैसे -

1. सभी स्वर आक्षरिक होते हैं और सभी व्यंजन अनाक्षरिक।
2. मुखरता की दृष्टि से स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर होते हैं। आगे हम विस्तार से स्वर और व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रकृति का अध्ययन करेगें।

### 1.4.1 स्वर ध्वनियाँ

स्वर ध्वनि की प्रकृति के बारे में हमें बहुत-सी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब हम स्वर - ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेगें। स्वर-ध्वनियों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार माने गये हैं

1. जीभ का कौन-सा भाग क्रियाशील होता है ? सामान्य रूप से उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य या पश्च भाग सक्रिय होता है। इस आधार पर स्वर ध्वनि के उच्चारण में जीभ का जो भाग (अग्र, मध्य, पश्च) क्रियाशील होता है, उसके आधार पर उसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। जैसे जीभ का अग्र भाग इ,ई,ए,ऐ स्वरों के उच्चारण में सहायक होता है। अतः ये इ,ई,ए,ऐ अग्र स्वर हैं। इसी प्रकार जीभ का मध्य भाग अ स्वर तथा पश्च भाग उ,ऊ,ओ,औ स्वर के उच्चारण में क्रियाशील होता है। अतः अ मध्य स्वर तथा आ,उ,ऊ,ओ,औ पश्च स्वर हैं।

2. जीभ का क्रियाशील भाग कितना ऊपर उठता है ? स्वरों का स्वरूप जीभ के अग्र, पश्च या मध्य भाग के उठने पर भी निर्भर करता है अर्थात यदि जीभ का विशिष्ट भाग बहुत उठा हो तो मुख-विवर अत्यंत संकरा अर्थात 'संवृत' होगा और यदि वह नहीं के बराबर उठा तो मुख-विवर बहुत खुला या 'विवृत' होगा। इन दोनों के बीच 'अर्द्ध विवृत' और 'अर्द्ध संवृत' दो स्थितियाँ और होती हैं। हिन्दी में आ विवृत, ऑ अर्द्धविवृत, ए,ऐ,ओ,औ अर्द्धसंवृत और इ,ई,उ,ऊ संवृत स्वर हैं।

3. ओष्ठ की स्थिति - प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जीभ के साथ ओष्ठों की भी भूमिका होती है। स्वरों के उच्चारण के समय ओष्ठों की दो प्रमुख स्थितियाँ हैं - वृताकार और अवृताकार। ओष्ठ गोल आकार में बनने पर उ,ऊ,ओ तथा औ का वृताकार उच्चारण होता है तथा शेष स्वर अवृताकार होते हैं। कुछ स्वरों में ओष्ठ पूर्ण विस्तृत (ए), उदासीन (अ), स्वल्प वृताकार (ऑ) एवं पूर्ण वृताकार (ऊ) होते हैं।

4. मात्रा - स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसे 'मात्रा' कहते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं - ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक। अ,इ,उ,ए,ओ ह्रस्व स्वर हैं। इसी प्रकार आ,ई,ऊ,ऐ,औ दीर्घ स्वर हैं।

5. कोमल तालु और कौवे का स्थिति - उच्चारण के समय कोमल तालु और कौवा कभी तो नासिका मार्ग को रोक देते हैं, कभी मध्य में रहते हैं जिससे वायु मुख से या नासिका मार्ग से निकलती है। पहली स्थिति में मौखिक स्वर अ,आ,ए आदि तथा दूसरी स्थिति में अनुनासिक स्वर अँ,आँ,इँ उच्चारित होते हैं।

6. स्वरतंत्रियों की स्थिति - उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वर घोष और अघोष कहलाते हैं। घोष उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के बीच से आती हवा घर्षण करते हुए निकलती है। प्रायः सभी स्वर घोष की श्रेणी में आते हैं। जब स्वर तंत्रियाँ खुली रहती है तब हवा बिना किसी घर्षण के बाहर निकलती है। यह स्थिति अघोष कहलाती है।

7. मुख की मांसपेशियों या अन्य वागवयवों की दृढ़ता या शिथिलता के आधार पर भी स्वरों के भेद किये गये हैं। जैसे - अ, इ, उ शिथिल स्वर हैं और ई, ऊ, दृढ़ स्वर।

8. कुछ स्वर मूल होते हैं अर्थात उनके उच्चारण में जीभ एक स्थान पर रहती है, जैसे अ, इ, ए, ओ। इसके सापेक्ष कुछ स्वर संयुक्त होते हैं अर्थात इनके उच्चारण में जीभ एक स्वर के उच्चारण से दूसरे स्वर के उच्चारण की ओर चलती है। वस्तुतः संयुक्त स्वर दो स्वरों का ऐसा मिला-जुला रूप है जिसमें दोनों अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खोकर एकाकार हो जाते हैं और साँस के एक झटके में उच्चरित होते हैं। दोनों मिलकर एक स्वर जैसे हो जाते हैं। ऐ (अ,ए) औ (अ,ओ) संयुक्त स्वर कहे गये हैं। संक्षेप में विभिन्न आधारों पर स्वरों के वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका से अच्छी तरह समझा जा सकता है।

**तालिका - 1 स्वर ध्वनियाँ**

| स्वर | उच्चारण स्थान से | उच्चारण काल से | जिह्वा की सक्रियता से | मुखविवर के खुलने से | होंठों की आवृत्ति से |
|---|---|---|---|---|---|
| अ | कंठ्य | ह्रस्व | मध्य | अर्धसंवृत | अवृत्ताकार |
| आ | कंठ्य | दीर्घ | पश्च | विवृत | अवृत्ताकार |
| ऑ | कंठ्य | दीर्घ | पश्च | विवृत | वृत्ताकार |
| इ | तालव्य | ह्रस्व | अग्र | संवृत | अवृत्ताकार |
| ई | तालव्य | दीर्घ | अग्र | संवृत | अवृत्ताकार |
| उ | ओष्ठ्य | ह्रस्व | पश्च | संवृत | वृत्ताकार |
| ऊ | ओष्ठ्य | दीर्घ | पश्च | संवृत | वृत्ताकार |
| ऋ | मूर्धन्य | ह्रस्व | अग्र | संवृत | अवृत्ताकार |
| ए | कंठतालव्य | दीर्घ | अग्र | अर्धसंवृत | अवृत्ताकार |
| ऐ | कंठतालव्य | दीर्घ | अग्र | अर्धविवृत | अवृत्ताकार |
| ए | कंठतालव्य | ह्रस्व | अग्र | अर्धसंवृत | अवृत्ताकार |
| ओ | कंठोष्ठ्य | दीर्घ | पश्च | अर्धसंवृत | वृत्ताकार |
| औ | कंठोष्ठ्य | दीर्घ | पश्च | अर्धविवृत | वृत्ताकार |
| ओ | कंठोष्ठ्य | ह्रस्व | पश्च | अर्धसंवृत | वृत्ताकार |

नोट - ए और ओ की गणना ह्रस्व स्वर में भी होती है।

### 1.4.2 व्यंजन ध्वनियाँ

व्यंजन की परिभाषा से हम पहले ही परिचित हैं। हमें ज्ञात है कि व्यंजन ध्वनियों की प्रकृति स्वर ध्वनियों से भिन्न है। अतः व्यंजन के वर्गीकरण में स्थान, करण, प्रयत्न के अतिरिक्त स्वरतंत्री प्राणतत्व, उच्चारण शक्ति, अनुनासिकता आदि आधारों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार व्यंजनों के वर्गीकरण में निम्नलिखित आधार पर विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है -

**(क) स्थान के आधार पर** - स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के कंठ्य (कोमल तालव्य), मूर्धन्य, तालव्य (कठोर तालव्य) वर्त्स्य, दंत्य, दंत्योष्ठ्य, ओष्ठ्य, अलिजिह्वीय, काकाल्य आदि भेद होते हैं। इन भेदों तथा इनके अन्तर्गत आने वाली व्यंजन ध्वनियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -

1. कंठ्य (Soft Palatal) - इसे 'कोमल तालव्य' भी कहते हैं। जीभ के पिछले भाग के सहारे ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कवर्ग की ध्वनियाँ - क,ख,ग,घ,ङ कंठ्य या कोमल तालव्य की ध्वनियाँ हैं। फारसी की ख़,ग जैसी संघर्षी ध्वनियाँ भी यहीं से उच्चारित होती हैं।

2. तालव्य (Palatal) - इन ध्वनियों का उच्चारण कठोर तालव्य से होता है। जीभ का अगला भाग या नोक इसमें सहायक होती है। च वर्ग की ध्वनियाँ - च्, छ्, ज्, झ् इसी के अन्तर्गत आती हैं।

3. मूर्धन्य (Cevebral) - मूर्द्धा की सहायता से उच्चारण की जाने वाली ध्वनियाँ मूर्धन्य कहलाती हैं। ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण् अर्थात ट वर्ग की ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं।

4. वर्त्स्य (Alveolar) - मसूढ़े या वर्त्स और जीभ के अगले भाग की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ वर्त्स्य कहलाती हैं। र्, ल्, स् तथा ज़ फारसी की वर्त्स्य ध्वनियाँ हैं।

5. दंत्य (Dental) - दाँत की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ दंत्य हैं। इसके उच्चारण में जीभ की नोक भी सहायक होती है। त्, थ्, द्, ध् दंत्य ध्वनियाँ हैं।

6. दंत्योष्ठ्य (Labiodental) - जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दाँत और नीचे के ओंठ की सहायता से होता है, वे दंत्योष्ठ्य कहलाती हैं। व् दंत्योष्ठ्य ध्वनि है।

7. ओष्ठ्य (Bilabial) - दोनों ओंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ ओष्ठ्य होती हैं। पवर्ग में प्, फ्, ब्, भ्, म् ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं।

8. अलिजिह्वीय (Uvular) - इसे जिह्वामूलीय या जिह्वापश्चार्य भी कहते हैं। इसमें कौवे या अलिजिह्व से ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके लिए जिह्वामूल या जिह्वापश्च को निकट ले जाकर वायुमार्ग संकरा करते हैं जिससे संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है। फारसी की क़, ख़, ग़ ध्वनि भी इसी प्रकार की है।

9. काकल्य (Lavygeal) - ये स्वरयंत्र मुख से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हैं। इसे 'उरस्य' भी कहते हैं। ह और विसर्ग (:) इसी वर्ग की ध्वनि हैं।

**(ख) प्रयत्न के आधार पर** - प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के निम्नलिखित वर्ग हैं -

1.स्पर्श (Explosive) - इसे 'स्फोट' या 'स्फोटक' भी कहते हैं। इसके उच्चारण में दो अंग (जैसे दोनों ओंठ या नीचे का ओंठ और ऊपर के दाँत, या जीभ की नोक और दाँत, या जीभ का पिछला भाग और कोमल तालु) एक दूसरे का स्पर्श करके हवा को रोकते हैं और फिर एक दूसरे से हटकर हवा को जाने देते हैं। स्पर्श ध्वनि का उच्चारण कभी तो पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण। हिन्दी की कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग की ध्वनियों के साथ ही फारसी का क ध्वनि स्पर्शीय है।

2. संघर्षी - संघर्षी ध्वनि में स्पर्श की तरह हवा का न तो पूर्ण अवरोध होता है और न ही स्वरों की भाँति वह अबाध रूप से मुँह से निकल जाती है। अतः इसकी स्थिति स्वरों और स्पर्श के बीच की है अर्थात दो अंग एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं कि हवा दोनों के बीच घर्षण करके निकलती है। इसलिए इसे संघर्षी कहा जाता है। हिन्दी की श्, स्, ष् तथा फारसी की फ़, व़, ज़, ख़, ग़ संघर्षी ध्वनियाँ हैं।

3. स्पर्श संघर्षी (ffAricate) - जिन ध्वनियों के उच्चारण का आरम्भ स्पर्श से हो किन्तु हवा कुछ देर घर्षण के साथ निकले, वे स्पर्श संघर्षी कहलाती है। च्, छ्, ज्, झ् स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं।

4. नासिक्य (Nasal) - इन ध्वनियों के उच्चारण में मुख-विवर के दो अंगों (स्पर्श की तरह) के स्पर्श के साथ हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। इन्हें 'अनुनासिक' भी कहते हैं। हिन्दी में ङ, ण, न, में नासिक्य व्यंजन हैं।

5. पार्श्विक (Lateral) - इसमें मुख-विवर के मध्य में कहीं भी दो अंगों के सहारे हवा अवरुद्ध कर देते हैं। फलतः हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है। इसे 'पार्श्व ध्वनि' भी कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है।

6. लुंठित (Rolled) - इसमें जीभ की नोंक को बेलन की तरह कुछ लपेट कर तालु का स्पर्श कराते हुए ध्वनि का उच्चारण होता है। इसे 'लोड़ित' भी कहते हैं। र् लुंठित व्यंजन है।

7. उत्क्षिप्त (Flapped) - जीभ की नोंक को उलटकर तालु को झटके से मार उसे फिर सीधा कर लेने से उत्क्षिप्त ध्वनि उच्चारित होती है। ड़, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि हैं।

8. अर्द्धस्वर (Semi Vowel) - ये एक प्रकार से स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं किन्तु ये स्वर की तुलना में कम मुखर हैं, कम मात्रा वाली हैं। चूँकि इन ध्वनियों का उच्चारण का आरम्भ स्वर ध्वनि जैसा होता है, इसलिए इन्हें अर्द्धस्वर ध्वनि कहा जाता है। य्, व् इसी कोटि की ध्वनि हैं।

**(ग) स्वर तंत्रियों के आधार पर** - इस आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ के दो प्रमुख भेद हैं -

1. घोष - ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच निकलती हवा से उसमें कम्पन होता है। हिन्दी में कवर्ग सहित पाँच वर्गों की अन्तिम तीन ध्वनियाँ ग्, घ्, ङ्, ज्, झ्, ल् आदि तथा य्, र्, ल्, व्, ह्, ड़्, ढ़् आदि घोष हैं।

2. अघोष - अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम्पन नहीं होता। हिन्दी में पाँचों वर्ग की प्रथम दो ध्वनियाँ (क्, ख्, च्, छ्, ट्, ठ्, प्, फ् आदि) तथा स्, श् अघोष हैं।

**(घ) प्राणतत्व के आधार पर** - प्राण का अर्थ है, उच्चारण में लगने वाली हवा या हवा की शक्ति। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की अधिकता या श्वास-बल अधिक हो, उन्हें 'महाप्राण' और जिनमें कम हो उसे 'अल्पप्राण' कहते हैं। प्राणतत्व के आधार पर हिन्दी में व्यंजन ध्वनियाँ इस प्रकार हैं -

अल्पप्राण - क, ग, ङ, च, ज, ल, ´, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ल, र, ड़

महाप्राण - ख, घ, छ, झ, ठ, ढ़, थ, ध, फ, भ,

### 5.4.3 संयुक्त व्यंजन

दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिलने वाले यदि दोनों व्यंजन एक हैं (जैसे च् + च् = कच्चा) तो इसे दीर्घ या द्वित्व व्यंजन (Double Consonent) कहते हैं किन्तु यदि दोनों भिन्न-भिन्न (जैसे र् + द् = सर्दी) तो उसे संयुक्त व्यंजन (Compund Consonent) कहते हैं। डॉ भोलानाथ तिवारी ने संयुक्त व्यंजन के दो भेद किए हैं - स्पर्श और स्पर्श संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा अन्य। इनके बारे में उनका मत है कि, 'संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। मिलने वाले दोनों व्यंजन यदि एक हैं

(जैसे क् + क्, पक्का) तो उस युक्त व्यंजन को दीर्घ या द्वित व्यंजन (long or double consonent) कहते हैं, किन्तु यदि दोनों दो हैं (जैसे र् + म्, गर्मी) तो सयुक्त व्यंजन (compund consonent) कहते हैं। एक दृष्टि से व्यंजन के दो भेद किये जा सकते हैं: स्पर्श और स्पर्श संघर्षी या पूर्ण बाधा वाले तथा अन्य। स्पर्श और स्पर्श संघर्षी के द्वित्त्व में ऐसा होता है कि उसमें स्पर्श की प्रथम (हवा के आने और स्पर्श होने) और अन्तिम या तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थिति में तो कोई अंतर नहीं आता केवल दूसरी या अवरोध की स्थिति बड़ी हो जाती है। 'पक्का' में वस्तुतः दो 'क्' नहीं उच्चारित होते, अपितु 'क्' के मध्य की स्थिति अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार के द्वित्त्वों की 'दो क्' आदि न कह कर 'क' का दीर्घ रूप या 'दीर्घ व्यंजन क' या दीर्घ या प्रलम्बित 'क' कहना अधिक समीचीन है, क्योंकि दो 'क' तब कहलाते, जब दोनों की तीन-तीन स्थितियाँ घटित होतीं। स्पर्श संघर्षी 'च' आदि व्यंजनों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। इस प्रकार बग्गी, बच्चा, लज्जा, भट्टी, अड्डा, पत्ती, गद्दी, थप्पड़, अप्पा आदि सभी के द्वित्त्व ऐसे ही हैं। महाप्राणों के इस रूप में द्वित्त्व नहीं होता। वस्तुतः (अन्य दृष्टियों में से एक) अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का अन्तर स्फोट के वायुःप्रवाह की कमी-बेशी के कारण होता है। अतः जब दो मिलेंगे तो पहले का स्फोट होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो जायगा। आशय यह है कि ख्ख, घ्घ, छ्छ, झ्झ, ठ्ठ, भ्भ आदि का उच्चारण हो ही नहीं सकता। उच्चारण में ये क्ख, गघ, ज्झ, ट्ठ, ब्भ हो जायेंगे, जैसे घग्घर, मच्छर, झज्झर, भब्भड़ आदि। अन्य प्रायः सभी व्यंजनों के द्वित्त्व में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, केवल उनकी दीर्घता बढ़ जाती है, जैसे – पन्ना, अम्मा, रस्सा, बर्रे, पिल्ला आदि।'

विभिन्न आधारों पर व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के विस्तृत अध्ययन से आप व्यंजन ध्वनियों की उच्चारण प्रकृति के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गये होंगे। स्मरण की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में दिया जा रहा है -

**तालिका - 2 व्यंजन ध्वनियाँ**

| व्यंजन वर्ण | स्थान के अनुसार | प्राण के अनुसार | घोष के अनुसार | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| क् | कंठ्य | अल्पप्राण | अघोष | स्पर्श |
| ख् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ग् | ‘‘ | अल्पप्राण | घोष | ‘‘ |
| घ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ङ् | ‘‘ | अल्पप्राण | ‘‘ | स्पर्श तथा नासिक्य |
| च् | तालव्य | ‘‘ | अघोष | स्पर्श-घर्षीस |
| ज् | ‘‘ | अल्पप्राण | घोष | ‘‘ |

| व्यंजन वर्ण | स्थान के अनुसार | प्राण के अनुसार | घोष के अनुसार | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| झ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ञ् | ‘‘ | अल्पप्राण | ‘‘ | स्पर्श नासिक्य |
| ट् | मूर्धन्य | ‘‘ | अघोष | स्पर्श |
| ठ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ड् | मूर्धन्य | अल्पप्राण | घोष | स्पर्श |
| ढ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ण् | ‘‘ | अल्पप्राण | ‘‘ | स्पर्श नासिक्य |
| त् | दंत्यवर्त्स्य- | ‘‘ | अघोष | स्पर्श |
| थ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| द् | ‘‘ | अल्पप्राण | घोष | ‘‘ |
| ध् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| न् | ‘‘ | अल्पप्राण | ‘‘ | स्पर्श नासिक्य |
| प् | ओष्ठ्य | ‘‘ | अघोष | स्पर्श |
| फ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| ब् | ‘‘ | अल्पप्राण | घोष | ‘‘ |
| भ् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |
| म् | ‘‘ | ‘‘ | ‘‘ | स्पर्श नासिक्य |
| य् | तालव्य | अल्पप्राण | ‘‘ | अंतःस्थ |
| र् | वर्त्स्य | ‘‘ | ‘‘ | प्रकम्पी |
| ल् | ‘‘ | ‘‘ | ‘‘ | पार्श्विक |
| व् | I. दंत्योष्ठ्<br>II. द्वयोष्ठ्य | ‘‘<br>‘‘ | ‘‘<br>‘‘ | अंतःस्थ<br>‘‘ |
| श् | तालव्य | महाप्राण | अघोष | संघर्षी |
| ष् | ‘‘<br>(मूलतः मूर्धन्य) | ‘‘<br>‘‘ | ‘‘<br>‘‘ | ‘‘<br>‘‘ |
| स् | वर्त्स्य | ‘‘ | ‘‘ | ‘‘ |

| व्यंजन वर्ण | स्थान के अनुसार | प्राण के अनुसार | घोष के अनुसार | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| ह् | कंठ्य | ‘‘ | घोष | ‘‘ |
| ड़् | मूर्धन्य | अल्पप्राण | ‘‘ | उत्क्षिप्त |
| ढ़् | ‘‘ | महाप्राण | ‘‘ | ‘‘ |

## 1.5 ध्वनि परिवर्तन के कारण

परिवर्तन इस सृष्टि की विशेषता है। सृष्टि के सभी जड़-चेतन पदार्थ काल क्रम के प्रवाह में परिवर्तित होते रहते हैं। भाषा मनुष्य के विचार-अभिव्यक्ति की संवाहक है। अतः देश-काल के अनुसार उसमें भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। भाषा-परिवर्तन को भाषा का विकास भी माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है। अतः ध्वनि-परिवर्तन ही भाषागत परिवर्तन के रूप में दृष्टिगत होता है। भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो भाषा के जन्म से अबाध रूप से घटित होती रहती है। इस क्रम में अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं, नई ध्वनियाँ आती हैं अथवा ध्वनियों का परिवर्तित रूप (विकृत रूप) प्रचलित हो जाता है। ध्वनि-परिवर्तन के माध्यम से भाषा के विकास का यह क्रम स्वाभाविक गति से अनवरत चलता रहता है। भाषा में ध्वनि-परिवर्तन प्रमुखतः दो कारणों से होता है –

1. आभ्यंतर कारण 2. बाह्य कारण। इसके अन्तर्गत ध्वनि परिवर्तन कैसे और किस रूप में होता है, इसका अब हम सोदाहरण अध्ययन करेंगे।

### 1.5.1 अभ्यंतर कारण

ध्वनि परिवर्तन के अभ्यंतर कारण इस प्रकार हैं -

**1. मुख सुख** - मुख-सुख का अर्थ है - उच्चारण की सुविधा। उच्चारण की सुविधा के लिए ध्वनि परिवर्तन कई प्रकार से होता है। जैसे -

I. कठिन ध्वनि को छोड़कर उच्चारण करना। अंग्रेजी के कई शब्दों में कुछ ध्वनियों का उच्चारण कठिनता के कारण किया ही नहीं जाता। जैसे - श्रनकहम - जज, ज्ञदपमि - नाइफ, ज्ञदवू - नो आदि।
II. नई ध्वनि को जोड़कर उच्चारण सरल करना। जैसे स्टेशन का इस्टेशन या सटेशन।
III. ध्वनियों का स्थान परिवर्तित करना। जैसे चिह्न से चिन्ह, ब्राह्मण से ब्राम्हण।
IV. ध्वनियों को काँट-छाँट कर छोटा करना। जैसे - सपत्नी से सौत या अध्यापक से झा आदि।

**2. अनुकरण की पूर्णता** - भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। यदि अज्ञानवश अनुकरण सही या पूर्ण नहीं होता तो उच्चारण में ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्टेशन का इस्टेशन, स्कूल का इस्कूल या सकूल आदि।

**3. प्रयत्न लाघव -** प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण सुविधा के लिए कम प्रयत्न करना। इसे मनुष्य की लघुकरण की प्रवृत्ति भी माना जा सकता है कि लम्बे-लम्बे शब्दों को छोटा रूप देकर बोलता है। जैसे - उपाध्याय, ओझा बन गया और बाद में झा ही रह गया। अनेक संस्थाओं के लम्बे-लम्बे नाम का संक्षिप्त उच्चारण रूप भी बहुत प्रचलित हो गये हैं। जैसे - जनवादी लेखक का जलेस, भारत - यूरोपीय का भारोपीय, शुक्ल-दिवस का सुदी आदि।

**4. अशिक्षा -** अशिक्षा और अज्ञान के कारण भी शब्दों का सही उच्चारण नहीं होता, फलतः ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे गोस्वामी का गोंसाई, साधु का साहू आदि।

**5. शीघ्रता -** कभी - कभी शब्दों का जल्दबाजी में उच्चारण से ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे उन्होने का उन्ने, किसने का किन्ने, अब ही का अभी, तब ही का तभी, या तब्भी आदि।

**6. बलाघात -** जैसे बली व्यक्ति के समक्ष कमजोर व्यक्ति टिक नहीं पाता, वैसे ही अधिक बलाघात वाली ध्वनि कम बलाघात वाली ध्वनि को उच्चारण से बाहर कर देती है। जैसे अभ्यंतर का भीतर, उपरि का पर, बाजार का बजार, आलोचना का अलोचना आदि।

**7. सादृश्य -** किसी दूसरे शब्द की ध्वनियों की समानता को लेकर भी ध्वनि परिवर्तन होता है। जैसे - पिंगला के सादृश्य से इड़ा का इंगला, देहाती के सादृश्य पर शहराती आदि।

**8. भावावेश -** अत्यधिक भावावेश में प्रायः शब्दों की ध्वनियाँ बदल जाती हैं। जैसे बच्चा का बच्चू या बचऊ, चाचा का चच्चा या चच्चू, राधा का राधे, कृष्ण का कान्हा, कन्हैया आदि।

### 1.5.2 बाह्य कारण

ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारण निम्नलिखित हैं -

**1. भौगोलिक प्रभाव** - भौगोलिक भिन्नता से उच्चारण में भिन्नता आना स्वाभाविक है। भारत में अनेक भूभाग से लोग आए। उनके उच्चारण में भिन्नता रही। फलतः सिंधु का हिंदु, सप्ताह का हफ्ता प्रचलित हुआ।

**2. सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियाँ** - क्षेत्र विशेष की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियाँ भाषा को भी प्रभावित करती हैं। उन्नत समाज प्रायः तत्सम भाषा का प्रयोग करता। भाषा में बढ़ती तद्भव प्रकृति भी विशेष सामाजिक-राजनीतिक अवस्था और व्यवस्था की अभिव्यक्ति करती है। वाराणसी का बनारस होना या दिल्ली का देहली होना अथवा कलिकाता का कलकत्ता और पुनः कोलकाता होना विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों की देन है।

**3. विभिन्न भाषाओं का प्रभाव** - भारत में फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि अनेक भाषा - भाषी देशों के लोग आये जिनके सम्पर्क से हिन्दी भाषा भी प्रभावित हुई। इसके साथ देश की ही क्षेत्रीय भाषाओं बंगला, गुजराती, मराठी व दक्षिण भारत की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा। अंग्रजी के प्रभाव से अशोक का अशोका, मिश्र का मिश्रा, गुप्त का गुप्ता होना या रिर्पोट का रपट इसका उदाहरण है।

**4. कविता में मात्रा, तुकबंदी या कोमलता का आग्रह** - काव्य में मात्रा, तुकबंदी या कोमलता का भाव लाने के लिए कविजन परम्परा से शब्दों में तोड़-मरोड़ या जोड़ना-घटाना करके ध्वनि परिवर्तन करते रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने मुस्कान की जगह मुस्क्यान का प्रयोग किया है। 'ड़' ध्वनि की जगह 'र' का प्रयोग कोतलता लाने के लिए बहुत हुआ है। जैसे अंगड़ाई का अंगराई। तुकांत के लिए रघुबीर के लिए रघुबीरा जैसे ध्वनि परिवर्तन के अनेक उदाहरण हैं।

**5. स्वाभाविक विकास** - आप जानते हैं कि भाषा में अनवरत परिवर्तन ही उसके स्वाभाविक विकास का एकमात्र कारण है। यद्यपि भाषा में परिवर्तन की गति बहुत धीमी होती है। संस्कृत से पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और उससे आधुनिक भाषाओं का जन्म हजारों वर्ष के स्वाभाविक विकास का परिणाम है। इसी प्रकार हिन्दी के हजारों शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन होता रहा है जिससे वे शब्द बिल्कुल नए शब्द के रूप में सामने आते रहे हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

ध्वनि-परिवर्तन के कारणों के विस्तार से अध्ययन से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली ध्वनि परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। दूसरी, किसी भी शब्द में ध्वनि परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं होता बल्कि अनेक कारण हो सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम विविध कारणों का उल्लेख कर सकते हैं, किन्तु यह निश्चित नहीं कि ध्वनि-परिवर्तन के लिए केवल वही कारण उत्तरदायी है।

## 1.6 ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं

ध्वनि-परिवर्तन के कारणों पर विस्तृत विवेचन के बाद अब हम यह देखेगें कि ध्वनि परिवर्तन का भाषा वैज्ञानिक रूप क्या है, अर्थात उसकी दिशा क्या है। ध्वनि-परिवर्तन की दिशाओं के अन्तर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं के विविध आयामों का अध्ययन करेगें। ध्वनि-परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं इस प्रकार हैं -

1. ध्वनि लोप
2. ध्वनि-आगमन
3. ध्वनि-विपर्यय
4. समीकरण
5. विषमीकरण
6. अनुनासिकता
7. मात्रा भेद
8. घोषीकरण
9. प्राणीकरण

**1. ध्वनि लोप** - उच्चारण में शीघ्रता, मुखसुख या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। यही ध्वनि-लोप है। ध्वनि-लोप तीन तरह से होता है –

1. स्वर लोप
2. व्यंजन लोप
3. अक्षर लोप। इन तीनों का भी आदि, मध्य और अंत्य तीन-तीन स्थितियाँ हैं।

(क)**स्वर लोप** - इसमें स्वर ध्वनि का लोप निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है -

I. **आदि स्वर लोप** - अनाज > नाज, असवार > सवार, अफ़साना > फ़साना, अहाता > हाता, अभ्यंतर > भीतर।

II. **मध्य स्वर लोप** - शाबास > साबस, बलदेव > बल्देव।

III. **अंत्य स्वर लोप** - Bombe (फ्रेंच) > Bomb (अंग्रेजी)

**(ख) व्यंजन लोप –**

**I.** **आदि व्यंजन लोप -** स्थापना > थापना, शमशान > मशान, स्थली > थाली, स्कंध >कंध, कंधा

**II.** मध्य व्यंजन लोप - कोकिल > कोइल, डाकिन > डाइन, उपवास >उपास, कुलत्थ > कुलथी

**III.** **अंत्य व्यंजन लोप** - कमांड (अंग्रेजी) > कमान (हिन्दी)

**(ग) अक्षर लोप -**

I. **आदि अक्षर लोप -** आदित्यवार > इतवार

II. **मध्य अक्षर लोप** - नीलमणि > नीलम, फलाहारी > फलारी, दस्तखत > दस्खत

III. **अंत्य अक्षर लोप** - व्यंग्य > व्यंग, निम्बुक > नींबू, मौक्तिक > मोती

IV. **समध्वनि लोप -** इसमें किसी शब्द में एक ही ध्वनि या अक्षर दो बार आए तो उसमें से एक का लोप हो जाता है।
जैसे नाककटा > नकटा, खरीददार > खरीदार।

**2. ध्वनि आगमन** - इसमें कोई नई ध्वनि आती है। लोप का उलटा आगमन है। इसमें भी स्वर आगम, व्यंजन आगम, अक्षर आगम तीन भेद हैं। इनकी तीन या तीन से अधिक स्थितियाँ इस प्रकार हैं –

**I.** **स्वरागम –**

आदि स्वरागम - स्कूल > इस्कूल, स्नान >अस्नान, स्तुति > अस्तुति, सवारी > असवारी।

मध्य स्वरागम - मर्म > मरम, गर्म > गरम, पूर्व > पूरब, प्रजा > परजा, भक्त > भगत, बैल > बइल।

अंत्य स्वरागम - दवा > दवाई।

**II.** **व्यंजनागम –**

आदि व्यंजनागम - उल्लास > हुलास, ओष्ठ > होंठ।

मध्य व्यंजनागम - वानर > बन्दर, लाश > लहाश, सुख > सुक्ख, समन > सम्मन।

अंत्य व्यंजनागम - चील > चील्ह, भौं > भौंह, परवा > परवाह, उमरा > उमराव।

**III. अक्षरागम -**

आदि अक्षरागम - गुंजा झ घुँगुची।

मध्य अक्षरागम - खल झ खरल, आलस झ आलकस।

अंत्य अक्षरागम - बधू झ बधूरी, आँक झ आँकड़ा, मुख झ मुखड़ा।

3. **ध्वनि विपर्यय -** इसमें किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हैं। जैसे 'मतलब' से 'मतबल' होना। इसमें 'ल' और 'ब' व्यंजनों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। ध्वनि विपर्यय की विभिन्न स्थितियाँ इस प्रकार हैं –

I. स्वर विपर्यय - कुछ > कछु, पागल > पगला, अनुमान > उनमान।

II. व्यंजन विपर्यय - चिह्न > चिन्ह, डेस्क > डेक्स, ब्राह्मण > ब्राम्हन, अमरूद > अरमूद, वाराणसी > बनारस, खुरदा > खुदरा

III. अक्षर विपर्यय - मतलब > मतबल, लखनऊ > नखलऊ।

**4. समीकरण** - इसमें एक ध्वनि दूसरे को प्रभावित करके अपना रूप देती है। जैसे 'पत्र' का 'पत्ता' हो गया। यहाँ 'त्' ध्वनि ने 'र्' ध्वनि को प्रभावित करके 'त्' बना लिया। समीकरण प्रायः उच्चारण के कारण होता है। समीकरण स्वर और व्यंजन दोनों में होता है।

I. स्वर समीकरण - खुरपी > खुरूपी, जुल्म > जुलम, अँगुली > उँगली।

II. व्यंजन समीकरण - चक्र > चक्का, लकड़बग्घा > लकड़बग्गा, कलक्टर > कलट्टर, शर्करा > शक्कर।

III. अपूर्ण समीकरण - डाकघर > डाग्घर।

IV. पारस्परिक व्यंजन समीकरण - विद्युत > बिजली, सत्य > सच, वाद्य >बाजा।

**5. विषमीकरण** - यह समीकरण का उलटा है। इसमें दो समान ध्वनियों में एक ध्वनि विषम हो जाती है। जैसे - कंकन > कंगन, मुकुट > मउर, काक > काग, तिलक > टिकली।

**6. अनुनासिकता** - अनुनासिकता दो तरह से होती है। सकारण और अकारण। सकारण जैसे कम्पन, काँपना, चन्द्र आदि। अकारण अनुनासिकता अपने आप होती है। इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता। जैसे 'सर्प' से 'साँप' बना। 'सर्प' में अनुनासिकता नहीं थी किन्तु 'साँप' में अपने आप अर्थात अकारण आ गई। अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं - श्वास > साँस, कूप > कुआँ, अश्रु > आँसू, भ्रू > भौं, सत्य > सच, साँच

**7. मात्रा-भेद** - मुख-सुख या प्रयत्न लाघव के लिए कभी ह्रस्व स्वर का दीर्घ या दीर्घ स्वर को ह्रस्व बना दिया जाता है। इस तरह मात्रा भेद से ध्वनि परिवर्तन होता है।

**दीर्घ से ह्रस्व स्वर** - आलाप > अलाप, पाताल > पताल, आफिसर >अफसर, आराम > अराम, बानर > बंदर, बादाम > बदाम, आकाश > अकास।

**ह्स्व से दीर्घ स्वर** - अक्षत > आखत, कल > काल्ह, काक > कागा, गुरु > गुरू, लज्जा > लाज, हरिण > हिरना आदि।

**8. घोषीकरण** - इस स्थिति में कुछ शब्दों में घोष ध्वनि अघोष और अघोष ध्वनि घोष हो जाती है। ऐसा ध्वनि परिवर्तन प्रायः उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से होता है।

**घोष से अघोषीकरण** - डंडा झ डंटा, खूबसूरत झ खपसूरत।

**अघोष से घोषीकरण** - मकर झ मगर, शाक झ साग, एकादश झ एग्यारह, शती झ सदी, प्रकट झ परगट

## 1.7 ध्वनि नियम

ध्वनि-परिवर्तन के कारण और दिशाओं के विस्तृत अध्ययन से आप यह भली-भाँति समझ गये होगें के भाषा के विकास में ध्वनि-परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भाषा विशेष में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के ध्वनिगत बदलाव आते हैं जिनके आधार पर ध्वनि-नियम सुनिश्चित किए जाते हैं।

डॉ भोलानाथ तिवारी ने ध्वनि नियम की वैज्ञानिक परिभाषा देते हुए लिखा है, ‘किसी विशिष्ट भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि-नियम कहते हैं।’ इस परिभाषा में चार बातें स्पष्ट हैं - पहली, ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेष का होता है अर्थात एक भाषा के ध्वनि-नियम को दूसरी भाषा पर नहीं लागू किया जा सकता। दूसरी, एक भाषा की सभी ध्वनियों पर यह नियम लागू न होकर कुछ विशेष ध्वनियों या ध्वनि वर्ग
पर लागू होता है। तीसरी, ध्वनि-परिवर्तन एक विशेष काल में होता है अर्थात आवश्यक नहीं कि वही ध्वनि-परिवर्तन सदा होता रहें। चौथी, ध्वनि-परिवर्तन विशेष दशा या परिस्थितियों में होता है।

ध्वनि-परिवर्तन से सम्बंधित कतिपय विद्वानों के ध्वनि नियम इस प्रकार हैं -

**1. ग्रिम नियम** - इस नियम के प्रवर्तक जर्मन भाषा वैज्ञानिक याकोब ग्रिम हैं। इन्हीं के नाम से यह नियम प्रचलित हुआ। ग्रिम नियम का संबंध भारोपीय स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गये थे जिसे जर्मन भाषा का वर्ण-परिवर्तन कहते हैं। प्रथम वर्ण-परिवर्तन ईसा से कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तन उत्तरी जर्मन लोगों से ऐंग्लो सेक्शन लोगों के पृथक होने के बाद 7वीं सदी में हुआ था। दोनों का कारण जातीय मिश्रण माना जाता है।

**प्रथम वर्ण-परिवर्तन** - ग्रिम नियम के अनुसार प्रथम वर्ण-परिवर्तन में जो सम्भवतः छठी-सातवीं ईसा पूर्व में हुआ था, मूल भारोपीय भाषा के कुछ स्पर्श वर्ण-परिवर्तित हो गये थे। इसे तालिका रूप में समझा जा सकता है -

| **भारोपीय मूल भाषा** | **जर्मन भाषा** |
|---|---|
| घोष, महाप्राण स्पर्श घ्, ध, भ् | घोष अल्पप्राण ग्, द्, ब्, हो गए। |
| घोष अल्पप्राण ग्, द्, ब् | अघोष अल्पप्राण क्, त् प् हो गए। |

अघोष अल्पप्राण क्, त्, प् संघर्षी महाप्राण ख्(ह्), थ्, फ् हो गए।

**द्वितीय वर्ण-परिवर्तन** - प्रथम वर्ण-परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा से जर्मन भाषा भिन्न हुई थी किन्तु द्वितीय वर्ण-परिवर्तन में जर्मन भाषा के दो रूपों उच्च जर्मन और निम्न जर्मन में यह अन्तर पड़ा। फलतः इन दोनों की कुछ ध्वनियाँ भिन्न हो गयीं।

| **निम्न जर्मन (अंग्रेजी)** | **उच्च जर्मन** |
|---|---|
| प् का फ् = डीप (Deep) | टीफ (Tief) |
| ट् का ट्स् या स्स = फूट (Foot) | फस्स (Fuss) |
| क् का ख् = योक (Yoke) | याख (Joch) |
| ड् का ट् = डीड (Deed) | टाट (Tat) |
| थ् का ड् = थ्री (Three) | ड्राय (Drei) |

**2. ग्रेसमैन नियम** - ग्रेसमैन की स्थापना ये है कि भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द या धातु के आदि और अंत दोनों स्थानों पर महाप्राण हों तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक अल्पप्राण हो जाता है। ग्रेसमैन के अनुसार भारोपीय मूल भाषा की दो अवस्थाएं रही होगीं। प्रथम अवस्था में दो महाप्राण रहे होगें दूसरी अवस्था में एक अल्पप्राण हो गया होगा।

**3. वर्नर नियम** - वर्नर ने यह पता लगाया कि ग्रिम-नियम बलाघात पर आधारित था। मूल भाषा के क्,त्,प् के पूर्व यदि बलाघात हो तो ग्रिम नियम के अनुसार परिवर्तन होता है किन्तु यदि स्वराघात क्, त्, प् के बाद वाले स्वर पर हो जो ग्रेसमैन की भाँति ग्, द्, ब हो जाता है। जैसे संस्कृत के सप्त, शतम् गोथिक भाषा में सिबुन, हुन्द हो जाते हैं।

## 1.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने जाना कि ध्वनि भाषा की मूल है और ध्वनि विज्ञान के अन्तर्गत केवल भाषागत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का अर्थ उसके विविध आयामों से परिचित होकर आपने ध्वनि के वर्गीकरण में स्वर और व्यंजन की भिन्न-भिन्न प्रकृति को जाना। सृष्टि के समस्त जड़-चेतन पदार्थों की तरह ध्वनि भी एक परिवर्तन शील तत्व है। काल के प्रवाह में किसी भी भाषा में नई ध्वनियाँ आती हैं और पुरानी ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। ध्वनि-परिवर्तन के अभ्यंतर और बाह्य कारणों के अन्तर्गत इस इकाई में ध्वनि-परिवर्तन के विभिन्न कारणों और दिशाओं का उदाहरण सहित भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है। ध्वनि-परिवर्तन के सूक्ष्म और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात कुछ ध्वनि नियम निर्धारित किए गये जो प्राकृतिक नियम की तरह अटल न होकर विशेष भाषा की काल और परिस्थिति में लागू होते रहे हैं। यद्यपि इनके अपवाद भी हैं। प्रस्तुत इकाई में कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियमों से भी आपको परिचित कराया गया है। इस तरह इस इकाई के सम्पूर्ण अध्ययन से आप ध्वनि विज्ञान के बारे में भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ हो सकेगें।

## 1.9 पारिभाषिक शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| वागवयव | - | उच्चारण में सहायक मुख-विवर के अंग |
| संवृत | - | मुख-विवर का सँकरा होना |
| विवृत | - | मुख-विवर का खुला होना |
| बलाघात | - | उच्चारण में लगने वाला बल |
| पंचमाक्षर | - | नागरी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पाँचवा वर्ण (ङ, ´, ण, न, म) |
| अल्पप्राण | - | उच्चारण में लगने वाला कम श्वासबल |
| महाप्राण | - | उच्चारण में लगने वाला अधिक श्वासबल |
| जिह्वामूल | - | जीभ का जड़ (मूल) भाग |
| जिह्वाग्र | - | जीभ का आगे का भाग |
| जिह्वापश्च | - | जीभ का पीछे का भाग |
| जिह्वामध्य | - | जीभ के बीच का भाग |
| जिह्वानोक | - | जीभ के आगे भाग की नोक |
| काकल | - | कंठ भाग |
| उपालिजिह्व | - | कंठ मार्ग |
| मात्रा | - | उच्चारण में लगने वाला समय |
| ह्स्व | - | कम समय वाली मात्रा |
| दीर्घ | - | अधिक समय वाली मात्रा |
| नासिक्य | - | नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ |

## 1.10 अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर

**लघु उत्तरीय प्रश्न -**

1. स्वर और व्यंजन ध्वनि में क्या अंतर है ?
2. 'प्रयत्न' पर टिप्पणी लिखिए।
3. संयुक्त व्यंजन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए।
4. ध्वनि-परिवर्तन के सोदाहरण पाँच कारण बताइए।
5. ग्रिम ध्वनि-नियम का परिचय दीजिए।
6. लोड़ित (लुंठित) और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन-सी हैं।

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -**

1. स्वर उच्चारण में लगने वाला समय .................... कहलाता है। (बलाघात/मात्रा)
2. 'र' .................... व्यंजन ध्वनि है। (लुंठित/उत्क्षिप्त)

3. 'कच्चा' में 'च्चा' ..................... व्यंजन है। (दीर्घ/संयुक्त)
4. सत्य का सच होना ध्वनि परिवर्तन का...................... कारण है। (मुखसुख/अशिक्षा)
5. 'अनाज से नाज' में स्वर लोप की .......................... स्थिति है। (आदि/मध्य)
6. ग्रिम ध्वनि नियम .................................... ग्रिम की देन है। (वर्नर/याकोब)
7. अभी, कभी में ध्वनि परिवर्तन का कारण है .......................। (शीघ्रता/अपूर्ण अनुकरण)
8. चिन्ह से चिन्ह का होने में ........................... विपर्यय है। (स्वर/व्यंजन)
9. स्वरयंत्र मुख से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ........................ है। (काकल्य/वर्त्स्य)
10. जीभ का अग्रभाग .......................... स्वरों के उच्चारण में सहायक होता है। (इ,ई/उ,ऊ)

**सही/गलत पर निशान लगाइए -**

1. ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। सही/गलत
2. ध्वनि विज्ञान में ध्वनि का आशय सभी प्रकार की ध्वनियों से है।सही/गलत
3. पंचामक्षर, पाँच अक्षरों के मेल से बने शब्द को कहते हैं।सही/गलत
4. ऐ, औ संयुक्त स्वर हैं। सही/गलत
5. त, थ, द, ध दंत्योष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। सही/गलत
6. ड़, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनियाँ हैं। सही/गलत
7. प्राणतत्व ध्वनि उच्चारण में प्रयुक्त हवा को कहते हैं।सही/गलत
8. संवृत-विकृत का सम्बध मुखविवर से है।सही/गलत
9. ए, ओ की गणना ह्रस्व स्वर में भी होती है।सही/गलत
10. विसर्ग (: ) काकल्य ध्वनि है।सही/गलत

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प चुनिए -

1. निम्न में से किसका सम्बंध ध्वनि नियम से नहीं है ?
(अ) ब्लूम फील्ड (ब) ग्रेसमैन (स) याकोब ग्रिम (द) वर्नर
2. 'मुख से मुखड़ा' में ध्वनि-परिवर्तन किस दशा से संबधित है ?
(अ) लोप (ब) आगम (स) विपर्यय (द) समीकरण
3. 'स्कूल झ इस्कूल' में ध्वनि परिवर्तन की कौन-सी दिशा है ?
(अ) स्वर-लोप (ब) समीकरण (स) स्वर आगम (द) विषमीकरण
4. 'रघुवीर झ रघुवीरा' में ध्वनि परिवर्तन में कौ-सा कारण है ?
(अ) काव्यात्मकता (ब) अशिक्षा (स) भावावेश (द) मुखसुख
5. निम्न में कौन-सा वर्ण अल्पप्राण नहीं है ?
(अ) क, ग (ब) क, ख (स) ग, घ (द) ख, घ

6. 'र' किस प्रकार की ध्वनि है ?

(अ) उत्क्षिप्त (ब) लुंठित (स) पार्श्विक (द) संघर्षी

7. निम्न में कौन-सी ध्वनि घोष है ?

(अ) ग, घ (ब) क, च (स) ट, छ (द) त, प

8. इनमें से कौन दीर्घ या द्वित्व व्यंजन का शब्द नहीं है ?

(अ) सर्दी (ब) कच्चा (स) पक्का (द) पत्ता

9. इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि कौन-सी है ?

(अ) य, र, व (ब) श, स, ष (स) ड़, ढ़ (द) क्ष, त्र, ज्ञ

10. वर्नर के अनुसार ग्रिमनियम किस पर आधारित था ?

(अ) स्वराघात (ब) बलाघात (स) घोषीकरण (द) मात्रा

**उत्तर माला -**

**रिक्त स्थानों की पूर्ति -**

1. मात्रा 2. लुंठित 3. दीर्घ 4. मुखसुख 5. आदि 6. याकोब
7. शीघ्रता 8. व्यंजन 9. काकल्य 10. इ, ई

**सही/गलत वाक्य -**

1. सही 2. गलत 3. गलत 4. सही 5. गलत 6. सही 7. सही 8. सही
9. सही 10. सही

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. (अ) 2. (ब) 3. (स) 4. (अ) 5. (द)
6. (ब) 7. (अ) 8. (अ) 9. (स) 10. (ब)

## 1.11 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, पटना
2. डॉ राजमणि शर्मा , आधुनिक भाषा विज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
3. डॉ तेजपाल चौधरी, भाषा और भाषा विज्ञान, विकास प्रकाशन, कानपुर
4. कामता प्रसाद गुरू, हिन्दी व्याकरण, लोक भारती, इलाहाबाद

## 1.12 निबंधात्मक प्रश्न –

1. ध्वनि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध आयामों का परिचय दीजिए तथा साथ ही ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार बताइए।
2. स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा ध्वनि-परिवर्तन के कारणों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए।

**इकाई 2 शब्द और रूप**

इकाई की रूपरेखा

2.2 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.3 रूप : संरचना और अवधारणा

2.3.1 शब्द और रूप

2.3.2 सम्बंध तत्व और अर्थतत्व

2.4 रूप-परिवर्तन

2.4.1 रूप-परिवर्तन की दिशाएं

2.4.2 रूप-परिवर्तन के कारण

2.5 रूपिम और संरूप

2.6 रूपिम के प्रकार्य

2.7 रूपिम निर्धारण पद्धति

2.8 रूप स्वनिम विज्ञान

2.9 सारांश

2.10 पारिभाषिक शब्दावली

2.11 अभ्यास प्रश्न

2.12 सन्दर्भ ग्रंथ

2.13 निबंधात्मक प्रश्न

## 2.1 प्रस्तावना

आप सामान्य रूप से परिचित हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और एक या अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। दैनिक जीवन में हम अपनी भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। रूप संरचना का सम्बंध शब्द से है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शब्द और रूप में अन्तर है। शब्द का मूल रूप जिसे हम स्वतंत्र शब्द कह सकते हैं - 'प्रतिपादिक' या 'प्रकृति' कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अन्य शब्दों के साथ सम्बंध बताने वाले प्रत्यय से युक्त होता है - यही शब्द 'रूप' है। इसे 'पद' भी कहा जाता है। इस प्रकार 'शब्द' और 'रूप' सामान्य बोलचाल में एक से लगते हुए भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उनमें पर्याप्त अन्तर होता है।

प्रत्येक शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है क्योंकि सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द अर्थतत्व से संयुक्त होता है। वाक्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सम्बंधतत्व है। सम्बंधतत्व के कारण ही शब्द अपने अर्थतत्व से परस्पर सम्बंध को अभिव्यक्त कर वाक्य का सम्पूर्ण अर्थ देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सम्बंधतत्व भाषा की वह प्रक्रिया है जो प्रतिपादिक या मूल शब्द के पहले से निहित अर्थ को वाक्य के सम्दर्भ में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देती है।

ध्वनि-परिवर्तन की तरह रूप-परिवर्तन भी होता है किन्तु रूप-परिवर्तन का क्षेत्र ध्वनि-परिवर्तन की अपेक्षा सीमित है। रूप-परिवर्तन होने पर पुराने रूपों का लोप हो जाता है और नए रूप प्रचलित हो जाते हैं। कभी-कभी नए रूपों के साथ पुराने रूप भी चलते रहते हैं। इसलिए भाषा में एक ही अर्थ देने वाले कई रूप प्रचलित हो जाते हैं। रूप-परिवर्तन कुछ निश्चित दिशाओं में होता है और इसके विभिन्न कारण हैं जिनका अध्ययन आप 'रूप-परिवर्तन की दिशाएं और कारण' शीर्षक में कर सकेगें। 'रूपिम विज्ञान' के अध्ययन में आप 'रूपिम' और 'संरूप' की अवधारणा को समझ सकेगें। भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई 'रूपिम' है जिसका सम्बंध व्याकरण से है। रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपिम के चार भेद हैं - मुक्त, बद्ध, बद्धमुक्त और संयुक्त रूपिम। अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के दो भेद - 'अर्थदर्शी' और 'सम्बंधदर्शी' रूपिम किए गए हैं। रूपिम भाषा की सार्थक इकाई होने के साथ ही वाक्य संरचना का व्याकरणिक आधार भी है। रूपिम निर्धारण की विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक पद्धति है। रूपिम और संरूप के निधारण का सम्बंध उच्चारित भाषा से है। रूपस्वनिम विज्ञान अथवा रूप-ध्वनिग्राम विज्ञान रूप विज्ञान की ही एक विशिष्ट शाखा है। इसके अन्तर्गत उन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो दो या दो से अधिक रूपों या रूपग्रामों के मिलने पर दिखाई देते हैं। प्रायः रूपस्वनिम विज्ञान को 'संधि' के निकट मानते हैं किन्तु संधि की अपेक्षा यह विस्तृत और सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है।

## 2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

1. रूप की भाषा वैज्ञानिक संरचना और अवधारणा से परिचित होकर सामान्य शब्द से उसके अन्तर को समझ सकेगें।
2. रूप की संरचना में निहित अर्थतत्व और सम्बंध तत्व को पहचान कर उनके अन्तर्सम्बंध को जान सकेगें।
3. रूप परिवर्तन के कारण और दिशाओं को समझ सकेगें।
4. रूपिम और संरूप की भाषा वैज्ञानिक अवधारणा को समझकर और वाक्य संरचना में इनके महत्व को जान सकेगें।
5. रूपिम और संरूप की निर्धारण की पद्धति का अध्ययन कर सकेगें।
6. रूपस्वनिम विज्ञान से सामान्य परिचय पाकर संधि से उसके वैशिष्ट्य को समझ सकेगें।

## 2.3 रूप : संरचना और अवधारणा

भाषा की इकाई वाक्य है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्द अक्षरों से। दूसरे शब्दों में वाक्य को शब्दों में खण्डित किया जा सकता है और शब्दों को अक्षरों में । आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि ही ‘शब्द’ कहलाती है। रूप संरचना का सम्बंध शब्द से है। सामान्य बोलचाल में ‘शब्द’ और ‘रूप’ में अन्तर नहीं किया जाता किन्तु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में दोनों में पर्याप्त अन्तर है। शब्दों के दो रूप हैं - एक सामान्य या मूल रूप जो प्रायः शब्दकोश में मिलता है और दूसरा वाक्य में प्रयुक्त रूप। वाक्य में शब्द का प्रयुक्त रूप अन्य शब्दों के साथ सम्बंधतत्व से युक्त होता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के योग्य अर्थात अन्य शब्दों के साथ सम्बंधतत्व से युक्त शब्द ही ‘रूप’ (Morpheme) या ‘पद’ कहलाता है। आगे हम ‘शब्द’ और ‘रूप’ की संरचना पर विस्तार से चर्चा करेगें।

### 2.3.1 शब्द (Word) और रूप (Morpheme)

शब्द और रूप के सम्बंध में भारतीय मनीषियों ने पर्याप्त चिंतन किया है। प्राचीन व्याकरण ग्रंथों में शब्द या उसके मूल रूप को ‘प्रतिपादिक’ या ‘प्रकृति’ कहा गया है। जैसे - मोहन, नदी, कमल, पुस्तक आदि प्रतिपादिक शब्द हैं। जब हम इन शब्दों में सम्बंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तथ्यों के साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द ‘रूप’ या ‘पद’ कहलाते हैं। संस्कृत में सम्बंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तथ्यों को ‘प्रत्यय’ कहा गया है। जैसे मोहन ने खाना खाया। यहाँ मोहन के साथ ‘ने’ प्रत्यय जुड़ने पर वह ‘रूप’ बन गया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है - ‘नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः’ अर्थात वाक्य में न तो केवल ‘प्रकृति’ का प्रयोग हो सकता है और न ही केवल प्रत्यय का। दोनों (प्रतिपादिक और प्रत्यय) मिलकर ही प्रयुक्त हो सकते हैं। दोनों के मिलने से जो बनता है वही ‘रूप’ या ‘पद’ है। पाणिनि के

'सुप्तिङन्तं पदं' (सुप और तिङ् जिनके अंत में हों, वहीं रूप या पद हैं।) वाक्य में 'रूप' की परिभाषा स्पष्ट है। जैसे - 'पढ़' प्रतिपादिक शब्द है। अब वाक्य में यदि इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें कोई सम्बंधसूचक प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जैसे 'पढ़ेगा', 'पढ़ता है' आदि। शुद्ध क्रिया शब्द 'पढ़' वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए सम्बंधतत्व से युक्त होकर 'पढ़ेगा', 'पढ़ता है' हो गया। यही 'शब्द' से 'रूप' बनने की प्रक्रिया है।

इस प्रकार 'शब्द' और 'रूप' के सम्बंध में कुछ मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं -

- ☐ मूल या सामान्य शब्द को 'प्रतिपादिक' कहते हैं।
- ☐ वाक्य रचना में सम्बंधसूचक तत्व 'प्रत्यय' कहलाते हैं।
- ☐ वाक्य में केवल प्रतिपादिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उसमें सम्बंधसूचक प्रत्ययों का प्रयोग आवश्यक है।
- ☐ वाक्य में सम्बंधसूचक प्रत्ययों से युक्त प्रतिपादिक शब्द ही 'रूप' कहलाता है।
- ☐ इस प्रकार 'शब्द' और 'रूप' में पर्याप्त अंतर स्पष्ट है।

कभी प्रतिपादिक शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात 'रूप' में कोई रूपगत अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि शब्दों में सम्बंध दिखाने के लिए किसी प्रत्यय आदि के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द के ही स्थान से ही अन्य शब्दों के साथ उसका सम्बंध स्पष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी स्थिति में बिना प्रत्यय जोड़े किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रखे जाने के कारण ही 'शब्द', 'रूप' या 'पद' बन जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ सम्बंधसूचक प्रत्यय का महत्व न होकर 'स्थान विशेष' का महत्व हो जाता है। स्थान-प्रधान या अयोगात्मक भाषाओं में भी यही स्थिति है। वहाँ 'शब्द' और 'रूप' में कोई रूपगत अन्तर दिखाई नहीं पड़ता। हिन्दी में भी ऐसे उदाहरण देखें जा सकते हैं।

### 2.3.2 सम्बंधतत्व और अर्थतत्व

वाक्य में दो तत्व होते हैं - सम्बंधतत्व और अर्थतत्व। अर्थतत्व प्रत्येक शब्द में अन्तर्निहित होता है। जैसे एक वाक्य में कुछ शब्दों को लें - राम, रावण, बाण, मारना - इन शब्दों में अर्थतत्व निहित है किन्तु तो भी वाक्य में इन शब्दों को यदि इसी प्रकार रख दिया जाय तो वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं व्यक्त होगा। सम्बंधतत्व का कार्य है विभिन्न अर्थतत्वों का आपस में सम्बंध दिखलाना। ऊपर दिये गए शब्दों को इस रूप में देखें - राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में वही चार अर्थतत्व हैं - राम, रावण, बाण, और मारना। साथ ही इसमें चार सम्बंध तत्व भी हैं - ने, को, से और मारना से बना मारा। 'ने' सम्बंध तत्व वाक्य में राम का सम्बंध दिखाता है। इसी प्रकार 'को' रावण से और 'से' बाण का सम्बंध दिखाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द सम्बंधतत्व से युक्त होने पर ही 'रूप' या 'पद' कहलाते हैं। अतः सम्बंधतत्व का मुख्य कार्य वाक्य में प्रयुक्त अर्थतत्वों में परस्पर सम्बद्धता प्रदान कर वाक्य को पूर्णरूप से अर्थवान बनाना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सम्बंधतत्व भाषा की वह प्रक्रिया है जो अर्थतत्व (प्रतिपादिक/मूल शब्द) में पहले से निहित अर्थ को वाक्य के संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। शब्द में

अर्थ पहले से ही विद्यमान रहता है। आप जानते हैं कि शब्द सार्थक ध्वनियों का समूह है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन होता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। शब्द में अर्थ सदैव विद्यमान रहता है। इसीलिए शब्द को 'ब्रह्म' भी कहा गया हैं। शब्द में अर्थ की सत्ता होने के कारण ही उसे 'अर्थतत्व' कहा गया है। बिना अर्थ के शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सम्बंधतत्व अर्थतत्व को व्याकरणिक अर्थ प्रदान करता है और अर्थतत्व को वाक्य के संदर्भ में प्रयोग के योग्य बनाता है। ऊपर दिये गए उदाहरणों से अर्थतत्व और सम्बंधतत्व के अन्तर्सम्बंध को भलि-भाँति समझा जा सकता है।

## 2.4 रूप-परिवर्तन (Morphological Change)

मोटे तौर पर रूप-परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में अन्तर स्पष्ट अन्तर नहीं दिखाई देता किन्तु वस्तुतः दोनों में पर्याप्त अन्तर है। ध्वनि-परिवर्तन भाषा की विशिष्ट ध्वनि में होता है और वह ऐसे सभी शब्दों को प्रभावित कर सकता है जिसमें वह विशिष्ट ध्वनि हो। रूप-परिवर्तन का क्षेत्र ध्वनि-परिवर्तन की तुलना में सीमित है। वह किसी एक शब्द या पद को ही प्रभावित करता है। ध्वनि परिवर्तन होने पर पुरानी ध्वनि लुप्त हो जाती है और नई ध्वनि प्रचलित हो जाती है। इस तरह ध्वनि-परिवर्तन के पुराने रूप बहुत कम मिलते हैं क्योंकि नई ध्वनि आने पर उनका चलन समाप्त हो जाता है। रूप-परिवर्तन में ऐसा कम होता है। रूप-परिवर्तन होने के बाद भी नए रूपों के साथ पुराने रूप भी चलते रहते हैं। यही कारण है कि भाषा में एक अर्थ देने वाले अनेक रूप मिल जाते हैं।

### 2.4.1 रूप-परिवर्तन की दिशाएं

रूप-परिवर्तन निम्नलिखित दिशाओं में होता है -

1. अपवादित रूपों के स्थान पर नियमित रूप - किसी भी भाषा में नियमित रूपों के साथ ही अपवादित रूपों की संख्या होती है। जैसे संस्कृत में क्रिया व संज्ञा के रूपों में अपवाद बहुत अधिक थे। अपवादित रूपों के आधिक्य से उनके प्रयोग में भ्रम की गुंजाइश रहती है। साथ ही भाषा भी अधिक समय तक इन्हें वहन नहीं करती। फलतः भाषा के विकास में अपवाद रूप में प्राप्त रूपों का स्थान नियमित रूप ले लेते हैं। हिन्दी में परसर्गो का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है।

2. नये रूपों की उत्पत्ति - भाषा के विकास में पुराने रूपों के चलन के साथ नये रूपों की उत्पत्ति भी होती रहती है। जैसे हिन्दी में चला, लिखा, पढ़ा, के सादृश्य पर 'करा' (किया) रूप भी प्रचलित हो गया। इसी तरह छठा-सातवाँ के सादृश्य पर 'छठवाँ' या 'छवाँ' रूप भी चलता है। नये रूपों की उत्पत्ति में सादृश्य और मानसिक प्रयत्न लाघव की भावना काम करती है। रूप-परिवर्तन की ये दिशाएं न तो बहुत स्पष्ट हैं और न ही एक दिशा में कार्य करती हैं। वे प्राचीन लुप्त रूपों को भी पुनः ग्रहण कर सकती हैं तो नये रूपों का निर्माण भी करती हैं।

### 2.4.2 रूप परिवर्तन के कारण

रूप-परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं -

1. सरलता 2. एक रूप की प्रधानता 3. नवीनता 4. स्पष्टता 5. बल 6. अज्ञान 7. सादृश्य

1. **सरलता** - भाषा की प्रवृत्ति है कि वह कठिनता से सरलता की ओर विकसित होती है। संस्कृत से पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक हिन्दी के विकास में सरलता की प्रवृत्ति को स्पष्ट देखा जा सकता है। ध्वनि-परिवर्तन में प्रयत्न लाघव का जो स्थान है, रूप-परिवर्तन में सरलता का वही स्थान है। सरलता के लिए अनेक अपवादित रूप या तो लुप्त हो जाते हैं या वे नियमित रूप का स्थान ले लेते हैं। हिन्दी में कारक, वचन, लिंग के रूपों में अधिकता थी। इन्हें याद रखना कठिन था। सरलता की प्रवृत्ति ने इनकी संख्या कम कर दी।

2. **एक रूप की प्रधानता** - एक रूप की प्रधानता के कारण भी कभी-कभी रूप-परिवर्तन हो जाता है। जैसे सम्बंध कारक रूपों की प्रधानता का परिणाम यह हुआ कि बोलचाल में मेरे को, मेरे से, तेरे को, तेरे से जैसे रूप मुझे, मुझको, मुझसे आदि के स्थान पर चल पड़े।

3**. नवीनता** - नवीनता के प्रति मनुष्य का सहज आकर्षण और आग्रह रहता है। भाषा में भी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जैसे - 'मैं' की जगह बोलचाल में 'हम' का प्रयोग बढ़ रहा है। लड़कियाँ भी अब स्त्रीलिंग क्रियाओं की जगह पुल्लिंग क्रियाओं - पहनूँगा, पढ़ रहा हूँ, जाता हूँ जैसे रूपों का प्रयोग करने लगी हैं।

4**. स्पष्टता** - 'मैं' और हम में स्पष्टता लाने के लिए हम लोग, तुम लोग, का प्रयोग देखा जा सकता है। इसी तरह श्रेष्ठ की जगह सर्वश्रेष्ठ का प्रयोग भी होता है।

5. **बल** - किसी बात पर अधिक बल देने के लिए भी नये रूप प्रचलित हो जाते हैं। यद्यपि व्याकरणिक और अर्थ की दृष्टि से वे अशुद्ध होते हैं। जैसे अनेक के स्थान पर अनेकों रूप चल पड़ा। यहाँ बल देने का स्पष्ट उदाहरण है। इसी तरह फिजूल का अर्थ निरर्थक होता है किन्तु बल देने के लिए 'बेफिजूल' रूप चलने लगा जो अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है।

6. **अज्ञान** - अज्ञान के कारण भी नए रूप प्रचलित हो जाते हैं। अनेक से अनेकों या फिजूल से बेफिजूल के प्रचलित रूपों में अज्ञान भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त सौन्दर्यता, कुटिलताई जैसे रूपों का प्रयोग केवल अज्ञान के कारण चलते हैं।

7. **सादृश्य** - सादृश्य के कारण भी नए रूप प्रचलन में आ जाते हैं। जैसे 'पाश्चात्य' के सादृश्य पर 'पौर्वात्य', दिया-लिया के सादृश्य पर 'किया' रूप चल पड़ा।

## 2.5 रूपिम (Morpheme) और संरूप (Allomorph)

रूप' या 'पद' के सम्बंध में आप पढ़ चुके हैं। ये वाक्य-संरचना के घटक हैं जिन्हें सामान्य भाषा में 'शब्द' कहते हैं। 'रूप' और 'शब्द' के अन्तर को भी आप भलीभाँति जान गये हैं। 'रूपिम' को भाषा विज्ञान में 'रूपतत्व', 'पदतत्व', 'पदिम' आदि नामों से जाना जाता है। रूपिम को समझने के लिए एक वाक्य का उदाहरण देखें - 'उसके पैतृक घर में पूजा होगी।' इस वाक्य में पाँच पद या रूप हैं -

उसके पैतृकघर में पूजा होगी।

1 2 3 4 5

आप देखेगें कि इन पाँच रूपों में सभी एक से नहीं हैं। कुछ इतने छोटे रूप हैं जिनके खण्ड नहीं किए जा सकते। जैसे 'मैं' अन्य रूपों को खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे -

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उस | के | पैतृक | घर | में | पूज | आ | हो | ग | ई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

यदि हम 'उस' को 'उ' और 'स' में अथवा 'घर' को 'घ' और 'र' में विभाजित करना चाहें तो ये खण्ड तो हो सकते हैं किन्तु ये खण्ड यहाँ निरर्थक हैं। रूपिम के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके छोटे-छोटे खण्ड भी वाक्य संरचना में सार्थक हों। इस तरह ऊपर दिए गए वाक्य में दस रूपिम हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रूपिम भाषा उच्चारण की लघुतम इकाई है।

रूपिम की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं -

'भाषा या वाक्य की सार्थक इकाई को रूपग्राम या रूपिम कहते हैं।' - **डॉ भोलानाथ तिवारी**

पाश्चात्य भाषा-विज्ञान में रूपिम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

'A morpheme is the smallest meaningfull unit in a grammer of language.'

'In linguistics a morpheme is the smallest grammatical unit in a language.'

'A morpheme is a meaningfull lingustic unit, consisting of a word or word element that can not be divided into smaller meaningful parts.'

उक्त परिभाषाओं के आधार पर 'रूपिम' की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं -

- रूपिम का सम्बंध भाषा व्याकरण से है।
- रूपिम लघुतम सार्थक इकाई है।
- रूपिम के सार्थक खण्ड किए जा सकते हैं।
- रूपिम शब्द या शब्द के तत्वों के रूप में होते हैं।

रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपिम के तीन भेद हैं -

**(क) मुक्त रूपिम** - ये केवल स्वतंत्र रूप में या अन्य वाक्य संरचना में भी प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे ऊपर दिए गये वाक्य में पैतृक, घर स्वतंत्र रूपिम है। इनका अन्यत्र भी स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे (घर बन गया) या अन्य रूपिम के साथ भी इनका प्रयोग हो सकता है। (जैसे पैतृक सम्पत्ति)।

**(ख) बद्ध रूपिम** - इनका अलग या स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे 'ता' (एकता, सुन्दरता) या 'ई' (लड़की, काली, खड़ी, पड़ी) आदि में।

**(ग) बद्ध मुक्त** - इस प्रकार के रूपिम कभी तो मुक्त रहते हैं (जैसे मोहन का) कभी बद्ध (जैसे तुमको, उनको) हिन्दी के परसर्ग (ने, को, में, से) इसी प्रकार के रूपिम हैं। वे संज्ञा के साथ तो मुक्त रूप में आते हैं किन्तु सर्वनाम के साथ बद्ध रहते हैं।

**(घ) संयुक्त रूपिम** - जब दो या अधिक रूपिम एक में मिलते हैं और उनका अर्थतत्व एक होता है तो उन्हें संयुक्त रूपिम कहते हैं। जैसे उसके, घरों आदि।

डॉ भोलानाथ तिवारी ने अर्थ और कार्य के आधार पर रूपिम के दो भेद किए हैं -

**(क) अर्थदर्शी रूपिम** - इनको अर्थतत्व भी कहते हैं। इनका स्पष्ट अर्थ होता है। ये भाषा के मूल आधार हैं। प्राचीन व्याकरण में इन्हें Stem, root या 'धातु' कहा गया है। व्याकरण की दृष्टि से ये रूपिम कई प्रकार के हो सकते हैं: जैसे क्रिया (हो, खा, पढ़, चल), संज्ञा (किताब, मोहन, गाय), सर्वनाम (मैं, तुम, वह), विशेषण (सुन्दर, अच्छ्, बड़) आदि।

**ख) सम्बंधदर्शी रूपिम** - इनमें अर्थ की प्रधानता नहीं होती। अन्य रूपिमों के साथ सम्बंध दर्शाना इनका प्रमुख कार्य होता है। इसलिए इन्हें सम्बंध तत्व भी कहा जाता है। यद्यपि इन्हें व्याकरणिक तत्व (कहना अधिक ठीक होगा। हिन्दी में परसर्ग, प्रत्यय आदि सम्बंधदर्शी रूपिम है। ये रूपिम एक शब्द का सम्बंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं। साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति या भाव की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपिम में परिवर्तन भी करते हैं। जैसे - 'अच्छ्' अर्थदर्शी रूपिम है। इसमें आ, ई, इया, इयों, ए, ओं आदि सम्बंधदर्शी रूपिम या सम्बंध तत्वों को जोड़कर अच्छा, अच्छी, अच्छाइयाँ, अच्छाइयों, अच्छे, अच्छों आदि संयुक्त रूपिम बना सकते हैं।

**संरूप (Allomorph) -** प्रायः कई रूपिम एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनका वितरण और प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग-अलग निर्धारित है अर्थात जहाँ एक का प्रयोग होता है, वहाँ दूसरे का नहीं और जहाँ दूसरे का प्रयोग होता है वहाँ तीसरे का नहीं। ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपिम के संरूप होते हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं।

अंग्रेजी में संज्ञा रूपों का एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए 'स' (cats,books,hats), 'ज' (eyes,dogs,words), 'इज' (horses,roses), 'इन' (oxen), 'रिन' (children) तथा शून्य रूपिम (sheep) आदि का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में स,ज,इज,इन,रिन तथा शून्य रूपिम बहुवचन बनाने वाले रूपिम हैं। इसी प्रकार हिन्दी में बहुवचन बनाने के लिए 'ओं' (घरों, पुस्तकों, घोड़ों, वस्तुओं आदि), 'ओ' (सम्बोधनवाची शब्दों जैसे-कवियो, सज्जनो, भाइयो, बहनो आदि), 'ए' (बेटे, लड़के, घोड़े आदि), 'एँ (माताएं, बहनें, वस्तुएं आदि), 'आँ' (बकरियाँ, दवाइयाँ, नदियाँ आदि), 'अँ' (चिड़ियाँ, गुड़ियाँ आदि), शून्य रूपिम (कवि, घर, साधु आदि) का प्रयोग होता है। इस तरह हिन्दी में ओं, ओ, ए, एँ, आँ, आदि बहुवचन वाले रूपिम हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में बहुवचन बनाने वाले रूपिमों का अर्थ एक है। इसलिए ये सम्भावना हो सकती है कि ये अलग-अलग रूपिम न होकर एक ही रूपिम के संरूप हों । संरूपों के विश्लेषण के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि (1). ये परस्पर विरोधी नहीं हैं अर्थात समानार्थी हैं। (2). ये परिपूरक वितरण में हों अर्थात सबके स्थान अलग-अलग निश्चित हों। एक ही स्थिति में एक से अधिक न आते हों। विश्लेषण में यदि ये स्थितियाँ होती हैं तो उन सबको एक रूपिम के संरूप माना जायेगा। उन्हीं संरूपों में किसी एक को जो अधिक प्रयुक्त हो, उसे रूपिम कहा जा सकता है। इस प्रकार अंग्रेजी में बहुवचन बनाने वाला रूपिम 'स' और अन्य 'ज, इज, इन, रिन' आदि संरूप हैं। हिन्दी में 'ओं' रूपिम है और 'ओ, ए, एँ, आँ, अँ' आदि संरूप हैं।

## 2.6 रूपिम के प्रकार्य

आप यह अच्छी तरह समझ गये हैं कि रूपिम एक महत्वपूर्ण व्याकरणिक संरचना है। वह भाषा की सार्थक इकाई होने के साथ ही वाक्य संरचना का आधार भी है। व्याकरणिक संरचना होने के कारण रूपिम के प्रकार्य को व्याकरणिक कोटियों के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। सम्बंधतत्व और अर्थतत्व के अन्तर्गत आप पढ़ चुके हैं कि सम्बंधतत्व द्वारा अर्थतत्व के काल, लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक आदि का अभिव्यक्ति होती है। इन्हें ही व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। सभी भाषाओं में इनकी कोटियाँ समान नहीं होती। जैसे संस्कृत में तीन लिंग और तीन वचन थे। हिन्दी में दो लिंग और दो वचन रह गए।

किसी प्रतिपादिक (मूल शब्द) में जिस व्याकरणिक कोटि (लिंग, वचन, काल आदि) के संयोजन में अलग से स्वनिम जोड़ना पड़े उसे विभक्तिपरक या रूपायित कोटि कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ प्रतिपादिक अपने अपरिवर्तित रूप में व्याकरणिक कोटि के सहित होते हैं, उसे चयनात्मक कोटि कहते हैं। इन्हीं दो कोटियों के साथ हिन्दी के रूपिम के प्रकार्यों का विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है। काल - काल के तीन भेद हैं - वर्तमान, भूत और भविष्य। क्रिया में विभिन्न प्रकार के सम्बंधतत्व जोड़कर एक ही काल को प्रकट किया जाता है। सम्बंधतत्व अनेक रूपों में कार्य करते हैं। कहीं तो स्वतंत्र शब्द जोड़कर तो कहीं क्रिया में जोड़कर भाव व्यक्त होता है। कहीं सम्बंधतत्व में इतना परिवर्तन हो जाता है कि अर्थतत्व और सम्बंधतत्व का पता ही नहीं चलता। जैसे - 'मैं जा रहा हूँ' वाक्य में 'रहा हूँ' स्वतंत्र शब्द है। 'मैं जाता हूँ' या 'मैं जाऊँगा' वाक्य में 'जा' मूल क्रिया में 'ता' और 'ऊँगा' जुड़कर काल को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में 'मैं गया' वाक्य में 'जा' क्रिया 'गया' में पूरी तरह परिवर्तित हो गयी है। इस प्रकार सम्बंधतत्व की क्रिया के साथ संवृत होने से वाक्य को विभिन्न कालों का अर्थ प्रदान करती है। यह संवृतता की कालपरक रूपिम है।

**लिंग -** संज्ञा रूपों में लिंग रूपिम सक्रिय होते हैं। आप जानते हैं कि हिन्दी में दो तरह के लिंग हैं- पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिन्दी में संस्कृत के नपुसंकलिंग का प्रयोग नहीं होता। संज्ञा में लिंग का बोध करने के लिए दो उपाए अपनाए जाते हैं - प्रत्यय जोड़कर और स्वतंत्र शब्द में रखकर। जैसे 'ई' (लड़का, लड़की), 'इया' (बूढ़ा, बुढ़िया), 'इन' (बाघ, बाघिन) प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से शब्द साथ में रखकर भी लिंग बोध कराया जाता है जैसे माता-पिता, राजा-रानी, भाई-बहन, नर मछली, मादा मक्खी आदि। ये स्वतंत्र रूपिम हैं। लिंग के अनुसार संज्ञा विशेषण (सभी सर्वनाम, विशेषण नहीं) और क्रिया के रूप बदलते हैं। सभी सर्वनाम में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता।

**पुरुष -** पुरुष रूपिम सर्वनाम के रूप परिवर्तन के कारक हैं। जिसका अनुसरण क्रिया करती है अर्थात पुरुष के कारण सर्वनाम के साथ ही क्रिया में भी परिवर्तन होता है। हिन्दी में पुरुष के तीन भेद हैं - उत्तम पुरुष (मैं, हम), मध्यम पुरुष (तू, तुम), अन्य पुरुष (वह, वे, आप)। उत्तम पुरुष में 'मैं' एक वचन में और 'हम' बहुवचन में रूपिम होगा।

**वचन -** हिन्दी में दो वचन हैं - एक वचन और बहुवचन। लिंग की तरह एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय का और कभी-कभी समूहवाची स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे -

लड़की + इयाँ - लड़कियाँ, विधायक + गण - विधायकगण।

**कारक -** कारक रूपिम का सम्बंध संज्ञा और सर्वनाम से होता है। वाक्य संरचना में कारक रूपिम कर्ता, क्रिया, कर्म को परस्पर सम्बद्ध करता है।

## 2.7 रूपिम निर्धारण पद्धति

आप ये जान चुके हैं कि रूपिम भाषा या वाक्य की लघुतम उच्चारित इकाई है। जब एक ही अर्थ में कई रूपिम प्रयुक्त होते हैं जिनका वितरण और प्रयोग की दृष्टि से अलग-अलग स्थान निर्धारित होता है। ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपिम के संरूप होते हैं। रूपिम और संरूप के निर्धारण का सम्बंध उच्चारित भाषा से है। प्रायः भाषा का उच्चारण करते समय भाषा वैज्ञानिक उसकी भाषिक अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते जिससे उस भाषा के रूपिम का तुरंत निर्धारण नहीं हो पाता। धाराप्रवाह भाषिक अभिव्यक्ति में यह स्थिति और कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में भाषा वैज्ञानिक को वक्ता से अपने कथन को धीरे-धीरे उच्चारित करने के लिए कहना चाहिए। धीरे-धीरे कथन के उच्चारण में वक्ता वाक्य में आवश्यकतानुसार स्वाभाविक रूप से विराम देगा। दो विरामों के मध्य के अंश रूपिम होंगे । वे संयुक्त भी हो सकते हैं और अकेले भी। वाक्य के इन स्वाभाविक टुकड़ों का दो आधारों पर परीक्षण किया जाता है -

1. क्या वह अंश अन्य उच्चारणों में लगभग उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। यदि इसका उत्तर 'नहीं' है, तो निश्चित रूप से चुना हुआ अंश हमारे काम का नहीं है। अब हम दूसरे अंश के साथ यही परीक्षण करेगें। यदि उत्तर 'हाँ' में मिलता है तो यह लगभग एक व्याकरणिक रूप है किन्तु अनिवार्यतः रूपिम नहीं है।

2. क्या वह 'रूप' अन्य छोटे रूपों में विभक्त हो सकता है, और क्या छोटे रूप लगभग उसी अर्थ में अन्य उच्चारण में व्यवहृत होते हैं ? क्या छोटे रूपों का अर्थ समग्र रूप में उस बड़े रूप के अर्थ को अभिव्यक्त करता है ? यदि उत्तर 'हाँ' में है तो यह रूप एक रूपिम से बड़ा है। अर्थात संयुक्त रूप है और फिर हम हर टुकड़ों का उपर्युक्त दो आधारों पर परीक्षण करेगें। यदि उत्तर 'नहीं' में मिलता है तो वह रूप एवं रूपिम है। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक चुना हुआ प्रथम परीक्षण के आधार पर या तो अनावश्यक अंश हो सकता है या व्याकरणात्मक रूप हो सकता है या एक रूपिम। इस प्रक्रिया द्वारा हम उच्चारणों के सभी रूपिमों की खोज कर सकते हैं।

निम्नलिखित उच्चारित कथन की उपर्युक्त दोनों आधारों पर परीक्षा से बात स्पष्ट हो जायेगी-

'वह अपने बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता है।' धीरे-धीरे उच्चारित किये जाने पर इसके स्वाभाविक टुकड़े होगें - /वह/, /अपने/, /बड़े/, /भाई/, /के/, /साथ/, /अच्छा/, /व्यवहार/, /करता/, है।

प्रस्तुत वाक्य में सहायक रूपिमों की खोज के लिए हम किसी अंश को लेकर उपर्युक्त प्रश्नों के आधार पर उस अंश की परीक्षा करेगें -

/वह/

(1) वह जाता है/

/ वह पढ़ती है।/

/ वह खेलता है।/

स्पष्ट है कि /वह/ अन्य उच्चारणों में भी उसी रूप में और अर्थ में प्रयुक्त होता है। चुने उच्चारणों के /वह/ एवं इन उच्चारणों के /वह/ अर्थ में समानता है। यह हिन्दी का सर्वनाम रूप है जो अन्य पुरुष में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। यही इसका अर्थ है।

/वह/ के सम्भावित टुकड़े हो सकते हैं -

/व/, /ह/

/वहाँ/, /वह/, /रह/, /वापस/ में टुकड़े व्यवहृत तो होते हैं परन्तु उसी अर्थ में नहीं यहाँ वह के /व्/, या /ह/ टुकड़ों में उपयुक्त अर्थ द्योतित नहीं है। अपितु ये दूसरे अर्थ के जनक हैं। अस्तु ये निरर्थक हैं। निष्कर्षतः /वह/ के और सार्थक टुकड़े नहीं किये जा सकते, इसलिए /वह/ एक रूपिम है।

(2) /अपने/

/मैं अपने घर जा रहा हूँ/

/वह अपने गुरूजनों का सम्मान करता है/

/वह अपने पिता के साथ भोजन कर रहा है/

इन उच्चारणों में /अपने/ लगभग उसी अर्थ में प्रयुक्त है। अतः यह एक रूपिम है।

/अपने/ के निम्नलिखित टुकड़े किये जा सकते हैं -

(क) /आ/, /ने/

(ख) /अ/, /पन/

(ग) /अपन/, /ए/

प्रथम दोनों टुकड़े यद्यपि हिन्दी में अन्य उच्चारणों में प्रयक्त होते हैं किन्तु उपर्युक्त अर्थ में नहीं। अतः ये दानों टुकड़े हमारे काम के नहीं। (ग) टुकड़ा समान अर्थो में हिन्दी भाषा के अन्य उच्चारणों में भी प्रयुक्त होता है। /ए/ पुल्लिंग बहुवचन बोधक प्रत्यय के रूप में /अपने/और/बड़े/में प्रयुक्त हैं/ अतः अपने संयुक्त रूपिम है - /अपन/+/-ए/ एवं संरूप

सर्वथा भिन्न अर्थवाची समध्वन्यात्मक रूप दो भिन्न 'रूपिम' माने जाते हैं। यथा हिन्दी का /कनक/ दो रूपिम है। एक का अर्थ 'स्वर्ण' है, दूसरे का धतूरा।

ऐसे समन्वयात्मक रूप जो अनेकार्थी हैं तथा उनके अर्थ संदर्भों से स्पष्ट हो जाएँ तो वे एक ही रूपिम के संरूप होंगे। यथा 'मुझे मार', तथा 'मुझे मार पड़ी' में 'मार' शब्द क्रमशः क्रिया और संज्ञा हैं तथा संदर्भगत स्पष्टता है। किन्तु उसके विपरीत वे रूप जो अनेकार्थी है पर संदर्भरहित है अलग रूपिम होगें। यथा - ऊपर का उदाहरण - 'कनक'/'कनक अच्छा नहीं होता।' इस कथन में संदर्भगत स्पष्टता नहीं है अतः अलग रूपिम होगा।

## 2.8 रूप स्वनिम विज्ञान (Morphophnemics)

रूप स्वनिम विज्ञान अथवा रूप ध्वनिग्राम विज्ञान रूप विज्ञान की ही एक विशेष शाखा है जिसमें उस ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो दो या दो से अधिक रूपों या रूपग्रामों के मिलने पर दिखाई पड़ते हैं। रूपग्राम के परिवर्तन वाक्य, रूप या शब्द के स्तर पर दो या दो से अधिक रूपग्रामों के एक साथ आने पर सम्भव होते हैं। उदाहरण के लिए जगत + जननी में त का ज होने से जगज्जननी हो जाता है। यहाँ परवर्ती घोष ध्वनि के कारण यह परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन रूव स्वनिम विज्ञान या रूप ध्वनिग्राम में होता है।
कुछ विद्वानों ने रूप स्वनिम विज्ञान को 'संधि' के निकट माना हैं किन्तु प्रसिद्ध भाषाविद् भोलानाथ तिवारी इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार, 'वस्तुतः संधि में प्रायः केवल उन परिवर्तनों को लिया जाता है जो दो मिलने वाले शब्दों या रूपों में एक के अन्त्य या दूसरे के आरम्भ या दोनों में घटित होते हैं।' जैसे -

राम + अवतार = रामावतार ध्वनि + अंग = ध्वन्यंग
उत् + गम = उद्गम तेज + राशि = तेजोराशि

लेकिन रूप ध्वनिग्राम विज्ञान में इसके साथ-साथ अन्य स्थानों पर आने वाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं। जैसे -

घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़ ठाकुर + आई = ठकुराई
बूढ़ा + औती = बूढ़ौती

इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि हर दो शब्द के बीच में तो परिवर्तन हुए ही हैं, साथ ही अन्य स्थानों में भी (घो झ घु, ठा झ ठ, बू झ बु) परिवर्तन हो गए हैं। इन सारे परिवर्तनों का अध्ययन रूप ध्वनिग्राम विज्ञान में होता है। इस प्रकार यह संधि से अधिक व्यापक है।
रूप ध्वनिग्रामीय परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं -

(क) स्थान की दृष्टि से (ख) रूप की दृष्टि से

स्थान की दृष्टि से रूप ध्वनिग्रामीय परिवर्तन के भी दो भेद हैं - बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य परिवर्तन में शब्द के आदि या अंत में अर्थात उनके बाहरी अंग में परिवर्तन होता है। जैसे राम + अवतार = रामावतार। यहाँ 'राम' के 'म' में परिवर्तन है। इसी प्रकार ध्वनि + अंग = ध्वन्यंग में 'नि' और 'अ' में परिवर्तन है। अभ्यंतर परिवर्तन में संधि-स्थल से अलग शब्द के भीतर परिवर्तन होता है, जैसे घुड़दौड़, बुढ़ौती, ठकुराई आदि शब्दों में आप देख चुके हैं। रूप की दृष्टि से समीकरण प्रमुख रूप ध्वनिग्रामीय परिवर्तन हैं। जैसे डाक + घर = डाग्घर में 'ग' के घोषत्व के कारण 'क' भी घोष

अर्थात 'ग' हो गया है। इसी प्रकार नाग + पुर = नाक्पुर में 'प' के अघोषत्व के कारण 'ग' भी अघोष अर्थात 'क' हो गया है।

## 2.9 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने रूप की संरचना और अवधारणा के अन्तर्गत यह जाना कि रूप की संरचना का सम्बंध शब्द से है। सामान्य रूप से शब्द और रूप में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता किन्तु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य में प्रयोग के योग्य (अर्थात अन्य शब्दों के साथ सम्बंधतत्व से युक्त) शब्द ही रूप या पद कहलाता है। प्राचीन भारतीय व्याकरणों ने शब्द के मूल रूप को (अर्थात अन्य शब्द के साथ सम्बंध तत्व के बिना) प्रतिपादिक या प्रकृति कहा है। यही प्रतिपादिक या प्रकृति शब्द प्रत्यय से युक्त होने पर 'रूप' बन जाता है। शब्द और रूप में यही मूल अन्तर है। आप इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हो गये होगें कि वाक्य में दो तत्व होते हैं - सम्बंधतत्व और अर्थतत्व। सम्बंधतत्व ही वाक्य को पूर्ण अर्थवान बनाता है। यद्यपि प्रत्येक शब्द में अर्थ पहले से ही विद्यमान होता है किन्तु सम्बंधतत्व के बिना वाक्य का अर्थ रूपष्ट नहीं हो सकता। दोनों का परस्पर सम्बंध है। रूप-परिवर्तन के विस्तार से अध्ययन के बाद आप रूप-परिवर्तन के स्वरूप के साथ ही उसके कारण और दिशाओं के बारे में अच्छी तरह अवगत हो गये होगें। इसी क्रम में आप रूपिम और संरूप से परिचित हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि रूपिम भाषा उच्चारण की लघुतम इकाई है। इसका सम्बंध भाषा व्याकरण से है और इसके सार्थक खण्ड किये जा सकते हैं। रूपिम और संरूप के विस्तृत अध्ययन के बाद आपने रूपिम के प्रकार्य के अन्तर्गत काल, लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि रूपिम के बारे में जाना। साथ ही रूपिम निर्धारण पद्धति के बारे में भी सूक्ष्म अध्ययन किया। रूप स्वनिम विज्ञान रूपविज्ञान की ही एक शाखा है। इसे रूप ध्वनिग्राम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी आपने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है।

इस तरह रूप विज्ञान के विविध आयामों के बारे में विस्तृत अध्ययन के बाद आप रूप विज्ञान की स्पष्ट अवधारणा समझने और समझाने में सक्षम हो गये होगें साथ ही रूप विज्ञान के भाषा व्याकरणिक अन्तर्सबन्ध को स्पष्ट करने में समर्थ होगें।

## 2.10 पारिभाषिक शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिपादिक | - | मूल शब्द |
| प्रत्यय | - | सम्बंध स्थापन के लिए शब्द में जोड़े जाने वाले तत्व |
| रूप | - | सम्बंधतत्व से युक्त शब्द |
| पद | - | उपरिवत |
| सम्बंधतत्व | - | अन्य शब्दों के साथ सम्बंध को व्यक्त करने वाला तत्व |

| | | |
|---|---|---|
| सादृश्य | - | समानता |
| अपवादित | - | जो सामान्य रूप से प्रचलित न हो |
| रूपिम | - | भाषा उच्चारण की लघुतम इकाई |
| स्वन | - | ध्वनि |
| स्वनिम | - | ध्वनिग्राम |
| परिपूरक | - | किसी के साथ जुड़कर उसे पूरा करने वाला |
| बद्धरूपिम | - | वह रूपिम जो सदा अन्य रूपिमों के साथ प्रयोग में आता हो |
| मुक्त रूपिम | - | जो रूपिम एकाकी प्रयोग में आता हो |
| रूपस्वनिम विज्ञान | - | दो या दो से अधिक रूपों या रूपिमों से बने शब्दों के रचनात्मक परिवर्तन का अध्ययन, विश्लेषण करने वाला विज्ञान |
| वृत्ति | - | क्रिया के निश्चिततार्थ, संकेतार्थ, सम्भावनार्थ, आज्ञार्थ, संदेहार्थ का बोध कराती है |
| प्रतिपाद्य | - | मूल विषय |

## 2.11 अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर

**लघु उत्तरी प्रश्न -**

1. शब्द और रूप में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
2. रूप परिवर्तन के किन्हीं दो कारणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
3. रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में अंतर बताइए।
4. संरूप को स्पष्ट कीजिए।
5. रचना और प्रयोग की दृष्टि से रूपिम के भेद बताइए।
6. रूप परिवर्तन की दिशाएं स्पष्ट कीजिए।
7. काल और लिंग रूपिम का परिचय दीजिए।
8. रूप स्वनिम विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए।
9. रूप स्वनिम विज्ञान और संधि में अंतर बताइए।
10. अर्थदर्शी और सम्बंधदर्शी रूपिम क्या है ?

**रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -**

1. वाक्य में प्रयुक्त शब्द ............................ से युक्त होता है।
2. शब्द के मूल रूप को .............................. कहते हैं।
3. शब्द में सम्बंध सूचक जोड़े जाने वाले तत्व ................................. कहलाते हैं।
4. पुरुष रूपिम ................................ के रूप परिवर्तन के कारक हैं।
5. ............................... क्रिया के निश्चयार्थ, आज्ञार्थ, आदि के संकेतक हैं।
6. लिंग रूपिम का सम्बंध ................................ रूपों से है।
7. रूप परिवर्तन का क्षेत्र ध्वनि परिवर्तन की अपेक्षा ............................ होता है।
8. स्वनिमों के सभी अनुक्रम ................................ नहीं होते।
9. रूपिम .............................. के अनुक्रम होते हैं।
10. सम्बंध तत्व वे .................................... होते हैं जो काल, लिंग, वचन आदि का संकेत करते हैं।

**सही/गलत पर निशान लगाइए -**

1. रूप संरचना का सम्बंध वाक्य से है।
2. वाक्य प्रकृति और प्रत्यय दानों के प्रयोग से ही सार्थक होता है।
3. रूपिम भाषा उच्चारण की लघुतम अर्थवान इकाई है।
4. गाय, पशु, पक्षी, मुक्त रूपिम के उदाहरण है।
5. लड़की बद्ध रूपिम नहीं है।
6. सदैव अन्य रूपिमों के साथ प्रयुक्त होने वाला संयुक्त रूपिम है।
7. प्रतिपादिक शब्द ही रूप है।
8. सर्वथा भिन्नार्थक सम ध्वन्यात्मक रूप दो भिन्न रूपिम होते हैं।
9. रूपिम ध्वनियों के अनुक्रम होते हैं।
10. शब्द और रूप एक ही इकाई हैं।

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. निम्नलिखित में कौन मुक्त रूपिम नहीं है।

    (अ) मोहन (ब) गाय (स) घरों (द) नगर

2. 'राजपुरुष' किस प्रकार का रूपिम है ?

    (अ) मुक्त (ब) मुक्तबद्ध (स) बद्ध (द) संयुक्त

3. 'मैं' के साथ पर 'हम' रूप का प्रचलन किस कारण से है ?

    (अ) नवीनता का आग्रह (ब) सादृश्य (स) एकरूपता की प्रधानता (द) अज्ञान

4. अर्थदर्शी रूपिम में कौन नहीं आते ?

    (अ) क्रिया (ब) संज्ञा (स) सर्वनाम (द) लिंग

5. 'मैं जाऊँगा' वाक्य में 'जाऊँगा' में किस प्रकार का सम्बंधसूचक रूपिम है ?

    (अ) पुरुष (ब) काल (स) लिंग (द) कारक

**उत्तर**

**रिक्त स्थानों की पूर्ति -**

1. प्रत्यय 2. प्रतिपादिक 3. प्रत्यय 4. सर्वनामों 5. वृत्ति
6. संज्ञा 7. सीमित 8. रूपिम 9. ध्वनियों 10. प्रत्यय

**सही/गलत वाक्य -**

1. गलत 2. सही 3. सही 4. सही 5. गलत 6. गलत 7. गलत 8. सही
9. सही 10. गलत

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. (स) 2. (ब) 3. (अ) 4. (द) 5. (ब)

## 2.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, पटना
2. डॉ उदय नारायण तिवारी, अभिनव भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद
3. डॉ राजमणि शमा,आधुनिक भाषा विज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

## 2.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. रूप की अवधारणा स्पष्ट करते हुए शब्द से उसका अंतर बताइए तथा अर्थतत्व और सम्बंधतत्व को सोदाहररण स्पष्ट कीजिए।
2. रूप परिवर्तन के कारण और दिशाएं बताते हुए रूपिम के प्रकार्य पर प्रकाश डालिए।

इकाई 3 वाक्य संरचना

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 वाक्य की अवधारणा
    3.3.1 वाक्य की परिभाषा
    3.3.2 वाक्य की अवधारणा के विविध आयाम
3.4 वाक्य के मुख्य तत्व
3.5 वाक्य के भेद
3.6 वाक्य-परिवर्तन
    3.6.1 वाक्य में परिवर्तन के कारण
3.7 प्रोक्ति
    3.7.1 प्रोक्ति की संकल्पना
    3.7.2 प्रोक्ति के प्रमुख भेद
3.8 पारिभाषिक शब्द
3.9 सारांश
3.10 अभ्यास प्रश्न
3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ
3.12 निबंधात्मक प्रश्न

## 3.1 प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि वाक्य भाषा की इकाई है। वाक्य के माध्यम से ही हम अपने भावों या विचारों को लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह वाक्य संरचना भाषा का महत्वपूर्ण और मुख्य अंग है। प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों ने वाक्य को सार्थक शब्दों का समूह माना है किन्तु आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को भाषा की एक पूर्ण इकाई मानता है। इसलिए भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। वाक्य की विविध अवधारणाओं के अन्तर्गत अर्थपरक, संरचनापरक, संदर्भपरक और मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य का अध्ययन होता आया है। प्रसिद्ध भाषाविद् कामताप्रसाद गुरु अर्थ की एक इकाई के रूप में वाक्य को पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह मानते हैं। ब्लूम फील्ड जैसे संरचनावादी विचारक वाक्य में अर्थ या विचार की पूर्णता को सापेक्षिक मानते हैं। चामस्की ने मनोवैज्ञानिक के रूप में वाक्य की नई किन्तु महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सामाजिक भाषा विज्ञान के अध्ययन से वाक्य केवल भाषिक संरचना तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि वह सामाजिक सन्दर्भपरक इकाई के रूप में भी अध्ययन का विषय बना।

आप वाक्य के मुख्य तत्व के अन्तर्गत पदबन्ध, उद्देश्य और विधेय, समानाधिकरण शब्द, निकटस्थ अवयव, पदक्रम आदि का अध्ययन भी इस इकाई में कर सकेगें। वाक्य के अनेक भेद हैं। भाषा की आकृति, अर्थदृष्टि, व्याकरणिक गठन तथा क्रिया की दृष्टि से वाक्य के विभिन्न भेदों की जानकारी भी अपेक्षित है। वाक्य भी परिवर्तन के शाश्वत नियम से अछूता नहीं है। वाक्य परिवर्तन की विभिन्न दिशाएं और उसके कारणों का विस्तृत परिचय भी आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत इकाई में दिया गया है। वाक्य संरचना और वाक्य विश्लेषण वाक्य के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रस्तुत इकाई में इन दोनों घटकों के विभिन्न स्तरों का विस्तार से परिचय दिया गया है। इस प्रकार भाषिक संरचना के रूप में आप वाक्य संरचना के विविध रूपों और संदर्भों को समझ सकेगें और वाक्य संरचना के प्रति अपनी स्पष्ट अवधारणा को व्यक्त करने की क्षमता उपलब्ध कर सकेगें।

## 3.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप -

1. वाक्य विज्ञान के विविध क्षेत्रों का सामान्य परिचय कर सकेगें।
2. वाक्य की अवधारणा और वाक्य की परिभाषा से परिचित हो सकेगें।
3. भाषा संरचना में वाक्य का स्थान व उसके महत्व को समझ सकेगें।
4. अर्थ, संरचना, संदर्भ और मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य के विभिन्न आयामों को समझ सकेगें।
5. वाक्य के मुख्य तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
6. वाक्य परिवर्तन और उसके प्रमुख कारणों से परिचित हो सकेगें।
7. वाक्य-संरचना को समझकर वाक्य विश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर सकेगें।

## 3.3 वाक्य की अवधारणा

आप जानते हैं कि भाषा हमारे भावों और विचारों की संवाहक है अर्थात हम अपने भाव या विचार भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा में हमारे भाव या विचार वाक्यों के माध्यम से ही लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भाषा के बोलने या लिखने में वाक्य ही प्रधान है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है।

### 3.3.1 वाक्य की परिभाषा

वाक्य के स्वरूप और परिभाषा को लेकर भाषाविदों में काफी मतभेद रहा है। अधिकतर लोगों ने माना है कि 'वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव की अभिव्यक्ति में अपने आप में पूर्ण होता है।' भारत में 150 ई.पू. पतंजलि ने और पहली सदी ई.पू. यूरोप के प्रथम भाषाविद थ्रैक्स ने 'पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द-समूह को वाक्य' माना है। 'वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है' कहने से यह स्पष्ट है कि कृत्रिम रूप से वाक्य को तोड़कर शब्दों को अलग-अलग कर लिया गया है जिससे ये व्यक्त होता है कि वाक्य सार्थक शब्द खण्डों का एक समूह है। इसके विपरीत हम जो सोचते, बोलते या लिखते हैं वह सार्थक शब्द खण्डों में नहीं बल्कि वाक्य में होता है। इसलिए वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य और पद (सार्थक शब्द खण्ड) को लेकर शुरू से ही पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ लोग इसे पदों का समूह कहते हैं तो कुछ पदों को वाक्य के कृत्रिम खण्ड की संज्ञा देते हैं। इस मतभेद की तुलना व्यक्तिवादी और समाजवादी सोच से की जा सकती है। जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देती है क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। वाक्य को सार्थक शब्दों का समूह कहना इसी सोच के अन्तर्गत आता है। दूसरी ओर, समाज सापेक्ष विचारधारा व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। पदों को वाक्य के कृत्रिम खण्ड कहना इसी सोच की देन है। भारतीय मीमांसकों के विचारों में उक्त दोनों विचारधाराओं की छाया शुरू से ही देखी जा सकती है। 'अभिहितान्यववाद' के प्रवर्तक कुमारिल की मान्यता है कि शब्द या पद ही वस्तुतः अर्थवाचक होते हैं और एक विशेष क्रम में वे वाक्य का रूप ग्रहण करते हैं। कुमारिल ने शब्द या पद की सत्ता का प्रधान माना है। वाक्य पदों या शब्दों का ही जोड़ा हुआ रूप है। इसके विपरीत कुमारिल के शिष्य प्रभाकर ने भाषा में वाक्य की सत्ता को सर्वोपरि माना। प्रभाकर द्वारा प्रवर्तित 'अन्विताभिधानवाद' सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की सत्ता ही मूल है, पद उसके तोड़े गए अंश या खण्ड हैं। भाषा में वाक्य ही अर्थबोध का कारण बनते हैं। इसके बाद भर्तृहरि ने भी अपने ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में वाक्य की सत्ता को ही वास्तविक कहा है। उनके अनुसार वाक्य के पृथक पदों की कोई निजी पहचान नहीं होती। वाक्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' में वाक्य के संदर्भ में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो वाक्य संरचना को जानने-समझने में भी सहायक सिद्ध होता है। विश्वनाथ की परिभाषा के अनुसार - वाक्य की आकांक्षा, योगयता, आसक्ति तथा अन्विति चार अनिवार्य शर्तें हैं। 'आकांक्षा' से तात्पर्य शब्दों की परस्पर पूरकता से है। जैसे - 'वह पुस्तक पढ़ता है।' वाक्य में तीन पद हैं - 'वह' 'पुस्तक' 'पढ़ता है'। व्याकरणिक दृष्टि से तीनों परस्पर एक दूसरे

की आकांक्षा रखते हैं। 'वह' कर्ता है जिसे 'पढ़ना' क्रिया की आकांक्षा है और 'पढ़ता है' क्रिया है जिसे कर्म की आकांक्षा है। 'पुस्तक' कर्म है जिसे एक कर्ता और एक क्रिया की आकांक्षा है। इस प्रकार ये तीन पद परस्पर आकांक्षा से पूर्ण होकर अर्थात मिलकर एक सार्थक वाक्य की संरचना करते हैं।

'योग्यता' से तात्पर्य अभिव्यक्ति से है। वाक्य में आए शब्द या पद यदि असंगत अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो व्याकरणिक दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी वाक्य नहीं कहलायेगें। 'वह खाना खाता है' वाक्य है किन्तु 'वह अग्नि खाता है' वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें अर्थ की संगति नहीं है। इसमें पदों के मध्य परस्पर अर्थबोध की योग्यता नहीं है।

'आसक्ति' का अर्थ समीप होना या सातत्य होना है। वाक्य में पदों के बीच लम्बा अन्तराल नहीं होना चाहिए। वाक्य के अर्थबोध के लिए पदों की निकटता या सातत्व अनिवार्य है।

'अन्विति' का अर्थ है कि व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता। यह एकरूपता प्रायः वचन, कारक, लिंग और पुरुष आदि की दृष्टि से होती है। हिन्दी में क्रिया प्रायः लिंग, वचन, पुरुष में कर्ता के अनुकूल होती है। 'सुधा गये' या 'सोहन गयी' वाक्य में अन्विति का अभाव है क्योंकि इनमें व्याकरणगत एकरूपता नहीं है। अतः वाक्य में अन्विति का होना अनिवार्य है। आधुनिक भाषा विज्ञान में वाक्य को ही भाषा की पूर्ण इकाई माना गया है। मनुष्य का चिन्तन और लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से ही होती है। इसलिए भाषा में वाक्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'वाक्य ही भाषा की पूर्ण एवं सार्थक इकाई है'।

वाक्य की परिभाषाओं के विश्लेषण से वाक्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं -

1. वाक्य सार्थक होता है।
2. वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों या पदों का होता है।
3. वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण में दो बातें और भी सामने आती हैं कि वाक्य को शब्दों का समूह कहा गया है अर्थात वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं किन्तु एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। जैसे आग लगने पर कोई 'आग-आग' कहते हुए चिल्लाए या बच्चा माँ से केवल 'पानी' कहे तो भी वह वाक्य होगा और अर्थ की दृष्टि से पूर्ण अभिव्यक्त करेगा। इतना ही नहीं, कई शब्द वाक्य में बिना प्रयोग हुए भी अपना अर्थ व्यक्त करते हैं किन्तु ऐसा उसी स्थिति में होता है जब पूर्वापर प्रसंग ज्ञात हो। नाटक, कहानी उपन्यास के साथ ही प्रायः वार्तालाप में ऐसे वाक्य प्रयोगों को देखा जा सकता है। वाक्य में अप्रयुक्त शब्दों का अर्थ जब पूर्वापर प्रसंगों से व्यक्त होता है तब अध्याहार कहलाता है। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को देखें -

| | |
|---|---|
| सुनो, कहाँ जा रहे हो ? | (तुम) |
| तुम्हारी क्यों सुनूँ। | (बात) |
| मैंने उसे निकाल दिया। | (नौकरी से) |

**3.3.2 वाक्य की अवधारणा के विविध आयाम**

आधुनिक भाषाविद वाक्य की अवधारणा पर विविध आयामों से विचार करते रहे हैं। जैसे वाक्य को अर्थ की एक इकाई माना जाय या संरचना की। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और संदर्भपरक इकाई के रूप में भी वाक्य की अवधारणा पर आधुनिक वाक्य विज्ञान में विचार किया गया है। यहाँ हम वाक्य की उक्त अवधारणा को उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेगें।

**(1) अर्थ की एक इकाई के रूप में वाक्य -** प्राचीन काल के भाषाविदों ने वाक्य को अर्थ की एक पूर्ण इकाई मानते हुए उसे पूर्ण और स्वतंत्र माना है। कामताप्रसाद गुरू ने भी वाक्य को एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला समूह माना है। नीचे दिए गये दो वाक्य के उदाहरणों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इनमें पहले वाक्य के शब्द-समूह संगठित रूप में एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं जबकि दूसरे वाक्य के शब्द-समूह में परस्पर अर्थ संगति न होने के कारण पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं होता। स्पष्ट है कि पहला वाक्य अर्थ की एक पूर्ण इकाई होने के कारण 'वाक्य' कहा जायेगा जबकि दूसरा वाक्य अर्थ की पूर्ण इकाई न होने के कारण 'वाक्य' की श्रेणी में नहीं आयेगा।

1. मेरे माता-पिता कल मुझसे मिलने आ रहे हैं।
2. मेरे माता-पिता, घर में, आकाश पर जायेगें।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वाक्य केवल शब्दों का समूह मात्र नहीं है बल्कि वह सार्थक और सुसम्बद्ध शब्दों का वह समूह है जिससे एक पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है।

**(2) संरचनापरक इकाई के रूप में वाक्य -** अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने संरचनापरक इकाई के रूप में वाक्य में अर्थ या विचार की पूर्णता को सापेक्षिक माना है। एक विचार को एक या एक से अधिक वाक्य में भी व्यक्त किया जा सकता है। संरचनावादी भाषाविद् वाक्य को कुछ घटकों के मेल से बनी रचना मानते हैं। ब्लूम फील्ड इसी मत के समर्थक हैं। उनकी मान्यता है कि वाक्य एक ऐसी रचना है जो किसी उक्ति विशेष में अपने से बड़ी किसी रचना का अंग नहीं बन सकती। वाक्य की इसी विशेषता के कारण वाक्य को भाषा की पूर्ण और स्वतंत्र इकाई कहा गया है। इसी सन्दर्भ में नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें -

| | | |
|---|---|---|
| ध्वनियाँ | - | ब + ए + ट + आ |
| शब्द | - | मेरा/बड़ा/बेटा/कल |
| पदबन्ध | - | मेरा बड़ा बेटा/कल/आ रहा है |
| उपवाक्य | - | मैंने उसे बताया कि/मेरा बड़ा बेटा कल आ रहा है। |
| वाक्य | - | मैंने उसे बताया कि मेरा बड़ा बेटा कल आ रहा है। |

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ध्वनियाँ, शब्द, पदबन्ध, उपवाक्य, वाक्य के विभिन्न घटक हैं। इसमें ध्वनि से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पदबन्ध, पदबन्ध से बड़ा उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ा वाक्य एक पूर्ण इकाई है। इस तरह वाक्य विभिन्न घटकों में अन्तिम सबसे बड़ी इकाई है।

**(3) मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य -** संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य को एक सूत्र तथा विश्लेषणयुक्त रचना के रूप में स्थापित किया किन्तु चामस्की जैसे भाषा वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य की विवेचना की। चामस्की के अनुसार वाक्य मानव

मस्तिष्क में अवस्थित एक अमूर्त संकल्पना है जिसका व्यक्त या व्यावहारिक रूप उक्ति है। अपने अव्यक्त मानसिक रूप में वाक्य एक आदर्श वाक्य होता है जिसे हर दृष्टि से पूर्ण और सही माना जाता है। बाह्य रचना के माध्यम से व्यक्त होने वाला उसका रूप मानसिक रूप से भिन्न भी हो सकता है। अतः वाक्य की दो प्रकार की संरचनाओं की कल्पना की गयी है - बाह्य रचना और आन्तिरिक रचना।

आधुनिक भाषा विज्ञान में आन्तरिक या गहन रचना को अंतर्निहित स्वरुप कहते हैं क्योंकि यह उस अर्थ में संरचना नहीं है जिस अर्थ में बाह्य संरचना होती है। अतः बाह्य संरचना और आन्तरिक संरचना में सूक्ष्म अन्तर है। आन्तरिक या गहन संरचना वक्ता के अन्तर्मन में निहित रहती है जबकि बाह्य संरचना ध्वनियों या लिपि के माध्यम से स्पष्ट व्यक्त होती है। जैसे बोलते या लिखते समय हमारे मन में भी एक संरचना बनती रहती है। आंतरिक संरचना की सत्ता केवल मानसिक है जबकि वाह्य संरचना भौतिक रूप (लिखित रूप या मौखिक रूप) में है। आन्तरिक संरचना में शब्द और व्याकरण के घटक अपने अमूर्त रूप में होते हैं जबकि बाह्य संरचना में वे मूर्त रूप में एक रचना के रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार बाह्य रूप से एक दिखाई देने वाने वाक्य में एक या एक से अधिक आन्तरिक वाक्य निहित हो सकते हैं। इन आन्तरिक वाक्यों को आधायित वाक्य कहा गया है। जिस वाक्य में आधायित वाक्य छिपा होता है उसे आधात्री वाक्य कहा जाता है। जैसे -

बाह्य संरचना - अध्यापक ने छात्रों को कक्षा में शोर मचाते हुए देखा।

आन्तरिक संरचना- (1) अध्यापक ने छात्रों को देखा। (आधात्री वाक्य)

(2) छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे। (आधायित वाक्य)

संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों का मानना था कि अर्थ का विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि अर्थ वाक्य की पूर्ण इकाई है। चामस्की ने अपने वाक्य विश्लेषण में अर्थ बोध को एक घटक के रूप में स्वीकार किया। इसी घटक के कारण बाह्य स्तर पर समान दिखाई पड़ने वाले किन्तु आन्तरिक स्तर पर भिन्न वाक्यों में अन्तर स्थापित करना सम्भव हो सका।

**(4) सन्दर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य -** सामाजिक भाषा विज्ञान और सांकेतिक प्रयोग विज्ञान ने भाषा विज्ञान के विकास में अध्ययन का एक नया आयाम जोड़ा। इससे वाक्य की संकल्पना में बड़ा बदलाव आया। अब केवल भाषिक संरचना के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक सन्दर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य एक सामाजिक घटना या कार्यवृत के घटक के रूप में अध्ययन का विषय बना। वाक्य का सम्बन्ध पूरे सामाजिक परिवेश से जोड़ते हुए इसे मूल भाषिक इकाई नहीं अपितु सन्देश-सम्प्रेषण की एक इकाई माना गया। सन्देश-सम्प्रेषण की दृष्टि से भाषा की मूल इकाई वाक्य को न मान कर प्रोक्ति को माना गया। प्रोक्ति वह वाक्य या वाक्य समूह है जो वक्ता के पूरे मन्तव्य या विचार बिन्दु को अभिव्यक्त करे। प्रसंग के अनुसार प्रोक्ति एक शब्द से लेकर एक या एक से अधिक वाक्य या एक अनुच्छेद से लेकर एक पूरे अध्याय की हो सकती है। वाक्य की परिभाषा उसके स्वरूप और तद्सम्बन्धित अवधारणाओं में निरन्तर विकास होता रहा है। फलतः वाक्य की अवधारणाओं में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है।

## 3.4 वाक्य के मुख्य तत्व

वाक्य में निम्नलिखित तत्व होते हैं-

**पदबन्ध -** वाक्य के उस भाग को पदबन्ध कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर सम्बद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते - पदबन्घ या वाक्यांश कहते हैं। रचना की दृष्टि से पदबन्ध में तीन बातें आवश्यक हैं। पहली, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी, ये पद इस तरह सम्बद्ध होते हैं कि उनकी एक इकाई बन जाती है। तीसरी, पदबन्ध किसी वाक्य का अंश होता है। वाक्य में पदबन्घ का क्रम व्याकरण की दृष्टि से निश्चित होता है। पदबन्ध और उपवाक्य में अन्तर को भी समझ लेना आवश्यक है। उपवाक्य (ब्संनेम) भी पदबन्ध ( च्ीतंेम) की तरह पदों का समूह है लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबन्ध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है।

**उद्देश्य और विधेय -** वाक्य में मुख्य रूप से दो खण्ड होते हैं -उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में विधान करने वाला शब्द विधेय कहलाता है। जैसे 'पानी गिरता है' वाक्य में 'पानी' शब्द उद्देश्य है और 'गिरता है' शब्द विधेय।

उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। जो शब्द उद्देश्य के अर्थ में विस्तार करते हैं, उन्हें उद्देश्यवर्धक कहते हैं। जैसे - 'मेरी पुस्तक लाओ' वाक्य में 'मेरी' सम्बंधकारक उद्देश्यवर्धक है। मुख्य रूप से विधेय को क्रिया भी कहते हैं। जो शब्द विधेय का विस्तार करते हैं, उन्हें विधेयवर्धक कहते हैं। जैसे - 'माला कल आयेगी' या 'मोहन निबन्ध लिखता है' वाक्य में क्रमशः 'आयेगी', 'लिखता है' विधेय है और 'कल', 'निबन्ध' विधेय का विस्तार है।

**समानाधिकरण शब्द -** किसी समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त शब्द या शब्दांश को समानाधिकरण कहते हैं। जैसे - 'श्याम, श्री मोती राम का पुत्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ' वाक्य में श्याम को स्पष्ट करने वाला श्री मोतीराम का 'पुत्र' श्याम समानाधिकरण है।

निकटस्थ अवयव (Immediate constituent) - यह तो आप जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त 'पद' ही उसके अंग या अवयव हैं। इन्हीं से मिलकर वाक्य की संरचना होती है। कोई वाक्य रचना जिन दो या दो से अधिक अवयवों (पदों) से मिलकर बनती है उनमें से प्रत्येक 'निकटस्थ अवयव' कहलाता है। यहाँ निकटस्थ का तात्पर्य स्थान से नहीं बल्कि अर्थ से है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य को देखें -

जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा, वैसे ही रेल चल दी।

इस वाक्य में सात पद हैं। निकटस्थ अवयव की दृष्टि से इस वाक्य का विभाजन इस प्रकार होगा।

जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा।

वैसे ही रेल चल दी।

ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि कई स्तरों पर निकटस्थ अवयवों को अलग किया जा सकता है। निकटस्थ अवयव पदक्रम या शब्दक्रम पर निर्भर करते हैं जो वाक्य संरचना में दूर होने पर भी अर्थ की दृष्टि से निकट होते हैं। वाक्य में निकटस्थ अवयवों का अधिक महत्व है क्योंकि इन्हीं से

अर्थ प्रकट होता है। भाषा का प्रयोक्ता या श्रोता जाने-अनजाने इससे परिचित होता है। यदि ऐसा न हो तो वह अर्थ नहीं समझ सकता।

डॉ भोलानाथ तिवारी ने 'वाक्य सुर' को भी निकटस्थ अवयव माना है क्योंकि इसके बिना कभी-कभी ठीक अर्थ की प्रतीति नहीं होती। जैसे 'आप जा रहे हैं' वाक्य के वाक्य सुर के आधार कई अर्थ हो सकते हैं -

आप जा रहे हैं। (सामान्य अर्थ)
आप जा रहे हैं ? (प्रश्नवाचक अर्थ)
आप जा रहे हैं ! (आश्चर्यसूचक अर्थ)

यहाँ तीनों वाक्य में ही भिन्न-भिन्न प्रकार के वाक्य सुर वाक्य के निकटस्थ अवयव हैं।

**आधारभूत वाक्य -** किसी भी भाषा के मूल वाक्य के निर्धारण किए बिना उस भाषा की वाक्य व्यवस्था को समझना मुश्किल है। भाषा में वाक्य कई स्वरूप ग्रहण कर प्रयुक्त होते हैं। इनमें कभी एक उपवाक्य हो सकता है और कभी एक से अधिक। कुछ वाक्य पूर्णांग हो सकते हैं, कुछ अल्पांग। संज्ञा पदबन्ध के रूप में संकुचित होकर एक ही वाक्य में दूसरा वाक्य अपना स्थान बना ले सकता है। प्रत्येक वाक्य में एक आधारभूत वाक्य की सत्ता अनिवार्य रूप से होती है। यह बीज वाक्य भी कहलाता है। इसी से भाषा के अनेक वास्तविक वाक्य प्रजनित होते हैं।

जैसे देखें -

वास्तविक वाक्य - इस कक्षा के सभी छात्र नियमित रूप से होमवर्क करते हैं।
आधारभूत वाक्य - छात्र होमवर्क करते हैं।

आधारभूत वाक्य के कुछ सामान्य तत्व इस प्रकार हैं -

**(क) अनिवार्य घटक -** आधारभूत वाक्यों में केवल अनिवार्य घटक ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐच्छिक घटक नहीं। उदाहरण के लिए 'बच्चा दूध पीता है' को आधार वाक्य कहेगें क्योंकि इसके सारे घटक अनिवार्य हैं जबकि 'बच्चा कभी-कभी दूध पीता है' में कभी-कभी ऐच्छिक घटक है क्योंकि इसके बिना भी वाक्य व्याकरण और मूल अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है। इसलिए यह ऐच्छिक घटक आधारभूत वाक्य का अंग नहीं हो सकता।

**(ख) कथानात्मक वाक्य -** आधारभूत वाक्य सरल कथानक वाक्य से बनते हैं। संयुक्त मिश्र या अल्पांग वाक्य आधारभूत वाक्य के अन्तर्गत नहीं रखे जा सकते। इसी तरह प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक आदि संदर्भ-विशिष्ट वाक्य भी आधारभूत वाक्यों की कोटि में नहीं आते क्योंकि इन सबको आधारभूत वाक्यों से रूपान्तरित किया जा सकता है।

**(ग) नियंत्रक तत्व क्रिया -** आधारभूत वाक्यों में क्रिया ही नियंत्रक शक्ति है। क्रिया की प्रकृति और माँग के अनुसार ही वाक्य रचना का निर्धारण किया जाता है और वाक्य में आने वाले घटकों (कर्ता, कर्म) की संख्या भी क्रिया ही निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए 'रोना' क्रिया (अकर्मक) एक घटक (कर्ता) की अपेक्षा करती है। 'खाना' क्रिया (सकर्मक) दो घटकों (कर्ता तथा कर्म) की और 'लेना' क्रिया (द्विकर्मक) तीन घटकों (कर्ता, कर्म और संप्रदान) की। हर भाषा में आधारभूत वाक्यों की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

**वाक्य में पदक्रम -** आप यह जान चुके हैं कि पदों के समूह से ही वाक्य की रचना होती है किन्तु पदों का एक निश्चित क्रम ही वाक्य रचना को पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से दो प्रकार की भाषाएं हैं। कुछ भाषाओं में पदों का स्थान निश्चित नहीं होता है। इन भाषाओं में शब्दों के साथ या शब्दों में विभक्ति लगी हुई होती है। अतः कोई पद कहीं भी रख देने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। फारसी, संस्कृत आदि इस तरह की भाषाएं हैं।

हिन्दी जैसी भाषा में वाक्य में पदक्रम निश्चित होता है। इनमें पदों का निश्चित स्थान बदलने से वाक्य में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। 'राम ने रावण को मारा' वाक्य में यदि 'राम' की जगह 'रावण' और 'रावण' की जगह 'राम' को रख दिया जाय तो अर्थ बदल जाता है। अतः हिन्दी में पदक्रम का स्थान निश्चित है। हिन्दी भाषा के वाक्य में कर्ता कर्म के पश्चात क्रिया रखते हैं। जैसे राम (कर्ता) ने रोटी (कर्म) खायी (क्रिया)। इसी तरह विश्लेषण संज्ञा के पूर्व और क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व रखे जाते हैं। सुन्दर (विशेषण) फूल (संज्ञा) धीरे-धीरे (क्रिया विशेषण) मुरझा गया (क्रिया)। प्रश्नवाचक शब्द जैसे (क्या, कौन, कहाँ) सामान्य रूप से वाकय के पहले आते हैं।

जैसे - कहाँ जा रहे हो ?

किसने दरवाजा खोला ?

क्या तुम घर जाओगे ?

कौन घर जायेगा ?

कहानी, उपन्यास, आदि में भाषा में रोचकता लाने के लिए आजकल पदक्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। किसी शब्द विशेष के भाव पर बल देने के लिए पदक्रम को तोड़-मरोड़कर भी रखा जाता है किन्तु अर्थ की कोई हानि नहीं होती। कुछ वाक्यों को देखें -

थक गया हूँ मैं बहुत।

अब जा रहा हूँ घर मैं।

वह यहाँ आयेगी तो एक बार अवश्य।

कुछ लोग इस प्रकार की वाक्य रचना पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव भी स्वीकार करते हैं।

**वाक्य में स्वराघात -** वाक्य में बलात्मक स्वराघात का विशेष महत्व है। शब्दक्रम एक रहने पर भी इसके कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आश्चर्य, शंका, प्रश्न, निराशा आदि का भाव प्रायः संगीतात्मक स्वाराघात या वाक्यसुर से व्यक्त किया जाता है। जैसे - 'आप जा रहे हैं' वाक्य को विभिन्न रूप में सुर देकर इसे आश्चर्य, शंका, प्रश्न आदि का सूचक बनाया जा सकता है। यही बात बलात्मक स्वाराघात के सम्बंध में भी है। वाक्य के पद विशेष पर बल देकर उसका स्थान वाक्य में प्रधान किया जा सकता है।

## 3.5 वाक्य के भेद

निम्नलिखित आधारों पर वाक्य के विभिन्न भेदों का अध्ययन किया जा सकता है -

1. भाषा की आकृति
2. अर्थ की दृष्टि से

3. रचना या व्याकरणिक गठन
4. क्रिया
5. वाच्य
6. शैली

**क - भाषा का आकृति -** आकृति या रूप की दृष्टि से विश्व में प्रमुखतः दो प्रकार की भाषाएं हैं - अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक या वियोगात्मक भाषाओं में शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय आदि का योग नहीं रहता अर्थात शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाए जाते। अयोगात्मक भाषा में वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में केवल स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ प्रकट होता है। इसलिए इस वर्ग में आने वाली भाषाओं के 'स्थान प्रधान' भाषा भी कहते हैं। इस वर्ग की प्रमुख भाषा चीनी है। इसके विपरीत योगात्मक भाषा में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या विभक्ति आदि का योग रहता है। जैसे 'राम ने रावण को मारा' वाक्य में 'ने' 'को' विभक्ति से शब्दों का परस्पर सम्बंध प्रकट होता है जिससे वाक्य का पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। अतः कह सकते हैं कि हिन्दी की वाक्य रचना आकृति की दृष्टि से योगात्मक है।

**ख - अर्थ की दृष्टि -** वाक्य में अर्थ एक अनिवार्य तत्व है। अर्थ की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति करने वाली रचना ही वाक्य कहलाती है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ भेद किए गए हैं -

1. **विधानार्थक वाक्य** - जिससे किसी बात का होना पाया जाय। जैसे - नैनीताल पहले एक गाँव था।
2. **निषेधात्मक वाक्य -** किसी बात का निषेध अथवा विषय का अभाव सूचित करता है। जैसे - पानी के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। आपको वहाँ नहीं जाना था।
3. **आज्ञार्थक वाक्य -** इसमें आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ व्यक्त होता है। जैसे - सदा सच बोलो। सभी छात्र यहाँ आयें।
4. **प्रश्नवाचक वाक्य** - प्रश्नवाचक वाक्य किसी प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे -
   यह व्यक्ति कौन है ?
   पेड़ किसने काटा ?
   वह काम पर कब आयेगा ?
   तुम्हारी माँ कैसी है ?
5. **विस्मयबोधक वाक्य** - वाक्य आश्चर्य, विस्मय आदि भाव प्रकट करते हैं। जैसे -
   वाह! ताजमहल कितना सुन्दर है।
   वह इतना मूर्ख है।
6. **इच्छाबोधक वाक्य** - इसमें इच्छा या आशीष व्यक्त होता है। जैसे -
   ईश्वर सबका भला करे।
   सभी सुखी व सम्पन्न हों।

7. **संदेह सूचक** - इसमें वाक्य से किसी बात का सन्देह या सम्भावना का भाव प्रकट होता है। जैसे -
कहीं वही तो चोर नहीं है।
शायद आज वर्षा हो।

8. **संकेतार्थक वाक्य** – इसमें संकेत अथवा शर्त का भाव होता है। जैसे -
आप कहें जो मैं जाऊँ।
गाड़ी आए तब मैं जाऊँ।

**ग - व्याकरणिक रचना की दृष्टि से -** व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं।

(1) सरल वाक्य (2) मिश्र वाक्य (3) संयुक्त वाक्य

**सरल वाक्य** - जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे 'साधारण या सरल वाक्य' कहते हैं, इसमें एक 'उद्देश्य और एक विधेय' रहते हैं। जैसे 'बिजली चमकती है', 'पानी बरसा'। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः ये साधारण या सरत वाक्य हैं।

**मिश्र वाक्य -** जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक क्रियाएं हों, उसे 'मिश्र वाक्य' कहते हैं। जैसे 'वह कौन-सा मनुष्य है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।' 'मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य' और 'मुख्य विधेय' से जो वाक्य बनता है, उसे 'मुख्य उपवाक्य' कहते हैं और दूसरे वाक्यों को 'आश्रित उपवाक्य' कहते हैं। पहले को 'मुख्य वाक्य' और दूसरे को 'सहायक वाक्य' भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है।

**संयुक्त वाक्य -** 'संयुक्त वाक्य' उस वाक्य समूह को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों, इस प्रकार वाक्य लम्बे और आपस में सम्बद्ध होते हैं। जैसे - 'मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरन्त डाक्टर को बुलाना पड़ा।'

वाच्य की दृष्टि से - इस दृष्टि से वाक्यों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

**(1) कर्तृवाच्य** - जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उस वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे - राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में 'राम' उद्देश्य है और यही कर्ता भी है और उसी के बारे में बात कही गयी है।

**(2) कर्मवाच्य** - जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और वह वाक्य का उद्देश्य भी हेता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरणतः पत्र लिख जा रहा है, इस वाक्य में पत्र कर्म है और इसी की इसमें प्रधानता भी है तथा यह उद्देश्य भी है।

**(3) भाववाच्य** - जिस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता न होकर किसी क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः - उससे अब पढ़ाई की नहीं जाती है। इस वाक्य में पढ़ाई न किए जाने पर के भाव पर बग है, यह उद्देश्य भी है, अतः यह भाववाच्य वाक्य है।

**घ - क्रिया की दृष्टि से -** वाक्य में क्रिया का स्थान प्रमुख है। वह वाक्य का अनिवार्य तत्व है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में क्रिया अवश्य रहती है। अतः क्रिया के होने या न होने के आधार पर भी वाक्य दो भेद हो सकते हैं - क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य।

क्रियायुक्त वाक्य का आशय जिन वाक्य में क्रिया हो। अधिकांश वाक्य क्रिया युक्त ही होते हैं। क्रियाहीन वाक्य में क्रिया नहीं होती। हिन्दी यद्यपि क्रियाहीन वाक्य प्रधान भाषा नहीं है, तो भी समाचार पत्रों, टी.वी. की खबरों, विज्ञापनों और लोकोक्तियों में क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग तेजी से प्रचलित हो रहा है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

केदारनाथ में जल-प्रलय, रूपया असहाय (समाचार)

जैसे साँपनाथ वैसे नागनाथ, जैसा देश वैसा भेस (लोकोक्ति)

दूध सी सफेदी, ठंडा मतलब कोको-कोला (विज्ञापन)

**ङ - शैली की दृष्टि** - शैली की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित भेद किए गए हैं -

**(1) अलंकृत वाक्य** - इस कोटि के वाक्य अलंकारों से सुव्यवस्थित होते हैं। साहित्यिक भाषा में इनका प्रचुर प्रयोग होता है।

**(2) अनलंकृत वाक्य** - सामान्य और बिना अलंकार वाले वाक्य जो सहज गद्य में मिलते हैं। जैसे - गंगा के किनारे एक सुन्दर कुटी थी।

**(3) समांतरित वाक्य** - समांतरित शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दो कथनों में भावों और शब्दों का समान्तर प्रयोग किया जाता है।

**(4) आवृव्यात्मक वाक्य** - जहाँ मुख कथन से पहले कौतूहल से भरे अवयवों की आकृति होती है और अंत में वाचन को पूरी ताकत के साथ कहा जाता है। उत्तेजनात्मक भाषणों में प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है।

**(5) श्रंखलित वाक्य** - ग्रामीण लोग प्रायः बातचीत करते हुए प्रायः छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इस तरह छोटे-छोटे वाक्यों की एक श्रंखला सी बनती जाती है। जैसे - एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया तो राह भूल गया। राह भूल कर एक झोपड़ी के सामने जा पहुँचा।

## 3.6 वाक्य परिवर्तन

ध्वनि विज्ञान व रूप विज्ञान शीर्षक की इकाईयों में आप पढ़ चुके हैं कि भाषा के विकास में ध्वनि और रूप में परिवर्तन होता रहता है। वाक्य रचना भी परिवर्तन के नियम से अछूती नहीं है। भाषा में वाक्य गठन भी समय-समय पर अनेक कारणों से प्रभावित होकर परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ध्वनि, रूप की अपेक्षा वाक्य रचना में परिवर्तन की गति धीमी होती है ता भी परिवर्तन

तो होता ही रहता है। संस्कृत और हिन्दी भाषा के सन्दर्भ में वाक्य परिवर्तन को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं -

**अयोगात्मकता -** भाषा की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि वे प्रायः योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में विभक्तियों के संयोग से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के रूप बनते थे। प्राकृतों तक आते-आते विभक्तियाँ लुप्त हो गयीं और परसर्गों का प्रयोग होने लगा। वर्तमान में हिन्दी में कर्ता और कर्म भी प्रायः अयोगात्मक हो गये हैं। कर्ता का 'ने' परसर्ग केवल भूतकाल में लगता है। जैसे - लता ने गाना गाया। इसी प्रकार 'को' परसर्ग भी केवल प्राणी संज्ञाओं तक सीमित है। जैसे - 'भूखे को अन्न दो, 'पक्षी को दाना खिलाना चाहिए'। वस्तु संज्ञा 'को' के बिना ही प्रयुक्त होती है। जैसे - 'वह पुस्तक पढ़ता है'।

पदक्रम में परिवर्तन - वाक्य गठन में पदक्रम का विशेष महत्व रहा है।लेखन शैली की मौलिकता और रोचकता लाने के लिए तथा कुछ विदेशी भाषाओं से अनुवाद के प्रभाव मे वाक्य के पदक्रम को भी काफी प्रभावित किया है। जैसे - हिन्दी में विशेषण प्रायः संज्ञा के पूर्ण और क्रिया विशेषण, क्रिया के पूर्व लगाने का सामान्य नियम है। किन्तु अब वाक्य रचना में इस पदक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। 'गरीब की व्यथा' की जगह 'व्यथा गरीब की', 'वह धीरे-धीरे जाता है' की जगह 'जाता है वह धीरे-धीरे' जैसी वाक्य रचना देखने में आती है।

**अन्वय में परिवर्तन -** आप जानते हैं कि संस्कृत में क्रिया, कर्ता के अनुरूप वचन तथा पुरुष की दृष्टि से होती थी किन्तु हिन्दी में कुछ अपवादों को छोड़कर लिंग के आधार पर भी होती है। जैसे संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, क्रिया नहीं बदलती। किन्तु हिन्दी में क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे - 'सोहन जाता है', 'माला जाती है'। इसी प्रकार हिन्दी में विशेषण भी संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे - अच्छी कविता, अच्छा उपन्यास, अच्छे दोहे।

**पद या प्रत्यय आदि का लोप -** कभी-कभी वाक्य में किसी पद या प्रत्यय का लोन होना भी वाक्य-परिवर्तन का एक रूप है। ऐसा प्रायः इसके पीछे प्रत्यय लाघव की प्रवृत्ति ही प्रेरक होती है। जैसे - कुछ वाक्यों को देखें -

| | |
|---|---|
| कानों से सुनी बात। | कानों सुनी बात। |
| वह पढ़ेगा-लिखेगा नहीं। | वह पढ़े लिखेगा नहीं। |
| मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। | मैं वहाँ नहीं जाता। |

अधिक/अनावश्यक पदों का प्रयोग - वाक्य में अधिक या अनावश्यक पदों के प्रयोग से भी वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे वाक्य उदाहरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्ध होते हैं। कुछ उदाहरण देखें -

| | |
|---|---|
| आपका भवदीय | मुझको-मेरे को |
| दरअसल में | कृपया करके |

### 3.6.1 वाक्य में परिवर्तन के कारण

वाक्य में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं -

**1. अज्ञान -** भाषिक परिवर्तन में चाहें वह ध्वनि, शब्द, वाक्य किसी भी रूप में हो, सबसे मुख्य कारण अज्ञान है। व्याकरण या भाषा के पूर्ण न होने पर प्रायः व्यक्ति आधे-अधूरे ज्ञान या गलत अनुकरण के कारण अशुद्ध वाक्य रचना का प्रयोग करते हैं जिससे वाक्य परिवर्तन होता है। जैसे -

मुझे केवल पाँच रु. मात्र चाहिए। कृपया करके मुझे जाने दें।

इन वाक्यों में 'केवल' के साथ 'मात्र' और 'कृपया' के साथ 'करके' का प्रयोग अज्ञान का ही परिणाम है।

**2. अन्य भाषा का प्रभाव** - दूसरी भाषा का प्रभाव भाषा विशेष के वाक्य गठन को भी प्रभावित करता है। हिन्दी पर फारसी और उसके बाद अंग्रेजी का प्रभाव काफी समय से हो रहा है। अतः इन भाषाओं के प्रभाव से हिन्दी की वाक्य संरचना भी प्रभावित हुई है। 'कि' लगाकर वाक्य बनाने की परम्परा को फारयी की देन माना गया है। इससे पहले हिन्दी में 'कि' का प्रयोग नहीं होता था। इसी प्रकार हिन्दी में परोक्ष कथन की प्रवृत्ति भी अंग्रेजी के प्रभाव से आयी है। जैसे - हिन्दी में प्रचलित वाक्य 'उसने कहा कि मैं आज आऊँगा' अंग्रेजी के प्रभाव से 'उसने कहा था कि वह आज आयेगा' रूप में प्रयुक्त होने लगा है। अन्य वाक्य भी हैं -

हमें हमारे देश पर गर्व है। ये मेरे अपने पिताजी हैं।

अब सहा नहीं जाता मुझसे। आखिर आओगे कब तुम।

**3. प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति -** सरलता के प्रति आग्रह भी वाक्य-रचना को प्रभावित करता है। हिन्दी वाक्यों में मेरे को (मुझे), मेरे से (मुझसे), तेरे से (तुझे), तेरे को (तुझको) जैसे सर्वनाम प्रयत्न लाघव और सरलता की प्रवृत्ति के चले आये हैं। इनके प्रभाव साम्य से मुझ, मुझे, तुझ, तुझे जैसे प्रयोग कम होते जा रहे हैं।

**4. स्पष्टता या बल के लिए सहायक शब्दों को प्रयोग -** बात को स्पष्ट रूप से कहने या विशेष बल देने के लिए प्रायः विभक्तियों का लोप होने लगा और उनका स्थान परसर्गों ने ले लिया। इसके कारण भाषा की वाक्य संरचना संयोगात्मकता से वियोगात्मक की ओर बढ़ने लगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव पदक्रम पर पढ़ा।

**5. वक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन -** इसके परिवर्तन से वाक्य की अभिव्यंजना शैली प्रभावित होती है। अतः वाक्य की गठन भी प्रभावित होता है। दुःखी, भयभीत या हर्षातिरेक वाले व्यक्ति की अभिव्यंजना शैली एक सी नहीं होती। इसमें कहीं वाक्य सीधे तो कहीं वाक्यों की पुतरावृत्ति दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त नवीनता या मौलिकता के लोभ में भी साहित्यकार, लेखक वाक्य संरचना में नये-नये प्रयोग करते रहे हैं जो वाक्य परिवर्तन का कारण बनता है।

## 3.7 प्रोक्ति (Discourse)

आप इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हैं कि भाषा का काम केवल विचारों या भावों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है बल्कि उसके माध्यम ये कही गयी बात को श्रोता तक सम्प्रेषित करना भी है। अपनी बात को सार्थक ढंग से कहने, श्रोता द्वारा उसे ठीक से समझने फिर उसका उचित जवाब

देने की प्रक्रिया में एक से अधिक वाक्य सामने आते हैं जो अर्थ और प्रसंग की दृष्टि से एक दूसरे से सम्बद्ध रहते हैं। इस स्थिति में ही दो लोगों के बीच सम्प्रेषण सम्भव हो पाता है। सम्प्रेषण की इस इकाई को ही 'प्रोक्ति' कहा जाता है।

### 3.7.1 प्रोक्ति की संकल्पना

आप जानते हैं कि वक्ता द्वारा विचारों को प्रकट करने और श्रोता द्वारा उसे सही सन्दर्भ और सही अर्थ में समझने में ही सम्प्रेषण सार्थक होता है। सम्प्रेषण में सन्दर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वाक्य में सन्दर्भ की भिन्नता होने से अर्थ भी भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य के विभिन्न सन्दर्भ देखें -

तुमने बहुत अच्छा किया ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| सन्दर्भ - 1 | माँ | - | क्या गिराया ? |
| (व्यंग्य के अर्थ में) | बेटा | - | माँ, कप टूट गया। |
| | मँ | - | तुमने बहुत अच्छा किया। |
| सन्दर्भ - 2 | बेटा | - | माँ, मैने आज एक अन्धे की मदद की। |
| (प्रशंसा के अर्थ में) | माँ | - | कैसे ? |
| | बेटा | - | मैंने उसे सहारा देकर सड़क पार करायी। |
| | माँ | - | तुमने बहुत अच्छा किया। |
| सन्दर्भ - 3 | चोर | - | बॉस ! हमने आज सेठ को लूट लिया। |
| (चोर के अर्थ में) | बॉस | - | तुमने बहुत अच्छा किया। |

इसी तरह एक अन्य उदाहरण के लिए एक वाक्य देखें -

'दस बज गए हैं।'

इस वाक्य का सामान्य अर्थ समय की जानकारी देना है किन्तु निम्नलिखित वार्तालाप में देखा जाय तो इसका अर्थ भिन्न हो जाता है -

| | | |
|---|---|---|
| पिता | - | बेटा, दस बज गए हैं। |
| पुत्र | - | बस पिताजी, अभी चलता हूँ। |

यहाँ पिता, पुत्र से कहना चाहता है कि 'देर हो रही है।' अर्थात यह संदेश पिता अप्रत्यक्ष कथन के रूप मे पुत्र को दे रहा है। पुत्र इस संदेश का सन्दर्भ ग्रहण कर उचित उत्तर देता है। सन्दर्भ की जानकारी के अभाव में इस सन्देश के अन्य सम्भावित उत्तर भी हो सकते थे -

| | | |
|---|---|---|
| पिता | - | बेटा, दस बज गए हैं। |
| पुत्र | - | (1) तो मैं क्या करूँ ? |
| | | (2) यह घड़ी आगे चल रही है। |

स्पष्ट है कि विचारों का आदान-प्रदान तभी हो सकता है जब वक्ता और श्रोता दोनों को सन्दर्भ की जानकारी हो। अतः प्रोक्ति की संक्लपना के बारे में हम सार रूप में इस प्रकार समझा सकते हैं - 'प्रोक्ति किसी संदेश को संप्रेषित करने वाली वाक्य के ऊपर की वह इकाई है जिसका आधार

संलाप होता है। विचारों के आदान-प्रदान के लिए यह एक से अधिक वाक्यों की कड़ी के रूप में सामने आता है क्योंकि सभी वाक्य एक दूसरे के जुड़ने पर ही एक विशेष संदर्भ में सार्थकता पाते हैं। अर्थात उन सबके बीच एक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है।'

प्रोक्ति के प्रमुख अभिलक्षण - प्रोक्ति के संबंध में की गई उपर्युक्त चर्चा के आधार पर हम निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं -

1. जिस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह से बनता है, उस प्रकार प्रोक्ति वाक्यों के समूह से बनती है। इसीलिए इसे वाक्य के ऊपर की इकाई माना गया है।
2. सभी वाक्यों का आपस में संबंध होना आवश्यक है। यदि वाक्यों के बीच पूर्वापर संबन्ध नहीं है तो उसे प्रोक्ति का उदाहरण नहीं माना जा सकता।
3. वक्ता/लेखक द्वारा बोला गया वाक्य सार्थक होना चाहिए जिसका अर्थ या भाव ग्रहण कर श्रोता/पाठक उत्तर दे सके। निरर्थक वाक्यों का प्रोक्ति में स्थान नहीं होता। अर्थात जिस अभिव्यक्ति से विचारों का आदान-प्रदान न हो, उसे प्रोक्ति नहीं माना जा सकता।
4. प्रोक्ति का स्वरूप उसके आकार से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके प्रकार्य से निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। इसका संबंध एक शब्द, एक वाक्य, पूरी एक घटना, प्रसंग या पूरे जीवनवृत से हो सकता है।
5. प्रोक्ति की संरचना का आधार संलाप होता है। इसीलिए संलाप को प्रोक्ति की सार्थक इकाई स्वीकार किया जाता है।
6. प्रोक्ति में संप्रेषणीयता का तत्व विद्यमान रहता है, जो संदर्भ (context) की माँग करता है। यही संदर्भ वक्ता/लेखक और श्रोता/पाठक के कथन या संदेश को एक दूसरे से जोड़ता है।
7. संप्रेषण की इकाई होने के कारण प्रोक्ति संदेश को श्रोता तक केवल पहुँचाती ही नहीं, बल्कि श्रोता की प्रतिक्रिया को वक्ता तक भी पहुँचाती है। इसके कारण ही संलाप की स्थिति बन पाती है। वास्तव में संप्रेषण का सशक्त और स्वाभाविक माध्यम संलाप है।
8. प्रोक्ति के माध्यम से विचारों को विभिन्न रूपों में तथा तर्क संगत ढंग से अभिव्यक्त के किया जा सकता है।
9. किसी संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता/लेखक, श्रोता/पाठक, संदेश, संदर्भ, अभिव्यक्ति के मौखिक/लिखित रूप तथा कोड का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'भाषिक संप्रेषण की इकाई प्रोक्ति है।'

### 3.7.2 प्रोक्ति के प्रमुख भेद

आप यह समझ गए हैं कि प्रोक्ति में संवाद अनिवार्य है क्योंकि इसका सम्बन्ध भाषा व्यवहार से है। भाषा व्यवहार दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है जिसे 'संलाप' कहते हैं। जहाँ एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता होता है, वहाँ 'एकालाप' होता है। प्रायः भावावेश की स्थिति में एकालाप की स्थिति होती है। अतः मोटे तौर पर प्रोक्ति के दो प्रमुख भेद किए जा सकते हैं-

1 संलाप 2 एकालाप

वक्ता और श्रोता की भूमिका के आधार पर संलाप और एकालाप के भी दो-दो उपभेद किए जा सकते हैं -

1. संलाप - (1) गत्यात्मक संलाप (2) स्थिर संलाप
2. एकालाप - (1) गत्यात्मक एकालाप (2) स्थिर एकालाप

अब हम भेदों और उपभेदों पर क्रमशः विस्तार से चर्चा करेगें।

संलाप की संकल्पना - सभी तरह के भाषा व्यवहार संलाप के अन्तर्गत आते हैं। इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है।इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'संलाप भाषा व्यवहार की वह इकाई है जिसमें कम से कम दो पात्रों (वक्ता और श्रोता) के बीच विचारों का परस्पर आदान-प्रदान होता है।' संलाप में वक्ता तथा श्रोता के अनुभवों में साम्य होना जरूरी है। नहीं तो सम्प्रेषण में बाधा आयेगी। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है।

माँ - बेटा, क्या कर रहे हो ?
बेटा - स्कूल का काम कर रहा हूँ।
माँ - बहुत देर हो गयी है।
बेटा - बस, अभी सोता हूँ।

यहाँ माँ-बेटे में अनुभव की समानता के कारण संवाद सहज रूप में हो रहा है। अब दूसरे उदाहरण देखें -

व्यक्ति - क्या चाय में चीनी डाली है ?
चाय वाला - क्या चीनी कम है साहब ?
व्यक्ति - नहीं भाई, मुझे बिना चीनी के चाय चाहिए।
चाय वाला - ओह, मैं समझा चीनी और चाहिए।

यहाँ व्यक्ति और चाय वाले के अनुभवों में समानता नहीं है। इसलिए सम्प्रेषण में कठिनाई हो रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विचारों के आदान-प्रदान अथवा संलाप के लिए वक्ता और श्रोता के बीच मानसिक स्तर पर भी साम्य होना जरूरी है।

जैसाकि हम पहले बता चुके हैं कि वक्ता और श्रोता की भूमिका के आधार पर संलाप के दो उपभेद होते हैं -

1. गत्यात्मक संलाप 2. स्थिर संलाप

**1. गत्यात्मक संलाप -** इसमें वक्ता तथा श्रोता सक्रियता से आगे बढ़ते हैं। यदि सक्रियता न हो तो संलाप आगे बढ़ ही नहीं सकता साथ ही इसमें वक्ता श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। अर्थात वक्ता जो कहता है, उसे सुनकर श्रोता जवाब देता है, तब श्रोता वक्ता की भूमिका में आ जाता है और उसकी बात सुनने के कारण वक्ता, श्रोता हो जाता है।

**2. स्थिर संलाप -** गत्यात्मक संलाप की तुलना में स्थिर संलाप में श्रोता की भूमिका सक्रिय नहीं होती अर्थात वक्ता तो सक्रिय रहता है किन्तु श्रोता निष्क्रिय ही रहता है। वह अपने विचार उस रूप में प्रकट नहीं कर सकता जिससे संलाप आगे बढ़ सके। साथ ही स्थिर संलाप में वक्ता व श्रोता

की भूमिका भी नहीं बदलती। रेडियो व दूरदर्शन आदि में प्रसारित होने वाले समाचार जैसे कार्यक्रम स्थिर संलाप के उदाहरण हैं।

**एकालाप -** ऐसे अवसरों पर जहाँ भावावेश में व्यक्ति स्वयं से कहता है और स्वयं ही उत्तर भी देता है, एकालाप की स्थिति होती है। इसमें भी वक्ता और श्रोता की स्थिति बनी रहती है। अन्तर केवल इतना ही है कि श्रोता वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होकर स्वयं वक्ता ही होता है।

संलाप की तरह एकालाप के भी दो भेद किए गए हैं -

1. गत्यात्मक एकालाप 2. स्थिर एकालाप

1. **गत्यात्मक एकालाप -** इस प्रकार के एकालाप में वक्ता ही स्वयं से प्रश्न करता है और स्वयं ही उसका उत्तर देता चलता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता की भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मानों दो व्यक्ति परस्पर बातें कर रहे हों। उदाहरण देखें -

'कौन जाने कल क्या हो ? कल त्याग पत्र देने के बाद कौन जानता है कि क्या होगा ? सम्भव है यहाँ रहना न हो। तब क्या होगा ? क्या कहीं बाहर जाया जाएगा ? क्या पता ? सरो, गुणवंती, सुशीला, देवव्रत का क्या होगा ? नहीं, यह नहीं हो सकता कि ये लोग अनाथ हो जाएँ। लेकिन माँ हैं ही। पिता चाहे अनासक्त हों, लेकिन माँ उन्हें अभी भी संबंधों से घेरे हुए हैं।'

**(यह पथ बंधु था)**

2. स्थिर एकालाप - गत्यात्मक एकालाप की तुलना में स्थिर एकालाप में वक्ता स्वयं से प्रश्न नहीं करता बल्कि स्थिर विचार के रूप में एक के बाद एक अपने भाव प्रकट करता है।

स्थिर एकालाप को प्रायः 'स्वगत कथन' भी कहा जाता है। सैद्धान्तिक रूप से इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है किन्तु सूक्ष्म अन्तर यह है कि स्वगत कथन किसी को सुनाने के लिए नहीं होता जबकि एकालाप में व्यक्ति अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए स्वयं से बातें करता अर्थात वह स्वयं वक्ता और श्रोता होता है। स्वगत कथन में व्यक्ति केवल वक्ता होता है, श्रोता नहीं।

उदाहरण देखे -

'सरो सवेरे से देर राम ऐसे ही, बस ऐसे ही बिताती रहती है। उस पर भी किसी को दर्द नहीं। दिनभर पलगँ पर बैठकर पान खाते हुए, हुकुम चलाते हुए भाभी को यह दर्द नहीं कि अब तो तीसरा पहर हो गया। खुद तो जाने क्या-क्या दवाइयों के नाम पर खा-पी लेती हैं तो भूख नहीं लगती, लेकिन इस बे-टके के चाकर को तो भूख लग सकती है न ?'

**(यह पथ बंधु था)**

## 3.8 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| आधायित वाक्य | - | मन में निहित आन्तरिक वाक्य |
| प्रोक्ति | - | भाषा सम्प्रेषण की इकाई |
| पदबन्ध | - | एक से अधिक पदों का खण्ड |
| उपवाक्य | - | वाक्य का क्रियायुक्त अंश |
| उद्देश्य | - | वाक्य में विषय को सूचित करने वाला शब्द अर्थात कर्ता |

| | | |
|---|---|---|
| विधेय | - | वाक्य के विषय में विधान करने वाला शब्द अर्थात क्रिया |
| बीज वाक्य | - | आधार वाक्य या मुख्य वाक्य |

## 3.9 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से आपने जाना कि वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है क्योंकि वाक्य के माध्यम से ही हम अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। वाक्य की परिभाषा और अवधारणा के सन्दर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इसी प्रकार वाक्य की अवधारणा में भी विद्वानों ने अपनी-अपनी व्याख्या की है। अपने वाक्य की विभिन्न अवधारणाओं को समझ कर उनमें परस्पर अन्तर की भी जानकारी प्राप्त की। वाक्य-संरचना के अन्तर्गत आपने उसके मुख्य तत्व-पदबन्ध, उद्देश्य और विधेय, समानाधिकरण शब्द, निकटस्थ अवयव, आधारभूत वाक्य, पदक्रम, स्वराघात, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही आकृति, अर्थ, रचना, शैली आदि के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेदों का परिचय प्राप्त किया। वाक्य परिवर्तन के अन्तर्गत आपने जाना कि ध्वनि व रूप की तरह वाक्य रचना में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इसमें आपने वाक्य परिवर्तन की दिशाएं और वाक्य परिवर्तन के विभिन्न कारणों का भी सोदाहरण परिचय प्राप्त किया। आप भली-भाँति जानते हैं कि भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है किन्तु भाषा का काम केवल भावों या विचारों की अभिवयक्ति नहीं है बल्कि उसका उसे श्रोता तक ठीक से सम्प्रेषित करना भी है। प्रोक्ति शीर्षक के अन्तर्गत आपने प्रोक्ति की संकल्पना की जानकारी प्राप्त की। साथ ही, उसके अभिलक्षणों और प्रमुख भेदों का भी ज्ञान प्राप्त किया।

इस तरह प्रस्तुत इकाई के विस्तृत अध्ययन के पश्चात आप वाक्य संरचना के विविध पक्षों से पूर्ण रूप से परिचित हो गए होगें।

## 3.10 अभ्यास प्रश्न एवं उत्तर

**लघु उत्तरी प्रश्न -**

1. अध्याहार से क्या तात्पर्य है।
2. उपवाक्य और पदबंध में क्या अंतर है।
3. उद्देश्य और विधेय को रूपष्ट कीजिए।
4. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए।
5. बाह्य संरचना और गहन संरचना पर टिप्पणी लिखिए।
6. संदर्भपरक इकाई के रूप में वाक्य की विवेचना कीजिए।
7. वाक्य में योग्यता और आकांक्षा पर टिप्पणी लिखिए।
8. व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए।
9. आधायित वाक्य किसे कहते हैं ?
10. प्रोक्ति के भेद स्पष्ट कीजिए।

**सही/गलत वाक्य पर निशान लगाइए -**

1. भाषा में वाक्य की सत्ता ही प्रधान होती है सही/गलत
2. हिन्दी वाक्य संरचना में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया आते हैं। सही/गलत
3. हिन्दी की वाक्य रचनाअयोगात्मक है। सही/गलत
4. समाचार-पत्रों व विज्ञापनों में क्रियाहीन वाक्य प्रचलित हैं। सही/गलत
5. एकालाप और स्वगत कथन में कोई अन्तर नहीं है। सही/गलत

**रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -**

1. वाक्य में एक या एक से अधिक आंतरिक वाक्य को ........................ वाक्य होते है। (आधायित/आधात्री)
2. व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य के ...................... भेद होते हैं। (दो/तीन)
3. आंतरिक संरचना की सत्ता ..................... है।(मानसिक/भौतिक)
4. हिन्दी में विशेषण प्रायः संज्ञा के .................. आते हैं।(पूर्व/पश्चात)
5. हिन्दी ............................ भाषा है।(क्रियायुक्त/क्रियाहीन)

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. वाक्य में 'योग्यता' से क्या आशय है ?

(अ) समीप होना (ब) अभिव्यक्ति (स) पदक्रम(द) क्षमता

2. 'ईश्वर सबका भला करे' किस प्रकार का वाक्य है ?

(अ) इच्छाबोधक (ब) विधानार्थक (स) आज्ञार्थक(द) संकेतार्थक

3. 'वाक्य प्रदीप' किसकी रचना है ?

(अ) पतंजलि (ब) विश्वनाथ (स) कुमारिल (द) भतृहरि

4. वाक्य में अप्रयुक्त शब्दों का अर्थ जब पूर्वापर प्रसंगों से व्यक्त होता है तब क्या कहलाता है ?

(अ) आंतरिक वाक्य (ब) आधायित वाक्य (स) अध्याहार (द) आधात्री वाक्य

5. 'चाँद से भी प्यारा' कौन-सा पदबंध है ?

(अ) संज्ञा पदबंध (ब) विशेषण पदबंध
(स) सर्वनाम पदबंध (द) क्रिया पदबंध

**उत्तर -**

**सही/गलत वाक्य -**

1. सही 2. सही3. गलत 4. सही 5. गलत

**रिक्त स्थानों की पूर्ति -**

1. आधायित 2. तीन 3. मानसिक 4. पूर्व 5. क्रियायुक्त

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. (ब) 2. (अ) 3. (द) 4. अध्याहार 5. विशेषण

## 3.11 संदर्भ ग्रंथ सूची


1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, पटना
2. डॉ भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की संरचना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
3. डॉ राम किशोर वर्मा, भाषा चिंतन के नये आयाम, लोक भारती, इलाहाबाद
4. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव एवं हिन्दी का सामाजिक सन्दर्भ, केन्द्रीय हिन्दी रामनाथ सहाय(संपा),संस्थान आगरा
5. मंजु गुप्ता (संयोजक),वाक्य संरचना भाग 1 व 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि, नई दिल्ली


## 3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. वाक्य की विभिन्न अवणारणाओं को स्पष्ट कीजिए एवं वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए।
2. वाक्य के प्रमुख तत्वों का परिचय दीजिए तथा वाक्य-परिवर्तन के कारणों की सोदाहरण विवेचना कीजिए।

## इकाई 4 अर्थ विज्ञान

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 अर्थ विज्ञान का परिचय
4.4 शब्द की अवधारणा
4.5 शब्द और अर्थ का अन्तर्सम्बंध
4.6 अर्थ बोधन के साधन
    4.6.1 भारतीय मत
    4.6.2 पाश्चात्य मत
4.7 अर्थ परिवर्तन
4.8 अर्थ परिवर्तन की दिशाएं
    4.8.1 अर्थ विस्तार
    4.8.2 अर्थ संकोच
    4.8.3 अर्थादेश
4.9 अर्थ परिवर्तन के कारण और विशेषताएं
4.10 सारांश
4.11 शब्दावली
4.12 बोध प्रश्न
4.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
4.14 निबंधात्मक प्रश्न

## 4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाईयों में आप ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में आप अर्थ विज्ञान के विषय में पढ़ेगें। अर्थ का सम्बंध शब्द से है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई एक अर्थ होता है। कभी-कभी एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ भी होते हैं। इस तरह भाषा में एकार्थी और अनेकार्थी दो प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ को शब्द का प्राणतत्व या आत्मा कहा गया है बिना अर्थ के शब्द निष्प्राण है और भाषा की दृष्टि से उसका महत्व नहीं है। इसीलिए प्राचीन और आधुनिक सभी चिन्तकों ने भाषा में शब्द उसी पद को माना है जिससे एक निश्चित अर्थ का बोध हो। पंतजलि के अनुसार 'प्रतीत पदार्थकों लोके ध्वनि शब्दः। अर्थात वह ध्वनि जिससे लोक व्यवहार में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है।' आधुनिक भाषाविद भोलानाथ तिवारी ने शब्द को अर्थ के स्तर पर 'भाषा की लघुतम इकाई माना है। स्पष्ट है कि भाषा में शब्द वही हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ है।'

इस इकाई में आप अर्थ की अवधारणा को भली-भाँति समझ सकेगें। अर्थ परिवर्तन के विविध आयाम हैं। जैसे देशकाल, परिस्थिति के अनुसार अर्थ में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन विविध दिशाओं में होता है। कभी-कभी शब्द का अर्थ विस्तार हो जाता है अर्थात वह सीमित से विस्तृत हो जाता है जैसे 'सर्फ' शब्द पहले एक कम्पनी विशेष का डिटर्जेन्ट पाउडर था, अब कई कम्पनियों (निरमा, व्हील, एरियल आदि) के डिटर्जेन्ट पाउडर को भी 'सर्फ' कहने लगे हैं। कभी शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है जैसे गांधी जी ने सभी हरि के जनों के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया था - 'हरि को भजै सो हरिजन होई'। किन्तु अब 'हरिजन' शब्द जाति विशेष के लिए संकुचित होकर रह गया। इसी प्रकार शब्द परिवर्तन का एक आयाम अर्थादेश भी है जिसमें एक निश्चित अर्थ हटकर बिल्कुल दूसरा या नया अर्थ रूढ़ होकर प्रचलित हो जाता है जैसे वर का अर्थ 'श्रेष्ठ' था जो अब 'दूल्हा' हो गया है। स्पष्ट है कि देश, काल, परिस्थितियों के कारण अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। यही मुख्यतः अर्थ परिवर्तन के कारण भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भाषाशास्त्रीय कारण भी होते हैं। अर्थ परिवर्तन की विविध दिशाओं और विभिन्न कारणों का आप प्रस्तुत इकाई में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेगें।

## 4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में अर्थ विज्ञान के विविध आयामों का परिचय दिया गया है जिसे पढ़कर आप -

1. भाषा में अर्थ क्या है और उसका किस रूप में महत्व है ? शब्द और अर्थ का क्या अन्तर्सम्बंध है ? आदि तथ्यों से भली-भाँति परिचित हो सकेगें ।
2. किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन कैसे और किन रूपों (दिशाओं) में होता है ? इसके बारे में अच्छी तरह जान सकेगें।
3. अर्थ परिवर्तन के कारणों के साथ ही उनकी पृष्ठभूमि में सक्रिय भाषाशास्त्रीय, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी परिचय प्राप्त कर सकेगें।

4. अर्थ परिवर्तन के अध्ययन से किसी भी विशेष समुदाय की जातीय संस्कृति का परिचय प्राप्त कर सकेगें।

5. अर्थ विज्ञान के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से अर्थ परिवर्तन के सन्दर्भ में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बना सकेगें।

## 4.3 अर्थ विज्ञान का परिचय

अर्थ विज्ञान वस्तुतः (शब्द के) अर्थ का विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान की तरह 'अर्थ विज्ञान' भाषा विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें अर्थ के अनेक आयामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हिन्दी में इसके लिए 'शब्दार्थ विचार' या 'अर्थ विचार' नाम प्रचलित रहे हैं। अंग्रेजी में इसके अनेक नाम रहे हैं किन्तु वर्तमान में Semantics नाम अधिक प्रचलन में है। अर्थ विज्ञान में अर्थ का अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक और तुलनात्मक होता है किन्तु संरचना या वर्णनात्मक स्तर पर भी अब अर्थ के अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। अर्थ विज्ञान के सम्बंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश विद्वान इसे भाषा विज्ञान की शाखा मानते हैं किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार यह दर्शनशास्त्र की एक शाखा है। कुछ लोग इसे किसी अन्य शास्त्र के साथ न जोड़कर स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखते हैं।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थ विज्ञान, दर्शन शास्त्र से बहुत अंशों से सम्बद्ध है और उसका काफी अंश ऐसा है जो मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की अपेक्षा रखता है किन्तु इसमें संदेह नहीं है कि अर्थ भाषा की आत्मा है और भाषाविज्ञान जब 'भाषा' का विज्ञान है तो बिना उसके अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता।' किसी भी भाषा में प्रत्येक सार्थक शब्द का एक निश्चित अर्थ या भाव होता है। वही शब्द की आत्मा या सार है। शब्द साधन है अर्थ साध्य है। अतः शब्द में अर्थ की सत्ता महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान में उस अर्थ को 'अर्थतत्व' या 'अर्थग्राम' कहते हैं। जिस प्रकार शब्द की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तदनुसार उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। अर्थात किसी भी शब्द का अर्थ सदैव एक सा नहीं रहता। अर्थ विज्ञान में इसका अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास के रूप में अध्ययन किया जाता है जिसके अन्तर्गत अर्थ के विकास या परिवर्तन की दिशा और उसके मूल में निहित कारणों का अध्ययन करते हैं।

## 4.4 शब्द की अवधारणा

जैसा कि आप जानते हैं कि - अर्थ विज्ञान में अर्थ का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 'अर्थ' का आधार 'शब्द' है। अतः शब्द की विभिन्न अवधारणाओं का परिचय भी आवश्यक है। 'शब्द' के सम्बंध में प्राचीन शास्त्रों में पर्याप्त चिंतन मिलता है। वेदांत चिंतन के अनुसार जीव (प्राणी) की रचना के दो संयोजन तत्व हैं - आत्मा और प्रकृति। ब्रह्म का अंश होने के कारण आत्मा अविनाशी है और पंचभूतात्मक (क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु) होने के कारण प्रकृति क्षयमाण, नाशवान और परिवर्तनशील है। प्रकृति के पाँच महाभूतों (तत्वों) में एक आकाश

है। आकाश का गुण है 'शब्द' जो प्राणियों में ध्वनि के विधायी तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। स्पष्ट है कि 'शब्द' का आधार 'ध्वनि' है। इसलिए आधुनिक भाषा में विज्ञान में 'शब्द' को 'ध्वनि' से पृथक नहीं माना है।

कामताप्रसाद गुरू एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को 'शब्द' कहते हैं। वहीं भोलानाथ तिवारी ने अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई को 'शब्द' माना है। वस्तुतः शब्द मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त भाषिक अर्थ सत्ता से जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में शब्द का अभिप्रेत 'विचार' भी हो सकता है। अतः मनुष्य के अभिप्रेत अर्थ को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि समूह का प्रयोग किया जाता है - उसे 'शब्द' कहते हैं।

इस प्रकार शब्द के सम्बंध निम्नलिखित प्रमुख बातें स्पष्ट होती हैं -

1. शब्द का आधार ध्वनि है।
2. सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहा जा सकता है।
3. सार्थक ध्वनि एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी।
4. शब्द का एकमात्र अभिप्रेत अर्थ, विचार या भाव का सम्प्रेषण है।
5. शब्द अपनी ध्वनि संरचना में और अन्तर्निहित अर्थ के संदर्भ में परिवर्तनशील है।

## 4.5 शब्द और अर्थ का अन्तर्सम्बन्ध

शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसके प्राण। इसलिए अर्थ को शब्द की आत्मा कहा गया है। भाषा की प्रकृति का अध्ययन उसके शब्द अर्थ के सम्बंध के आधार पर किया जाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म को ओंकार (शब्द) कहा गया है। इस ओंकार की प्रतिध्वनि अर्थात छाया ही अर्थ के रूप में व्याप्त है। इस दृष्टि से अर्थ की स्वयंसत्ता स्वतः सिद्ध होती है। यास्क भी 'निरूक्त' में लिखते हैं कि जिस प्रकार बिना अग्नि के शुष्क ईंधन भी प्रज्ज्वलित नहीं होता, उसी तह अर्थबोध के बिना शब्द को दोहराने मात्र से अभीप्सित विषय को व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन अर्थ वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ की अभिव्यक्ति चार चरणों में सम्पन्न होती है - परा लाकोत्तर भाव लोक है। पश्यंती के अन्तर्गत वक्ता अपने अभिप्रेत अर्थ की खोज करता है। मध्यमा में इस अभिप्रेत अर्थ का भाषा ध्वनियों के साथ अन्तःसम्बंध होता है और वैखरी के रूप में वक्ता के प्रयोज्य अर्थ को भाषा व्यक्त कर देती है जिसे सुनकर श्रोता वक्ता के अभिप्राय को समझने का प्रयत्न करता है। श्रोता में अभिप्रयाय समझने की प्रक्रिया उक्त वक्ता क्रम के विपरीत चलती है जिसमें श्रोता वैखरी से होता हुआ परा तक पहुँचता है जहाँ एक स्फोट के रूप में वक्ता का अभिप्रेत अर्थ उद्भासित हो जाता है। भर्तृहरि ने अपने 'वाक्यदीप' ग्रंथ में वाक्यार्थ के सन्दर्भ में 'स्फोटवाद' का प्रवर्तन किया है। अभिव्यक्ति के अंतिम चरण में अर्थ भाषा ध्वनियों से सम्पृक्त होकर 'शब्द' के रूप में प्रकट होता है। हम कह सकते हैं कि अर्थ के अभाव में शब्द निष्प्राण हैं। अर्थ के कारण ही शब्द में चेतना का संचार है। चेतना से गति आती है क्योंकि चेतना का स्वभाव ही सक्रिय रहना है। इसलिए शब्द में निहित अर्थ चेतना उसे शब्द के विकास की यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा

कब शुरू होती है, किस दिशा में और किन-किन दिशाओं में पहुँचते हुए कहाँ खत्म होती है, यह बहुत कुछ विविध परिस्थितियों, संदर्भों और विशेष भाषा-भाषी समाज की मानसिकता और आवश्यकता पर निर्भर करता है। जिनका अध्ययन हम अर्थ विज्ञान के अन्तर्गत करते रहे हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है कि भाषा के शब्द प्रतीक हैं। जैसे 'गाय' शब्द एक पशु विशेष का प्रतीक है जिसे समाज ने गाय शब्द के अर्थ के रूप में मान लिया है। 'गाय' शब्द कहने से केवल 'गाय' का ही बोध होगा अन्य किसी पशु का नहीं। इसी को दृष्टि रखते हुए शब्द के साथ किसी वस्तु के सम्बंध-स्थापन को संकेतग्रह कहा गया है जिसके द्वारा शब्द अपने अर्थ विशेष का बोध कराता है। शब्द से अर्थ बोध होता है। अतः शब्द 'बोधक- हैं और अर्थ 'बोध्य'। शब्द अर्थ के सम्बंध को वाक्य-वाचक या बोध्य-बोधक सम्बंध कहा गया है। शब्द वाचक या बोधक है और अर्थ वाच्य या बोध्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ के सम्बंध को लेकर गहन चिन्तन मिलता है जो 'शब्द शक्ति' या 'वृत्ति निरूपण' नाम से प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द से होने वाले अर्थ तीन प्रकार के हैं - वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। इसी आधार पर शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं - वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों में विद्यमान शक्ति या वृत्ति को अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहा जाता है।

## 4.6 अर्थ बोध के साधन

अर्थ बोध के साधनों पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना प्रासंगिक होगा कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है। हम पहले यह पढ़ आये हैं कि शब्द प्रतीक हैं। तभी शब्द के साथ किसी वस्तु, क्रिया या भाव-विचार के सम्बंध स्थापन को संकेतग्रह कहा गया है। इस तरह अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीत के रूप में होता है। प्रतीत अनुभव से होती है। अनुभव दो प्रकार से होता है - आत्म अनुभव और पर अनुभव।

**आत्म अनुभव** - आत्म अनुभव का अर्थ है कि किसी वस्तु आदि को स्वयं देखना या अनुभव करना। हमारे आस-पास जितनी वस्तुएं या प्राणी हैं, उन्हें देखकर या उन्हें अनुभव करके हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। सर्दी, गरमी के अर्थ की अनुभूति भी हमें आत्म अनुभव से होती है। आत्म अनुभव के भी दो भेद हैं - इन्द्रियजन्य और अतीन्द्रियजन्य। इन्द्रीयजन्य अनुभव में हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं - आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आँख से देखी हुई वस्तु, कान से सुना हुआ, नाक से सूँघी हुई गंध, त्वचा से स्पर्श हुआ पदार्थ और जीभ से चखा हुआ स्वाद इन्द्रियजन्य अनुभव हैं। अतीन्द्रिय अनुभव का सम्बंध अन्तःकरण या मन से है जो सूक्ष्म भावों को अनुभव करता है। सुख-दुःख, प्रेम-घृणा, मान-अपमान, भूख-प्यास आदि का अनुभव व्यक्ति स्वयं मन से करता है। यह अतीन्द्रियजन्य आत्म अनुभव है।

**पर अनुभव** - दूसरों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को पर अनुभव कहते हैं। अनेक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता अतः उस क्षेत्र से सम्बंधित शब्दों की अर्थ प्रतीति के लिए हमें पर-अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष हो या युद्ध क्षेत्र - इनसे जुड़े हुए शब्दों के अर्थ की प्रतीति के लिए दूसरों का अनुभव ही हमें अर्थ का बोध कराता है। भारतीय परम्परा में

अर्थ बोध के निम्नलिखित आठ साधन माने गए हैं - व्यवहार, कोश, व्याकरण, प्रकरण, व्याख्या, उपमान, आप्तवाक्य, प्रसिद्ध पद या ज्ञात का सान्निध्य। इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है -

1. व्यवहार - अर्थ बोध का यह प्रमुख साधन है। व्यवहार का तात्पर्य लोक व्यवहार या सामाजिक व्यवहार से है। आप जानते हैं कि भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है। अनुकरण व्यवहार से ही सिद्ध होता है। व्यवहार से हम शब्द और उसका अर्थ अथवा संकेत ग्रहण करते हैं। लोक में प्रचलित सभी प्राणी, वस्तु, और प्रकृति सम्बंधी शब्दों के अर्थ का ज्ञान हमें लोक व्यवहार से होता है।

2. कोश - अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान हमें शब्द कोश से होता है।

3. व्याकरण - व्याकरण से हमें एक ही शब्द के अनेक रूपों के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे 'मीठा' से 'मिठाई' का क्या अर्थ है। 'मनुष्य' का अर्थ हमें ज्ञात है किन्तु 'मनुष्य' से 'मनुष्यता' कैसे बना और उसका अर्थ क्या है, यह व्याकरण के द्वारा जाना जा सकता है।

4. प्रकरण - आप जानते हैं कि अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं - एकार्थी, जिनका एक ही अर्थ रूढ़ है और अनेकार्थी, जिनके एक से अधिक अर्थ हों। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ प्रकरण अर्थात संदर्भ पर निर्भर करता है। यदि प्यासा कहे कि 'पानी' तो पानी का सीधा सा अर्थ जल है किन्तु कोई कहे कि तुम्हारी आँखों में जरा भी पानी नहीं है, तो यहाँ 'पानी' का अर्थ 'शर्म' से है। इसी तरह 'रस' के भी विभिन्न अर्थ संदर्भ या प्रकरण से ही स्पष्ट होते हैं।

5. व्याख्या - इसे 'विवृति' भी कहा गया है। अनेक शब्द (विशेषकर पारिभाषिक शब्द) ऐसे हैं जिनका अर्थ बोध व्याख्या द्वारा ही कराया जा सकता है। जैसे 'ध्वनि' एक सामान्य शब्द है किन्तु भाषा वैज्ञानिक अर्थ समझने के लिए 'ध्वनि' की व्याख्या करना अपेक्षित है।

6. उपमान - उपमान का अर्थ है 'सादृश्य'। एक वस्तु के सादृश्य पर दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे 'गाय' के सादृश्य पर 'नीलगाय' या 'कुत्ते' के सादृश्य पर 'भेड़िया' शब्द का अर्थ जाना जा सकता है।

7. आप्तवाक्य - महान, विद्वान, प्रसिद्ध, सिद्ध लोगों के वाक्य भी अर्थबोध कराने में सहायक बनते हैं। व्यवहारिक जगत में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिनसे हमारा प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। जैसे आस्थावान लोगों का ईश्वर, नरक-स्वर्ग, आत्मा-परमात्मा और पुनर्जन्म जैसे शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्मग्रंथों के आप्तवाक्यों पर आधारित है।

8. प्रसिद्ध पद या ज्ञात का सानिध्य - ज्ञात शब्दों के सानिध्य से भी कभी-कभी अज्ञात शब्द का अर्थ बोध हो जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध पद के सानिध्य से उस वर्ग के अन्य शब्द जिसका अर्थ ज्ञात नहीं है, उसका भी अर्थ बोध हो जाता है। जैसे - एक वाक्य लें: शरबती से बासमती शब्द का अर्थ बोध हो जाता है। यहाँ 'बासमती' और 'चावल' प्रसिद्ध पद हैं। इनके सानिध्य से 'शरबती' का अर्थबोध सहज में हो जाता है कि वह भी एक प्रकार का चावल ही है।
पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थबोध के तीन साधन बताए हैं -

1. निदर्शन अर्थात किसी वस्तु का प्रदर्शन कर शब्द विशेष का अर्थ बोध कराना। जैसे आम, अमरूद, कलम, कापी, घड़ी, पुस्तक आदि वस्तुएं दिखाकर इनसे सम्बद्ध शब्द का उच्चारण करके अर्थ बोध कराना।

2. विवरण में किसी वस्तु विशेष का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करके अर्थ बोध कराना।

3. अनुवाद के द्वारा भी अर्थ बोध होता है। जैसे - अहिंदी भाषी व्यक्ति को उसकी मूल भाषा में अनुवाद करके हिन्दी शब्दों का अर्थज्ञान कराया जाता है।

## 4.7 अर्थ परिवर्तन

अब तक के अध्ययन से आप यह अच्छी तरह समझ गये होगें कि भाषा परिवर्तन शील है। जिस प्रकार शब्द की भाषिक ध्वनियों में परिवर्तन उसके रूप को परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार शब्द के अर्थ में परिवर्तन उसके मूल भाव या विचार को बदल देता है। अर्थ के कारण शब्द की चेतना में गति है। भाषा विकास शब्दार्थ की चेतना का ही विकास है जो विभिन्न देशकाल, परिस्थितियों में सतत रूप से परिवर्तन के माध्यम से सक्रिय रहता है। विद्वानों का भी मानना है कि भाषा कभी गतिहीन नहीं होती। उसका गतिहीन होना या जड़ होना ही उसकी मृत्यु होना है। भाषा के विकास में उसकी गतिशीलता बहुत सूक्ष्म रूप में होती है जिसका प्रभाव ध्वनिगठन, शब्दरूप, शब्दार्थ आदि में देखा जा सकता है। विद्वानों का मानना है कि शब्द के रूपगत परिवर्तनों का आधार मनुष्य का बाह्येन्द्रियाँ हैं और अर्थगत परिवर्तन का सीधा सम्बंध उसके मानस जगत से है। अर्थ परिवर्तन का अध्ययन व्यक्ति, समाज और उसकी जातीय संस्कृति के विकास के विभिन्न सोपानों को उद्घाटित करता है। आधुनिक भाषाविदों का यह मानना है कि पहले की तुलना में आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण अर्थ परिवर्तन भी अधिक हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाव-विचार की संवाहिक होने के नाते भाषा के अर्थगत परिवर्तन किसी भी मानव समाज और उसकी जातीय संस्कृति के अध्ययन में अन्य भाषागत परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक सहायक हो सकते हैं।

## 4.8 अर्थ परिवर्तन की दिशाएं

किस स्थिति विशेष में किसी शब्द का अर्थ किस दिशा में विकसित होता है - यह जानने के लिए भाषाविदों ने अनेक प्रयत्न किए किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी तक अर्थ परिवर्तन का कोई भाषा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बीसवीं सदी में फ्रेंच भाषा वैज्ञानिक 'ब्रेआल' ने सर्वप्रथम अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान में स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया। उन्होंने तार्किक आधार देते हुए यह सिद्ध किया कि अर्थ विकास या अर्थ परिवर्तन की तीन दशाएं हो सकती हैं -

1. अर्थ विस्तार 2. अर्थ संकोच 3. अर्थादेश

अर्थ परिवर्तन की इन दिशाओं का उदाहरण सहित विस्तार से परिचय इस प्रकार है।

### 4.8.1 अर्थ विस्तार

शब्द में बिना किसी परिवर्तन के अर्थ का विस्तार होना प्रत्येक विकासशील भाषा का स्वभाव है। हिन्दी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें यह प्रक्रिया आवश्यक और स्वाभाविक है। प्रारम्भ में शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है किन्तु धीरे-धीरे उसके प्रयोग में विविधता आती जाती है। इसलिए वह व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। अपनी व्यापकता में मूल अर्थ लगभग भुला दिया जाता है और व्यापक अर्थ ही सामान्य हो जाता है। जैसे - प्रारम्भ में केवल तिल के रस को 'तेल' कहते थे। धीरे-धीरे सरसों, नारियल, बादाम ही नहीं मिट्टी, मछली के तेल को भी 'तेल' कहा जाने लगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं - 'स्याह' का अर्थ काला है। इसी से 'स्याही' बना किन्तु अब लाल, नीली, हरी सभी तरह की 'स्याही' हैं। 'अधर' नीचे के दोनों ओठों को कहते थे। अब दोनों ओष्ठों के लिए 'अधर' प्रयुक्त होता है। वीणा बजाने में पारंगत व्यक्ति को 'प्रवीण' कहा जाता था। अब किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति को 'प्रवीण' कहते हैं। इसी प्रकार 'ग्रंथ' का प्रारम्भिक अर्थ 'गूँथना' या 'बाँधना' है। कागज के पन्नों को एक में बाँधकर ग्रंथ तैयार होता था। वर्तमान में किसी भी पुस्तक के लिए 'ग्रंथ' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'ग्लास' पहले केवल शीशे के होते थे, अब स्टील, प्लास्टिक, चाँदी, थर्मोकोल के भी ग्लास चलने लगे हैं। खोयी हुई गायों को खोजने के लिए 'गवेषणा' शब्द चलता था।अब किसी भी खोजपूर्ण लेखन या कार्य के लिए 'गवेषणा' का प्रयोग होता है जैसे गवेषणात्मक लेख या साहित्य। इसी प्रकार हवन-पूजा में प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की छोटी घास 'कुश' को लाने वाले को 'कुशल' कहते थे। अर्थ विस्तार में इसका अर्थ ठीक तरह से (कुशल पूर्वक, कुशल मंगल) हो गया। सब्ज (हरा रंग) से 'सब्जी' बना अर्थात हरे रंग की सब्जी होती थी। अब किसी भी रंग की सब्जी को 'सब्जी' कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात व्यक्तियों के नामें पर भी अर्थ विस्तार देखा जा सकता है जो उनके गुणों और कार्यों के कारण रूढ़ हो गया। जैसे विभीषण (घर का भेदिया), नारद (लड़ाई लगाने वाला), जयचंद (देशद्रोही), भगीरथ (असम्भव को सम्भव करने वाला), मंथरा (कुमंत्रणा करने वाली), सती-सावित्री (पतिव्रता), कुबेर (धनाढ्य व्यक्ति) आदि।

इसी प्रकार संख्यावाची शब्दों में भी अर्थ विस्तार की प्रवृत्ति दृष्ट्व्य है। भारतीय दण्ड विधान में 420 की धारा धोखाखड़ी और 110 नम्बर की धारा जनता की निगाह में बुरे व्यक्ति पर लगती है। इसी आधार पर धोखेबाज व्यक्ति के लिए 'चार सौ बीस' और बुरे व्यक्ति के लिए 'दस नम्बरी' शब्द चलने लगा। साठ वर्ष की उम्र में पहले व्यक्ति की बुद्धि और सोचने-समझने की क्षमता क्षीण होने लगती थी। शायद रिटायरमेंट की उम्र इसीलिए साठ रखी गयी थी। 'सठियाना' अर्थ इसी सन्दर्भ में विकासित हुआ है। भाषा में अर्थ विस्तार की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यद्यपि इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते क्योंकि भाषा में ज्यों-ज्यों विकास होता है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं और छोटी से छोटी वस्तुओं को प्रकट करने की क्षमता भी विकसित होती जाती है।

**4.8.2 अर्थ - संकोच**

भाषा के विकास में अर्थ-संकोच महत्वपूर्ण है। प्रारम्भ में शब्दों का अर्थ सामान्य रहा होगा। सामान्य या विस्तृत अर्थ जब विशिष्ट अर्थ में सीमित हो जाता है, तो इसे अर्थ-संकोच कहते हैं। तात्पर्य यह है कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में अर्थ की व्यापकता सीमित या संकुचित हो जाती है। जैसे 'मृग' शब्द को ही लें। प्रायः सभी पशुओं के लिए 'मृग' शब्द प्रचलित था। इसी से 'मृगया' (पशुओं का शिकार करना) बना किन्तु धीरे-धीरे यही 'मृग' केवल हिरन के अर्थ में संकुचित हो गया। अर्थ परिवर्तन के अन्तर्गत अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति को भाषा वैज्ञानिकों ने अन्य प्रवृत्तियों (अर्थ-विस्तार, अर्थादेश आदि) से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना है। बाबू श्यामसुन्दर दास का मानना है के इस संकोच की सविस्तार कथा लिखी जाय तो अर्थ-विचार का अत्यंत मनोरंजक और शिक्षाप्रद अंग तैयार हो जाय। इसी प्रकार पाश्चात्य भाषाविद् ब्रील का कथन है कि राष्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी, उसकी भाषा में अर्थ-संकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे। डॉ हरदेव बाहरी का भी मानना है कि भाषा में सापेक्षता या सुनिश्चिता लाने के लिए अर्थ-संकोच आवश्यक भी है। अर्थ-संकोच से भाषा का व्यवहार स्थिर और समृद्ध होता है। अतः अर्थ-संकोच की अपेक्षा अर्थ-प्रसार की प्रक्रिया कम होती है क्योंकि भाषा का लक्ष्य विचारों या भावों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करना होता है। विशेषकर जब वह साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का माध्यम बन जाती है।

निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति को अच्छी तरह समझा जा सकता है -

| **शब्द** | **सामान्य अर्थ** | **अर्थ-संकोच** |
|---|---|---|
| जलज | जल से उत्पन्न सभी वस्तुएं | कमल |
| गो | चलने वाला प्राणी मनुष्य, पशु | गाय |
| खग | आकाश में उड़ने वाला | पक्षी |
| रसाल | रस से पूर्ण वस्तु | आम |
| भार्या | जिसका भरण-पोषण किया जाय | पत्नी |
| वेदना | जानना (सुःख-दुःख दोनों) | दुःख |
| सर्प | जो सरकता है | साँप |
| मोदक | प्रसन्न करने वाला | लड्डू |
| धान्य | धन से सम्बद्ध | अन्न |
| दुहिता | जो गाय दुहे | पुत्री |
| वह्न | वहन (ढोने) करने वाला | अग्नि |
| गंध | अच्छी-बुरी महक | बुरी गंध |
| बू | अच्छी-बुरी दोनों गंध के लिए | बुरी गंध |
| घृत | सींचना | घी |
| दण्ड | डंडा | सजा |

| | | |
|---|---|---|
| नट | नाट्य कला में प्रवीण | विशेष जाति |
| गौ | इंद्रियाँ, पृथ्वी, गाय | गाय |

इसी प्रकार वत्स, बाछा, बछेड़ा, पाड़ा, छौना, मेमना, चूज़ा, पोआ, पिल्ला, आदि सभी शब्दों का अर्थ 'बच्चा' है किन्तु अर्थ-संकुचन के कारण ये क्रमशः मनुष्य, गाय, घोड़ा, भैंस, सुअर, भेंड़, साँप और कुत्ते के बच्चे के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

डॉ हरदेव बाहरी ने अर्थ-संकोच की निम्नलिखित स्थितियाँ बतायी है -

1. विशेषण लगने पर - बार (द्वार) = चौबारा, पुरुष = राजपुरुष, काल = महाकाल
2. विशेषण के विशेष्य और विशेष्य के विशेषण में लुप्त होकर समाने पर - पत्र = समाचार-पत्र, जन्माष्टमी = कृष्ण जन्माष्टमी, लगन = शुभ लगन, चाल = खोटी चाल
3. समानार्थक शब्द इकट्ठा होने पर एक का अर्थ-संकोच हो जाता है जैसे - भात और भत्ता, गर्भिणी (स्त्री) और गाभिन (गाय, भैंस), चून (चूर्ण) और चूना

इसी प्रकार समास उपसर्ग,-प्रत्यय द्वारा भी किसी शब्द के अर्थ की विशिष्टीकरण प्रक्रिया होती है जो अर्थ-संकोच के ही उदाहरण हैं। जैसे - घनश्याम और पीताम्बर का अर्थ कृष्ण के लिए, दशानन रावण के लिए, गजवदन गणेश के लिए संकुचित हो गया।

### 4.8.3 अर्थादेश

भावों की समानता के कारण कभी-कभी शब्द के मुख्य अर्थ के साथ अन्य गौण अर्थ भी चलने लगते हैं। कुछ समय बाद मुख्य अर्थ तो लुप्त हो जाता है और गौण अर्थ ही प्रचलन में मुख्य हो जाता है। इस तरह मुख्य अर्थ के लोप होने और उसके स्थान पर नवीन अर्थ के चलन को 'अर्थादेश' कहते हैं। जैसे - 'असुर' पहले देववाची शब्द था जिसका अर्थ 'देवता' था किन्तु 'असुर' अब 'राक्षसवाची' शब्द हो गया है। इसी प्रकार 'मौन' शब्द 'मुनि' से बना है। आरम्भ में इसका प्रयोग मुनियों के विशुद्ध आचरण के लिए होता था। अब 'मौन' चुप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 'वर' का अर्थ 'श्रेष्ठ' था। अब यह 'दूल्हे' के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि 'दूल्हा' शब्द भी 'दुर्लभ' से बना है। कन्या के लिए दूल्हा खोजना आसान तो नहीं दुर्लभ कार्य है। बंगला भाषा में 'गृह'से हिन्दी में 'घर' बना जिसका अर्थ हिन्दी में तो घर है किन्तु बंगला में 'कमरा'।

अच्छे-बुरे भाव की दृष्टि से अर्थादेश के दो भेद किए गये हैं -

1. अर्थोपकर्ष 2. अथोत्कर्ष

**अर्थोपकर्ष** - सामाजिक दृष्टि से किसी शब्द का प्रारम्भ में अच्छा अर्थ जब बुरे भाव में परिवर्तित हो जाता है, तब अर्थोपकर्ष होता है। जैसे - भक्त के अर्थ में प्रयुक्त 'हरिजन' शब्द का अर्थ जाति विशेष तक सीमित होकर रह गया। 'जुगुप्सा'शब्द पालने या छिपाने के अर्थ में चलता था। अब उसका अर्थ 'घृणा' है। यह भी देखा गया है कि तत्सम् शब्द तो अच्छे भाव के अर्थ में है किन्तु उसी से विकसित तद्भव शब्द बुरे या हीन भाव के अर्थ में प्रचलित हो जाता है। 'गर्भिणी' से विकसित 'गाभिन' को ही लें। गर्भिणी स्त्रियों के लिए है और गाभिन पशुओं के लिए। प्रणाली

(रास्ता, युक्ति) से निकला 'पनारी' या 'पनारा' (गंदी नाली या नाला) भी इसी अर्थोपकर्ष के उदाहरण हैं।

**अर्थोत्कर्ष -** यह अर्थोपकर्ष का उल्टा है। इसमें पूर्व में प्रचलित बूरे भाव का अर्थ बाद में अच्छे भाव के अर्थ में प्रचलित हो जाता है। जैसे 'मुग्ध' और 'साहस' शब्दों के अर्थ को देखें। संस्कृत में 'मुग्घ' का अर्थ 'मूढ़' के लिए होता था। अब वह मोहित होने के अर्थ में चलता है। इसी प्रकार 'साहस' पहले व्यभिचार, हत्या जैसे बुरे भाव का शब्द था, अब तो 'साहस' और 'साहसी' की सभी प्रशंसा करते हैं किन्तु 'दुस्साहस' की नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ परिवर्तन की मुख्य रूप में तीन ही दिशाएं हैं। विस्तृत और गहन अध्ययन के लिए इनके भेद-उपभेद किए जा सकते हैं।

## 4.9 अर्थ-परिवर्तन के कारण

अर्थ-परिवर्तन का सम्बंध मनुष्य की मानसिकता से है। इसलिए अर्थ-परिवर्तन के निश्चित सिद्धान्त नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। वास्तव में किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन का कोई एक निश्चित कारण न होकर कई कारणों का योगदान होता है। भाव सादृश्य के साथ सामाजिक कारण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारणों पर हम विचार करेगें।

अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण और उनके भेद-उपभेद इस प्रकार हैं -

1. भाषा शास्त्रीय –
   I. बल का अपसरण
   II. सादृश्य
   III. अन्य भाषाओं से आए शब्द
   IV. व्याकरण
   V. लाघव की प्रवृत्ति
   VI. शब्द का रूप परिवर्तन
   VII. अज्ञानता
2. सभ्यता का विकास –
   I. नवीन वस्तुओं/ आविष्कारों की खोज
3. सामाजिक साँस्कृतिक –
   I. सामाजिक परम्पराएं और मान्यताएं
   II. नम्रता प्रदर्शन
   III. अशुभ-छोटेकार्य
   IV. सामाजिक परिवेश
4. भौगोलिक परिवेश -
5. साहित्यिक कारण –
   I. लाक्षणिक प्रयोग

II. व्यंग्य

6. ऐतिहासिक कारण - पीढ़ी परिवर्तन

7. सभ्यता का विकास -

8. सामाजिक-सांस्कृतिक –

I. भ्रान्त धारणा

II. अंधविश्वास

III. नम्रता प्रदर्शन

1. अर्थ परिवर्तन के भाषा शास्त्रीय कारण -

I. बल का अपसरण - किसी शब्द के उच्चारण में यदि ध्वनि विशेष पर बल दिया जाय तो शेष ध्वनियाँ कमजोर पड़कर धीरे-धीरे लुप्त हो जाती हैं। 'उपाध्याय' से 'ओझा' होना इसका अच्छा उदाहरण है। ध्वनि में बल अपसरण से शब्द रूप के साथ ही उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसी प्रकार पहले 'गोस्वामी' का अर्थ 'बहुत सी गायों का स्वामी' था जो बाद में धार्मिक व्यक्ति के लिए 'गुंसाई' रूप में प्रचलित हुआ।

II. सादृश्य - अर्थ-परिवर्तन में इसके उदाहरण कम ही हैं। 'प्रश्रय' का संस्कृत में अर्थ था - विनय, शिष्टता, या नम्रता। इससे मिलता जुलता शब्द 'आश्रय' है जिसका अर्थ सहारा है। अतः आश्रय के सादृश्य में 'प्रश्रय' भी सहारा के अर्थ में प्रयोग होने लगा।

III. अन्य भाषाओं से आये शब्द - हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं के अनेक शब्द आये हैं किन्तु हिन्दी भाषा में उनके अर्थ बदल गये हैं। जैसे - फारसी 'दरिया' शब्द (नदी) गुजराती में 'समुद्र' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार फारसी का 'मुर्ग' (पक्षी) हिन्दी में पक्षी विशेष हो गया।

IV. व्याकरण - व्याकरण के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे - 'हार' शब्द में उपसर्ग जोड़ने से उपहार, विहार, आहार, संहार या 'कार' शब्द में उपसर्ग जोड़ने से आकार, विकार, संहार नये अर्थवान शब्द बनते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय जोड़ने या समास रचना से भी अर्थ भेद आ जाता है। जैसे - मीठा से मिठाई, गृहपति (गृहस्वामी), पतिगृह (ससुराल) आदि।

V. लाघव की प्रवृत्ति - उच्चारण में मुख-सुख या लाघव की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव है। इसमें लम्बे-लम्बे शब्दों के कुछ अंश हट जाते हैं जिससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे - रेलवे स्टेशन की जगह केवल 'स्टेशन' से भी रेलवे स्टेशन का बोध होता है। ऐसे ही 'मोटर बाइक' बाइक और 'आटो रिक्शा' शब्द केवल आटो के रूप में पूरा अर्थ देता है

VI. शब्द का रूप-परिवर्तन - शब्द के तत्सम रूप से तद्भव रूप भी बनते हैं। जैसे - गर्भिणी से गाभिन, स्तन से थन, श्रेष्ठ से सेठ। इसे अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे गर्भिणी और स्तन स्त्री के सम्बंध में और गाभिन और थन शब्दों का प्रयोग पशुओं के संदर्भ में होता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ का अर्थ आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति से है और सेठ धनी व्यक्ति को कहते हैं।

VII. अज्ञानता - भाषा की अज्ञानता के कारण भी अर्थ-परिवर्तन होता है। जैसे - संस्कृत का 'धन्यवाद' (प्रशंसा) शुक्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अज्ञान के कारण कभी-कभी शब्दों के दोहरे अर्थ वाले रूप चलने लगते हैं। जैसे 'फ़ज़ूल' के लिए बेफिजूल, 'खालिस' के लिए निखालिस, 'विंध्याचल' के लिए विंध्याचल पर्वत, 'सज्जन' के लिए सज्जन व्यक्ति आदि।

2. सभ्यता का विकास - सभ्यता के विकास के साथ ही नवीन वस्तुओं का निर्माण और नये-नये आविष्कार होते रहते हैं। शासन-प्रशासन, शिक्षा पद्धति में नये बदलाव आते हैं जो अर्थ-परिवर्तन का कारण बनते हैं। कलम पहले पंख (पेन) से बनती थी 'पत्र' का अर्थ वृक्ष का पत्ता था। सभ्यता के विकास में पेन और पत्र कितने विस्तृत अर्थ के हो गए। सभ्य होने के साथ ही व्यक्ति अश्लील और गंदे कार्यों के लिए प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर संकेतात्मक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने लगा है। नहाने, पेशाब-लैट्रीन जाने-सभी के लिए बाथरूम शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह रेडियो के आने पर 'आकाशवाणी' का प्रयोग प्रचलित हुआ।

3. सामाजिक साँस्कृतिक - सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं के कारण भी अर्थ-परिवर्तन होते हैं। जैसे - अंधविश्वास के कारण 'चेचक' को देवीमाता कहना। पत्नी द्वारा अपने पति का नाम न लेने के अंधविश्वास ने पति के अर्थ में आदमी, मलिकार, घरवाला, बेटवा के बाबू आदि अनेक शब्दों को जन्म दिया। इसी तरह अशुभ या बुरी खबर को सीधे न कहकर घुमा-फिराकर संकेत में कहा जाता है। किसी की मृत्यु होने पर 'मर गया' सीधे न कहकर बल्कि 'नहीं रहा', स्वर्गवासी या दिवंगत हो गया कहा जाता है। 'लाश' को पार्थिव शरीर या मिट्टी कहते हैं। किसी के विधवा होने पर सिंदूर पुछना, सुहाग मिटना कहते हैं। एकमात्र संतान की मृत्यु पर चिराग बुझना कहते हैं। सामाजिक कारणों में नम्रता प्रदर्शन भी एक कारण है। उर्दू भाषा में नम्रता प्रदर्शन के प्रचुर उदाहरण हैं। हिन्दी में भी कम नहीं हैं क्योंकि वहाँ भी नम्रता, शिष्टाचार बना हुआ है। 'मेरे यहाँ आइये' के अर्थ में 'मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए' चलता है। बहुत दिन बाद मिलने पर 'कैसे दर्शन दिए' या 'इधर कैसे रास्ता भूल गए' वाक्याशों का प्रयोग देखा जा सकता है। छोटे कार्यों को करने वालों के लिए भी आदर सूचक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे नाई के लिए 'नाई राजा', और नाईन के लिए 'नाईन चाची या नाईन काकी' प्रयुक्त होता था। खाना बनाने वाला या वाली महाराज या महराजिन होते थे।

सामाजिक परिवेश से भी अर्थ-परिवर्तन होता है। अंग्रेजी के 'सिस्टर', 'फादर', 'मदर' शब्द घर में बहन, पिता, माँ के लिए प्रयुक्त होते हैं किन्तु 'सिस्टर' गिरिजाघर में 'नन' के अर्थ में और अस्पताल में 'नर्स' के अर्थ में प्रचलित है।

1. प्रत्येक समाज और समुदाय की साँस्कृतिक अस्मिता होती है जो भाषा व्यवहार को प्रभावित करती है। समुदाय विशेष की साँस्कृतिक अवधारणाएं शब्दों के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करती है। इनमें परस्पर भेद के कारण अर्थभेद भी पैदा होता है। एक समुदाय विशेष में धर्म - अधर्म, पाप - पुण्य, स्वर्ग - नरक आदि शब्दों के अर्थ से भिन्न हो सकते हैं। यह भिन्नता साँस्कृतिक अस्मिता की भिन्नता के कारण होती है।

4. भौगोलिक परिवेश - भौगोलिक परिवेश बदलने से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। वैदिक युग में 'उष्ट्र' शब्द जंगली बैल के लिए होता था। आर्य जब रेगिस्तान क्षेत्र में आये तो उन्होंने इसे 'ऊँट' कहा। इसी प्रकार अंग्रेजी के 'कार्न' का मूल अर्थ 'गल्ला' है। यही 'गल्ला' अमेरिका में 'मक्का' के लिए और स्काटलैण्ड में 'बाजरा' के लिए प्रयुक्त होता है। शायद 'गल्ला मंडी' (अनाज की मंडी) कार्न के मूल अर्थ से ही विकसित हुआ है। इसी प्रकार 'गंगा' उत्तर भारत में विशिष्ट नदी है। गुजरात में सभी नदियों के लिए 'गंगा' शब्द प्रचलित है। पूर्वी भारत में पके हुए चावल को 'भात' कहते हैं किंतु खड़ी बोली क्षेत्र में कच्चे-पके दोनों प्रकार के चावल के लिए 'चावल' ही कहते हैं। इसी प्रकार 'ठाकुर' का अर्थ उत्तर प्रदेश में क्षित्रय, बिहार में नाई और बंगाल में खाना बनाने वाले के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित विशेष व्यंजन 'कढ़ी' शब्द कुमाऊँ क्षेत्र में अशोभनीय माना जाता है। भौगोलिक परिवर्तन के ऐसे अनके उदाहरण देखे जा सकते हैं। 'पिल्ला' उत्तर भारत में कुत्ते के बच्चे को कहते हैं किन्तु दक्षिण भारत में उसका अर्थ है 'बच्चा' वह चाहें किसी का भी हो।

2. किसी विशेष क्षेत्र का सम्बंध होने के कारण भी वस्तु विशेष या उत्पादन विशेष के आधार पर उनके नये अर्थ को समाहित कर लिया जाता है। जैसे सिंधु में नमक का अधिक उत्पादन होता था। अतः उसे 'सैन्धव' कहा गया। सेंधा नमक भी 'सैंधव' से विकसित हुआ है। इसी प्रकार तम्बाकू का जहाज पहली बार 'सूरत' में उतरा। खाने वाली तम्बाकू 'सुरती' कहलायी। 'चीनी' (शक्कर) का अर्थ भी चीन से सम्बद्धता दर्शाता है। लंका से आयातित मिर्च को 'लंका' कहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो वस्तुओं के साथ क्षेत्र विशेष की सम्बद्धता दर्शाते हैं।

5. साहित्यिक कारण - इसके अन्तर्गत दो कारण हैं। लाक्षणिक प्रयोग और व्यंग्य। प्रायः साहित्यकार कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए शब्द के अर्थ की शक्ति को घटाता-बढ़ाता है। निर्जीव की विशेषता के लिए सजीव के गुण-धर्म का प्रयोग करता है। इससे उसमें अर्थ-परिवर्तन होता है। जैसे - घड़े का मुँह, नारियल की आँख, गुफा का पेट, आरी के दाँत आदि। पशु-पक्षियों के स्वभाव को मनुष्य पर आरोपित करते हुए भी उसके गुण विशेष को लक्षण द्वारा व्यंजित किया जाता है। जैसे डरपोक को गीदड़, मूर्ख को गधा, खुशामदी को कुत्ता या चमचा, और कपटी को साँप कहना। व्यंग्य में अर्थादेश की प्रवृत्ति होती है। इसमें अच्छे गुणों के व्यंग्यात्मक प्रयोग द्वारा दुर्गुण को प्रकट करते हैं। जैसे बदसूरत व्यक्ति के लिए 'कामदेव' और स्त्री के लिए 'अप्सरा' कहना। झूठे व्यक्ति के लिए 'युधिष्ठिर के अवतार' और कंजूस व्यक्ति के लिए 'कर्ण' कहना व्यंग्य के उदाहरण हैं। सूक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों की साधारण शब्दों में अभिव्यक्ति आसान नहीं होती। इसके लिए उपमा, रूपक जैसे अलंकारों या लक्षणा शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे गहरी बात, निर्जीव

भाषा, रूखी हँसी, सूखी हँसी, मधुर संगीत, दुःख काटना, सुख भोगना, विपत्तियों से घिर जाना जैसे प्रयोग देख जा सकते हैं। आलंकारिक अर्थ में कुछ प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं। जैसे - पत्थर दिल (कठोर हृदय), बेपेंदी का लोटा (जिसका कुछ निश्चय न हो), भैंस (बेवकूफ), बैल (मूर्ख) आदि। इनके कुछ अन्य उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। आलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपने अभिधात्मक अर्थ को छोड़कर गुण का अर्थ देते हैं।

अर्थ-परिवर्तन के उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं।

अर्थ-परिवर्तन की विशेषताएं - डॉ भोलानाथ तिवारी ने अर्थ-परिवर्तन की निम्नलिखित तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है -

(क) अनेकार्थक - कभी-कभी शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन होता है किन्तु शब्द अपना नवीन अर्थ ही धारण करने पर भी मूल अर्थ को नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में एक शब्द दो-दो या इससे अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे 'जड़' शब्द को लें। इसका प्रयोग वृक्ष की जड़, रोग की जड़, समस्या की जड़, झगड़े की जड़, आदि कई रूपों में देखा जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा गया है।

(ख) एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द - कभी-कभी एक ही मूल से निकले दो शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। पक्षी (चिड़िया) से निकले 'पंखी' का अर्थ हवा करने वाले पंखे से है।

(ग) समध्वनि भिन्नार्थक शब्द - इसमें ध्वनियों की दृष्टि से एक से रहने पर भी दो भाषाओं के शब्दों के अर्थ में परस्पर पर्याप्त अंतर रहता है। जैसे हिन्दी आम (फल), सहन (सहना), कुल (परिवार) के अर्थ अरबी शब्दों में क्रमशः आम (साधारण), सहन (आँगन), कुल (समस्त) हो जाते हैं।

## 4.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने भाषा में अर्थ- संरचना में अर्थ के विविध पहलुओं का अध्ययन किया। भाषा की अर्थ-संरचना का अध्ययन अर्थ विज्ञान के ही अन्तर्गत किया जाता है। शब्द में अर्थ के महत्व के सम्बंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को पढ़कर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा में शब्द के अर्थ का कितना महत्व है। भाषा विचारों या भावों की संवाहिका कही जाती है तो शब्दों में निहित अर्थ अर्थात भाव या विचार के कारण। इसीलिए शब्द यदि भाषा का शरीर रूप है तो अर्थ उसकी आत्मा। शब्द और अर्थ के अन्तर्सम्बंध के अन्तर्गत आपने इन सब तथ्यों को भली-भाँति समझा है। आप यह भी जान गए होगें कि किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान प्रत्यय या प्रतीति से होता है। अनुभव ही अर्थ-बोध के साधन हैं। अनुभव दो प्रकार के हैं - आत्म अनुभव जिनके ऐन्द्रिक और अतीन्द्रिय दो उपभेद हैं, और पर अनुभव। इसी प्रकार पाश्चात्य मत में निदेर्शन, विवरण, अनुवाद आदि को अर्थ-बोध का साधन माना गया है। आप जानते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उसमें अर्थ-परिवर्तन भी होता है। अर्थ-परिवर्तन कई रूपों में होता है किन्तु भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ-परिवर्तन की मुख्य दिशाएं अर्थ-विस्तार, अर्थ-संकोच, और अर्थादेश

मानी है जिनका विस्तार से आप अध्ययन करके समझ गए हैं। अर्थ-परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात आप यह अच्छी तरह समझ गये होगें कि अर्थ-परिवर्तन का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता बल्कि उसमें कई कारणों की एक साथ भूमिका होती है। इस तरह अर्थ-परिवर्तन के कारणों को पढ़ते समय आप इन परिवर्तनों के पीछे सक्रिय भाषा शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से भी परिचित हो गए होगें और भाषा में अर्थ-परिवर्तन के सम्बंध में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बना पाए होगें।

## 4.11 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| प्रतीति | - | बोध होना/जानना |
| निरुक्त | - | यास्क का प्राचीन ग्रंथ |
| अर्थतत्व | - | शब्द का अर्थ |
| अनुकरणात्मक | - | देखकर सीखना या ग्रहण करना |
| यादृच्छिक | - | इच्छानुसार माना हुआ |
| संकेतग्रह | - | ध्वनियों का सम्बंध स्थापन जिसके द्वारा हमारे मन-मस्तिष्क में वस्तु-विशेष का बिम्ब बनता है। |
| प्रकरण | - | संदर्भ। इसे वाक्य विशेष कहा गया है। |
| व्याख्या | - | इसे ‘विवृति’ भी कहा गया है। विस्तार से बताना। |
| उपमान | - | जिसके सादृश्य से उपमा दी जाय। |
| आप्त वाक्य | - | प्रसिद्ध वचन |
| अर्थ-विस्तार | - | शब्दों का अर्थ सीमित से विस्तृत होना। |
| अर्थ-संकोच | - | शब्द का सामान्य या विस्तृत से विशिष्ट या सीमित अर्थ होना। |
| अर्थादेश | - | शब्द के मूल अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ होना। |
| अथोपकर्ष | - | अर्थ का अच्छे संदर्भ से बुरे संदर्भ में बदल जाना। |
| अथोत्कर्ष | - | अर्थ को बुरे संदर्भ से अच्छे संदर्भ में बदल जाना। |
| लुंचन | - | बालों को हाथ से नोचकर हटाने की क्रिया लुंचन कहलाती है। जैसे जैन साधुओं में यह प्रचलित है। इसी से ‘लुच्चा’ बना है। |
| अपसरण | - | एक स्थान से दूसरे स्थान पर होना। |
| निदर्शन | - | किसी वस्तु को प्रदर्शित कर शब्दों का अर्थ-बोध कराने की पद्धति |
| अभीप्सित | - | इच्छित |
| ऐन्द्रिक | - | इंद्रियों से सम्बंधित |

## 4.12 अभ्यास प्रश्न

**लघु उत्तरी प्रश्न -**

1. अर्थ-विज्ञान क्या है ? स्पष्ट कीजिए।
2. अर्थ विस्तार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
3. अर्थ-परिवर्तन के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिए।
4. अर्थ संकोच क्या है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
5. ‘अर्थादेश’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
6. अर्थ-परिवर्तन की विशेषताएं बताइए।
7. अर्थ-परिवर्तन में भौगोलिक कारणों के उदाहरण दीजिए।

**रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -**

1. भाषा .................... ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है।
2. शब्द का अभिप्रेत ......................... है।
3. ...................... अर्थ-बोध का प्रमुख साधन है।
4. ..................... सर्वप्रथम अर्थ विज्ञान का स्वतंत्र अध्ययन करने वाले हैं।
5. ‘स्याह’ में अर्थ-परिवर्तन की दिशा ..................... भाषा वैज्ञानिक है।

**वाक्य में सही/गलत होने पर (□)का निशान लगाइए -**

1. अर्थ-परिवर्तन में अर्थ विस्तार की अपेक्षा अर्थ-संकोच अधिक होता है।
   सही/गलत
2. भाषा में शब्द साध्य हैं अर्थ साधन।
   सही/गलत
3. अतीन्द्रिय आत्मबोध का सम्बंध अन्तःकरण से है।
   सही/गलत
4. ‘कुशल’ में अर्थ-परिवर्तन की दिशा अर्थ-संकोच है।
   सही/गलत
5. मुख्य अर्थ के स्थान पर नवीन अर्थ के प्रचलित होने को ‘अर्थादेश’ कहते हैं।
   सही/गलत

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. निम्नलिखित में अर्थ बोधन का कौन-सा साधन है ?

(अ) आत्म अनुभव (ब) पर अनुभव(स) उपर्युक्त दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

2. ‘दण्ड’ शब्द में अर्थ-परिवर्तन का कौन-सी प्रवृत्ति है ?

(अ) अर्थ विस्तार (ब) अर्थ संकोच (स) अर्थादेश (द) इनमें से कोई नहीं

3. ‘अर्थादेश’ का अर्थ है।

(अ) अर्थ का विस्तृत होना (ब) अर्थ का संकुचित होना

(स) मूल अर्थ की जगह नया अर्थ आना (द) कई अर्थ एक साथ प्रचलित होना

4. निम्न में किस शब्द का अर्थ-परिवर्तन 'अर्थोत्कर्ष' की श्रेणी में आता है ?

(अ) साहस (ब) मधुर (स) गोष्ठी (द) उपर्युक्त सभी

5. 'मृग' शब्द का 'मूल' अर्थ था।

(अ) शिकार (ब) कोई भी पशु (स) शिकारी (द) हिरन

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर -

**रिक्त स्थानों की पूर्ति -**

1. यादृच्छिक 2. विचार या भाव 3. व्यवहार 4. ब्रेआल 5. अर्थविस्तार

**सही गलत वाक्य -**

1. सही 2. गलत 3. सही 4. गलत 5. सही

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न -**

1. (स) 2. (ब) 3. (स) 4. (द) 5. (ब)

## 4.13 संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल इलाहाबाद
2. डॉ भोलानाथ तिवारी, शब्दों का जीवन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
3. प्रो. रामकिशोर शर्मा, आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
4. डॉ बाबूराम सक्सेना, अर्थ विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, पटना
5. अजित वडनेरकर, शब्दों का सफर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
6. डॉ कपिल देव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

## 4.14 निबंधात्मक प्रश्न -

1. शब्द का परिचय देते हुए शब्द और अर्थ को सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए तथा अर्थ-बोधन के साधनों पर प्रकाश डालिए।

2 अर्थ-परिवर्तन की दिशाएं बताइयेएवं साथ ही अर्थ-परिवर्तन के कारणों की सोदाहरण विवेचना कीजिए।

## इकाई 5 अन्य व्याकरणिक इकाईयाँ

इकाई की रूपरेखा


5.1प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 संज्ञा

5.3.1 संज्ञा के भेद

5.3.2 लिंग

5.3.3 वचन

5.3.4 कारक ओर विभक्ति

5.3.5 संज्ञा के शुद्ध प्रयोग

5.4 सर्वनाम

5.4.1 सर्वनाम के भेद

5.4.2 सर्वनाम के शुद्ध प्रयोग

5.5 विशेषण

5.5.1 विशेषण के भेद

5.5.2 विशेषण के शुद्ध प्रयोग

5.6 क्रिया

5.6.1 क्रिया के भेद

5.6.2 काल

5.6.3 क्रिया के शुद्ध प्रयोग

5.7 अव्यय

5.7.1 अव्यय के भेद

5.7.2 अव्यय और क्रिया विशेषण

5.7.3 अव्यय के शुद्ध प्रयोग

5.8 सारांश

5.9 शब्दावली

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

5.12 निबंधात्मक प्रश्न

## 5.1 प्रस्तावना

आप जानते हैं कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष भली-भांति व्यक्त कर सकता है और दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है। इस तरह भाषा मनुष्य के विचार-विनिमय का मुख्य साधन है। कामता प्रसाद गुरू के शब्दों में कहें तो 'जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल (की भाषा) अथवा लिखा-पढ़ी (लिखित भाषा) से चलता है।' इसलिए भाषा, जगत के व्यवहार का मूल है। मनुष्य की भाषा से उसके विचार भली-भाँति प्रकट होते हैं। इसलिए कामता प्रसाद गुरू ने उसे 'व्यक्त भाषा' कहा है। व्याकरण (वि + आ + करण) शब्द का अर्थ है - भली-भाँति जानना। जिस शास्त्र में वाक्य संरचना के अन्तर्गत शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा और व्याकरण का अभिन्न सम्बंध है। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा के विकास के साथ ही उसमें भी बदलाव होता रहता है। भाषा को शिष्ट और मानक रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कामता प्रसाद गुरू ने भाषा और व्याकरण के सम्बंध की तुलना प्राकृतिक विकारों और विज्ञान के सम्बंध से की है। जिस प्रकार सृष्टि की कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। वैयाकरण भाषा के इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धान्त सुनिश्चित करते हैं।

भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों के मेल से। व्याकरण के अन्तर्गत भाषा के इन तीनों अंगों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। इस इकाई में वाक्य संरचना में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के स्वरूप और उनके भेद पर विस्तार से चर्चा की गयी है। साथ ही लिंग, वचन, कारक, अवयव आदि का भी परिचय दिया गया है जो व्याकरण के ही अंग हैं। इनसे सम्बंधित व्याकरण के नियमों के परिचय के साथ ही उनके शुद्ध-अशुद्ध प्रयोगों को भी उदाहरण द्वारा समझाया गया है जिससे आप भाषा के शुद्ध प्रयोग से भली-भाँति अवगत हो सकेगें।

## 5.2 उद्देश्य

इस इकाई में हिन्दी के व्याकरण के विविध तत्वों का विस्तार से परिचय दिया गया है। जिसके अध्ययन के बाद आप -

1. भाषा में व्याकरण की आवश्यकता और उसके महत्व को समझ सकेगें।
2. हिन्दी व्याकरण के विभिन्न तत्वों तथा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेगें।
3. साथ ही लिंग, वचन, कारक, अवयव आदि के स्वरूप और उनके प्रयोग के विविध नियमों से अवगत हो सकेगें।

## 5.3 संज्ञा (NOUN)

संज्ञा का अर्थ है। नाम। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध होता है। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में है जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं बल्कि उसके धर्मों को भी व्यक्त करता है। अतः संज्ञा के अन्तर्गत वस्तु और प्राणी के नाम के साथ ही उसके धर्म-गुण भी आते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है क्योंकि संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार अर्थात रूप परिवर्तन होता है। निम्नलिखित उदाहरणों से इसे भली-भाँति समझा जा सकता है-

लिंग के अनुसार - दादा-दादी, नायक-नायिका, मोर-मोरनी

वचन के अनुसार - लता-लताएं, पुस्तक-पुस्तकें

कारक के अनुसार- लड़की से पूछो, लड़कियों से पूछो

कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अलग-अलग संदर्भो में प्रयुक्त होने पर भी कोई रूप परिवर्तन नहीं होता किन्तु उनके अर्थ में पर्याप्त अन्तर होता है। जैसे ‘पानी’ संज्ञा शब्द के विभिन्न अर्थो को निम्नलिखित वाक्यों में देखें -

| | |
|---|---|
| मुझे ठंडा पानी पिलाओ। | उसके मुँह में पानी भर आया। |
| उसकी आँखों में जरा भी पानी नहीं है। | मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। |
| उसका चेहरा पानी-पानी हो गया। | मुझे पानी देने वाला भी न मिलेगा। |

संज्ञा के भेद - संज्ञा के पाँच भेद माने गये हैं -

1.जातिवाचक संज्ञा 2.व्यक्तिवाचक संज्ञा 3. द्रव्यवाचक संज्ञा

4. समूहवाचक संज्ञा 5. भाववाचक संज्ञा

1. जातिवाचक संज्ञा (Common Noun) - प्राणियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| मनुष्य | - | लड़का, लड़की, नर, नारी |
| पशु-पक्षी | - | गाय, बैल, बन्दर, कोयल, कौआ, तोता |
| वस्तु | - | घर, किताब, कलम, मेज, बर्तन, |
| पद-व्यवसाय | - | अध्यापक, छात्रा, लेखक, व्यापारी, नेता, अभिनेता |

2. व्यक्तिवाचक संज्ञा (Proper Noun) - किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने मूल रूप में जातिवाचक संज्ञा होती है, किन्तु जाति विशेष के प्राणी या वस्तु को जब कोई नाम दिया जाता है, तब वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में हाती हैं -

| | | |
|---|---|---|
| व्यक्तियों के नाम | - | गीता, अनिल, मंजू |
| दिन/महीनों के नाम | - | जनवरी, फरवरी, मंगलवार, रविवार |
| देशों के नाम | - | भारत, चीन, पाकिस्तान, अमरीका |
| दिशाओं के नाम | - | उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम |
| नदियों के नाम | - | गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सिंधु |

| | | |
|---|---|---|
| त्यौहार/उत्सवों के नाम | - | होली, दीवाली, ईद, बैसाखी |
| नगरों के नाम | - | दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, महात्मा गाँधी मार्ग |
| पुस्तकों के नाम | - | रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, |
| समाचार पत्रों के नाम | - | अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान |
| पर्वतों के नाम | - | हिमालय, विन्ध्याचल, शिवालिक, अलकनंदा |

3. द्रव्यवाचक संज्ञा (Material Nouns) - इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इससे उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिन्हें हम माप-तौल तो सकते हैं किन्तु गिन नहीं सकते। यह संज्ञा सामान्यतः एक वचन में होती है। इसका बहुवचन नहीं होता। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| धातु अथवा खनिज पदार्थ | - | सोना, चाँदी, कोयला |
| खाद्य पदार्थ | - | दूध, पानी, तेल, घी |

4. समूहवाचक संज्ञा (Collective Nouns) - जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| व्यक्ति समूह | - | संघ, वर्ग, दल, गिरोह, सभा |
| वस्तु-समूह | - | ढेर, गुच्छा, श्रंखला |

5. भाववाचक संज्ञा (Abstract Nouns) - व्यक्ति या वस्तु के गुण-धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता। जैसे -

| | |
|---|---|
| प्रेम, घृणा, दुःख, शांति | (मनोभाव) |
| बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी | (अवस्था) |

भाववाचक संज्ञाओं की रचना - सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनायी जाती हैं। कुछ उदाहरण देखें -

1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा

| **जातिवाचक संज्ञा** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|
| बालक | बालकपन |
| मनुष्य | मनुष्यत्व/मनुष्यता |
| देव | देवत्व |
| नारी | नारीत्व |
| **जातिवाचक संज्ञा** | **भाववाचक संज्ञा** |
| विद्वान | विद्वता |
| मित्र | मित्रता/मैत्री |
| अमीर | अमीरी |
| व्यक्ति | व्यक्तित्व |
| स्त्री | स्त्रीत्व |
| पिता | पितृत्व |

| | |
|---|---|
| मानव | मानवता |
| बच्चा | बचपन |

2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा -

| **सर्वनाम** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|
| आप | आपा |
| अपना | अपनापन/अपनत्व |
| पराया | परायापनमम |
| निज | निजता |
| स्व | स्वत्व |

3. विशेषण से भाववाचक संज्ञा -

| **विशेषण** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|
| ठंडा | ठंडाई |
| बूढ़ा | बुढापा |
| मधुर | माधुर्य/मधुरता |
| मीठा | मिठाई/मिठास |
| सुन्दर | सुन्दरता |
| तपस्वी | तप |
| भला | भलाई |
| कमजोर | कमजोरी |
| चतुर | चातुर्य/चतुराई/चतुरता |
| स्वस्थ | स्वास्थ्य |
| स्वतंत्र | स्वतंत्रता/स्वातंत्रय |
| काला | कालिया |
| कंजूस | कंजूसी |
| क्रूर | क्रूरता |
| स्वाधीन | स्वाधीनता |
| महान | महानता |

4. क्रिया से भाववाचक संज्ञा -

| **क्रिया** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|
| पढ़ना | पढ़ाई |
| रोना | रुलाई |
| धोना | धुलाई |
| हँसना | हँसी |
| चिल्लाना | चिल्लाहट |

| | |
|---|---|
| खेलना | खेल |
| घबराना | घबराहट |
| सजाना | सजावट |
| दिखाना | दिखावट |
| धिक् | धिक्कार |
| लिखना | लिखावट/लिखाई |
| बनाना | बनावट |
| कमाना | कमाई |

संज्ञा की पद व्याख्या - किसी वाक्य से संज्ञा पदों का चयन कर उनके भेद और लिंग, वचन, रूप (तिर्यक या मूल), कारक तथा कारकीय सम्बन्ध दिखलाना ही संज्ञा पद की व्याख्या करना कहलाता है।

संज्ञा पद की व्याख्या के कुछ उदाहण देखे जा सकते हैं -

1. छात्रों ने विद्यालय में सभा की।

संज्ञापद - छात्रों (ने), विद्यालय (में), सभा

छात्रों (ने) - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग बहुवचन, तिर्यक रूप, कर्ताकारक, 'ने' का सम्बंध क्रिया 'की'

विद्यालय (में) - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एकवचन, तिर्यक रूप, अधिकरण कारक

सभा - जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, मूलरूप, कर्मकारक।

2. मोहन अपने घर गया है।

संज्ञा पद - मोहन, घर

मोहन - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, मूलरूप, कर्ताकारक

घर - जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन मूलरूप

3. देवियों ! कृपया शांत रहें।

संज्ञा पद - देवियों

देवियों - जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, सम्बोधन रूप, सम्बोधन कारक

### 5.3.1 संज्ञा के शुद्ध प्रयोग सम्बन्धी विशेष नियम

**1. समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सम्बन्ध -** सभी समूहवाचक संज्ञाएं प्रत्येक जातिवाचक संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त नहीं होती। दोनों में विशिष्ट सम्बन्ध होता है जिनके आधार पर उनका परस्पर प्रयोग सुनिश्चित होता है, जैसे -

अशुद्ध प्रयोग -

1. नेताओं का गिरोह प्रधानमंत्री से मिला।
2. अंगूरों का ढेर कितना ताजा है।
3. डाकुओं के शिष्टमंडल ने आत्मसमर्पण कर दिया।

4. लताओं का झुंड बहुत सुन्दर है।

इन वाक्यों में नेताओं, अंगूरों, डाकुओं और लताओं के लिए क्रमशः गिरोह, ढेर, शिष्टमंडल और झुंड का प्रयोग अशुद्ध है।

अतः अशुद्ध प्रयोग से बचने के लिए समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के निम्नलिखित सम्बन्ध को ध्यान रखें -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रृंखला | - | पर्वतों की (अब मानव श्रृंखला भी बनने लगी है) |
| 2. | जत्था | - | सैनिक, स्वयंसेवकों का |
| 3. | मण्डल | - | नक्षत्रों, व्यक्तियों का |
| 4. | गिरोह | - | चोर, डाकुओं, लुटेरों, पाकिटमारों का |
| 5. | काफिला/कारवाँ | - | ऊँटों, यात्रियों का |
| 6. | ढेर | - | अनाज, फल, तरकारी का |
| 7. | मण्डली | - | गायकों, विद्वानों, मूर्खों की |
| 8. | संघ | - | कर्मचारी, मजदूर, राज्यों का |
| 9. | झुण्ड | - | भेड़ों या बिना सोचे समझे काम करने वालों का |
| 10. | शिष्टमंडल | - | अच्छे उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का |

**2. द्रव्यवाचक संज्ञाओं का वचन -** द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ यदि मात्रावाचक विशेषण का प्रयोग हो तो वे एकवचन में प्रयुक्त होती है, जैसे इन वाक्यों को देखें -

1. मुझे दो किलो मिठाइयाँ चाहिए।
2. उसने पाँच टन कोयले खरीदे।

इन वाक्यों में मिठाइयाँ और कोयले का प्रयोग अशुद्ध है क्योंकि उनके साथ मात्रावाचक शब्दों ‘दो किलो’ और ‘पाँच टन’ का प्रयोग हुआ

इसके साथ ही खाने-पीने के अर्थ में भी द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में ही करना चाहिए, जैसे -

1. मुझे पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती।
2. तेल की बनी मिठाइयाँ अच्छी नहीं होती।
3. आज मैने रोटियाँ और मछलियाँ खायीं।

इन वाक्यों में पूड़ियाँ, मिठाइयाँ, रोटियाँ और मछलियाँ का अशुद्ध प्रयोग है। इसके स्थान पर पूड़ी, मिठाई, रोटी और मछली का प्रयोग शुद्ध होगा।

**3. भाववाचक संज्ञाओं का वचन -** प्रायः भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, जैसे -

1. बच्चों की चंचलताएं मन को मोह लेती हैं।
2. भारत-पाक के बीच शत्रुताएं अधिक हैं, मित्रताएं कम।

3. इन कमरों की लम्बाईयाँ-चौड़ाईयाँ क्या हैं ?
4. मरीज कमजोरियों के कारण चल-फिर नहीं सकता।
5. तुमने मेरे साथ बहुत भलाईयाँ की हैं।

इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं - चंचलताएं, शत्रुताएं, मित्रताएं, लम्बाईयाँ-चौड़ाईयाँ, कमजोरियाँ और भलाईयाँ का बहुवचन में अशुद्ध प्रयोग है। इनके स्थान पर इनका प्रयोग एकवचन में ही होना चाहिए ।अपवादस्वरूप भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन प्रयोग वहाँ उचित होता है जहाँ विविधता का बोध होता है। ऐसे स्थलों पर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

1. मनुष्य में बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं।
2. 'कामायनी' की अनेक विशेषताएं हैं।

**4. आदरसूचक संज्ञा के लिए बहुवचन का प्रयोग -** व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं के साथ एकवचन होने पर भी आदर का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

1. तुलसीदास समन्वयकारी कवि थे।
2. आप आजकल क्या कर रहे हैं ?
3. प्रधानमंत्री आज नहीं आयेंगे।
4. पिताजी अभी लखनऊ से नहीं लौटे हैं।
5. माँजी! आप क्या सोच रही हैं।
6. आपके दर्शन के लिए रुका था

**5. पुल्लिंग बहुवचन की जातिवाचक संज्ञाएं -** कुछ जातिवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में प्रयोग की जाती हैं। जैसे - प्राण, आँसू, अक्षत, ओठ आदि एकवचन में होते हुए भी बहुवचन में प्रयुक्त किये जाते हैं। इन वाक्यों को देखें -

1. रोगी के प्राण निकल चुके थे।
2. शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं।
3. मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे।
4. बारातियों पर अक्षत बरसाए गए।

आपने संज्ञा के विविध भेदों का उदाहरण सहित परिचय प्राप्त किया। साथ ही संज्ञा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाय, इससे सम्बंधित नियमों से भी अवगत हुए। आगे हम संज्ञा से सम्बद्ध लिंग, वचन, कारक और उसकी विभक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेगें।

**अभ्यास प्रश्न -1.** निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छाँटकर उनके भेद के समक्ष लिखिए -

गंगा सोना-चाँदी अध्यापक सभा पौरुष
कोयल रामायण गुच्छा बुढ़ापा भारत
कोयला मिठास व्यापारी तेल गिरोह
जातिवाचक संज्ञा -

व्यक्तिवाचक संज्ञा-
द्रव्यवाचक संज्ञा -
समूहवाचक संज्ञा -
भाववाचक संज्ञा -

**अभ्यास प्रश्न -2.** निम्नलिखित शब्दों के आगे उनकी भाववाचक संज्ञा लिखिए -

| | | | |
|---|---|---|---|
| विद्वान | .................. | स्वस्थ | ........................ |
| पराया | .................. | मधुर | ........................ |
| कंजूस | .................. | वकील | ........................ |
| दुश्मन | .................. | पंडित | ........................ |
| सुन्दर | .................. | भला | ........................ |

### 5.3.2 लिंग (Gender)

लिंग का अर्थ होता है चिह्न। संज्ञा के जिस रूप में किसी प्राणी या वस्तु की स्त्री अथवा पुरुषजाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिन्दी में लिंग का विचार संज्ञा (लड़का-लड़की), विशेषण (अच्छा-अच्छी), सम्बन्धकारक (का, की), कृदन्त (चला-चली), सहायक क्रिया (था, थी) तथा क्रिया विशेषण (बड़ा-बड़ी) में होता है। हिन्दी में दो लिंग माने गये हैं - पुल्लिंग (Masculine Gender) और स्त्रीलिंग (Feminine Gender)। इसलिए सभी प्राणवाचक और वस्तुवाचक (अप्राणवाचक) संज्ञाएं भी दो प्रकार की ही होती हैं - पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग।

**पुल्लिंग प्राणिवाचक संज्ञाएं -**

पिता पुत्र चाचा नाना मौसा दादा लड़का राजा काका
बाबा पुरुष पति ससुर समधी गायक नेता अभिनेता साधु

**स्त्रीलिंग प्राणिवाचक संज्ञाएं –**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| माता | पुत्री | चाची | नानी | मौसी |
| दादी | लड़की | रानी | राजकुमारी | काकी |
| स्त्री | पत्नी | सास | गायिका | नायिका |
| जीजी | देवी | अबला | मामी | भाभी |
| साली | औरत | गाय | साध्वी | घोड़ी |
| बाघिन | कोयल | बिल्ली | बकरी | बहू |
| वेश्या | तितली | सर्पिणी | चिड़िया | कुतिया |
| अभिनेत्री | | | | |

लिंग सम्बंधी विशेष नियम - 1. द्वन्द्वसमास वाली प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं और तत्पुरुष समास वाली संज्ञाओं का लिंग अन्तिम संज्ञापद के अनुसार होता है। जैसै -
द्वन्द्व समास पुल्लिंग - नर-नारी, भाई-बहन, राजा-रानी, गाय-बैल

तत्पुरुष समास पुल्लिंग - राजकुमार, सेनापति, राष्ट्रगीत, राजीभवन, रसोईघर, राजमार्ग, ऋतुराज, विद्यालय, प्रतीक्षालय, बिजलीघर

तत्पुरुष समास स्त्रीलिंग - राजकुमारी, राजमाता, लोकसभा, विधानसभा, धर्मशाला, देशभक्ति, हथकड़ी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यसभा, रामकहानी, रेतघड़ी, शब्दशक्ति, पर्वतमाला

2. पशु-पक्षी, कीड़े आदि जातियों का बोध कराने वाली कुछ संज्ञाएं या तो केवल पुल्लिंग या स्त्रीतिंग होती है। जैसे - पुल्लिंग - खटमल, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, गैंडा, कौआ, चीता

स्त्रीलिंग - मछली, चिड़िया, मैना, गिलहरी, चील, तितली, मक्खी, कोयल, बुलबुल, लोमड़ी, जोंक,

3. उपयुक्त पुल्लिंग संज्ञाओं से स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए संज्ञा के पूर्व 'मादा' शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे - मादा पक्षी, मादा खटमल, मादा कीड़ा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग संज्ञाओं से पुल्लिंग का बोध कराने के लिए संज्ञा के पूर्व 'नर' शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे - नर मक्खी, नर चील, नर मछली।

4. समूहवाची संज्ञा का लिंग उनके प्रयोग पर आधारित होता है, जैसे -

पुल्लिंग - परिवार, कुटुम्ब, दल, कुंज, गुच्छा, गिरोह, झुण्ड

स्त्रीलिंग - सभा, मंडली, फौज, भीड़, सेना, टोली

अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग - अनेक विद्वानों ने अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग- निर्णय उनके रूप (एकवचन, बहुवचन) के अनुसार किया है। अतः रूप के अनुसार अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग-निर्णय

निम्नलिखित रूपों मे किया जा सकता है -

1. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर 'आ' का 'ए' हो जाता है, वे पुल्लिंग और जिनका 'आ' का 'ए' नहीं होता अर्थात 'आ' का 'आ' ही रहता है, वे स्त्रीलिंग होती हैं -

| **एकवचन पुल्लिंग** | **बहुवचन** | **एकवचन** | **स्त्रीलिंग बहुवचन** |
|---|---|---|---|
| मेला | मेले | कृपा | कृपा |
| पहिया | पहिये | लज्जा | लज्जा |
| चना | चने | याचना | याचना |
| चरखा | चरखे | भिक्षा | भिक्षा |
| बुढ़ापा | बुढ़ापे | निराशा | निराशा |

2. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर 'आ' का 'आए' अथवा 'आ' का 'एँ' हो जाता है, वे स्त्रीलिंग होती है -

| **एकवचन** | **बहुवचन** | **एकवचन** | **बहुवचन** |
|---|---|---|---|
| दिशा | दिशाएँ | कथा | कथाएँ |
| लता | लताएँ | कामना | कामनाएँ |
| सूचना | सूचनाएँ | हवा | हवाएँ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| शाखा | शाखाएँ | आलोचना | आलोचनाएँ |
| घटना | घटनाएँ | कविता | कविताएँ |
| परीक्षा | परीक्षाएँ | उपमा | उपमाएँ |
| दवा | दवाएँ | टीका | टीकाएँ |
| भाषा | भाषाएँ | मंजिल | मंजिलें |

3. जिन अप्राणिवाचक संज्ञाओं का रूप एकवचन और बहुवचन में एक समान रहता है अर्थात उनमे परिवर्तन नहीं होता, वे पुल्लिंग होती हैं। जैसे -

| | | | |
|---|---|---|---|
| कल | तेल | खेल | नाच |
| दाँत | भवन | जल | मकान |
| दस्तखत | नमक | गुलाब | क्रोध |
| प्रेम | प्राण | दर्शन | आँसू |
| गाल | सामान | अनाज | बाजार |
| बाल | आनन्द | शरीर | वचन |

इसी प्रकार कुछ द्रव्यवाचक तथा जातिवाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती हैं जिनका रूप दोनों वचनों में एक समान रहता है, जैसे - दही, मोती, पानी, पक्षी, घी आदि।

**अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय -** ऐसे अनेकार्थी संज्ञा शब्द जो एक अर्थ में पुल्लिंग और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका लिंग निर्धारण संदर्भ पर निर्भर करता है। ऐसे अनेकार्थी शब्दों को कुछ विद्वानों ने 'उभयलिंगी' कहा है किन्तु हिन्दी व्याकरण में ऐसा कोई लिंग-भेद नहीं है। अतः इन्हें उभयलिंग नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं -

| **संज्ञाशब्द** | **लिंग** | **अर्थ** | **वाक्य प्रयोग** |
|---|---|---|---|
| कल | पुल्लिंग | आगामी दिन | तुम्हारा कल कब आएगा ? |
| | स्त्रीलिंग | चैन | रोगी को अभी चैन की पड़ी है। |
| हार | पुल्लिंग | माला | यह फूलों का हार है। |
| | स्त्रीलिंग | पराजय | हमारी हार हो गई। |
| टीका | पुल्लिंग | तिलक | पूजा पर सबने टीका लगाया। |
| | स्त्रीलिंग | टिप्पणी | सतसई की अनेक टीकाएं हैं। |

कुछ संज्ञा शब्द (पद या व्यवसाय से सम्बद्ध) ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से होता है, जैसे -

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मित्र | विद्यार्थी | मंत्री | कुलपति | राष्ट्रपति | वकील | प्रधानमंत्री |
| दोस्त | प्रोफेसर | जज | प्रवक्ता | सचिव | रीडर | एडवोकेट |

यद्यपि इस प्रकार के शब्दों के स्त्रीलिंग भी काफी प्रचलित हो गये हैं। जैसे - प्राचार्य - प्राचार्या, अध्यापक - अध्यापिका, लेखक - लेखिका, शिक्षक - शिक्षका, छात्र - छात्रा, कवि - कवियत्री

आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनायें - पुल्लिंग से स्त्रीलिंग संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग परम्परा से होता आया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं -

1. अकारान्त या आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा में 'ई' प्रत्यय लगाकर -

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| पुत्र | पुत्री | गरम | गरमी |
| दास | दासी | चालाक | चालाकी |
| मामा | मामी | बीमार | बीमारी |
| घोड़ा | घोड़ी | अच्छा | अच्छी |
| बकरा | बकरी | नौकर | नौकरी |

2. अकारान्त या आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा में 'इया/आई/इमा' प्रत्यय लगाकर -

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| बेटा | बिटिया | बुरा | बुराई |
| खाट | खटिया | लम्बा | लम्बाई |
| कुत्ता | कुतिया | कठिन | कठिनाई |

3. वर्ग, जाति और व्यवसाय का बोध कराने वाले शब्दों में इन/आइन/आनी, अनी प्रत्यय लगाकर -

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| सुनार | सुनारिन | लाला | ललाइन |
| लुहार | लुहारिन | मुंशी | मुंशीआइन |
| वकील | वकीलिन | मास्टर | मास्टरनी |
| नाई | नाइन | डाक्टर | डाक्टरनी |

4. धातु में क/त/ती/इ/आई/आस/आवट/आहट प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं -

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| बैठना | बैठक | धोना | धुलाई |
| रँगना | रँगत | बोना | बुवाई |
| बचाना | बचत | आना | आहट |
| गिनना | गिनती | घबराना | घबराहट |

5. कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं से पुल्लिंग संज्ञाएं भी बनती हैं जैसे - भैंस-भैंसा, ननद-नन्दोई, बहन-बहनोई, जीजी-जीजा आदि।

6. कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न (स्वतंत्र) होते हैं। जैसे - पिता-माता, भाई-बहन, विधुर -विधवा, बैल-गाय, फूफा-बुआ, बाप-माँ आदि।

**अभ्यास प्रश्न - 3.** नीचे लिखे शब्दों को छाँटकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शीर्षक के समक्ष लिखिए -

अकाल, अदालत, अवस्था, योजना, चमत्कार, गुलाब, अंतरिक्ष, मुद्रा, गुफा, कर्म।

पुल्लिंग -
स्त्रीलिंग -

**अभ्यास प्रश्न - 4.** निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग लिखिए -

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| विधुर | ................. | विद्वान | ................. |
| ठाकुर | ................. | खिलाड़ी | ................. |
| कवि | ................. | चंचल | ................. |
| माली | ................. | वर | ................. |
| जेठ | ................. | इन्द्र | ................. |

### 5.3.2 वचन (Number)

हिन्दी में अंग्रजी की तरह दो वचन हैं - एकवचन (Singular Number) और बहुवचन (Plural Number)। एकवचन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है और बहुवचन से एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जैसे -

एकवचन - घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चा खेल रहा है।
बहुवचन - घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं।

इन उदाहरणों में आपने देखा कि एकवचन से बहुवचन बनाने पर संज्ञा शब्द 'घोड़ा' और 'बच्चा' का रूपान्तरण होकर 'घोड़े' और 'बच्चे' हो गया है। संज्ञा शब्दों के वचन रूपान्तरण के साथ ही सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में भी रूपान्तरण हो जाता है।

एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम - एकवचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं -

1. आकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओं को एकारान्त कर देने पर बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - कपड़ा, बच्चा, ताजा
बहुवचन - कपड़े, बच्चे, ताजे

इस नियम का अपवाद भी है। कुछ अकारान्त पुल्लिंग संज्ञा शब्द बहुवचन में भी एक-से रहते हैं। ये संज्ञा शब्द प्रायः सम्बंध वाचक हैं। जैसे - मामा, चाचा, दादा, नाना, योद्धा, पिता आदि बहुवचन में भी एक से रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन बनाने पर नहीं बदलते। जैसे -

एकवचन - पेड़ पर उल्लू बैठा है। वह बड़ा दयालु है।
बहुवचन - पेड़ पर उल्लू बैठे हैं। वे बड़े दयालु हैं।

2. अकारान्त और आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में 'एँ' लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - कथा, कामना, गाय, सड़क, रात, लता, बहन
बहुवचन - कथाएँ, कामनाएं, गायें, सड़कें, रातें, लताएँ, बहनें

3. इकारान्त या ईकारान्त संज्ञा शब्दों के 'इ' या 'ई' को 'इयाँ' करने पर बहुवचन बनता है। देखें -

एकवचन - कुर्सी, नीति, नारी, तिथि, बकरी, रीति

बहुवचन - कुर्सियाँ, नीतियाँ, नारियाँ, तिथियाँ, बकरियाँ, रीतियाँ

4. जिन स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में अन्त में 'या' आता है, तो 'या' के ऊपर चन्द्रबिन्दु लगाने पर बहुवचन बनता है। जैसे -

एकवचन - डिबिया, गुड़िया, चिड़िया, खटिया

बहुवचन - डिबियाँ, गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, खटियाँ

5. उकारान्त या ऊकारान्त संज्ञा शब्दों में भी 'एँ' लगाकर बहुवचन बनता है किन्तु यदि शब्द का अन्तिम स्वर 'ऊ' हुआ तो उसे ह्रस्व 'उ' करना पड़ता है। जैसे - वस्तु का बहुवचन वस्तुएँ होगा किन्तु 'बहू' के अन्तिम 'ऊ' स्वर को ह्यस्व कर 'बहुएँ' बहुवचन बनेगा।

6. संज्ञा शब्दों (पुल्लिंग या स्त्रीलिंग) के साथ लोग जन, वृन्द, गण आदि लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे -

एकवचन - पाठक, आर्य, भक्त, गुरु, मुनि

बहुवचन - पाठकगण, आर्य लोग, भक्तजन, गुरुजन, मुनिवृन्द

7. शब्दों की पुनुरुक्ति द्वारा भी बहुवचन का बोध होता है। इन वाक्यों को देखें -

मैंने घर का कोना-कोना देख डाला।

बारात में कौन-कौन आया था।

वह वोट माँगने गाँव-गाँव गया।

यहाँ से जो-जो गया, वापस नहीं आया।

आपने एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम देखे। इन नियमों के अपवाद भी हैं। अनेक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता अथवा जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वाक्य रचना के संदर्भ में इन अपवादों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

1. आदर सूचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे - प्रधानमंत्री कल नैनीताल आयेगें। पिताजी अभी तक नहीं आये। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री और पिताजी आदरणीय व्यक्ति हैं। अतः इनके लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है।

2. 'प्रत्येक' 'हरएक' का प्रयोग सदा एकवचन मे होता है। जैसे - प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हर एक वृक्ष फलदायी नहीं होता।

3. भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। इनका बहुवचन नहीं होता। किन्तु जहाँ उनके साथ संख्या का बोध हो, वहाँ वे बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। इन वाक्यों को ध्यान से देखें -

उसकी सज्जनता प्रशंसनीय है। इस व्यक्ति में अनेक खूबियाँ हैं।

4. द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द भी एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे - हीरा, सोना, चाँदी, धन, तेल, लोहा आदि।

5. प्राण, दर्शन, आँसू, दाम, ओठ, हस्ताक्षर, अक्षत आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इन वाक्यों को देखें -

| | |
|---|---|
| उसके प्राण निकल गये। | मेरा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए। |
| मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। | उसकी आँखों मे आँसू आ गए। |
| लड़की के ओठ सूखे थे। | इस कमीज के क्या दाम हैं। |

6. भीड़, जनता, प्रजा जैसे बहुवचन बोधक संज्ञा शब्द एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे -

| | |
|---|---|
| वहाँ बहुत भीड़ थी। | जनता में गहरा आक्रोश था। |

**अभ्यास प्रश्न -5.** निम्नलिखित एकवचन शब्दों के आगे उनका बहुवचन लिखिए -

| **एकवचन** | **बहुवचन** | **एकवचन** | **बहुवचन** |
|---|---|---|---|
| आदत | .............. | बच्चा | ................ |
| रात | .............. | गली | ................ |
| लता | .............. | घर | ................ |
| पाठक | .............. | आप | ................ |
| नीति | .............. | तिथि | ................ |

### 5.3.3 कारक (Case) और विभक्ति / परसर्ग (Pre-Position)

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) क्रिया से सम्बंध व्यक्त हो, उसे 'कारक' कहते हैं। स्पष्ट है कि कारक का मुख्य कार्य वाक्य के अन्य शब्दों - संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से सम्बंध को सूचित करना है। जैसे - 'राम रावण बाण मार दिया।' इस वाक्य को पढ़कर कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि राम, रावण, बाण का क्रिया 'मार दिया' से कोई सम्बंध ही नही सूचित होता। अब इस वाक्य को इस रूप में पढ़े - 'राम ने रावण को बाण से मार दिया।' इसमें - ने, को, से वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है और संज्ञा राम, रावण, बाण का क्रिया 'मार दिया' से सम्बंध भी सूचित होता है। अतः वाक्य रचना में कारक और विभक्ति (कारक चिह्न) का महत्व स्पष्ट है। संस्कृत में कारकीय रूपों की रचना के लिए जो सम्बंध तत्व जोड़े जाते थे, विभक्ति कहलाते थे। हिन्दी में इन्हें विभक्ति के साथ ही कारक-चिह्न या परसर्ग कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने विभक्ति के स्थान पर 'कारक चिह्न' कहना अधिक उपयुक्त माना है।

कारक के भेद - हिन्दी में आठ कारक हैं। इन कारकों को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिह्न लगाये जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति को कुछ विद्वानों ने परसर्ग भी कहा है। अन्ततः विभक्ति, परसर्ग, कारक चिह्न - तीनों एक ही हैं। यहाँ हमने कारक चिह्नों के लिए परम्परा से प्रसिद्ध विभक्ति शब्द का ही प्रयोग किया है। कारक और उसकी विभक्तियाँ इस प्रकार हैं -

| **कारक** | **विभक्ति** |
|---|---|
| 1. कर्ता (Nominative) | ने |
| 2. कर्म (Objective) | को |
| 3. करण (Instrumental) | से |

| | |
|---|---|
| 4. सम्प्रदान (DativeDative) | को, के, लिए |
| 5. अपादान (Nominative) | से |
| 6. सम्बंध (Genative) | की, को, के, रा, रे, री |
| 7. अधिकरण (Locative) | में, पर |
| 8. सम्बोधन (Addressive) | हे, अहो, अरे, अजी |

**विभक्ति की विशेषता -** हिन्दी में विभक्ति दो प्रकार की होती हैं - संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं अर्थात वे सर्वनाम के साथ मिली हुई होती हैं। जैसे - तुम्हें, इन्हें, तुमको, इनको, में 'को' और तुम्हारा, आपका में 'का' विभक्ति संश्लिष्ट है।

1.संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं अर्थात वे संज्ञा से अलग होती हैं। जैसे - राम को, सीता ने, रावण का, मेज पर, घर में आदि।

2. विभक्तियों का प्रयोग मूलतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है।

3. विभक्तियों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इनका कार्य शब्दों का परस्पर सम्बंध दिखाना होता है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर ही विभक्तियाँ सार्थक होती हैं।

यहाँ हम कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग के बारे में उदाहरण सहित चर्चा करेंगे।

**कर्ताकारक** - कर्ता (शब्द) वह है जिससे क्रिया या कार्य करने का बोध हो। इसकी विभक्ति 'ने' है। जैसे - श्याम ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में कर्ता कारक 'श्याम' है जो संज्ञा शब्द है। 'ने' विभक्ति संज्ञा श्याम, पुस्तक, का सम्बंध क्रिया 'पढ़ी' से सूचित करती है।

कर्मकारक - क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति 'को' है। प्रायः बुलाना, सुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ 'को' विभक्ति लगती है। इन वाक्यों पर ध्यान दें -

| | |
|---|---|
| माँ ने बच्चे को सुलाया। | शेर बकरी को खा गया। |
| लोगों ने चोर को मारा। | बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। |

किन्तु निम्नलिखित वाक्यों में 'को' का प्रयोग अशुद्ध है -

राम ने रोटी को खाया।(रोटी खायी)

उसने पगड़ी को पहना।(पगड़ी पहनी)

**करणकारक -** इसमें क्रिया/ कार्य में सहायक हाने वाले साधन को बोध होता है। इसकी विभक्ति 'से' है। 'से' के अतिरिक्त 'के द्वारा', 'जरिये', 'के साथ', 'के बिना' भी साधन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन वाक्यों में करणकारक विभक्ति को देखें -

| | |
|---|---|
| मुझसे ये काम नहीं होगा। | सिपाही ने लाठी से चोर को मारा। |
| आपके जरिये यह काम हो सका। | मेरे द्वारा नींव रखी गयी। |

'से' करण और अपादान दोनों कारकों की विभक्ति है किन्तु करणकारक में 'से' साधन का बोध करता है तो अपादान मे अलगाव का। इन वाक्यों से इस अन्तर को स्पष्ट किया जा सकता है।

| | |
|---|---|
| वह साइकिल से बाजार गया। | (करण कारक) |
| पेड़ से फल गिरा। | (अपादान कारक) |

**सम्प्रदान कारक** - जिसके लिए कुछ किया जाय अथवा जिसको कुछ दिया जाय - इसका बोध कराने वाले वाक्य सम्प्रदान कारक के होते हैं। इसकी विभक्ति को, के लिए है। इसके अतिरिक्त 'के हित', 'के वास्ते', 'के निमित्त' आदि प्रत्यय भी सम्प्रदान कारक के अन्तर्गत आते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त सम्प्रदान कारक विभक्ति चिह्नों पर ध्यान दें -

| | |
|---|---|
| पिता ने बेटे को रुपये दिऐ। | उसने छात्रों को मिठाई खिलाई। |
| गुरू ही शिष्य को ज्ञान देता है। | उसने मेरे लिए अंगूठी खरीदी। |
| भगत सिंह देश के हित शहीद हुए। | माँ बेटे के लिए कपड़े लाई। |

**अपादान कारक** - इसमें संज्ञा से किसी वस्तु का अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है। इसकी विभक्ति 'से' किसी वस्तु के अलग होने का बोध कराती है। जैसे -

| | |
|---|---|
| पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। | नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं। |
| वह मुझसे योग्य नहीं है। | बंदर छत से कूद पड़ा। |

**सम्बन्ध कारक** - जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बंध को बोध होता है। इसकी विभक्ति 'का' है जो वचन-लिंग के अनुसार 'के' और 'की' रूप में प्रयुक्त होती है। कभी-कभी सम्बंधकारक 'वाला' प्रत्यय भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें -

| | |
|---|---|
| उसका पुत्र मेधावी है। | प्रेमचन्द के उपन्यास अच्छे हैं। |
| रावण ने विभीषण के लात मारी। | श्याम की गणित तेज है। |
| मुझे चाँदी वाली पेन दो। | मेरे घर आना। |

**अधिकरण कारक** - इसमें क्रिया के आधार का बोध होता है। इसकी विभक्ति 'में', 'पर' है। इन वाक्यों से समझे -

| | |
|---|---|
| पेड़ पर बन्दर बैठा है। | तुम्हारी पुस्तक मेज पर है। |
| आजकल वह घर पर ही है। | घड़े में पानी नहीं है। |

**सम्बोधन कारक** - इसमें सम्बोधन अर्थात किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव व्यक्त होता है।

इसकी कोई विभक्ति नहीं होती बल्कि अजी, अरे, अहो प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे -

| | |
|---|---|
| अजी सुनते हो। | हे भगवान ! मेरे बेटे की रक्षा करो। |
| अरे ! तुम कहाँ जा रहे हो? | ए लड़के! इधर आओ। |

भोलानाथ तिवारी ने कुछ अन्य शब्दों की भी सूची दी है जो कारक चिह्न न होते हुए भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| अंदर | - | घर के अंदर कौन है? मेरे अंदर कोई चोर नहीं है। |
| आगे | - | एक तमाशा मेरे आगे। |
| ओर | - | अपनी ओर से मैंने कुछ नहीं कहा। |
| खातिर | - | मेरी खातिर, ये काम करो। |
| नीचे | - | अंगूठी मेज के नीचे पड़ी थी। |
| पास | - | उसके पास कुछ नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| पीछे | - | घर के पीछे सुन्दर बगीचा है। |
| बाहर | - | कमरे के बाहर कितना गंदा है। |
| बीच | - | घर के बीच पूजा घर है। |
| भीतर | - | घर के भीतर बिल्कुल अंधेरा था। |
| मारे | - | चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। |
| वास्ते | - | खुदा के वास्ते, मुझ पर रहम करो। |
| साथ | - | तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। |

**अभ्यास प्रश्न -6.** निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनके कारक बताइए -

पेड़ पर चिड़िया बैठी है।

..............................................

गुरू शिष्य को ज्ञान देता है।

..............................................

प्रेमचंद की कहानियाँ श्रेष्ठ हैं।

..............................................

## 5.4 सर्वनाम (Pronoun)

सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। दूसरे शब्दों में, सर्व (सब) नामों (संज्ञाओं) के बदले जो शब्द प्रयोग में आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे - मैं, तू, यह, वह। कामताप्रसाद गुरू के अनुसार, 'सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणता है जो संज्ञा में नहीं पायी जाती। संज्ञा में सदैव उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह (संज्ञा) नाम है परन्तु सर्वनाम से पूर्वापर सम्बंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। 'लड़का' संज्ञा से 'लड़के' का ही बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं हो सकता किन्तु 'वह' कहने से पूर्वापर सम्बंध 'वह' लड़का, घर, सड़क आदि किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है।'

### 5.4.1 सर्वनाम के भेद

हिन्दी में कुल 11 सर्वनाम हैं - मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों में छह भेद हैं -

1. पुरुषवाचक 2. निजवाचक 3. निश्चयवाचक
4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 5. सम्बंधवाचक सर्वनाम 6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

**क. पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)** - पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले आते हैं। इसकी तीन कोटियाँ हैं - प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता

आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| उत्तम/प्रथम पुरुष | - | मैं, हम |
| मध्यम पुरुष | - | तू, तुम, आप |
| अन्य पुरुष | - | वह, वे, यह, ये |

**ख. निजवाचक सर्वनाम (Reflective Pronoun)** - निजवाचक सर्वनाम का रूप 'आप' है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 'आप' है किन्तु दोनों के अर्थ और प्रयोग में अन्तर है। पुरुषवाचक 'आप' बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे - आप आए, हमारा सौभाग्य है। किन्तु निजवाचक 'आप' से 'स्वयं' या 'निजता' का बोध होता है। जैसे - आप भला तो जग भला। यह काम आप ही हो गया।

निजवाचक सर्वनाम 'आप' का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है -

1. 'आप' के साथ 'ही' जोड़कर - मैं तो आप ही आ रहा था।
2. 'आप' के साथ 'अपने' जोड़कर - कोई अपने-आप नहीं सुधरता।
3. सर्वसाधारण के रूप में - अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए।
4. 'आप' के साथ 'स्वयं' 'स्वतः' या 'खुद' जोड़कर -आप स्वयं समझ जायेंगे।
   आप खुद आकर देख लीजिए।
5. 'आप' के साथ 'आप से आप' जोड़कर - मेरा हृदय आप से आप उमड़ पड़ा।

**ग. निश्चयवाचक सर्वनाम (Definite Pronoun)** - जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे - यह, वह, ये, वो। इनके प्रयोग के कुछ उदाहरण दृष्ट्व्य हैं -

| | |
|---|---|
| यह किसका कोट है ? | (निकट की वस्तु के लिए) |
| वह कौन रो रहा है ? | (दूर की वस्तु के लिए) |

**घ. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun)** - जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न हो, उसे अनिश्चियवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम केवल दो हैं - 'कोई' और 'कुछ'। 'कोई' पुरुष के लिए और 'कुछ' पदार्थ या उसके गुण धर्म के लिए आता है। 'कोई' का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों में होता है लेकिन 'कुछ' का प्रयोग एकवचन में होता है। नीचे दिए गए उदाहरणों में इसके प्रयोग के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है -

| | |
|---|---|
| 1. देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है। | 7. दाल में कुछ मिला है। |
| 2. आज कोई न कोई अवश्य आयेगा। | 8. तुमने कुछ न कुछ तो किया होगा। |
| 3. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। | 9. एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ। |
| 4. कोई दूसरा होता तो मैं देख लेता। | 10. मैं समझता सब कुछ हूँ। |
| 5. कोई एक ने यह बात कही थी। | 11. मेरा हाल कुछ न पूछो। |
| 6. यह काम हर कोई नहीं कर सकता। | 12. खीर कुछ फीकी है। |

**ड. सम्बंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun)** - जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से सम्बंध का बोध हो उसे सम्बंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे - जो,सो। 'जो'के साथ 'वह' या 'सो' का प्रयोग प्रायः होता है। कुछ उदाहरणों से सम्बंधवाचक सर्वनाम के प्रयोग के विभिन्न रूपों को समझा जा सकता है -

1. जो बोले सो निहाल
2. क्या हुआ जो इस बार हार गये।
3. किसी में इतना साहस नहीं जो उसका साहस करे।
4. वह कौन-सा काम है जो तुम नहीं कर सकते।

**च. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Introgative Pronoun) -** प्राणी या वस्तु के संदर्भ में प्रश्न करने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये दो हैं - कौन और क्या। 'कौन' व्यक्तियों के लिए और 'क्या' वस्तु या उसके गुण धर्म के लिए प्रयुक्त होता है। इन उदाहरणों में 'कौन' और 'क्या' के प्रयोग के विभिन्न रूपों पर ध्यान दें -

1.दरवाजे पर कौन खड़ा है।
2. बारात में कौन-कौन आया था।
3. मुझे रोकने वाले तुम कौन हो।
4. इसमें नाराज होने वाली कौन-सी बात है ?
5. मैं किस-किस से पूछूँ ?
6. क्या गाड़ी चली गयी ?
7. मोहन वहाँ क्या कर रहा है ?
8. देखते-देखते क्या से क्या हो गया ?
9. आदमी क्या है, राक्षस है।
10. मैं तुम्हें क्या-क्या बताऊँ ?

### 5.4.2 सर्वनाम प्रयोग के प्रमुख नियम

1. सर्वनाम विकारी शब्द है क्योंकि इसमें पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से रूपान्तरण होता है। जैसे - वह (एकवचन), वे (बहुवचन)। सर्वनाम में लिंग-भेद के कारण रूपान्तरण नहीं होता। जैसे - वह खाता है। (पुल्लिंग), वह खाती है। (स्त्रीलिंग)

2. सर्वनाम में केवल सात कारक होते हैं। सम्बोधन कारक नहीं होता। कारक की विभक्तियाँ लगने से सर्वनाम में रूपान्तरण होता है। जैसे -

मैं - मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा। तुम - तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे।
हम - हमें, हमारा, हमारे। वह - उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होने।
यह - इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इन्हें, इनको, इससे।
कौन - किसने, किसको, किसे।

**अभ्यास प्रश्न - 7.** निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध सर्वनामों को शुद्ध करके लिखिए -

हमें हमारे देश पर गर्व है।

..........................................................................................मुझे डाँटने वाले तुम क्या हो ?

.........................................................................

गुरू जी, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ।

..........................................................................

कोई से यह बात मत कहना।

..........................................................................

मेरे को काम करने दो।

..........................................................................

## 5.5 विशेषण

संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता (गुण-दोष, रूप-रंग, आकार-प्रकार) आदि बताने वाले शब्द 'विशेषण' कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे 'विशेष्य' कहते हैं। जैसे -

अच्छा लड़का। काली गाय।

यहाँ 'अच्छा' और 'काली' विशेषण हैं और 'लड़का' 'गाय' विशेष्य। वाक्यों में विशेषण के भी विशेषण प्रयोग करने का प्रचलन बढ़ा है। जैसे -

वह बहुत सुन्दर लड़की है।

यहाँ 'सुन्दर' विशेषण है और 'बहुत' विशेषण का भी विशेषण। विशेषण के भी विशेषण को 'प्रविशेषण' कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरू ने इन्हें 'अन्तर्विशेषण' कहा है।

### 5.5.1 विशेषण के भेद

विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं -

1. गुणवाचक विशेषण 2. संख्यावाचक विशेषण

2. परिमाणवाचक विशेषण 4. सार्वनामिक विशेषण

**1. गुणवाचक विशेषण** (Adjective of Quality) - गुणवाचक विशेषण से संज्ञा के रूप-रंग, आकार-प्रकार, समय-स्थान, गुण-दोष आदि का बोध होता है। विशेषण में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

**काल** - नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, प्राचीन, वर्तमान, भविष्य, आगामी, टिकाऊ आदि।

**स्थान** - ऊँचा, नीचा, गहरा, भीतरी, स्थानीय, उजड़ा, दायाँ, बायाँ, देशीय, क्षेत्रीय, पंजाबी, भारतीय आदि।

**आकार** - गोल, सुडौल, समान, नुकीला, लम्बा, चौड़ा, तिरछा, सीधा, सँकरा आदि।

**रग** - लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, सुनहरी, धुँधला, चमकीला, फीका आदि।

**दशा** - दुबला, पतला, मोटा, भारी, सूखा, गीला, पिघला, गरीब, रोगी, पालतू, उद्यमी आदि।

**गुण** - भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि।

गुणवाचक विशेषण के साथ 'सा' सादृश्यवाचक शब्दहीनता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे - छोटा-सा, पीला-सा, बड़ा-सा आदि।

**2. संख्यावाचक विशेषण** (Adjective of Number) - संज्ञा की संख्या बताने वाले विशेषण 'संख्यावाचक विशेषण' कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं -

निश्चित संख्यावाचक - दो लड़के, तीन लड़कियाँ, सौ रुपये।
अनिश्चित संख्यावाचक - कुछ लड़के, अनेक लड़कियाँ, थोड़े रुपये।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी पाँच भेद हैं -

1. गणनावाचक - एक, दो, तीन, चार
2. क्रमवाचक - पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा
3. समुदायवाचक - तीनों, चारों, पाँचो
4. आवृत्तिवाचक - दूना, तिगुना, चौगुना
5. प्रत्येकवाचक - हर, प्रत्येक

**3. परिमाणवाचक विशेषण** (Adjective of Quality) - वस्तु की मात्रा या माप-तौल बताने वाले विशेषण 'परिमाणवाचक विशेषण' कहलाते हैं। जैसे - पूरा दूध, कम पानी, बहुत सोना, थोड़ी चाँदी, सारा जेवर, कितनी पुस्तकें, जितनी चाय, उतनी चीनी।

**4. सार्वनामिक विशेषण** (Pronomial Adjective) - सर्वनाम से बनने वाले विशेषण 'सार्वनामिक विशेषण' कहलाते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है। जैसे - ऐसी लड़की, वैसा लड़का, यह कलम, वह पुस्तक, वैसी गाड़ी, ऐसा चालक, जैसा नाम, वैसा काम, मेरा घर, उसकी खिड़की, ऐसे-वैसे लोग, ऐसी-वैसी बातें।

विशेषण के एक अन्य रूप तुलनात्मक विशेषण का उल्लेख भी यहाँ प्रासंिगक होगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। इसमें 'से', 'अपेक्षा', 'सामने', 'सबसे', 'सबमें' आदि विशेषणों की तुलना की जाती है। इन वाक्यों को देखें -

यह सबसे अच्छा फूल है। उसके सामने तुम कुछ भी नहीं।
फूल की अपेक्षा काँटे बहुत हैं। तुम्हारा भाई तुमसे बढ़कर है।
बाप से बेटा अधिक लम्बा है। वह तुमसे कहीं अच्छा है।

### 5.5.2 विशेषण प्रयोग के प्रमुख नियम

1. विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूप, लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते जैसाकि विकारी विशेषणों में होता है। अविकारी विशेषण अपने मूल रूप में बने रहते हैं। लाल, सुन्दर, चंचल, गोल, भारी, सुडौल - अविकारी विशेषण हैं। लिंग-वचन के अनुसार इनमें रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे - लड़का कितना चंचल है। लड़की कितनी चंचल है।

2. संज्ञा में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाये जाते हैं। जैसे -

धर्म + इक = धार्मिक जाति + इय = जातीय
धन + वान = धनवान दान + इ = दानी
चमक + ईला = चमकीला

**अभ्यास प्रश्न 8**. नीचे दिए गये वाक्यों में विशेषणों को शुद्ध करके लिखिए -

1. आज मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है।
2. 2. कृष्ण के अनेक नाम हैं।
3. 3. मैं दूसरे उत्साह से पढ़ाई में जुट गया।
4. 4. अपना कमाई सब खाते हैं।
5. 5. उसका बचपन गरीब में बीता।

## 5.6 क्रिया (Verb)

क्रिया का सामान्य अर्थ है - काम करना या होना। अतः वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे - सोना, जागना, खाना, हँसना, रोना, दौड़ना आदि। क्रिया विकारी शब्द है क्योंकि इसमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रूपान्तरण होता है। जैसे - पढ़ना है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि। सामान्यतः क्रिया धातु से बनती है। मूल धातु में 'ना' प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे - चल (धातु) + ना = चलना। मार (धातु) + ना = मारना। धातु क्या है ? यह जानने के लिए सामान्य क्रिया से 'ना' हटा देने पर जो शब्द रह जाता है वही धातु है। जैसे पढ़ना (क्रिया) - ना = पढ़। इसके अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। जैसे - काम (संज्ञा) + आना = कमाना। चमक (विशेषण) + आना = चमकाना। इन शब्दों को वाक्यों में देखें - वह कमा रहा है। सुनार आभूषण चमका रहा है। कुछ धातुओं का प्रयोग शुद्ध भाववाचक संज्ञा की तरह होता है। इन वाक्यों को देखें -

मुझे बहुत मार पड़ी। यह बात उसकी समझ में नहीं आती।

यहाँ 'मार' और 'समझ' धातु है जो भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुई है। इनमें यदि 'ना' जोड़ दें तो इनका प्रयोग क्रिया की तरह होता है। जैसे - वह मुझे बहुत मारता है। वह मेरी बात नहीं समझता। इस तरह अब आप ये जान गये होंगे कि धातु में 'ना' प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है। साथ ही संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। अब हम क्रिया के भेदों पर विचार करेगें।

### 5.6.1 क्रिया के भेद

क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं -

| | |
|---|---|
| 1. सकर्मक क्रिया | 5. सहायक क्रिया |
| 2. अकर्मक क्रिया | 6. प्रेरणार्थक क्रिया |
| 3. द्विकर्मक क्रिया | 7. नामबोधक क्रिया |
| 4. संयुक्त क्रिया | 8. पूर्ण कालिक क्रिया |

**1. सकर्मक क्रिया** - सकर्मक अर्थात कर्म सहित। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म जुड़ा हो। कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं होता क्योंकि सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे - उसने पेड़ काटा। माँ ने बेटी को मारा। इन वाक्यों में 'पेड़' और 'बेटी' कर्म है। यदि इन्हें (कर्म) हटा दिया जाय तो यह नहीं स्पष्ट होगा कि 'उसने' क्या काटा अथवा 'माँ' ने किसको मारा।

कभी - कभी सकर्मक क्रिया में कर्म छिपा भी रहता है अर्थात उसके होने की सम्भावना रहती है। इन वाक्यों को देखें -

वह गाता है। वह पढ़ता है।

**2. अकर्मक क्रिया** - अकर्मक अर्थात बिना कर्म के। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता। अर्कमक क्रिया का सीधा सम्बंध कर्ता से है। इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे -

वह हँसता है। बच्चा रोता है। रमेश भागता है।

इन वाक्यों में 'हँसता है', 'रोता है', 'भागता है' अकर्मक क्रिया है क्योंकि इनका फल क्रमशः वह, बच्चा, रमेश पर पड़ता है। निम्नलिखित क्रियाएं सदैव अकर्मक रहती हैं -

जातिबोधक क्रियाएं - आना, जाना, घूमना, दौड़ना, उड़ना आदि।

अवस्थाबोधक क्रियाएं - होना, रहना, सोना, आदि।

**3. द्विकर्मक क्रिया** - द्वि + कर्मक अर्थात दो कर्म वाली क्रिया।कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो-दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे -

शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। (दो कर्म - छात्र, प्रश्न)

माँ बच्चे को दूध पिलाती है। (दो कर्म - बच्चे, दूध)

**4. संयुक्त क्रिया** - दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया की विशेषता यह है कि उसमें पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे - मैं चल सकता हूँ। इस वाक्य में 'चल' प्रधान क्रिया है और 'सकना' सहायक क्रिया जो प्रधान क्रिया 'चल' की विशेषता बताती है। अन्य उदाहरण भी देखें -

श्रद्धा रोने लगी। सिद्धार्थ घर आ गया।

उसने फूल तोड़ लिया। सिपाही ने चोर को छोड़ दिया।

संयुक्त क्रियाएं इन क्रियाओं के मेल से बनती हैं - आना, जाना, होना, लेना, देना, पाना, उठना, बैठना, करना, चाहना, चुकना, डालना, सकना, बनना, पड़ना, रहना, चलना आदि।

संयुक्त क्रिया के भेद - अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं -

1. **आरम्भबोधक** - जहाँ कार्य आरम्भ होने का बोध हो। जैसे -

पानी बरसने लगा। वे खेलने लगे।

मैं पढ़ने लगा। वह सोने लगी।

2. **समाप्तिबोधक -** जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो। जैसे -

वह खा चुका है। वह पढ़ चुकी है।

3. **अवकाश बोधक** - जहाँ कार्य को सम्पन्न करने में अन्तराल (अवकाश) का बोध हो। जैसे -

माला सो न पायी। वह जाने न पाया।

4. **अनुमतिबोधक** - जहाँ कार्य करने की अनुमति दिये जाने का बोध हो। जैसे -

उसे घर जाने दो। मुझे अपनी बात कहने दो।

5. **आवश्यकताबोधक** - जहाँ कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। जैसे -

तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे तुरन्त जाना पड़ा।

6. **शक्तिबोधक** - जहाँ कार्य करने की शक्ति या सार्मथ्य का बोध हो। जैसे -

अब वह चल सकता है। मैं पढ़ सकता हूँ।

7. **निश्चयबोधक** - जहाँ कार्य व्यापार की निश्चयता का बोध हो। जैसे -

वह पेड़ से गिर पड़ा। अब उसकी किताब दे ही दो।

8. **इच्छाबोधक** - जहाँ कार्य करने की इच्छा व्यक्त हो। जैसे -

मैं अब सोना चाहता हूँ। बेटा घर आना चाहता है।

9. **अभ्यासबोधक** - जहाँ कार्य के करने का अभ्यास का बोध हो। जैसे -

वह हमेशा पढ़ा करती है। वह गाया करती है।

10. **नित्यताबोधक** - जहाँ कार्य के चालू रहने का बोध हो। जैसे -

वर्षा हो रही है। वह रात भर पढ़ती रही।

11. **आकस्मिकताबोधक** - जहाँ अचानक कार्य होने का बोध हो। जैसे -

वह एकाएक रो उठी। मैं अचानक उठ बैठा।

वह बेटे को मार बैठा। वह हँस पड़ी।

12**. पुनरुक्त संयुक्त क्रिया** - जहाँ समान वर्ग के दो कार्यों का एक साथ बोध हो। जैसे - वह यहाँ आया-जाया करता है। आपस में मिलते-जुलते रहो। कुछ खाना-पीना हो जाय।

**5. सहायक क्रिया** - सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे - मैंने पढ़ा था। तुम सोये हुए थे। इन वाक्यों में 'पढ़ना' और 'सोना' मुख्य क्रिया हैं। शेष 'था', 'हुए थे' सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करती है।

**6. प्रेरणार्थक क्रिया -** जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता दूसरों की प्रेरणा या सहायता लेता अथवा दूसरों को देता है - ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे - मैंने नौकर से पेड़ कटवाया। इस वाक्य में 'कटवाया' प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि कार्य कर्ता (मैंने) द्वारा नहीं 'नौकर' द्वारा किया गया है।

**7. नामबोधक क्रिया** - संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर बनने वाली क्रिया नामबोधक कहलाती है। उदाहरण पर ध्यान दें -

भस्म (संज्ञा) + करना (क्रिया) - भस्मकरना

निराश (विशेषण) + होना (क्रिया) - निराश होना

इन वाक्यों में नामबोधक क्रिया का शुद्ध प्रयोग देखें -

उसने मकान हथिया लिया। सभा विसर्जित हो गयी।

नामबोधक क्रिया को संयुक्त क्रिया नही माना जा सकता। दोनों में पर्याप्त अन्तर है। नामबोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण में क्रिया के संयोग से बनती है जबकि संयुक्त क्रिया में केवल दो क्रियाओं का ही संयोग होता है।

**8. पूर्वकालिक क्रिया** - इसमें प्रथम कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें कर/करके/पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे -

मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। सूर्योदय हाने पर वह घर आया।

यह चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया। नौकर काम करके चला गया।

कभी-कभी पुनरुक्ति में भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे -

उसने रो-रो कर सारी बात कही। वह खोज-खोज कर हार गया।

पूर्वकालिक क्रियाएं विशेषण का भी काम करती हैं क्योंकि ये क्रिया की विशेषता (कार्य करने की रीति) बताती है। जैसे -

वह मुझे आँखें फाड़ कर देखता रहा। उसने मुझसे हँसकर कहा।

पूर्वकालिक क्रिया से कार्य का कारण भी स्पष्ट होता है। जैसे -

रात होने पर सब लोग चले गये। सूर्योदय होने पर अंधकार छँट गया।

**अभ्यास प्रश्न 9.**

निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया बताइए -

1. सभा विसर्जित हो गई।
2. मैं उसे खोज-खोज कर हार गयां।
3. माँ बेटे को खाना खिलाती है।
4. वह अब चल सकता है।
5. वह खा चुका है।

### 5.6.2 काल (Tense)

यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जिस शब्द से काम करने का बोध होता है, उसे 'क्रिया' कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के करने या उसके होने का कोई न कोई समय अवश्य होता है। अतः हिन्दी व्याकरण में काल का सम्बंध क्रिया से है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके काल व्यापार को बोध होता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के करने या होने में जो समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।

काल के प्रमुख तीन भेद हैं -

1. वर्तमान काल 2. भूतकाल 3. भविष्यतकाल

**1. वर्तमान काल** (Present Tense) - जहाँ क्रिया-व्यापार की निरन्तरता (कार्य होने) को बोध हो, वहाँ वर्तमान काल होता है। जैसे -

वह खाता है। कोयल काली होती है।

वह पढ़ती रहती है। मैं पढ़ रहा हूँ।

इन वाक्यों में क्रिया का कार्य जारी है। अतः यहाँ वर्तमान काल है।

वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं -

I. सामान्य वर्तमान - क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमान कहलाता है। किसी निरन्तर सत्य, स्थाई रूप से होने वाला कार्य, काम करने की आदत या अभ्यास को व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी सामान्य वर्तमान का ही बोध होता है। जैसे

वह खेलता है। आप लोग कहाँ जाते हैं।
सूर्य पश्चिम में डूबता है। वह पढ़ती रहती है।

II. तात्कालिक वर्तमान - इसमें क्रिया के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। जैसे -

मैं गीता पढ़ रहा हूँ। वह कालेज जा रहा है।
वह खाना खा रही है। वे सब मैदान में टहल रहे हैं

III. संदिग्ध वर्तमान - इसमें क्रिया के होने में सन्देह का बोध होते हुए भी उसकी वर्तमानता में संदेह नहीं होता। जैसे -

वह खाता होगा। वह पढ़ता होगा।
वह कालेज जा रहा होगा। राम घर आ रहा होगा।

IV. सम्भाव वर्तमान - इसमें वर्तमान में कार्य पूरा होने की सम्भावना का बोध होता है। जैसे -

वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना वह खेलता हो तो उसे खेलने देना।

**2. भूतकाल** (Past Tense) - भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है अर्थात भूतकाल बीते हुए समय में क्रिया के व्यापार के समाप्त होने का सूचक है। जैसे -

कमला घर आयी। वह स्कूल गया था।
मैं खाना खा चुका था। तुम कहाँ जा रहे थे ?

I. सामान्य भूत - इसमें बीते हुए समय का बोध होते हुए भी उस समय विशेष का पता नहीं चलता जिसमें कार्य समाप्त हुआ था। जैसे -

उसने पुस्तक पढ़ी। मैंने खाना खाया।
वह घर गया। सब लोग चले गये

II. आसन्न भूत - इसमें कार्य के हाल ही में समाप्त होने का बोध होता है। जैसे -

वे सब अभी घर गये हैं। मैंने उसे देखा है।
उसने आम खाया है। वह आज ही मायके गयी है।

III. पूर्ण भूत - इसमें कार्य समाप्त हुए काफी समय का बोध होता है। जैसे -

मैं परसों घर गया था। उसने यह बात कही थी।
उसने मुझे मारा था। वह यहाँ आया था

IV. अपूर्ण भूत - इसमें यह तो पता चलता है कि भूतकाल में कार्य हो रहा था किन्तु कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, इसका बोध नहीं होता। जैसे -

वे लोग बाजार जा रहे थे। वह सुनती आ रही थी।
वह काम करता आ रहा था। मोहन सो रहा था।

V. संदिग्ध भूत - बीते हुए समय में जिस कार्य के करने या होने में संदेह हो, उसे 'संदिग्ध भूत' कहते हैं। जैसे -

| | |
|---|---|
| तुमने पढ़ा होगा। | वे लोग आ चुके होंगे। |
| माँ बाजार चली गयी होगी। | बच्चे ने दूध पी लिया होगा। |

VI. हेतुहेतुमद् भूत - इसमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था पर हुआ नहीं। इस क्रिया के होने या करने में शर्त या कारण का बोध होता है। जैसे -

| | |
|---|---|
| यदि वो पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। | तुम आते तो मैं भी साथ चलता। |
| वर्षा होती तो गरमी कम हो जाती। | वह आता तो मेरी मदद करता। |

**3. भविष्यत् काल** (Future Tense) - आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं को भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे -

| | |
|---|---|
| वह कल पढ़ेगा। | आज वर्षा होगी। |
| लता गाना गायेगी। | रात को सम्मेलन होगा। |

भविष्यत् काल के निम्नलिखित भेद हैं –

I. सामान्य भविष्यत् - इसमें भविष्य में सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध होता है। सामान्य भविष्यत् में क्रिया के निश्चित रूप से होने का भाव होता है। जैसे -

| | |
|---|---|
| इस वर्ष मेरी शादी होगी। | अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। |
| पिता जी कल लखनऊ जायेंगे। | कल मैं कालेज नहीं जाऊँगा। |

II. सम्भाव्य भविष्यत् - इसमें क्रिया के भविष्य में होने या किये जाने की सम्भावना का बोध होता है। जैसे -

| | |
|---|---|
| हो सकता है, वह कल आए। | ईश्वर तुम्हे सद्बुद्धि दे। |
| शायद आल वर्षा हो। | सम्भव है, वह बच जाये। |

III. हेतुहेतुमद् भविष्यत् - इसमें एक क्रिया का (भविष्य में) होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे -

| | |
|---|---|
| वह आये तो मैं जाऊँ। | वह गायेगी तो मैं नाचूँगा। |

## 5.7 अव्यय

अव्यय का अर्थ है - शब्द के रूप में कोई व्यय या विकार (परिवर्तन) न होना। इसलिए 'अव्यय' को अविकारी शब्द कहा जाता है। 'अव्यय' वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। 'शब्दानुशासन' में कहा गया है "जो सब लिंग में एक सा रहे और सभी विभक्तियों में तथा वचनों में रूपान्तरित न हो, वह 'अव्यय' है।"

अव्यय के मुख्यतः छह भेद माने गये हैं -

(1) **परिमाणवाचक** - इससे विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है। जैसे -

बहुत, अधिक, कम, खूब।

(2) **प्रश्नवाचक** - इस अव्यय से प्रश्न का बोध होता है। जैसे -

वह क्यों खेलता है। तुम क्या करते हो ?

(3) **विस्मयादि बोधक** - इस अव्यय से हर्ष, शो, आश्चर्य आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| हर्ष | - | वाह! वाह! शाबास ! अहा! |
| शोक | - | आह! ओहो! |
| आश्चर्य | - | ऐं, ए, ओहो, क्या ! |
| अनुमोदन | - | ठीक! हाँ! अच्छा! |
| तिरस्कार | - | छिह! धिक्! |
| सम्बोधन | - | रे, अरे, अरी, री, भई |

(4) **समुच्चय बोधक** - ये अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं।

(1) समानाधिकरण (2) व्यधिकरण

समानाधिकरण समुच्चय बोधक - इसमें मुख्य वाक्य या एक ही प्रकार के शब्द जोड़े जाते हैं। इसके चार भेद हैं -

| | | |
|---|---|---|
| संयोजक | - | और, एवं, तथा |
| विभाजक | - | या, वा, अथवा, नहीं तो, चाहे, क्या-क्या, न-न |
| विरोधदर्शक | - | पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, वरन्, बल्कि |
| परिणामदर्शक | - | सो, इसलिए, अतः, अतएव |

व्यधिकरण समुच्चय बोधक - इसके द्वारा मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। इसके चार भेद हैं -

| | | |
|---|---|---|
| कारणवाचक | - | क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि |
| उद्देश्यवाचक | - | कि, ताकि, जिससे, कि |
| संकेतवाचक | - | जो, तो, यदि, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर |
| स्वरूपवाचक | - | कि, जो, अर्थात, मानो |

(5) **सम्बंध बोधक** - ये अव्यय विभक्ति के बाद आते हैं और विभक्ति के पहले आने वाली संज्ञा या सर्वनाम का सम्बंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जोड़ते हैं। अर्थ के अनुसार सम्बंधबोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं -

| | | |
|---|---|---|
| कालवाचक | - | आगे, पीछे, बाद, पहले |
| स्थानवाचक | - | आगे, पीछे, नीचे, ऊपर |
| दिशावाचक | - | ओर, तरफ, पार, आसपास |
| साधनवाचक | - | द्वारा, सहारे, जरिए, मारफत |
| हेतुवाचक | - | लिए, मारे, कारण, हेतु, वास्ते |

| | | |
|---|---|---|
| विषयवाचक | - | विषय, नाम, नामे (लेखे) |
| व्यतिरेकवाचक | - | सिवा, अलावा, बगैर, रहित, अतिरिक्त |
| सादृश्यवाचक | - | समान, भाँति, तरह, अनुसार, बराबर |
| विरोधवाचक | - | विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, उलटा |
| सहचरवाचक | - | साथ, संग, सहित, समेत |
| तुलनावाचक | - | अपेक्षा, सामने, आगे |

(6) **निपात -** इस प्रकार के अव्ययों का कोई अर्थ नहीं होता किन्तु इनका प्रयोग किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को विशेष बल प्रदान करता है। जैसे -

तो, सो, ही, भी, तक, सिर्फ, हाँ जी, जी आदि।

### 5.7.2 अव्यय और क्रिया विशेषण में अन्तर

प्रायः अव्यय को क्रिया विशेषण भी मान लिया जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय अवश्य है किन्तु प्रत्येक अव्यय क्रिया विशेषण नहीं माना जा सकता। अव्यय और क्रिया विशेषण में अन्तर है जैसाकि व्याकरणाचार्य पं.किशोरी दास बाजपेई कहते हैं - ''जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वे ही क्रिया विशेषण कहलाएंगे, सब नहीं।'' अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी होते हैं क्योंकि लिंग, वचन या कारक की विभक्ति के कारण इनके रूप में कोई विकार नहीं आता। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बतलाता है, अन्य शब्दों की नहीं पर अव्यय किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है और प्रश्न करने, विस्मय का भाव प्रकट करने या शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करता है। इस प्रकार दोनों का कार्य और क्षेत्र बिलकुल भिन्न है।

क्रिया विशेषण - जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करे वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य तीन भेद होते हैं -

(1) कालवाचक - इसमें क्रिया अर्थात कार्य होने के समय का बोध होता है। जैसे - अब, जब, कब, अबसे, कबसे, तब, तबसे, पहले, बाद आदि।

(2) स्थान या दिशावाचक - इससे क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध होता है। जैसे - यहाँ, वहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर आदि।

(3) रीतिवाचक - इसमें क्रिया होने की रीति (ढंग) का बोध होता है। जैसे - कुछ, अधिक, धीरे-धीरे, ज्यों-त्यों, जैसे-तैसे, कैसे, रोते-रोते, दौड़ते-दौड़ते, मनसे, ध्यानपूर्वक आदि।

नोट - कुछ गुणवाचक विशेषण भी क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे - अच्छा, मधुर, मीठा, साफ, उजला आदि।

### 5.7.3 अव्यय के शुद्ध प्रयोग

यहाँ अव्यय और क्रिया विशेषण से सम्बंधित वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इनको पढ़कर वाक्यों की अशुद्धियों पर ध्यान दें -

| **अशुद्ध प्रयोग** | **शुद्ध प्रयोग** |
|---|---|
| वहाँ पर बहुत भारी भीड़ लगी थी। | वहाँ पर भीड़ लगी थी। |
| जीवन में उधर सुख है, इधर दुख। | जीवन में इधर सुख है, उधर दुख |
| ऋचा न पढ़ती है न दीपाली। | न ऋख पढ़ती है न दीपाली। |
| रोगी से उठा भी न जाता है। | रोगी से उठा भी नहीं जाता है। |
| बच्चा रोता-रोता घर आया। | बच्चा रोते-रोते घर आया। |

**अभ्यास प्रश्न 10 –**

अव्यय की दृष्टि से इन वाक्यों को शुद्ध करें।

1. वह धीरे-धीरे से काम करता है।
2. मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है।
3. देखते ही वो करोड़पति हो गया।
4. मैदान में बहुत लोग जमा थे।
5. वह क्यों इतना पढ़ती है।

## 5.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सर्वप्रथम भाषा में व्याकरण की उपयोगिता को जान गए होंगे। साथ ही व्याकरण की विभिन्न इकाईयों यथा - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इन इकाईयों से सम्बद्ध लिंग, वचन, कारक और विभक्ति, काल, अव्यय आदि का भी सोदाहरण परिचय भी आपको हो गया होगा। प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए प्रयोग सम्बंधी शुद्ध नियमों के अध्ययन से आप व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध भाषा लिखने व बोलने में पारंगत हो गए होंगे।

## 5.9 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| मानक | - | सर्वस्वीकृत |
| व्युत्पत्ति | - | उत्पन्न |
| विकारी | - | रूप परिवर्तन वाला |
| द्रव्य | - | पदार्थ |
| कारक | - | संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से सम्बंध व्यक्त करने वाला |
| कारकीय | - | कारक से सम्बंधित |
| संश्लिष्ट | - | जुड़ा हुआ |
| विश्लिष्ट | - | अलग |
| काल | - | कार्य या क्रिया के समय का बोध कराने वाला |

| | | |
|---|---|---|
| सर्वनाम | - | संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द |
| विशेषण | - | संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला |
| सार्वनामिक | - | सर्वनाम से बनने वाला |
| सकर्मक | - | कर्म का बोध कराने वाला |
| अकर्मक | - | बिना कर्म के |
| द्विकर्मक | - | दो-दो क्रिया वाला |
| पुनरुक्त | - | बार-बार |
| आकस्मिक | - | अचानक |

## 5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

**अभ्यास प्रश्न - 1**

| | | |
|---|---|---|
| जातिवाचक संज्ञा - | | अध्यापक, कोमल, व्यापारी |
| द्रव्यवाचक संज्ञा | - | सोना, चाँदी, तेल, कोयला |
| समूहवाचक संज्ञा | - | सभा, गुच्छा, गिरोह |
| भाववाचक संज्ञा | - | पौरुष, बुढ़ापा, मिठास |
| व्यक्तिवाचक संज्ञा- | | गंगा, रामायण, महाभारत |

**अभ्यास प्रश्न - 2**

| **शब्द** | **भाववाचक संज्ञा** | **शब्द** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|---|---|
| विद्वान | विद्वता | स्वस्थ | स्वास्थ्य |
| पराया | परायापन | मधुर | माधुर्य |
| कंजूस | कंजूसी | वकील | वकालत |
| दुश्मन | दुश्मनी | पंडित | पांडित्य |
| सुन्दर | सौन्दर्य | भला | भलाई |

**अभ्यास प्रश्न - 3**

**पुल्लिंग** - अकाल, चमत्कार, गुलाब, अंतरिक्ष, कर्म

**स्त्रीलिंग** - अदालत, अवस्था, योजना, मुद्रा, गुफा

**अभ्यास प्रश्न - 4**

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|
| विधुर | विधवा | कवि | कवयित्री |
| ठाकुर | ठकुराइन | माली | मालिन |
| विद्वान | विदुषी | जेठ | जेठानी |
| खिलाड़ी | खिलाड़िन | चंचल | चंचला |
| वर | वधु | इंद्र | इंद्राणी |

**अभ्यास प्रश्न - 5**

| **एकवचन** | **बहुवचन** | **एकवचन** | **बहुवचन** |
|---|---|---|---|
| आदत | आदतें | बच्चा | बच्चे |
| रात | रातें | गली | गलियाँ |
| लता | लताएं | घर | घरों |
| पाठक | पाठकगण | आप | आप लोग |
| नीति | नीतियाँ | तिथि | तिथियाँ |

**अभ्यास प्रश्न - 6**

| **वाक्य** | **कारक** |
|---|---|
| पेड़ पर चिड़िया बैठी है। | अधिकरण कारक |
| गुरू शिष्य को ज्ञान देता है। | सम्प्रदान कारक |
| प्रेमचन्द्र की कहानियाँ श्रेष्ठ हैं। | सम्बंधकारक |
| वह रिक्शे से बाजार गया। | करणकारक |
| बच्चा छत से गिर पड़ा। | अपादान कारक |

**अभ्यास प्रश्न - 7**

| **अशुद्ध वाक्य** | **शुद्ध वाक्य** |
|---|---|
| हमें हमारे देश पर गर्व है। | हमें अपने देश पर गर्व है। |
| कोई से यह बात मत कहना। | किसी से यह बात मत कहना। |
| गुरू जी, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। | गुरू जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। |
| मेरे को काम करने दो। | मुझे काम करने दो। |
| मुझे डाँटने वाले तुम क्या हो ? | मुझे डाँटने वाले तुम कौन हो ? |

**अभ्यास प्रश्न - 8**

| | |
|---|---|
| आज मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है। | आयुष्मती |
| कृष्णा के अनेकों नाम हैं। | अनेक |
| मैं दूसरे उत्साह से पढ़ाई में जुट गया। | दुगने |
| अपना कमाई सब खाते हैं। | अपनी |
| उसका बचपन गरीब में बीता। | गरीबी |

**अभ्यास प्रश्न - 9**

| **वाक्य** | **क्रिया** |
|---|---|
| सभा विसर्जित हो गयी। | नाम बोधक |
| मैं उसे खोज-खोज कर हार गया। | पूर्वकालिक |
| माँ बेटे को खाना खिलाती है। | द्विकर्मक |
| वह अब चल सकता है। | संयुक्त |
| वह खा चुका है। | संयुक्त |

**अभ्यास प्रश्न - 10**

वह धीरे-धीरे काम करता है।

मानसिक दासता सदा से चली आ रही है।

देखते ही देखते वह करोड़पति हो गया।

मैदान में लोग जमा थे।

वह क्यों इतना पढ़ती है।

## 5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. कामता प्रसाद गुरू, हिन्दी व्याकरण, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
2. रामचन्द्र वर्मा, अच्छी हिन्दी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
3. डॉ वासुदेव नंदन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन,पटना
4. डॉ हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव विकास और रूप, किताब महल, इलाहाबाद
5. डॉ बदरीनाथ कपूर, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

## 5.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. अन्य व्याकरणिक इकाईयों से आप क्या समझते हैं ? सविस्तार सरूप विवेचन कीजिए .

## इकाई 6 हिन्दी की शब्द सम्पदा


6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 शब्द-स्रोत
    6.3.1 तत्सम
    6.3.2 तद्भव
    6.3.3 देशज
    6.3.4 विदेशी
6.4 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद
6.5 शब्द-रचना
    6.5.1 उपसर्ग
    6.5.2 प्रत्यय
    6.5.3 समास
    6.3.4 द्विरुक्ति
6.6 संकर शब्द
6.7 शब्द-रूप और शब्द-प्रयोग
6.8 सारांश
6.9 शब्दावली
6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
6.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

## 6.1 प्रस्तावना

आप जानते हैं कि भाषा शब्दों से ही बनती है और लिखित या मौखिक रूप में व्यवहार में आती है। अतः शब्दों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। शब्द यदि भाषा का शरीर है तो अर्थ उसके प्राण। इसलिए भाषा में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। सार्थक शब्द ही भाषा के अर्थ का संवाहक होता है। आपने कहावत सुनी होगी - भाषा बहता नीर है। काल के अजस्र प्रवाह में भाषा निरन्तर प्रवाहमान होती है। उसमें अनेक स्रोतों से अनेक शब्द मिलते रहते हैं। कुछ शब्द प्रयोग से घिस-घिस कर पुराने हो जाते हैं तो अत्यंत पुराने शब्द लुप्त हो जाते हैं। कुछ शब्द नए अर्थ के साथ प्रयोग होने लगते हैं। इसी प्रकार एक भाषा, दूसरी भाषाओं के शब्द भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ढालकर उन्हें अपना बना लेती है। इस तरह भाषा की निजी स्वाभाविकता और जीवतंता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा अनेक स्रोतों से शब्दों को ग्रहण कर अपने शब्द भण्डार को समृद्ध करती चलती है। हिन्दी की शब्द सम्पदा की समृद्धि को आप इस रूप में देख सकेगें।

## 6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- भाषा में शब्द के महत्व को समझ सकेगें।
- शब्द के स्रोत और उनसे बनने वाले शब्दों के विभिन्न भेदों को जान सकेगें।
- व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- शब्द-रचना के विभिनन माध्यमों से परिचित होकर शब्द-रचना के विविध आयामों को समझ सकेगें।
- अर्थ की दृष्टि से शब्द के विभिन्न रूपों को जानकर प्रसंगानुसार शब्द-प्रयोग में सक्षम हो सकेगें।

## 6.3 शब्द-स्रोत

प्रत्येक भाषा अपने शब्द-भण्डार की समृद्धि के लिए अपनी जननी भाषा, सहभाषा तथा अपने सम्पर्क में आने वाली विदेशी भाषाओं की ऋणी होती है। हिन्दी भाषा भी इसकी अपवाद नहीं है। हिन्दी के शब्द-भण्डार को समृद्ध करने में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं - वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि-प्राकृत'अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी हिन्दी की शब्द सम्पदा सम्पन्न होती रही है।

अतः शब्द-स्रोत की दृष्टि से हिन्दी के शब्दों को निम्नलिखित वर्ग में रखा जा सकता है -

1. तत्सम शब्द
2. तद्भव शब्द
3. देशज शब्द
4. विदेशी शब्द

आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेगें।

### 6.3.1 तत्सम शब्द

तत्सम शब्द दो प्रकार के हैं - परम्परागत और नवनिर्मित परम्परागत शब्द सीधे संस्कृत से हिन्दी में लिए गए हैं और नवनिर्मित शब्द नए विचारों और व्यापारों को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृत की धातुओं से निर्मित किए गए हैं। पहले परम्परागत तत्सम शब्दों को देखें -

परम्परागत तत्सम शब्दों के लिए हिन्दी भाषा संस्कृत की ऋणी है। वैदिक संस्कृत के हजारों शब्द आज भी हिन्दी विशेषकर साहित्यिक हिन्दी में अविकृत रूप से प्रचलित है। संस्कृत से मूल रूप में लिए गए तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखें -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अक्षर | अग्नि | कनिष्ठ | कक्षा | क्रोध |
| ग्रीष्म | वर्षा | वर्ण | गोत्र | ज्यातिष |
| जीवन | मृत्यु | मंत्र | यज्ञ | पुण्य |
| पिता | माता | अतिथि | किशोर | समाधि |
| पुष्प | दुग्ध | ऊषा | रात्रि | नक्षत्र |
| विद्या | ब्राह्मण | अलंकार | औषधि | अंतरिक्ष |
| मन्त्री | हृदय | रक्त | अंगुलि | त्वचा |

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान तथा प्राविधिक युग में नए विचार, और नए उपकरणों की अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों की आवश्यकता हुई। अतः तकनीकी शब्दावाली आयोग द्वारा नए-नए तत्सम शब्दों की रचना हुई। इसके साथ ही साहित्यकारों विशेषकर छायावादी युग के कवियों ने सैकड़ों नवीन तत्सम शब्द गढ़े। इस तरह संस्कृत धातु में उपसर्ग, प्रत्यय के संयोग से बने नवीन तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखे जा सकते

हैं -

| | | | |
|---|---|---|---|
| आकाशवाणी | दूरदर्शन | प्रक्षेपास्त्र | अभियंता |
| दूरभाष | गुरुत्वाकर्षण | पर्यवेक्षक | आचार-संहिता |
| अनुभाग | पत्राचार | मुद्रण | संगणक |
| प्रभाग | संविदा | निर्वाचन | सचिव |

### 6.3.2 तद्भव शब्द

'तद्भव' का अर्थ है - 'तत्' अर्थात उससे 'संस्कृत' से 'भव' अर्थात 'उत्पन्न'। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत-अपभ्रंश से होते हुए विकृत रूप में हिन्दी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे - संस्कृत का 'सत्य' शब्द पालि-प्राकृत-अपभ्रंश में कमशः 'सत्त-सच्च' के रूप में विकृत होता हुआ 'सच' तद्भव शब्द बना। हिन्दी में सभी क्रियापद तद्भव हैं। यही स्थिति सर्वनाम शब्दों की है। संज्ञा तद्भव शब्द कम ही हैं। प्रायः तद्भव विशेषणों के लिए हिन्दी तत्सम शब्दों पर ही निर्भर है।

तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण आप निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं -

| **तत्सम** | **तद्भव** | **तत्सम** | **तद्भव** |
|---|---|---|---|
| अग्नि | आग | काष्ठ | काठ |
| अश्रु | आसूँ | कुम्भकार | कुम्हार |
| अर्द्ध | आधा | कर्ण | कान |
| गृह | घर | ज्येष्ठ | जेठ |
| परीक्षा | परख | दन्त | दाँत |
| फाल्गुन | फागुन/फाग | द्विवर | देवर |
| घृत | घी | श्वसुर | ससुर |
| दुर्बल | दुबला | कर्म | काम |
| अक्षि | आँख | दुर्लभ | दुल्हा |
| अद्य | आज | गदर्भ | गधा |

प्रायः देखा गया है कि एक ही शब्द का तत्सम रूप सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसी से बना तद्भव रूप विशेष अर्थ में। जैसे - 'स्थान' तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ है 'जगह'। इसी से तद्भव रूप बना 'थाना' जो स्थान विशेष के अर्थ में है। कभी-कभी तत्सम शब्द से गुरूता या श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसी का तद्भव रूप लघुता या हीनता के अर्थ में। जैसे - 'दर्शन' तत्सम शब्द किसी महान व्यक्ति या देवता के लिए प्रयोग किया जाता है - आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। 'दर्शन' का तद्भव 'देखना' है जो साधारण लोगों के लिए प्रयुक्त होता है - कई दिन से तुम्हे देखा नहीं। इसी प्रकार तत्सम शब्द 'गर्भिणी' स्त्री के लिए और इसी का तद्भव रूप 'गाभिन' मादा पशुओं के लिए प्रयुक्त होता है।

### 6.3.3 देशज शब्द

देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता अर्थात जिनकी उत्पत्ति संस्कृत आदि मूल भाषाओं से सिद्ध नहीं की जा सकती। इन्हें देशी शब्द भी कहते हैं। वस्तुतः देशज या देशी शब्द जनसाधारण की बोलचाल की उपज हैं। देशज के भी दो भेद किए जा सकते हैं -

1. अज्ञात व्युत्पत्ति परक 2. अनुकरणात्मक

अज्ञातव्युत्पत्तिपरक देशी शब्द वहीं हैं, जिनकी व्युत्पत्ति (स्रोत) अज्ञात हो। जैसे -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| चिड़िया | तेन्दुआ | खिड़की | ठुमरी | जूता |
| फुनगी | लोटा | पगड़ी | खिचड़ी | लोटा |
| डोंगा | कटोरा | ठेठ | काका | बाबा |
| मुस्टंडा | भोंदू | भाभी | दीदी | नाना |
| लाला | टुच्चा | खर्राटा | चपटा | डकार |
| चपटा | कलाई | डिबिया | मामा | चाचा |

हिन्दी में अनुकरणात्मक शब्द बनाने की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये शब्द ध्वनि साम्य या दृश्य साम्य के आधार पर गढ़ लिए जाते हैं। डॉ हरदेव बाहरी ने इस तरह के शब्दों को 'देशी करीगरी' का उत्कृष्ट नमूने कहा है। कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं –

ध्वनि साम्य के आधार पर गढ़े गए शब्द - टें-टें, काँय-काँय, फटफटिया, बड़बड़, धड़ाम, खुसर-पुसर, ठन-ठन, ठकठक, सरसर, कल-कल, पों-पों, झनकार, थपथपाना आदि।

दृश्य साम्य के आधार पर गढ़े गए शब्द - झिलमिल, ढुलमुल, जगमग, लचक आदि। इसके अतिरिक्त अनार्य (द्रविड़ कुल) भाषाओं से भी कुछ देशज शब्द हिन्दी में आए हैं। जैसे - कुण्ड, कुण्डल, कठिन, निडाल, माला, ताला, चतुर, चन्दन, ताल, शव, आदि।

### 6.3.4 विदेशी शब्द

आप जानते हैं कि भारत पर लगभग एक हजार साल तक विदेशी शासकों का शासन रहा। फलतः विदेशी शिक्षा, शासन, धर्म, संस्कृति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। हिन्दी में अरबी-फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। अरबी-तुर्की भाषाओं के शब्द प्रायः फारसी के माध्यम से आए हैं। अंग्रेजी के शब्द भी हिन्दी में घुलमिल गए हैं। पुर्तगाली, डच आदि भाषाओं के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से ही हिन्दी में आए हैं। हिन्दी में विदेशी शब्द इतना घुलमिल गए हैं कि अनेक शब्दों का मूल स्रोत भी नहीं पता चलता। इन शब्दों को पढ़कर यह मानना कठिन सा लगता है कि ये हिन्दी के शब्द न होकर विदेशी शब्द हैं। जैसे - गुंडा, चाकू, कैंची, चेचक, कुर्ता, मकान, हमला, गमला संतरा आदि। विदेशी शब्दों की हिन्दी में इस प्रकार ग्रहणशीलता या स्वीकार्यता का मुख्य कारण है - हिन्दी की शब्द ग्रहण की विशिष्ट प्रकृति। जो शब्द हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल है, उन्हें उसने ज्यों का त्यों ले लिया है। जैसे - रूमाल, बटन, कोट आदि। इसके विपरीत जिन विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी की प्रकृति से भिन्न हैं, उन्हें तराश कर किंचित परिवर्तन के साथ अपना लिया है। जैसे - जरूरत (ज़रूरत), ख्याल (ख़्याल), अस्पताल (हास्पिटल), लालटेन (लैटर्न), आलमारी (अलमिरा), रपट (रिपोर्ट)।

विभिन्न भाषाओं के विदेशी शब्दों की उदाहरण सूची निम्नलिखित क्रम में देखी जा सकती है।

**अरबी शब्द -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अक्ल | अमीर | असर | अजीब |
| आखिर | आदमी | आदत | अजायब |
| इज्जत | इनाम | इमारत | इस्तीफा |
| इलाज | उम्र | एहसान | औरत |
| औलाद | कसूर | कर्ज | कब्र |
| किस्मत | किला | कुर्सी | किताब |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कसरत | किस्सा | खबर | खत |
| खराब | गरीब | जाहिल | जहाज |
| जवाब | जिस्म | जालिम | जनाब |
| तकदीर | तारीख | तकिया | तमाशा |
| तरक्की | दिमाग | दवा | दफ्तर |
| दलाल | दुकान | दुनिया | दौलत |
| नकल | नकद | नतीजा | फकीर |
| फायदा | बहस | बाकी | मुहावरा |
| मजबूर | मुन्सिफ | मुकदमा | मौसम |
| मौलवी | मुसाफिर | मुल्क | मशहूर |
| लिफाफा | लिहाज | वारिस | वकील |
| शराब | हिम्मत | हिसाब | हाशिया |
| हाकिम | हौसला | हवालात | हुक्म |

**फारसी शब्द -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अफसोस | अदा | आबरू | आमदनी |
| कबूतर | कमीना | कुश्ती | किशमिश |
| खुराक | खरगोश | खामोश | खुश |
| गुलाब | गोश्त | गिरफ्तार | गवाह |
| चाबुक | चरखा | चिराग | चेहरा |
| जहर | जुरमाना | जागीर | जिगर |
| तमाशा | तनख्वाह | तबाह | तीर |
| दीवार | देहात | दिल | दरबार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पलंग | पारा | पैमाना | पैदावार |
| बीमार | बहरा | बेहूदा | मलाई |
| मुर्गा | मुर्दा | मजा | मुफ्त |
| याद | लेकिन | लगाम | शादी |
| शोर | वरना | सरदार | सितार |
| सौदागर | सरकार | सूद | हफ्ता |

**तुर्की शब्द -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| आका | उर्दू | कालीन | कुली |
| कैंची | कुर्की | चमचा | चेचक |
| चाबुक | तमगा | तोप | तलाश |
| बेगम | बहादुर | मुगल | लफंगा |
| ताश | सौगात | सुराग | चकमक |

**अंग्रेजी शब्द -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अपील | आर्डर | इंच | इन्टर |
| जज | कोर्ट | बोर्ड | रेल |
| जेल | अस्पताल | पुलिस | इंजन |
| डायरी | आफिस | कापी | रजिस्टर |
| पिन | प्रेस | नम्बर | मोटर |
| डॉक्टर | रेडियो | मीटिंग | बिस्कुट |
| पावडर | पम्प | केक | डीजल |
| नर्स | टीशर्ट | पैंट | वारंट |
| युनिवर्सिटी | चाकलेट | कंडक्टर | गैराज |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पोस्टकार्ड | इंटरनेट | ई-मेल | वेबसाइट |

यह उल्लेखनीय है कि जन साधारण में प्रचलित हिन्दी में अंग्रेजी से आए शब्द संज्ञापद हैं। संज्ञापदों में भी प्रायः जाति-वाचक हैं। अंग्रेजी का कोई विशेषण, क्रियापद या अव्यय हिन्दी ने नहीं ग्रहण किया है।

**पुर्तगाली शब्द -**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अनानास | अचार | आलपिन | आलमारी |
| आया | कमीज | काजू | कनस्तर |
| गमला | कमरा | गिरिजा | गोदाम |
| फीता | चाबी | तम्बाकू | नीलाम |
| इस्पात | पिस्तौल | पादरी | परात |
| तौलिया | गोभी | सन्तरा | बाल्टी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **चीनी शब्द -** | चाय | लीची | |
| **फ्रेंच शब्द -** | अंग्रेज | कूपन | कारतूस |
| **डच शब्द** - | तुरुप | बम | |
| **तिब्बती शब्द** - | थुलमा | डाँडी | |
| **जापानी शब्द** - | रिक्शा | | |

**अभ्यास प्रश्न 1 -** निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इसमें से छाँटकर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग-अलग करके लिखिए -

छंगामल विद्यालय इंटर कालेज के लड़के खेल-कूद की दुनिया में काफी प्रचलित थे, क्योंकि उनसे हर महीने खेल की फीस कान पकड़कर रखा ली जाती थी। यह दूसरी बात है कि कालेज के पास खेल-कूद का मैदान न था। पर इससे किसी को तकलीफ न होती थी, बल्कि सभी पक्ष सन्तुष्ट थे। गेम्स-टीचर के पास खेलकूद होने के कारण इतना समय बचता था कि वह मास्टरों के दोनों गुटों में घुसकर उनका विश्वास प्राप्त कर सकता था। प्रिंसिपल को भी इससे बड़ा आराम था। उसके यहाँ

हॉकी की टीमों में मारपीट न होती थी (क्योंकि वहाँ हॉकी टीमें ही न थीं) और इस सबसे कालेज में अनुशासन की कोई समस्या नहीं उठती थी। लड़कों के बाप भी खुश थे कि खेलकूद की मुसीबत फ़ीस देकर ही टल जाती है और लड़के सचमुच के खिलाड़ी होने से बच जाते हैं। लड़के भी खुश थे। वे जानते थे कि जितनी देर में एक गोल से दूसरे गोल तक एक ढेले बराबर गेंद के पीछे हाथ में स्टिक पकड़े हुए वे पागलों की तरह भागेंगे, उतनी ही देर में वे ताड़ी का एक कच्चा घड़ा पी जाएँगे, या लग गया तो दाँव लगाकर चार-छः रुपये खींच लेंगे।

तत्सम शब्द

............................................................................................................................

............................................................................................................................

तद्भव शब्द -

............................................................................................................................

............................................................................................................................

देशज शब्द -

............................................................................................................................

............................................................................................................................

विदेशी शब्द -

............................................................................................................................

............................................................................................................................

**अभ्यास प्रश्न** 2 - निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द बनाइये -

| **तत्सम** | **तद्भव** |
|---|---|
| पुष्प | ..................................... |
| अश्रु | ..................................... |
| कृष्ण | ..................................... |
| कर्म | ..................................... |
| अग्नि | ..................................... |
| सत्य | ..................................... |
| रात्रि | ..................................... |

**अभ्यास प्रश्न 3** - रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए -

1. ........................... शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती।
2. संस्कृत से मूल रूप में लिए गए शब्द ........................... हैं।
3. ........................... शब्द संस्कृत के ही विकृत रूप हैं।
4. अंग्रेजी 'रिपोर्ट' का हिन्दी में प्रचलित शब्द ........................... है।
5. रिक्शा ........................... का शब्द है।

## 6.4 व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद

वर्ण अथवा शब्द के मेल से नये शब्द बनाने की प्रक्रिया को 'व्युत्पत्ति' कहते हैं। कई वर्णों के मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खण्ड को 'शब्दांश' कहते हैं। जैसे - शब्द 'रोटी' में 'रो' और 'टी' दो शब्दांश हैं। इन अलग-अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं। ये मिलकर ही शब्द का अर्थ व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 'रोटी' शब्द के शब्दांश या खण्ड सार्थक नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके खण्ड सार्थक होते हैं। जैसे - 'विद्यालय'। इस शब्द में 'विद्या' और 'आलय' दो शब्दांश हैं। दोनों के ही अलग-अलग अर्थ हैं।

इस प्रकार व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं -

1. रूढ़ 2. यौगिक 3. योगरूढ़

**रूढ़ शब्द** - जिन शब्दों के खण्ड सार्थक न हों, उन्हें रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। परम्परा से एक निश्चित अर्थ में इनका प्रयोग होता आया है। जैसे -

नाक, कान, पीला, झट, पट

**यौगिक शब्द** - दो शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। इनके दोनों खण्ड सार्थक होते हैं। जैसे 'दूरदर्शन' शब्द में 'दूर' और 'दर्शन' दो खण्ड हैं। दोनों खण्ड के अलग-अलग अर्थ हैं। इनके योग से नया शब्द बना 'दूरदर्शन'।

**योगरूढ़ शब्द** - ऐसे शब्द जो बनावट की दृष्टि से यौगिक तो होते हैं किन्तु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे - 'पंकज' शब्द का सामान्य अर्थ है 'कीचड़ से उत्पन्न' किन्तु 'पंकज' से 'कमल' का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। लम्बोदर, चक्रपाणि, दशानन, जलज, आदि योगरूढ़ शब्द हैं।

## 6.5 शब्द-रचना

'शब्द स्रोत' शीर्षक में आपने पढ़ा कि किस तरह संस्कृत के तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों से हिन्दी की शब्द सम्पदा में वृद्धि हुई। इसी प्रकार जन साधारण के भाषिक व्यवहार (बोलचाल) में भी अनेक देशज शब्द हिन्दी भाषा की सम्पत्ति बने। अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में घुलमिल गए। यद्यपि इनका व्यवहार सामान्य बोलचाल की भाषा तक सीमित है। हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिए उसे आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी युग के लिए अधिक से अधिक सक्षम बनाने के लिए नए-नए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में हिन्दी के राजभाषा बनने के बाद नए शब्दों की रचना अपरिहार्य हो गयी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन तकनीकी शब्दावली आयोग ने मानक हिन्दी की शब्द सम्पदा में हजारों नए शब्दों की रचना करके महत्वपूर्ण समृद्धि की है। शब्द-रचना के तत्व और उनके द्वारा शब्द-रचना पद्धति के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेगें।

हिन्दी में निम्नलिखित तत्वों की सहायता से शब्द-रचना की जाती है।

1. उपसर्ग

2. प्रत्यय

3. समास

### 6.5.1 उपसर्ग

उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करता है और मूल शब्द के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे 'मान' शब्द में 'अभि' उपसर्ग लगाने पर एक नया शब्द 'अभिमान' बना। 'मान' रूठने के अर्थ में जबकि 'अभिमान' घमण्ड के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस तरह आपने देखा कि उपसर्ग लगाने से बने नए शब्द का अर्थ भी मूल शब्द से भिन्न हो जाता है। शब्द-रचना में उपसर्ग की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। उपसर्ग के प्रयोग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वे शब्दों के साथ लगाकर ही अपने विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। दूसरी बात, उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगाए जाते हैं।

हिन्दी मे तीन प्रकार के उपसर्गों से शब्द-रचना होती है।

1. तत्सम उपसर्ग 2. तद्भव उपसर्ग 3. विदेशी उपसर्ग

**1. तत्सम उपसर्ग** - आप पहले पढ़ आये हैं कि हिन्दी में संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। अतः तत्सम उपसर्गों की संख्या भी अधिक होना स्ववभाविक है। तत्सम उपसर्ग और उनकी सहायता से बने तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

| **उपसर्ग** | **उपसर्ग से बने शब्द** |
|---|---|
| अति | अतिरिक्त, अत्यंत, अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण |
| अधि | अधिकार, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिकरण |
| अनु | अनुजा, अनुवाद, अनुशासन, अनुपात, अनुज ,अनुकूल |
| अप | अपवाद, अपमान, अपराध, अपभ्रंश, अपव्यय, अपहरण |
| अभि | अभिमान, अभियंता, अभ्यास, अभिनव, अभियोग |
| अव | अवस्था, अवगत, अवज्ञा, अवतार, अवसान |
| आ | आकाश, आकर्षण, आदान, आचरण, आमुख |
| उत्/उद् | उत्तम, उत्कंठा, उद्यम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धत |
| उप | उपासना, उपस्थित, उपकार, उपनिवेश, उपदेश |
| दुर्/दुस् | दुर्दशा, दुराचार, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्लभ |
| नि | निर्देशन, निकृष्ट, निवास, नियुक्ति, निबन्ध |
| निर्/निस् | निर्भय, निर्दोष, निश्छल, निवास, निर्मल |
| परा | पराजय, पराभव, परिधि, परिजन, परिक्रमा |
| प्र | प्रकाश, प्रश्न, प्रयास, प्रपंच, प्रसन्न, प्रसिद्धि |
| प्रति | प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिमान, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी |
| वि | विकास, विशेष, विज्ञान, विधवा, विनाश, विभिन्न |
| सम् | संसार, सम्मुख, संग्राम, संकल्प, संयोग, संस्कृत, संस्कार, |
| अपर | अपराह्न |
| अन्य | अन्यत्र, अन्योक्ति, अन्यतम |
| चिर | चिरंजीव, चिरायु, चिरकाल |
| पुरा | पुरातत्त्व, पुरातन, पुराविद् |

| | |
|---|---|
| यथा | यथासम्भव, यथाशक्ति, यथासमय |
| बहिः | बहिष्कार, बहिर्मुख, बहिर्गामी, बहिरंग |
| सत | सत्कार, सत्कार्य, सद्गति, सज्जन |
| स्व | स्वभाव, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वस्थ |
| स, सह | सहयात्री, सहकारिता, सहकार, सहगामी |
| न | नास्तिक, नपुसंक, नक्षत्र |
| अग्र | अग्रणी, अग्रज, अग्रसर, अग्रगामी |

**2. तद्भव उपसर्ग** - तद्भव उपसर्ग से बने शब्द प्रायः जनसामान्य की बोलचाल की भाषा से प्रयुक्त होते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

| **उपसर्ग** | **उपसर्ग से बने शब्द** |
|---|---|
| अ/अन | अमोल, अथाह, अनपढ़, अनमोल, अनजान |
| अध | अधजला, अधपका, अधमरा, अधखिला |
| उन | उन्नीस, उनचास, उजाड़, उचक्का, उजड्ड |
| औ | औगुन, औघट |
| दु | दुबला, दुकाल |
| नि | निडर, निकम्मा, निहत्था, निखरा |
| बिन | बिनब्याहा, बिनदेखा, बिनखाया, बिनबोया |
| भर | भरपेट, भरसक, भरमार, भरपूर |
| क/कु | कपूत, कुढंग, कुघड़ी |
| स/सु | सपूत, सरस, सुडौल, सुजान, सजग |

**3. विदेशी उपसर्ग** - हिन्दी ने अरबी-फारसी शब्दों के साथ उनके उपसर्ग भी ग्रहण किए हैं। इनके कुछ उदाहरण देखें -

| **उपसर्ग** | **उपसर्ग से बने शब्द** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| अल | अलबत्ता |
| कम | कमजोर, कमसिन, कमख्याली |
| खुश | खुशदिल, खुशमिजाज, खुशबू, खुशहाल, |
| गैर | गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरवाजिब |
| दर | दरकिनार, दरमियान, दरख्वास्त |
| ना | नापसन्द, नाराज, नालायक, नासमझ, नामुमकिन |
| बद | बदनाम, बदबू, बदमाश, बदतमीज |
| बर | बरखास्त, बरदाश्त |
| बिला | बिलावजह |
| बे | बेअदब, बेईमान, बेईज्जत, बेरहम, बेकसूर |
| ला | लाइलाज, जालवाब, लापरवाह, लापता |
| हम | हमसफर, हमदर्दी, हमपेशा, हमउम्र, हमराह |
| सर | सरकार, सरताज, सरपंच, सरहद, सरदार |
| ब | बदौलत, बनाम |
| अल | अलबत्ता |
| बिल | बिल्कुल |
| बा | बाकायदा |

इसके अतिरिक्त हिन्दी में अंग्रेजी उपसर्ग से बने शब्द भी काफी प्रचलित हैं।

**अभ्यास .4 -**

(क) निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए -

अत्याचार .....................................

उनचास .....................................

संसार .....................................

कपूत ....................................

अन्यत्र ....................................

लापरवाह ....................................

(ख) निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से शब्द बनाइए -

खुश ....................................

अधि ....................................

सम् ....................................

नि ....................................

उप ....................................

बिन ....................................

**6.5.2 प्रत्यय**

मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को 'प्रत्यय' कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। दोनों में अन्तर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में।

प्रत्यय दो प्रकार के हैं -

1. कृत प्रत्यय 2. तद्धित प्रत्यय

**1. कृत प्रत्यय** - क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके मेल से बने शब्द को 'कृदन्त' कहते हैं। जैसे - गाना (क्रिया) में 'हार' प्रत्यय लगाने से 'गावनहार' शब्द बनता है। यहाँ आपने देखा कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में लगकर उसे बिल्कुल नया रूप और नया अर्थ देते हैं।

कृत प्रत्यय से हिन्दी में भाववाचक, करणवाचक, और कर्तृवाचक संज्ञाएं तथा विशेषण बनते हैं। ये सभी संज्ञा विशेषण तद्भव शब्दों में होती हैं। इनके कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं -

**भाववाचक संज्ञाएं -**

| **धातु** | **प्रत्यय** | **संज्ञा** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| भिड़/लड़/उठ | अन्त/आई/आन | भिड़न्त/लड़ाई/उठान |
| पूज/भूल/चिल्ल | आपा/आवा/आहट | पुजापा/भुलावा/चिल्लाहट |
| बोल/चाट | ई/नी/ | बोली/चटनी |
| समझ/मान | औता/औती | समझौता/मनौती |
| खिंच | आव | खिंचाव |

**कारणवाचक संज्ञाएं -**

| | | |
|---|---|---|
| झूल/मथ | आ/आनी | झूला/मथानी |
| रेत/झाड़ | ई/ऊ | रेती/झाड़ू |
| कस | औटी | कसौटी |
| बेल | न | बेलन |

**कृर्तृवाचक विशेषण -**

| | | |
|---|---|---|
| टिक | आऊ | टिकाऊ |
| तैर/लड़ | आक/आका | तैराक/लड़ाका |
| खेल/झगड़ा | आड़ी/आलू | खिलाड़ी/झगड़ालू |
| बढ़/अढ़ | इया/इयल | बढ़िया/अड़ियल |
| लड़ | ऐत | लड़ैत |
| हँस/भाग | ओड़/ओड़ा | हँसोड़/भगोड़ा |
| पी | अक्कड़ | पियक्कड़ |
| मिल | सार | मिलनसार |
| रो/रख | हारा/हार | रोवनहार/राखनहार |

तत्सम कृत् प्रत्यय इस प्रकार हैं -

| | | |
|---|---|---|
| कम्/विद्/वन्द | अ/आन/अना | काम/विद्वान/वन्दना |

| | | |
|---|---|---|
| इष्/पूजा/गै | आ/अक | इच्छा/पूजा/गायक |
| तन्/भिक्ष् | उ/उक | तनु/भिक्षुक |
| त्यज | ई | त्यागी |
| विद् | मान | विद्यमान |
| कृ | तव्य | कर्तव्य |
| दृश/पूज | अनीय/उपनीय | दर्शनीय/पूजनीय |

विदेशी कृत् प्रत्ययों में फारसी के प्रचलित उदाहरणों को देखा जा सकता है -

| **धातु** | **प्रत्यय** | **कृदन्तशब्द** |
|---|---|---|
| आमदन (आना) | ई | आमदनी |
| रिह (छूटना) | आ | रिहा |
| जी (जीना) | इन्दा | जिन्दा |
| बाश (रहना) | इन्दा | बाशिन्दा |
| चस्प (चिपकना) | आँ | चस्पाँ |

**2. तद्धत प्रत्यय -** तद्धत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण शब्दों के अन्त में लगते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण के अन्त में लगने वाले शब्दांश को तद्धत प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को 'तद्धितान्त' कहते हैं। जैसे -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मुनि (संज्ञा) | $ | अ (प्रत्यय) | = | मौन |
| अपना (सर्वनाम) | $ | पन (प्रत्यय) | = | अपनापन |
| अच्छा (विशेषण) | $ | आई (प्रत्यय) | = | अच्छाई |

आपने देखा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अन्तर केवल इतना है कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अन्त में लगते हैं जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अन्त में। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी संस्कृत, हिन्दी और विदेशी (उर्दू) से आकर क्रमशः तत्सम, तद्भव, और विदेशी शब्द-रचना में सहायक हुए हैं। आगे आप सोदाहरण इसका अध्ययन करेगें।

संस्कृत के तद्धित प्रत्यय - इनके उदाहरण इस प्रकार हैं -

| **संज्ञा/विशेषण** | **प्रत्यय** | **शब्द** |
|---|---|---|
| कुरू/मुनि | अ | कौरव/मौन |
| शिक्षा/राम | अक/आयन | शिक्षक/रामायन |
| वर्ष/पुष्प/रक्त | इक/इत/इम | वार्षिक/पुष्पित/रक्तिम |
| क्षत्र/बल | इय/इष्ठ | क्षत्रिय/बलिष्ठ |
| कुल/पक्ष | ईन/ई | कुलीन/पक्षी |
| अंश/पश्च | तः/त्य | अंशतः/पाश्चात्य |
| दिति/वत्स/दया | य/ल/लु | दैत्य/वत्सल/दयालु |
| माया | वी | मायावी |

इसी तरह तद्धित प्रत्यय से अनेक प्रकार की संज्ञा शब्दों और विशेषण शब्दों की रचना हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं -

I. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द -

| **जातिवाचक संज्ञा** | **प्रत्यय** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|---|
| मित्र/शत्रु/प्रभु | ता | मित्रता/शत्रुता/प्रभुता |
| गुरू/मनुष्य/पुरुष | त्व | गुरूत्व/मनुष्यत्व/पुरुषत्व |
| पण्डित | य | पाण्डित्य |
| मुनि | अ | मौन |

II. नामवाचक संज्ञा से अपत्यवाचक संज्ञा शब्द -

| **व्यक्तिवाचक संज्ञा** | **प्रत्यय** | **अपत्यवाचक संज्ञा** |
|---|---|---|
| मनु/कुरु/पाण्डु/वसुदेव | अ | मानव/कौरव/पाण्डव/वासुदेव |
| राधा/कुन्ती | एय | राधेय/कौन्तेय |
| दिति | य | दैत्य |

III. विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द -

| **विशेषण** | **प्रत्यय** | **भाववाचक संज्ञा** |
|---|---|---|
| बुद्धिमान/मूर्ख/शिष्ट | ता | बद्धिमत्ता/मूर्खता/शिष्टता |
| वीर/लघु | त्व | वीरत्व/लघुत्व |
| गुरू/लघु | अ | गौरव/लाघव |

IV. संज्ञा से विशेषण शब्द -

| **संज्ञा** | **प्रत्यय** | **विशेषण** |
|---|---|---|
| तालु/ग्राम | य | तालव्य/ग्राम्य |
| मुख/लोक | इक | मौखिक/लौकिक |
| आनन्द/फल | इत | आनन्दित/फलित |
| बल/कर्म | इष्ठ/निष्ठ | बलिष्ठ/कर्मनिष्ठ |
| मुख/मधु | र | मुखर/मधुर |
| ग्राम/राष्ट्र | ईन/ईय | ग्रामीण/राष्ट्रीय |

अब तक आपने तत्सम प्रत्यय से बने विविध प्रकार के शब्दों से परिचय प्राप्त किया। आगे हम तद्भव और विदेशी तद्धित प्रत्ययों द्वारा शब्द रचना के उदाहरण प्रस्तुत करेगें।

**हिन्दी तद्धित प्रत्यय** - हिन्दी के सभी तद्धित प्रत्यय तद्भव रूप में है। अतः इनसे बनने वाले शब्द भी तद्भव हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तत्सम प्रत्यय का प्रयोग तत्सम शब्द रचना के लिए ही होता है। संज्ञा-विशेषण में तद्धित प्रत्यय लगाकर हिन्दी के भाववावचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखें -

| **संज्ञा/विशेषण** | **प्रत्यय** | **भाववाचक संज्ञा शब्द** |
|---|---|---|
| चतुर/चौड़ा | आई | चतुराई/चौड़ाई |
| मीठा/छूट/ /कड़वा | आस/आरा/ /आहट | मिठास/छुटकारा/कड़वाहट |
| रंग/कम/बाप | त/ती/औती | रंगत/कमती/बपौती |

इसी प्रकार संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं -

| **संज्ञा** | **प्रत्यय** | **विशेषण** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| भूख | आ | भूखा |
| देहात/रंग | ई/ईला | देहाती/रंगीला |
| चाचा/भाँग/खपरा | एरा/एड़ी/ऐल | चचेरा/भँगेड़ी/खपरैल |
| भूत/छूत/सोना | ह/हर/हरा | भुतहा/छुतहर/सुनहरा |

तद्धित प्रत्यय द्वारा तद्भव शब्द रचना के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं -

| **संज्ञा** | **प्रत्यय** | **तद्भव शब्द** |
|---|---|---|
| ससुर/नाना/सोना | आल/हाल/आर | ससुराल/ननिहाल/सुनार |
| मामा/नाक | एरा/एल | ममेरा/नकेल |
| आढ़त/तेल | इया/ई | अढ़तिया/तेली |
| चोर/बाछा | टा/ड़ | चौट्टा/बछड़ा |

**विदेशी तद्धित प्रत्यय -** हिन्दी में फारसी तद्धित प्रत्ययों से बने कुछ प्रचलित शब्दों के उदाहरणों से विदेशी तद्धित प्रत्यय को भली-भाँति समझा जा सकता है।

| **मूल शब्द** | **प्रत्यय** | **तद्धितान्त शब्द** |
|---|---|---|
| सफेद/जन | आ/आना | सफेदा/जनाना |
| ईरान/शौक/माह | ई/ईन/ईना | ईरानी/शौकीन/महीना |
| पेश/मदद | कार/गार | पेशकार/मददगार |
| दर्द/उम्मीद | नाक/वार | दर्दनाक/उम्मीदवार |
| बाग | ईच | बगीचा |
| गम | गीन | गमगीन |
| कलम | दान | कलमदान |
| घड़ी/नशा | साज/बाज | घड़ीसाज/नशाबाज |
| ईद/राह | गाह/गीर | ईदगाह/राहगीर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| फौज/दर | दार/नार | फौजदार/दरबारइसी | प्रकार |

अरबी तद्धित प्रत्यय से बने कुछ शब्दों को देखा जा सकता है जो हिन्दी में बोलचाल की भाषा में काफी प्रचलित हैं। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| जिस्म/रूह | आनी | जिस्मानी/रूहानी |
| इंसान | इयत | इंसानियत |
| बाबर (विश्वास) | ची | बावरची |

आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा कितने नए-नए शब्दों की रचना की जा सकती है। इस सन्दर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अनेक शब्द ऐसे हैं कि जिनकी रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से होती है। इस प्रकार की शब्द-रचना के कुछ उदाहरण देख जा सकते हैं -

| **उपसर्ग** | **मूल शब्द** | **प्रत्यय** | **शब्द रचना** |
|---|---|---|---|
| अप | मान | इत | अपमानित |
| अ | लोक | इक | अलौकिक |
| अभि | मान | ई | अभिमानी |
| उप | कार | क | उपकारक |
| परि | पूर्ण | ता | परिपूर्णता |
| दुस् | साहस | ई | दुस्साहसी |
| बद् | चलन | ई | बदचलनी |
| निर् | दया | ई | निर्दयी |
| अन | उदार | ता | अनुदारता |
| अ+प्रति | आशा | इत | अप्रत्याशित |

**अभ्यास प्रश्न 5 -**

(क) निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और उसका नाम बताइए -

1. पूजनीय

.....................................................................

2. दयालु

.....................................................................

3. मानव

.....................................................................

4. चटनी

.....................................................................

5. गायक

.....................................................................

(ख) निम्नलिखित प्रत्यय की सहायता से दो-दो शब्द बनाइए -

1. पा

.....................................................................

2. इक

.....................................................................

3. एय

.....................................................................

4. त्व

.....................................................................

5. इष्ठ

.....................................................................

**अभ्यास प्रश्न 6 -** निम्नलिखित वाक्यों में सही (√) या गलत (ग्) का निशान लगाइए -

1. क्रिया या धातु के अन्त में लगने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

2. प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है।

3. उपसर्ग या प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलता।

4. संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय कृत् प्रत्यय होते हैं।

5. शब्द-रचना में उपसर्ग और प्रत्यय बहुत उपयोगी हैं।

### 6.5.3 समास

उपसर्ग और प्रत्यय की तरह समास भी शब्द-रचना में अत्यंत उपयोगी है। समास का अर्थ और उनके भेदों की जानकारी के बाद आप देखेंगे कि समास के द्वारा कैसे शब्द-रचना होती है। 'समास' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम् $ आस। सम् का अर्थ है - 'संक्षिप्त और सुंदर' तथा आस का अर्थ है 'कथन'। इस प्रकार समास का अर्थ है - संक्षिप्त और सुन्दर कथन। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास से बना शब्द 'सामासिक' कहलाता है। जैसे - 'गृह में प्रवेश' शब्द में 'में' विभक्ति हटाकर 'गृह' और 'प्रवेश' बचता है। इन दोनों को मिलाने ये 'गृह प्रवेश' सामासिक शब्द बना। समास के मुख्यतः चार भेद माने गए हैं - अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रहि, और द्वन्द्व। हिन्दी में कर्मधारय और द्विगु समास की गणना भी स्वतंत्र रूप में होती है। यद्यपि संस्कृत में ये दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में जाने जाते हैं।

समास के विभिन्न भेद और उनसे होने वाली शब्द-रचना को हम विस्तार से देखेगें।

**1. अव्ययीभाव समास** - इस समास में संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। संक्षेप में इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संज्ञा | + | संज्ञा | = | घर-घर, पल-पल, गाँव-गाँव |
| विशेषण | + | संज्ञा | = | हरदिन, हर दिन |
| अव्यय | + | संज्ञा | = | प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन |

**2. तत्पुरुष समास** - इसमें दो शब्दों (पदों) में अन्तिम पद प्रधान होता है। जैसे - 'राजा की कन्या', 'अकाल से पीड़ित' में 'कन्या' और 'पीड़ित' पद प्रधान है क्योंकि वाक्य प्रयोग में लिंग और वचन का निर्धारण अन्तिम पद के अनुसार ही होगा। जैसे - राजा की कन्या आ रही है। जनता अकाल से पीड़ित है। 'राजा की कन्या' और 'अकाल से पीड़ित' से विभक्ति 'की' और 'से' को हटा देने से 'राजकन्या' और 'अकाल पीड़ित' सामासिक शब्द बनते हैं।

तत्पुरुष समास से शब्द-रचना का सूत्र है -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| संज्ञा | + | विभक्ति | + | संज्ञा = राजा का दरबार - राजदरबार |
| संज्ञा | + | विभक्ति | + | विशेषण = पुरुषों में उत्तम - पुरुषोत्तम |

**3. बहुब्रहि समास** - इस समास में दो शब्दों का योग होने पर अपने समान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे - 'लम्बोदर' - लम्बा उदर (पेट है जिसका अर्थात गणेश)। दशानन (दस मुख हैं जिसके) अर्थात रावण। इस प्रकार दो शब्द अपने सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ प्रकट करते हैं।

चतुर्भुज, चतुर्मुख, चक्रपाणि, पीताम्बर, जितेन्द्रिय आदि बहुब्रहि समास के शब्द हैं।

**4. द्वन्द्व समास -** द्वन्द्व समास में दो शब्दों के बीच आने वाले 'और/या' जैसे अव्यय हट जाते हैं और दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे - भाई और बहन (भाई-बहन)। पाप या पुण्य (पाप-पुण्य)। भला-बुरा, देश-विदेश, रुपया-पैसा, खाना-पीना, नाक-कान, नर-नारी, भूखा-प्यासा आदि शब्द द्वप्द्व समास के उदाहरण हैं।

**5. कर्मधारय समास -** इस समास में दो शब्दों के बीच विशेषण और विशेष्य (संज्ञा) का अथवा उपमान और उपमेय का सम्बंध रहता है। जैसे -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| विशेषण | + | विशेष्य | = | नीलकमल, नीलगाय |
| उपमेय | + | उपमान | = | चरणकाल, कमलनयन |

परमेश्वर, सज्जन, महात्मा, शीतोष्ण, घनश्याम, महाकाव्य, सद्भावना, नवयुवक, महावीर आदि शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण हैं।

**6. द्विगु समास** - द्विगु समास में दो शब्दों में पहला शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा शब्द संज्ञा। अर्थात संख्यावाचक विशेषण और संज्ञा से मिलकर द्विगु समास की रचना होती है। जैसे -

| | | |
|---|---|---|
| दूसरा पहर | = | दोपहर |
| पाँच तत्वों का समूह | = | पंचतत्व |
| चार राहों वाला | = | चौराहा |

नवरत्न, पंचपरमेश्वर, चौमासा, त्रिभुवन, तिमंजिला, सप्तक, अष्टपदी, सतसई, षडरस, नवग्रह, त्रिपदी आदि द्विगु समास के उदाहरण हैं। इस प्रकार आपने देखा कि समास से किस तरह संक्षिप्त और सुन्दर शब्द-रचना होती है। इससे भाषा की शब्द-सम्पदा में वृद्धि होती है, साथ ही भाषा का अभिव्यक्ति सौन्दर्य भी बढ़ता है।

**अभ्यास प्रश्न 7 -** निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए -

डाल-डाल ............................................

गगनचुम्बी ............................................

अष्टाध्यायी ............................................

हरिशंकर ............................................

देवासुर ............................................

यथाशीघ्र ............................................

श्यामसुन्दर ............................................

घर-आँगन ............................................

चतुरानन ............................................

चौअन्नी ............................................

### 11.3.4 द्विरुक्ति

द्विरुक्ति का अर्थ है - दोहराना। अर्थात एक ही शब्द को दो बार उच्चारित करना। हिन्दी भाषा में द्विरुक्ति से सैकड़ों शब्दों की रचना हुई है। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। द्विरुक्ति से शब्द-रचना के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

| | | |
|---|---|---|
| संज्ञा शब्द | - | घर-घर, बूँद-बूँद, कौड़ी-कौड़ी, पानी-पानी |
| सर्वनाम शब्द | - | अपना-अपना, किस-किस, क्या-क्या, कुछ-कुछ |
| विशेषण शब्द | - | बड़े-बड़े, छोटे-छोटे, लाल-लाल, गोल-गोल |
| क्रिया शब्द | - | जाते-जाते, हँसते-हँसते, रोते-रोते, गाते-गाते |
| क्रिया विशेषण शब्द | - | धीरे-धीरे, पास-पास, ऊपर-ऊपर, जल्दी-जल्दी, |
| विस्मययदि बोध का शब्द | - | राम-राम, छिह-छिह, वाह-वाह |
| विभक्ति युक्त शब्द | - | गाँव के गाँव, झुण्ड के झुण्ड, पास ही पास |

**अभ्यास प्रश्न 8** - द्विरुक्ति शब्दों से युक्त पाँच वाक्य बनाइए -

1. ........................................................................................................
........................................................................................................

2.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

4.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

5.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

## 6.6 संकर शब्द

संकर शब्द का अर्थ है मिश्रित। दो भाषाओं या एक ही भाषा के दो रूपों के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो भिन्न स्रोतों के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया जाता है। उदाहरण के लिए 'रेलगाड़ी' शब्द को लें। 'रेल' अंग्रेजी का शब्द है और 'गाड़ी' हिन्दी का। इसी प्रकार 'रेडियो' (अंग्रेजी) और 'तरंग' (हिन्दी) को मिलाकर 'रेडियोतरंग' शब्द बनता है।

संकर शब्दों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं -

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | अंग्रेजी +हिन्दी | - | बस यात्री, रेल यात्रा, बमवर्षा, टिकटघर |
| II. | हिन्दी + अंग्रेजी | - | अश्रुगैस |
| III. | हिन्दी + फारसी | - | तनबदन, दुःखदर्द, घुड़सवार, चिड़ियाखना |
| IV. | फारसी + हिन्दी | - | सवारी गाड़ी, दरियाई घोड़ा, गली मोहल्ला |
| V. | हिन्दी + अरबी | - | चोर महल, मालगाड़ी, मोतीमहल, गंडाताबीज, रीति रिवाज |
| VI. | अरबी + हिन्दी | - | कफनचोर, अजायबघर, हुक्कापानी |

इस तरह ऐसे सैकड़ों शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं।

## 6.7 शब्द-रूप और शब्द-प्रयोग

आप जानते हैं कि भाषा शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों और विचारों को व्यक्त करती है। शब्द-प्रयोग में मुख्य बात यह है कि शब्द भाषा के साधन हैं, साध्य नहीं। भाषा का साध्य भाव-विचार की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति करना है। हिन्दी शब्द सम्पदा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव या विचार को व्यक्त करने वाले अनेक शब्द हैं। इसलिए इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता है। आगे हम शब्द-रूप के बारे में जानकारी के बाद शब्द-प्रयोग में बरतने वाली सावधानी पर चर्चा करेगें। शब्द-रूप निम्नलिखित प्रकार के हैं -

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. समानार्थक शब्द
4. श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द

**1. पर्यायवाची शब्द** - समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इस तरह के शब्दोें में अर्थ की समानता के बावजूद इनका प्रयोग प्रसंग और संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए अग्नि, पावक, अनल, हुताशन, धूमकेतु, आदि आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब कहीं आग लगने पर यह नहीं कहेगें कि अनल या पावक लग गयी है। इसी तरह धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ आदि में 'आग लगाओ' या 'आग जलाओ' न कहकर 'अग्नि लाओ' या 'अग्नि दो' कहा जाता है। अतः प्रसंग और स्थान के गुण-धर्म के अनुसार ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ अध्ययन के लिए कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं -

| **शब्द** | **पर्यायवाची शब्द** |
|---|---|
| असुर | दनुज, दानव, दक्त्य, निशिचर, राक्षस |
| अनुपम | अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल |
| आकाश | गगन, व्योग, अम्बर, नभ, आसमान |
| इच्छा | अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ |
| कमल | पंकज, राजीव, सरसिज, अम्बुज, नलिन |
| गणेश | लम्बोदर, एकदन्त, विनायक, गजानन, गणपति |
| गंगा | भागीरथी, मन्दाकिनी, सुरसुरि |

| | |
|---|---|
| घर | आवास, निकेतन, गृह, भवन, सदन |
| जल | नीर, सलिल, वारि, पय, पानी |
| दुःख | व्यथा, कष्ट, पीड़ा, सन्ताप, शोक, क्लेश |
| पुष्प | कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल |
| रात | रजनी, निशा, विभावरी, रात्रि, यामिनी |
| समुद्र | सागर, जलनिधि, रत्नाकर, सिन्धु |
| सोना | स्वर्ण, कंचन, कनक |
| स्त्री | वनिता, महिला, कान्ता, नारी, कामिनी, रमणी |

**2. विलोम शब्द -** एक शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है - विपरीत या उलटा। जैसे - 'अस्त' शब्द का विपरीतार्थक 'उदय' होगा। प्रायः विलोम शब्द की रचना उपसर्ग की सहायता से होती है। किन्तु अनेक शब्दों के स्वतंत्र विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे 'सत्य' का विलोम 'असत्य' न होकर 'मिथ्या' होगा। इसलिए विलोम शब्द का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।

विलोम शब्द के कुछ उदाहरण देखें -

| **शब्द** | **विलोम** | **शब्द** | **विलोम** |
|---|---|---|---|
| अग्र | पश्चात | स्वार्थ | परमार्थ |
| अल्पायु | दीघार्यु | मूक | वाचाल |
| अपेक्षा | उपेक्षा | नूतन | पुरातन |
| आस्था | अनास्था | नास्तिक | आस्तिक |
| आशा | निराशा | जटिल | सरल |
| आमिष | निरामिष | गृहस्थ | संन्यासी |
| आयात | निर्यात | भूत | भविष्य |
| खण्डन | मण्डन | निन्दा | स्तुति |
| गम्भीर | चंचल | राग | विराग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| गुण | दोष | सम्मान | अपमान |
| स्वकीया | परकीया | सात्विक | तामसिक |

**3. समानार्थक शब्द** - कुछ शब्दों के अर्थ समान से लगते हैं किन्तु प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अन्तर होता है। जैसे - 'पीड़ा' ओर 'वेदना' शब्दों को लें। दोनों में 'दर्द होने' का भाव है किन्तु 'पीड़ा' शारीरिक कष्ट से होती है और 'वेदना' मानसिक कष्ट से। इस तरह प्रयोग की दृष्टि से दोनों में अर्थ का सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट है।

समानार्थक शब्दों के नीचे दिए गए उदाहरण से भली-भाँति समझा जा सकता है-

| **शब्द** | **अर्थ भेद** |
|---|---|
| अज्ञान | ज्ञान का न होना |
| अनभिज्ञ | किसी बात की जानकारी न होना |
| अनुभव | अभ्यास, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान |
| अनुभूति | चिन्तन-मनन से प्राप्त आन्तरिक ज्ञान |
| अस्त्र | फेंककर प्रयोग किया जाने वाला हथियार |
| शस्त्र | हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार |
| प्रेम | समान अवस्था वालों से प्रीति |
| स्नेह | अपने से छोटों के प्रति प्रेमभाव |
| वात्यल्य | बच्चे के प्रति प्रेम |
| ईर्ष्या | दूसरे की सफलता पर मन की जलन |
| घृणा | दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव |
| व्याख्यान | मौखिक भाषण |
| अभिभाषण | लिखित भाषण |

**4. श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द** - 'श्रुतिसम' का अर्थ होता है - 'सुनने में समान' और 'भिन्नार्थक' का अर्थ है -'भिन्न अर्थ वाला'। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं (यद्यपि वे समान नहीं होते हैं) किन्तु उनके अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को

श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द कहा गया है। श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दों के प्रयोग में उनकी वर्तनी और अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शब्दों को कुछ उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है -

| **शब्द** | **अर्थ** | **शब्द** | **अर्थ** |
|---|---|---|---|
| अन्त | समाप्त | अविराम | निरन्तर |
| अन्त्य | नीच | अभिराम | सुन्दर |
| अन्न | अनाज | अभिज्ञ | जानने वाला |
| कर्म | काम | चक्रवात | बवण्डर |
| दूत | सन्देशवाहक | परिणाम | नतीजा |
| द्यूत | जुआँ | परिमाण | मात्रा |
| वाद्य | बाजा | साला | पत्नी का भाई |
| वाद | तर्क, विचार | शाला | घर |

इस तरह आपने भली-भाँति यह समझ लिया होगा कि रूप और अर्थ की दृष्टि से समानता होते हुए भी प्रसंग और गुण-धर्म के अनुसार शब्दों का प्रयोग किस तरह सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

**अभ्यास प्रश्न 9 -**

(क) निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची लिखिए -

स्वर्ण ............................................, ..........................................

आकाश - ............................................, ..........................................

प्रसन्नता - ............................................, ..........................................

पानी - ............................................, ..........................................

फूल - ..............................................,
...............................................

(ख) निम्नलिखित शब्दों के विलाम लिखिए -

स्तुति - .................................................

उपेक्षा - .................................................

दीघार्यु - .................................................

सम्मान - .................................................

सन्यासी - .................................................

**अभ्यास प्रश्न** 10 - निम्नलिखित समानार्थी शब्दों के अर्थ-भेद बताइए -

गौरव -
.......................................................................................................

अभिमान-
.......................................................................................................

मूर्ख -
.......................................................................................................

मूढ़ -
.......................................................................................................

शोक -
.......................................................................................................

वेदना -
.......................................................................................................

लज्जा -
.......................................................................................................

ग्लानि -
.......................................................................................................

श्रद्धा -

..............................................................................................

भक्ति -

..............................................................................................

## 6.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई के सम्पूर्ण अध्ययन के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होगें कि भाषा में शब्दों का कितना महत्व है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका शब्द-भण्डार कितना समृद्ध है। साथ ही वह अपने विकास में कितने देशी-विदेशी शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप आत्मसात करती चलती है। हिन्दी शब्द सम्पदा का अध्ययन करते समय आप शब्द-स्रोतों से भी परिचित हो गए होंगे कि किस तरह विभिन्न स्रोतों से शब्दों को लेकर हिन्दी का शब्द-भण्डार इतना सम्पन्न हो सका है। शब्द-रचना के अन्तर्गत आपने शब्द-निर्माण में सहायक तत्वों - उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि का परिचय पा लिया होगा जिनसे युगीन विचार की अभिव्यक्ति के लिए नए-नए शब्दों की रचना की जाती रही है। साथ ही शब्दों के विभिन्न रूपों- पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक शब्दों के अर्थ-भेद को समझ कर उनके प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातों से परिचित हो गए होंगे। इस प्रकार इस इकाई को पढ़कर आप हिन्दी की शब्द-सम्पदा के विविध आयामों से परिचित होकर शब्द-प्रयोग में भी अपेक्षित कौशल को सिद्ध कर चुके होगें।

## 6.9 शब्दावली

- स्रोत - उद्गम
- आर्यभाषा - संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश
- तत्सम - संस्कृत से आगत
- धातु - शब्द का मूल रूप
- वैदिक संस्कृत - वेद, उपनिषद की भाषा
- रूढ़ - परम्परा से प्रचिलित
- उपसर्ग - शब्द के पूर्व लगने वाला
- प्रत्यय - शब्द के अंत में लगने वाला
- संकर - मिश्रित
- द्विरुक्ति - किसी शब्द को दो बार कहना
- विलोम - विपरीत, उलटा

## 6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

**अभ्यास प्रश्न - 1**

अनुच्छेद से छाँटे गए शब्द -

| | | |
|---|---|---|
| तत्सम | - | विद्यालय, पक्ष, सन्तुष्ट, विश्वास, अनुशासन, समस्या |
| तद्भव | - | खेल-कूद, मारपीट, गुट, कच्चा, घड़ा, दाँव |
| देशज | - | घुसकर, बाप, टल, ढेला, ताड़ी |
| विदेशी | - | इंटर कालिज, फीस, दुनिया, तकलीफ, गेम्स टीचर, आराम, मुसीबत, खुश |

**अभ्यास प्रश्न - 2**

| तत्सम | तद्भव | तत्सम | तद्भव |
|---|---|---|---|
| पुष्प | फूल | अश्रु | आँसू |
| कृष्ण | कान्हा | कर्म | काम |
| अग्नि | आग | सत्य | सच |
| रात्रि | रात | दण्ड | डण्डा |
| दुग्ध | दूध | गृह | घर |

**अभ्यास प्रश्न - 3**

1. देशज शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती।
2. संस्कृत से मूल रूप में लिए गए शब्द तत्सम हैं।
3. तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के ही विकृत रूप हैं।
4. अंग्रेजी 'रिपोर्ट' का हिन्दी में प्रचलित शब्द रपट है।
5. रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है।

**अभ्यास प्रश्न - 4**

| (क) | **शब्द** | **उपसर्ग** | **शब्द** | **उपसर्ग** |
|---|---|---|---|---|
| | अत्याचार | अति | उनचास | उन् |
| | संसार | सम् | कपूत | क |
| | अन्यत्र | अन्य | लापरवाह | ला |
| (ख) | **उपसर्ग** | **शब्द** | **उपसर्ग** | **शब्द** |
| | खुश | खुशखबरी | अधि | अधिकार |
| | सम् | सम्मुख | नि | निडर |
| | उप | उपस्थित | बिन | बिनदेखा |

**अभ्यास प्रश्न - 5**

| (क) | | **शब्द** | **प्रत्यय** | **नाम** |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | पूजनीय | अनीय | कृत प्रत्यय |
| | 2. | दयालु | आलु | तद्धित प्रत्यय |
| | 3. | मानव | अ | तद्धित प्रत्यय |
| | 4. | चटनी | नी | कृत प्रत्यय |
| | 5. | गायक | अक | कृत प्रत्यय |

| **(ख)** | **प्रत्यय** | **शब्द** |
|---|---|---|
| | पा | बुढ़ापा |
| | इक | मौखिक |
| | एय | पौरुषेय |
| | त्व | वीरत्व |
| | इष्ठ | कर्मनिष्ठ |

**अभ्यास प्रश्न - 6**

1. गलत (कृत प्रत्यय) 2. सही 3. गलत (अर्थ बदलता है)

4. गलत (तद्धित प्रत्यय) 5. सही

**अभ्यास प्रश्न - 7**

| शब्द | समास | शब्द | समास |
|---|---|---|---|
| डाल-डाल | अव्ययीभाव | गगनचुम्बी | तत्पुरुष |
| अष्टाध्यायी | द्विगु | हरिशंकर | द्वन्द्व |
| देवासुर | द्वन्द्व | यथाशीघ्र | अव्ययीभाव |
| श्यामसुन्दर | कर्मधारय | घर आँगन | द्वन्द्व |
| चतुरानन | बहुब्रीह | चौअनी | द्विगु |

**अभ्यास प्रश्न - 8**

1. बाढ़ में गाँव के गाँव बह गए।

2. वह घर जाते-जाते रुक गया।

3. ट्रेन धीरे-धीरे चल रही थी।

4. किस-किस को समझाऊँ ?

5. होली पर घर-घर धूम मची थी।

**अभ्यास प्रश्न - 9**

(क) स्वर्ण - कंचन, कनक। आकाश - अम्बर, गगन। प्रसन्नता - आनन्द, हर्ष। पानी - जल, नीर। फूल - पुष्प, कुसुम।

(ख) स्तुति - निन्दा। उपेक्षा - अपेक्षा। दीर्घायु - अल्पायु। सम्मान - अपमान। सन्यासी - गृहस्थ।

**अभ्यास प्रश्न - 10**

गौरव - अपनी शक्ति/योग्यता का उचित ज्ञान

अभिमान - अपनी शक्ति/योग्यता का अनुचित ज्ञान

| | | |
|---|---|---|
| मूर्ख | - | जो देर से समझे |
| मूढ़ | - | जिसमें समझने की शक्ति न हो |
| शोक | - | प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला दुःख |
| वेदना | - | मानसिक वेदना |
| लज्जा | - | अनुचित काम करने पर मुँह छिपाना |
| ग्लानि | - | किए गए कुकर्म पर एकान्त में पछताना |
| श्रद्धा | - | बड़ों के प्रति आदरसहित प्रेम |
| भक्ति | - | ईश्वर/गुरूजन के प्रति प्रेम |

## 6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ


- भोलानाथ तिवारी , हिन्दी शब्द सामर्थ्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- रामचन्द्र वर्मा, अच्छी हिन्दी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
- किशोरी दास वाजपेई, हिन्दी शब्द मीमांसा, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
- डॉ हरदेव बाहरी, हिन्दी उद्भव विकास और रूप, किताब महल, इलाहाबाद
- राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, शुद्ध हिन्दी कैसे सीखें, भारती भवन, पटना

# इकाई 7 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं वकास

इकाई की रूपरेखा


7.1 प्रस्तावना

7.2 पाठ का उद्देश्य

7.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

7.3.1 भाषा अर्थ एवं परिभाषा

7.3.2 हिन्दी भाषा-परिचय

7.3.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

7.4 हिन्दी भाषा और मानकीकरण का प्रश्न

7.5 हिन्दी और उर्दू का प्रश्न

7.6 सारांश

7.7 शब्दावली

7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

7.11 निबन्धात्मक प्रश्न

## 7.1 प्रस्तावना

हिन्दी भाषा का सम्बन्ध भारोपीय परिवार से हे। भारोपीय भाषा परिवार, संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसी भषा परिवार में संस्कृत, हिन्दी जैसी भाषाएँ आती है। हिन्दी भाषा की लम्बी सांस्कृतिक परम्परा रही है। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा के दाय को स्वीकार करके यह विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रश से हिन्दी भाषा के विकास को स्थिर किया गया है। शौरसेनी अपभ्रंश का संबंध शूरसेन प्रदेश व उसके आस-पास के क्षेत्र से रहा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृत भाषा के क्रमशः कई भेद हो गये- शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी एवं मागधी। हिन्दी व उसकी बोलियों का सम्बन्ध उपरोक्त अपभ्रंशों से ही हुआ है। हिन्दी भाषा केवल एक भाषा नहीं है, अपितु एक संस्कृति है। हिन्दी भाषा एक जातीय चेतना है। डॉ. रामविलास शर्मा हिन्दी को एक 'जाति' (विराट संस्कृति) के रूप में ही देखते हैं। कारण यह कि यह अपने में मात्र एक भाषा नहीं है, अपितु कई बोलियों/भाषाओं की जातीय संस्कृति को समेटे एक विराट संस्कृति है।

हिन्दी भाषा का परिदृश्य इतना व्यापक है कि इसके कई स्थानीय रूप व शैलियाँ प्रचलित हो गई है। अखिल भारतीय संदर्भ के कारण इसके व्याकरणिक रूपों में भी किंम्बित परिवर्तन हो गये हैं। अतः इस संबंध में मानकीकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। हिन्दी और उर्दू के संदर्भ का प्रश्न भी विवादित रहा हे। उर्दू, हिन्दी की एक शैली है या स्वतंत्र भाषा? इस प्रश्न को साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक-साम्प्रदायिक कई दृष्टियों से देखा गया है। इस प्रश्न पर भी हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे।

## 7.2 पाठ का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- भाषा के अर्थ को समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा की जनपदीय बोलियों से परिचित हो सकेंगे।
- हिन्दी और उर्दू के अंतर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे।
- भाषा और मानकीकरण के प्रश्न को समझ सकेंगे।

## 7.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं वकास

हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा की समझ के लिए भाषा की समझ होना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा की सम्प्रेषणीयता और उसके सामाजिक सरोकार की समझ के लिए भी भाषा की समझ आवश्यक है।

### 7.3.1 भाषाः अर्थ एवं परिभाषा

भाषा क्या है? हम भाषा का व्यवहार क्यों करते हैं? यदि हमारे पास भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? जेसे ढेरों प्रश्न गहरे विचार की माँग करते हैं। 'भाषा' धातु से उत्पन्न भाषा का शाब्दिक अर्थ है- बोलना। शायद यह व्याख्या तब प्रचलित हुई होगी जब मनुष्य केवल बोलता था, यानी उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रश्न यह है कि बिना बोले क्या मनुष्य रह सकता है? वस्तुतः भाषा सामाजिकता का आधार है...... मनुष्य के समस्त चिंतन व उपलब्धियों का आधार हे। इसका अर्थ यह नहीं है कि पशु-पक्षियों के पास कोई भाषा नहीं होती, उनके पास भी भाषा होती है किन्तु वे उस भाषा का लियान्तरण नहीं कर सके हैं। भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन व विकास बिना भाषा के संभव ही नहीं हे। हम भाषा में सीचते हैं......भाषा में ही चिंतन करते हैं यदि मनुष्य से उसकी भाषा छीन ली जाये तो वह पशु तुल्य हो जायेगा। आज अनके भाषाएँ संकट के मुहाने पर खड़ी है, दरअसल यह संकट सभ्यता व संस्कृति का भी है तो भाषा का मूल कार्य है सम्प्रेषण। जिस व्यक्ति के पास सम्प्रेषण के जितने कार हो व उतनी ही विधियाँ व पद्धतियाँ खोज लेता है। कथन के इतने प्रकार व ढंग मनुष्य के सम्प्रेषण के ही प्रकार है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी इस प्रक्रिया में एक वक्ता और एक श्रोता का होना आवश्यक हे। इस प्रक्रिया में एक तीसरा तत्व और होता है और वह है सम्प्रेषण का कथ्य। सम्प्रेषण के कथ्य का तात्पर्य वक्ता के संदेश से है। और इस सारी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य एक खास प्रयोजन की प्राप्ति है। इन सारी प्रक्रिया को हम इस आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करें-

3. संदेश

1. वक्ता → 2.श्रोता = 4. कथ्य/संदेश का प्रयोजन

भाषा सम्प्रेषण की यह प्रक्रिया प्राथमिक और आधारभूत है। मनुष्य के भाषा सम्प्रेषण की विशेषता है कि यह ध्वनि एवं उच्चरित ध्वनियों की प्रतीक व्यवस्था से संचालित होती है। जब भाषा को परिभाषित करते हुए कहा गया है- ''भाषा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है'' स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। सम्प्रेषण के और भी कई रूप हैं जैसे- आँख द्वारा, स्पर्श द्वारा, गंध द्वारा, इशारे द्वारा,....... इत्यादि....। हम

सामान्य रूप से सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं लेकिन भाषा के मूल रूप में उच्चरित का ही प्रयोग करते हैं मनुष्य की भाषा प्रतीकबद्ध ढंग से संचालित होती है। हर शब्द अपने लिए एक प्रतीक रचते हैं, चुनते हैं। और वह प्रतीक एक दूसरे शब्द से भिन्न आर्थ लिये हुए होता है। भाषा के इस प्रतीकबद्ध व्यवस्था को हम एक आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं-

प्रतीकों के निर्माण आधार (साभार इग्नू)

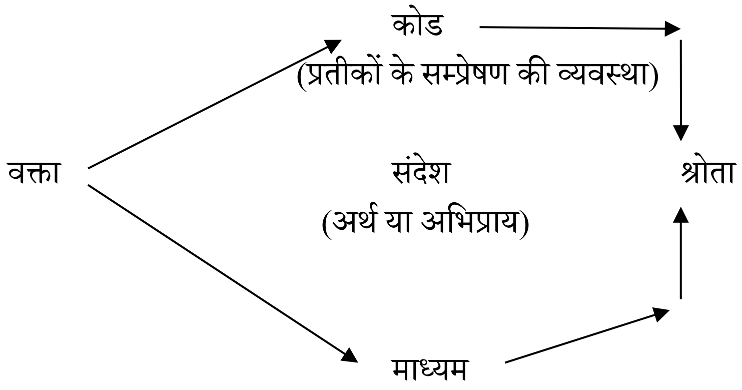


इस प्रक्रिया में सम्प्रेषण के लिए आवश्यक है: 1. वक्ता 2. श्रोता 3. माध्यम 4. कोड व्यवस्था - जिसके संदेश को श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। 4. प्रयोजन/

### 7.3.2 हिन्दी भाषा: परिचय

जब हम हिन्दी भाषा शब्द का व्यवहार करते हैं तब हमारे सामने तीन अर्थ तीन है। एक- ऐसी भाषा, जिसका उत्तर भारत के लोग सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग करते है। दो- मानक हिन्दी, जो साहित्य व संस्कृति का प्रतीक है। तीन-जो भारत की राजभाषा है और जिसका प्रयोग सरकारी काम-काज के लिए किया जाता है। यहाँ हम प्रमुख रूप से हिन्दी भाषा की बात कर रहे हैं। हिन्दी भाषा के विकास क्रम को 1000 ई. से मान गया है। हिमालय से विन्ध्याचल व राजस्थान से लेकर बंगाल तक इसका क्षेत्र माना गया है। 18 बोलियों के संयुक्त दाय को लेकर इस भाषा का गठन हुआ है। भाषा के रूप में इसका विस्तार पूर्व के प्रेदश (बंगार, उड़िया) तक हैं, जहाँ की हिन्दी ब्रजबुलि है, वहीं पश्चिम के प्रदेश गुजराती, राजस्थानी एवं इक्षिण-पश्चिमी भाषा मराठी तक इसका प्रसार है। इसी प्रकार उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश व जम्मू तक तथा दक्षिण के प्रदेश में हैदराबाद (दकनी हिन्दी) तक इसका प्रसार है।

### 7.3.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

हिन्दी भाषा के विकास का सम्बन्ध अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा से कई प्राकृतों विकसित हुई और उन प्राकृतों से अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का जन्म हुआ। डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-

| | | |
|---|---|---|
| उत्तरी | - | सिंधी, लहंदा, पंजाबी |
| पश्चिमी | - | गुजराती |
| मध्यदेशी | - | राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, पहाड़ी, |
| पूर्वी | - | ओड़िया, बंगला, असमिया |

दक्षिणी - मराठी

जबकि डॉ0 ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है -

(क) बाहरी उपशाखा

प्रथम - उत्तरी-पश्चिमी समुदाय

1. लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी
2. सिन्धी

द्वितीय- दक्षिणी समुदाय

3. मराठी

तृतीय - पूर्वी समुदाय

4- ओड़िया
5- बिहारी
6- बांगला
7- असमिया

(ख) मध्य उपशाखा

चतुर्थ - बीच का समुदाय

8- पूर्वी हिन्दी

(ग) भीतरी उपशाखा

पंचम - केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय

9- पश्चिमी हिन्दी
10- पंजाबी
11- गुजराती
12- भीली
13- खानदेशी
14- राजस्थानी

पष्ठ - पहाड़ी समुदाय

15- पूर्वी पहाड़ी (नेपाली)
16- मध्य या केंद्रीय पहाड़ी
17- पश्चिमी पहाड़ी

स्थूल रूप में हम आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को 1000ई0 के आस-पास से मान सकते हैं। भारतीय भाषा के विकास क्रम को प्रमुखतः तीन चरणों में विभक्त किया गया है-

1. हिन्दी भाषा का आदिकाल (1000-1500 ई0 तक)
2. हिन्दी भाषा का मध्यकाल (1500 से 1800 ई0 तक)
3. हिन्दी भाषा का आधुनिक काल (1800 ई. के बाद से आज तक)

भारतीय आर्य भाषा: विकास क्रम

भारतीय आर्यभाषाओं के विकास क्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है। भारतीय आर्यभाषा के विकास क्रम को तीन चरणापें में विभक्त किया गया है। भाषा विकास क्रम को आइए देखें-

1. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा ( 1500 ई. पू. से 500 ई.पू.)
2. मध्यकानीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ई. तक)
3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा (1000ई. से अब तक)

**1- हिन्दी भाषा का आदिकाल**

भाषा विकास क्रम के अध्ययन की प्रक्रिया में हमेन देखा कि 1000 ई. के आस-पास का समय भाषा की दृष्टि से निर्णायक बिन्दु हें इस बिन्दु पर अपभ्रंश को केंचुल उतारकर भाषा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में ढलना प्रारम्भ कर देती है। भाषा की दृष्टि से इस काल को 'संक्राति काल' कहा जा सकता है क्योंकि अपभ्रंश भाषा अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही थी। सन् 1000 से 1200 ई0 तक का समय विशेष रूप से, इस संदर्भ में लक्षित किया जा सकता है। इस काल के अपभ्रंश को 'अवहट्ट' नाम दे दिया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को 'अवहट्ट' ही कहा है। कुछ लोगों ने इसे ही 'पुरानी हिन्दी' (चन्द्रधर शर्मा गुलेरी) कहा है। तात्पर्य यह कि हिन्दी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। खड़ी बोली का आरम्भिक रूप अमीर खुसरो तथा बाद में कबीर के साहित्य में स्पष्टयता मिलने लगते हैं। जैन, बौद्ध, नाथ, लोक कवि आदि के माध्यम से हिन्दी भाषा के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थानी-खड़ी बोल- अपभ्रंश के मिश्रण से 'डिंगल शैली' का प्रचलन हुआ। इस संबंध में श्रीधर को 'रणमल छंद' व कल्लौल कवि की 'ढोला मारू रा दोहा' प्रतिनिधि रचनाएं हैं। रासो साहित्य के ऊपर डिंगल, शैली का प्रभाव देखा जा सकता हे। इसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के ब्रजभाषा के मिश्रण से पिंगल' शैली का जन्म हुआ। इसी प्रकार खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से 'हिन्दवी' की शैली प्रचलित हुई। अमीर खुसरो इस शैली के प्रयोक्ता है।

**2- हिन्दी भाषा का मध्यकाल**

हिन्दी भाषा का मध्यकाल 1500 ई. से 1800 ई. तक है। इस समय तक खड़ी बोली भाषा के रूप में अस्तित्व ले चुकी थी, लेकिन अवधी एवं ब्रजभाषा ही साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध भाषाएं बन पाई थीं। यद्यपि मौखिक सम्प्रेषण -सामाजिक सम्प्रेषण की भाषा के रूप में खड़ी बोली लोक में बराबर चल रही थी। भाषा की दृष्टि से इसे हिन्दी भाषा का स्वर्णकाल कहा गया है। सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, केशव जैसे सैकडो़ कवियों ने इस काल के भाषा एवं साहित्य की वृद्धि की है।

हिन्दी भाषा की दृष्टि से दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि फारसी शब्दों का बड़ी संख्या में समावेश हो गया। तुलसी, सूर जैस कवियों की भाषा पर भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है।

**3- हिन्दी भाषा का आधुनिककाल**

हिन्दी भाषा के आधुनिक काल में 1800 ई0 के बाद के समय को रखा गया है। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएँ प्रकाश में आनी शुरू हो जाती है। अकबर के दरबारी कवि गंग की 'चन्द्र छन्द बरनन की महिमा' तथा रामप्रसाद निरंजनी क' भाषा योग वशिष्ठ' की रचनाओं में हमें खड़ी बोली गद्य का दर्शन होता हे। इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ की 'शेखमीराजी का किस्सा' भी महत्वपूर्ण रचना हे। लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद होता है।

अंग्रेजी राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने हिन्दी भाषा में पाठ्य पुस्तकें बड़ी संख्या में तैयार करवाई... कुछ के अनुवाद कार्य करवाये। बाईबिल के हिन्दी अनुवाद ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान किया। 10-11 वीं सदी की रचना 'राउलवेल' में ही खड़ी बोली के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, किन्तु आधुनिक काल में आकर उसका विशेष प्रसार होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट के निर्देशन में, लल्लू लाल, इंशा अल्ला खाँ ने भाषा की पुस्तकें तैयार करवाने में मदद की। इसके अतिरिक्त सदासुखलाल व सदल मिश्र का योगदान भी कम नहीं है। इसी समय पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेन्दु हरिशचन्द्र के आगमन से खड़ीबोली के प्रसार में युगान्तकारी परिवर्तन आया। कविता की भाषा पहले ब्रज और अवधी हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में भी कविताएँ होने लगीं। गद्य के क्षेत्र में तो युगान्तकारी परिवर्तन आया ही । गद्य की नई विधाएँ उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि हिन्दी भाषा को मिलीं। हिन्दी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी एवं अन्यान्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया.....।

अभ्यास प्रश्न 1

1. टिप्पणी कीजिए।

1- हिन्दी भाषा का आदिकाल

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................................

2- भाषा : अर्थ एवं परिभाषा

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................................................................................

2. सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

1. खड़ी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है।
2. रामविलास शर्मा ने 'हिन्दी जाति' की अवधारणा पर बल दिया है।
3. हिन्दी भाषा के विकास क्रम को 1000 ई0 के आस-पास से माना जाता है।
4. हिन्दी भाषा में 18 बोलियाँ हैं।
5. मराठी दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मानी जाती है।

## 7.4 हिन्दी भाषा और मानकीकरण का प्रश्न

हमने अध्ययन किया कि हिन्दी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज्यादा है। अलग-अलग बोलियों एवं जनपदीय विस्तार के वैविध्य के कारण हिन्दी भाषा में पर्याप्त असमानताएँ देखने को मिलती हैं। भाषा विविधता के भौगोलिक -ऐतिहासिक कारण होते हैं। ऐतिहासिक कारणों से भाषा नित्य परिवर्तित होती रहती है.... अतः प्रश्न भाषा के पुराने रूपों और नये रूपों के बीच उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण भी एक ही भाषा में विभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मानक भाषा को चयन की प्रक्रिया कहा गया है। हॉगन के शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया मानकीकरण है। मानकीकरण का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा के घटकों में जो विकल्प है, उनमें से एक विकल्प को स्वीकृत कर अन्या विकल्पों को अस्वीकृत कर दिया जाये। समाज द्वारा किसी एक रूप का चयन किया जाये, मानकीकरण का यह प्रयोजन है। भाषा चिंतकों/व्याकरणविदों द्वारा भाषा के किसी निश्चित रूपों के चयन को ही मानकीकरण कहा गया है। मानकीकरण की प्रक्रिया बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। किसी भाषा के मानकीकरण के कई आधार है। मानकीकरण के स्वरूप को निम्न इकाइयों के माध्यम से समझा गया है। एक आरेख के माध्यम से हम इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं-

मानकीकरण का स्वरूप (आरेख)

उच्चारण | वर्ण की आकृति | वर्णमाला | वर्तनी | व्याकरणिक संरचनाएँ | शब्द

इसी प्रकार हिन्दी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में भी कई विसंगतियाँ देखने को मिली हैं, जिनके निराकरण का प्रयास समय-समय पर किया गया है। ये प्रश्न देवनागरी वर्णमाला के संदर्भ में, हिन्दी वर्तनी मानकीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से उठाये गये हैं।

## 7.5 हिन्दी और उर्दू का प्रश्न

हिन्दी और उर्दू भाषा एक ही भाषाएँ हैं या स्वतंत्र रूप से अलग भाषाएँ ? उर्दू, हिन्दी की एक शॅली है या उससे स्वतंत्र कोई भाषा? इन प्रश्नों की समझ आवश्यक है। 'उर्दू' शब्द का और शिवर के अर्थ में लिया गया है। मुगल शिवरों के आस-पास बसे बाजार और सैनिकों की बोलचाल

की भाषा के रूप में उर्दू भाषा का जन्म हुआ माना जाता है। हांलाकि दूसरा वर्ग इस तर्क से समहम नहीं है। भाषावैज्ञानिक मत और साथ ही राजनीतिक-धार्मिक पक्ष भी इसी के साथ जुड़ते गये। फलतः यह प्रश्न भी उलझता गया। उर्दू के संदर्भ में 'रेखता' शब्द का प्रयोग भी किया गया है। 1700 ई. में बली दकनी के दक्षिण से दिल्ली आने की घटना से रेखता का संबंध जोड़ा गया है। रेख्ता को फारसी जानने वाले लोग भी समझ सकते थे और हिन्दी समझने वाले लोग भी। धीरे-धीरे इस भाषा में अरबी-फारसी के शब्द बढ़ते गये और यह भाषा की एक नई शैली के रूप में प्रचलित हो गई।

## 7.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपने जाना कि-

- प्राकृत भाषा से कई अपभ्रंशों का विकास हुआ। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी एवं मागधी। हिन्दी भाष का सम्बन्ध शौरसेनी अपभ्रंश से है।
- हिन्दी भाषा अपने जनपदीय विस्तार के कारण एक जातीय संस्कृति का रूप ग्रहण का चुकी है। रामविलास शर्मा जैसे विद्वान इसी कारण हिन्दी को 'एक जाति' कहते हैं। हांलाकि इस व्याख्या से द्रविड़ व अन्य संस्कृतियों से हिन्दी के विभेद की संभावना भी बढ़ जाती है।
- भाषा की व्यवस्था में वक्ता, श्रोता, संदेश व संदेश का प्रयोजन अनिवार्य रूप से जुड़े रहते हैं।
- हिन्दी भाषा में 5 उप-भाषाएँ और 18 बोलियाँ है, जो सांस्कृतिक रूप में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
- हिन्दी भाषा के विकास क्रम को तीन कालों में विभक्त कर दिया गया है-
    1. हिन्दी भाषा का आदिकाल (1000- 1500 ई.)
    2. हिन्दी भाषा का मध्य काल (1500- 1800 ई0)
    3. हिन्दी भाषा का आधुनिकाल(1800-से अब तक)

## 7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(1) 2. 1- असत्य
2- सत्य
3- सत्य
4- सत्य
5- सत्य

## 7.8 शब्दावली

- दाय - प्रभाव, प्रेरणा
- किंचित - मामूली, थोड़ा
- लिप्यान्तरण - भाषा के मौखिक रूप को लिपिबद्ध करना
- यादृच्छिक - इच्छानुसार, निश्चित सिद्धान्त से हट कर भाषा का अर्थ सुनिश्चित करना।
- मानकीकरण - भाषा के किसी निश्चित रूपों का चयन करना।

## 7.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास - तिवारी, उदयनारायण, किताबमहल, इलाहाबाद, संस्करण 1965।
2. हिन्दी भाषा का इतिहास (2) - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मानविकी विद्यापीठ, अगस्त 2010।

## 7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास - शुक्ल, रामचन्द्र, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
2. हिन्दी भाषा का इतिहास, वर्मा,धीरेन्द्र, इन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

## 7.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भाषा के अर्थ एवं परिभाषा पर विचार कीजिए।
2. हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास पर निबन्ध लिखिए।

# इकाई 8 हिन्दी: उपभाषाएँ एवं बो लयाँ

इकाई की रूपरेखा

8.1 इकाई की रूपरेखा
8.2 प्रस्तावना
8.2 पाठ का उद्देश्य
8.3 हिन्दीः उपभाषाएँ एवं बोलियाँ
8.3.1 हिन्दी भाषा का विकास क्रम
8.3.2 हिन्दी उपभाषाएँ बोलियाँ
8.4 हिन्दी की प्रमुख बोलियों का परिचय
8.5 भाषा और बोली का अंतर्सम्बन्ध
8.6 सारांश
8.7 शब्दावली
8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
8.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
8.11 निबन्धात्मक प्रश्न

## 8.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया। आपने अध्ययन किया कि संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के किस प्रकार हिन्दी भाषा का विकास हुआ। संपूर्ण भारतीय भाषाओं के विकास क्रम का भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। पिछली इकाई में हमने चर्चा की भी कि हिन्दी भाषा के कई रूप समाज में प्रचलित हैं। कभी-कभी हिन्दी का अर्थ बोलचाल की खड़ी बोली के अर्थ में लिया जाता है तो कभी-कभी साहित्यिक हिन्दी के अर्थ में। अतः हमें खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ , बिजनौर, मुराबाद के आस-पास बोली जाने वाली एक बोली है, जबकि 18 बोलियों के समुच्चय का नाम हिन्दी भाषा है। इसीलिए इसे 'जबान-ए-हिन्द' जैसा नाम भी दिया गया था।

हिन्दी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार विभिन्न मोड़ों से गुजरा है, इसका अध्ययन आपने कर लिया है । यहाँ हम हिन्दी की उपभाषाएँ एवं उनके अंतर्गत बोली जानेवाली बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को समझने का प्रयास करेंगे।

इसी संदर्भ में हम भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध को भी समझेंगे।

## 8.2 पाठ का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- हिन्दी के जनपदीय आधार को समझ सकेंगे।
- हिन्दी की सामासिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे।
- हिन्दी की उप-भाषाएँ एवं बोलियों के बारे में जान सकेंगे।
- हिन्दी के बोलयों एवं उनके क्षेत्र के बारे में समझ सकेंगे।
- हिन्दी बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को जान सकेंगें
- भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे।

## 8.3 हिन्दीः उपभाषाएँ एवं बो लयाँ

### 8.3.1 हिन्दी भाषा का विकास क्रम

हिन्दी भाषा के विकास क्रम के अध्ययन में हमने पढा़ कि हिन्दी भाषा का संबंध आधुनिक भारतीय आर्याभाषा से है। प्रथम आर्यभाषा का काल 1500 से 500 ई. पूर्व तक, द्वितीय आर्यभाषा का काल 500 ई.0 पू0 से लेकर 1000 ई. तक तथा तीसरी या आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का काल 1000 ई0 से अब तक निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार हिन्दी भाषा के विकास काल को भी तीन चरणों में विभक्त कर दिया गया है।

1. 1000 - 1500 ई0
2. 1500 - 1800 ई0 तथा
3. 1800 - से अब तक के काल तक

इस प्रकार भाषा का विकास काल क्रमशः आगे बढ़ता गया है। हिन्दी भाषा, जो कभी मात्र कुछ जनपदों की बोली थी, आज उसने सामासिम रूप ग्रहण कर लिया है।

हिन्दी भाषा के विकास क्रम को यदि देखा जाये तो कुछ बाते स्पष्ट हैं -

1. भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओदर बढी़ है।
2. क्रियारूपों से सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
3. हिन्दी भाषा में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति तीव्र होती गई है। मध्यकाल तक इसने अरबी-फ़ारसी के शब्द ग्रहण कर लिये थे तथा आधुनिक काल तक आते-आते इसने पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के शब्द पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया। आज की हिन्दी भाषा तो अंग्रेजी से ज्यादा ही प्रभावित हुई है।
4. हिन्दी भाषा के बोलने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। एक भाषा के रूप में यह आज विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है।

5. हिन्दी भाषा के विकास क्रम की एक विशेषता इसका उन्नत साहित्य भी है। समय और संदर्भानुकूल हिन्दी भाषा ने अपने को युग-परिवेश से जोड़ा है।

### 8.3.2 हिन्दी उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

आज जिसे हम हिन्दी भाषा कहते हैं, उसमें कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रदेशों की बोलियाँ सम्मिलित हैं। तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि हिन्दी का अपना कोई क्षेत्र नहीं है? नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। बड़ी/समृद्ध भाषाएँ अपना विस्तारस विभिन्न जनपदों व परिवेशों में कर लेती है। अतः उनका जनपद विस्तृत हो जाता है। ब्रजभाषा या अवधी भाषा स्वतंत्र भाषाएँ हैं। या सूर, तुलसी हिन्दी के कवि नहीं है............ इस प्रकार के तर्क विभिन्न आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। भाषा और बोली के भेद को आधुनिक काल में विशेष रूप से उठाया गया हे। हिन्दी के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाया गया हे इसकी बोलियों में परस्पर भिन्नता की स्थिति है। एक ही भाषा की बोलियों में इतना भेद उचित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को भाषा वैज्ञानिक ढंग से ही समझा जा सकता है, दूसरे हिन्दी भाषा की संस्कृति के आधार पर भी इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा के प्रसार एवं विस्तार का प्रश्न वैश्विक हो चला है। एशिया के कई देशों में हिन्दी भाषा बोली और समझी जाती है। जबकि सैकड़ों देशों में हिन्दी भाषा का अध्यापन कार्य चल रहा है, इस प्रकार यह सांस्कृतिक संपर्क का कार्य कर रही है।

हिन्दी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को 'हिन्दी भाषी क्षेत्र' कहा गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रदेश आते हैं। इन प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों को मिलाकर हिन्दी भाषी प्रदेश बनता है। यहाँ हम हिन्दी की उपभाषा एवं बोलियों का परिचय देखें-

**हिन्दी भाषा**

| | **उपभाषा** | | | **बोलियाँ** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **पश्चिमी हिन्दी** | - | 1. | खड़ी बोली |
| | | | 2. | बांगरू या हरियाणवी |
| | | | 3. | ब्रजभाषा |
| | | | 4. | कन्नौजी |
| | | | 5. | बुन्देली |
| 2. | **पूर्वी हिन्दी** | - | 1. | अवधी |
| | | | 2. | वघेली |
| | | | 3. | छत्तीसगढ़ी |
| 3. | **राजस्थानी** | - | 1. | मेवाती |
| | | | 2. | मालवी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. | हाड़ौती (जयपुरी) |
| | | | 4. | मारवाड़ी (मेवाड़ी) |
| **4.** | **बिहारी** | - | 1. | भोजपुरी |
| | | | 2. | मगही |
| | | | 3. | मैथिली |
| **5.** | **पहाड़ी** | - | 1. | कुमाऊँनी |
| | | | 2. | गढ़वाली |
| | | | 3. | नेपाली |

**अभ्यास प्रश्न 1**

टिप्पणी कीजिए।

1. हिन्दी भाषा का विकास क्रम

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. हिन्दी उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2- सत्य/असत्स का चुनाव कीजिए।

1. कन्नौजी पश्चिमी हिन्दी की बोली है।
2. हिन्दी की 5 उपभाषाएँ हैं।
3. अवधी पूर्वी हिन्दी की बोली है।
4. मैथिली पश्चिमी हिन्दी की बोली है।
5. पहाड़ी में तीन बोलियाँ आती है।

## 8.4 हिन्दी की प्रमुख बो लयों का परिचय

हिन्दी भाषा के उपभाषाओं एवं बोलियों का आपने अध्ययन कर लिया है। 5 उपभाषाओं एवं 18 बोलियों में विभक्त हिन्दी भाषा भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा रही है। अब हम हिन्दी की प्रमुख बोलियों एवं उपभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

1. पश्चिमी हिन्दी

हिन्दी का उप-भाषाओं में से सर्वाधिक प्रमुख उप-भाषा के रूप में पश्चिमी हिन्दी की गणना की जाती है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कन्नौज व बुंदेलखण्ड के क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा के कारण यह हिन्दी का प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है। आइए इसकी बोलियों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करें-

(क) **खड़ी बोली** - खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले है। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है।

2. **ब्रज -** ब्रजभूमि में बोली जाने वाली भाषा का नाम ब्रजभाषा है। मथुरा, वृंदावन के आस-पास का क्षेत्र, आगरा मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बदायूँ आदि जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूर, अष्टछाप का साहित्य, बिहारी, देव, घत्रनंद समेत पूरा रीतिकाल, जगन्नाथदास रत्नाकर, हरिऔध जैसे कवियों के साहित्य से ब्रजभाषा समृद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से ओ/औ करांत इसी विशेषता है। गयो, भलो, कहयो इत्यादि शब्द इसके उदाहरण हैं।

3. **कन्नौजी** - कन्नौजी का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर आदि जिले हैं। कानपुर, हरदोई के हिस्से भी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। यह ब्रजभाषा और बुन्देली के बीच का क्षेत्र है। खोटो, छोटो, मेरो, भयो, बइठो इत्यादि 'ओ' कारान्त भाषा के रूप में कन्नौजी को देखा जा सकता है।

4. **बुन्देली** - बुन्देलखण्ड जनपद की बोली को बुन्देली कहा गया है। इस बोली का क्षेत्र झाँसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, भोपाल इत्यादि है।

5. **बाँगरू (हरियाणवी)** - हरियाणा प्रदेश की बोली को हरियाणवी कहा गया है। यह बोली दिल्ली के कुद हिस्सों में, करनाल, रोहतक अंबाला आदि जिलों में बोली जाती है। को के लिए ने का प्रयोग हरियाणवी की विशेषता है।

**(ख) पूर्वी हिन्दी** - पूर्वी हिन्दी में तीन बोलियाँ हैं- अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी । पूर्वी हिन्दी उपभाषा, हिन्दी में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसमें तुलसीदास व रामचरितमानस जैसी कृतियाँ हैं। आइए पूर्वी हिन्दी की बोलियों से परिचित हों।

1. **अवधी** - अवध मण्डल की बोली को अवधी कहा गया है। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर आदिजिले आते हैं रामभक्ति शाखा का केंन्द्र अवध मण्डल ही रहा है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कवि हैं।

2. **बघेली** - बघेलखण्ड की बोली को वघेली कहा गया है। बघेली में रीवाँ, जबलपुर, माँडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं। वघेली में लोक साहित्य मिलता है।

3. **छतीसगढ़ी** - छतीसगढ़ की बोली को छतीसगढ़ी कहा गया है। मध्यप्रदेश के रायपुर, विलासपुर जिले इसके प्रमुख केन्द्र हैं।

**(ग) राजस्थानी** - राजस्थानी, हिन्दी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में चार बोलियाँ हैं। मारवाड़ी, मेगती, जयपुरी एवं मालवी। रासो साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिन्दी पर प्रभाव देखा जा सकता है।

**1. जयपुरी** - जयपुर केन्द्र होने के कारण इसे जयपुरी कहा गया है। इस बोली को ढूँढ़ाली भी कहते हैं। हाडैती इसकी उपबोली है। जयपुरी बोली के क्षेत्र कोटा, बूँदी के जिले एवं जयपुर हैं।

**2. मेवाती** - यह राजस्थानी के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली अहीरवाटी है। मेवाती अलबर, भरतपुर औ गुड़गाँव के जिलों में बोली जाती है।

**3. मालवी** - दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के बूँदी, झालावाड़ जिले तथा उत्तरी मध्यप्रदेश के मंदसौर, इंदौर, रतलाम आदि जिले आते हैं। यह बोली गुजराती और पश्चिमी हिन्दी के बीच की है।

**4. मारवाड़ी** - राजस्थानी की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी हे। इसका केन्द्र मारवाड़ है। इसका केन्द्र मारवाड़ हे। इस बोली का केन्द्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि जिले हैं । हिन्दी साहित्य की वीरगाथाएँ मारवाड़ी में ही लिखी गयी थीं। मीरा का काव्य मारवाड़ी में ही रचित हे। इस प्रकार राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत है।

**(घ) बिहारी** - इस उपभाषा का केन्द्र बिहार होनेके कारण इसका नाम बिहारी पडा है। बिहारी उपभाषा में तीन बोलियाँ है- भोजपुरी, मगही एवं मैथिली।

**1. भोजपुरी** - भोजपुरी, बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुर जिला इस बोली का केन्द्र है। इस बोली के प्रमुख क्षेत्रों में- बलिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंपारन, सहारन, भोजपुर, पालामऊ आदि आते हैं। इस प्रकार इस बोली का केन्द्र मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश है। भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। कबीर जैसे बड़े कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव है। आज भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। भोजपुरी विदेशों में- मारीशस, सूरीनाम में भी प्रचलित व लोकप्रिय है।

**2. मगही** - मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया आदि जिलों में बोली जाती है।

**3. मैथिली** - मिथिला प्रदेश की भाषा होने केकारण इस भाषा का नाम मैथिली है । यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार एवं पूर्वी बिहार के चंपारन, मुजफ्फरपुर, मुंगरे, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली हिन्दी की भाषा है या नहीं? इस प्रश्न को लेकर मतैक्य नहीं है/वैसे परम्परागत रूप से मैथिली को हिन्दी भाषा की बोली के रूप में ही स्वीकृति मिली हुई है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली, बिहारी उपभाषा की बोलियों में सर्वाधिक

संपन्न है। मैथिल कोकिल विद्यापति तो हिन्दी भाषा के गौरव है हीं। आधुनिक कवियों में नागर्जुन जैसे समर्थ कवि मैथिल भाषा की मिट्टी से ही ऊपजे हैं।

**(च) पहाड़ी उपभाषा** - इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। हिन्दी भाषा के पहाड़ी अंचल में उत्तराखण्ड व हिमांचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी के अंतर्गत माना था। इस उपभाषा के दो भाग किये गये हैं- पश्चिमी और मध्यवर्ती। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी, चमोली, भद्रवाही आदि बोलियाँ आती है तथा मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊँनी एवं गढ़वाली।

**1. कुमाऊँनी** - कुमाऊँ खण्ड में जाने कारण इस बोली का नाम कुमाऊँ पड़ा है। उत्तराखण्ड के उत्तरी सीमा/क्षेत्र इसका केन्द्र है। यह बोली उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत आदि जिलों में बोली जाती है। कुमाऊँ बोली में समृद्ध साहित्य मिलता है। कुमाऊँ ने हिन्दी साहित्य को सुमित्रानंदन पंत, शेखर जोशी, मनोहरश्याम जोशी, इलाचन्द्र जोशी जैसे बड़े साहित्यकार दिये हैं।

**2. गढ़वाली** - उत्तराखण्ड के गढ़वाल खण्ड की बोली होने के कारण इसका नाम गढ़वाली पड़ा है। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल, तराई देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर जिलों में बोली जाती है। गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है। गढ़वाली की उपभाषाओं में राठी, श्रीनगररिया आदि हैं। गढवाल मंडल ने हिन्दी साहित्य को पीताम्बर दत्त बर्थवाल, वीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल जैसे ख्यातिनाम साहित्यकार दिये हैं।

## 8.5 भाषा और बोली का अंतर्सम्बन्ध

किसी भी समृद्ध भाषा की बोलियाँ और उप-बोलियाँ होती है। हिन्दी के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि इसके विभिन्न रूप, क्षेत्रीय विभेद को बढा़वा देते हैं। जबकि यही प्रश्न लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, रूसी के संदर्भ नहीं उठाया जाता । जाहिर है, इस प्रश्न के मूल में राजनीति ज्यादा होती है, यर्थाथ कम। किसी भी समृद्ध भाषा का विस्तार भौगोलिक एवं साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक बोली से दूसरी बोली में सम्प्रेषणीयता की समस्या खड़ी हो जाती है। बोली (1) और बोली (18) में इतना भौगोलिक अंतर होता है, कि उनके बीच सम्प्रेषण की समस्या उठना स्वाभाविक ही है। भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध का एक प्रश्न राजनीतिक और साहित्यिक भी है। एक ही बोली राजनीतिक-साहित्यिक कारणों से कभी बोली बन जाती है और कभी भाषा। इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों ने लक्षित किया है कि खड़ीबोली जो कभी कुछ-एक जनपदों में बोली जाने वाली बोली भी, राजनीतिक-साहित्यिक कारणों से भाषा का रूप ले लेती है। और केवल भाषा ही नहीं बनती बल्कि एक संस्कृति बन जाती है। इसी प्रकार मध्यकाल की ब्रजभाषा एवं अवधी भाषाएँ क्रमशः बोलियों का रूप ले लेती है। इस प्रकार भाषा और बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को कई रूपों में समझा जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1- रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

1. ब्रजभाषा ...................... की बोली है। (पूर्वी हिन्दी/पहाड़ी/पश्चिमी हिन्दी)
2. मेरठ .................. का क्षेत्र हैं। (ब्रजभाषा/खड़ी बोली/अवधी)
3. वृंदावन ............. का क्षेत्र है।(अवधी/ कन्नौजी/ब्रज)
4. बलिया ................ का क्षेत्र हैं। (बुन्देली/अवधी/भोजपुरी)
5. हरियाणवी ........... में बोली जाती है। (छतीसगढ़/करनाल/जबलपुर)

2- सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

1. रायपुर में छतीसगढ़ी बोली जाती है।
2. कोटा क्षेत्र में जयपुरी बोली, बोली जाती है।
3. जोधपुर क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है।
4. मगध क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है।
5. चंपारन में मगही बोली जाती है।

## 8.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपने जाना कि -

- हिन्दी के कई रूप समाज में प्रचलित हैं। बोलचाल की हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी।
- खड़ी बोली और हिन्दी भाषा की व्यंजना के अंतर की समझ भी आवश्यक है। खड़ी बोली कुछ जनपदों की बोली है, जबकि हिन्दी भाषा 18 बोलियों का समुच्चय है।
- हिन्दी भाषा लोचदार एवं गतिशील भाषा रही है। हिन्दी भाषा ने न केवल दूसरी भाषाओं के शब्दों के ग्रहण किया है, अपितु सम्वेदना का विस्तार भी किया है।
- हिन्दी भाषा पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी एवं पहाड़ी उपभाषाओं एवं इन उपभाषाओं की 18 बोलियों से मिलकर बनी है।
- पश्चिमी हिन्दी प्रमुख उपभाषा है। इसमें ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली जैसी समृद्ध भाषाएँ हैं।
- भाषा और बोली का घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक, साहित्यिक कारणों से एक बोली, भाषा का रूप ले लेती है तो कभी भाषा, बोली में परिवर्तित हो जाती है।

## 8.7 शब्दावली

- समुच्चय - संकलन, साथ
- अंतर्सम्बन्ध - आंतरिक संरचना का जुड़ाव
- संदर्भानुकूल - देश-काल-परिस्थिति के अनुकूल

- मण्डल - कई जिलों को मिलाकर बना एक क्षेत्र।

## 8.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1- 2.

1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. सत्य

2 ) 1.

1. पश्चिमी हिन्दी
2. खड़ी बोली
3. ब्रज
4. भोजपुरी
5. करना

2-

1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. असत्य

## 8.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी भाषा का विविधरूप –इग्नू , मानविकी विद्यापीठ, 2010।

## 8.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप - सुमन, अंबा प्रसाद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

## 8.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. हिन्दी की उपभाषा एवं बोलियों का परिचय दीजिए।
2. पश्चिमी हिन्दी पर टिप्पणी लिखिए।

# इकाई 9 भारतीय सं वधान एवं हिन्दी

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 पाठ का उद्देश्य
9.3 भारतीय संविधान एवं हिन्दी
9.3.1 संविधान और हिन्दी
9.3.2 राजभाषा अधिनियम
9.4 राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का प्रश्न
9.5 साराश
9.6 शब्दावली
9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
9.10 निबंधात्मक प्रश्न

## 9.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यात मिली है। अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। भारतीय भाषाओं में राजभाषा बदलती रही। किसी भी युग में राजभाषा का गौरव उस युग की समृद्ध भाषा को मिलता रहा है। हांलाकि समृद्धता का कोई वस्तुगत मापदण्ड नहीं है। कई बार राजनीतिक-धार्मिक कारणों से भी किसी भाषा को राजभाषा बना दिया जाता है। मुगल काल में फारसी भारत की राजभाषा थी, लेकिन फारसी संपूर्ण देश के निवासियों की भाषा नहीं थी। इस प्रकार राजभाषा बनने के कई कारक होते हैं। भारत की राजभाषा पहले संस्कृत थी, फिर बौद्ध शासन काल में पालि हुई, उकसे बाद प्राकृत....। क्रमशः फारसी और अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी। लम्बे संघर्ष के पश्चात हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। लेकिन हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने संबंधी प्रावधान इतने सीधे नहीं थे। दक्षिण भारतीय राज्यों के बिरोध के कारण उसे 15 वर्षो तक और फिर 1976 के अधिनियम के अनुसार ‘क’, ‘ख’, एवं ‘ग’ क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया हे। इस प्रकार संवधिान में हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसे व्यावहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जा सका है।

इसी प्रकार राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का प्रश्न भी है राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी भारत की राजभाषा है, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिन्दी राष्ट्रभाषा। इस दृष्टि से भारत की अन्य समृद्ध भाषाएँ भी राष्ट्रभाषाएँ हैं।

## 9.2 उद्देश्य

भारतीय संविधान एवं हिन्दी शीर्षक इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- हिन्दी भाषा की संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे।
- संविधान में हिन्दी की स्थिति को जान सकेंगे
- विभिन्न राजभाषा अधिनियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- संविधान के अंतर्गत भाषा-विभाजन (क्षेत्र विभाजन) को समझ सकेंगे।
- राजभाष एवं राष्ट्रभाषा के अंतर को समझ सकेंगे।
- राजभाषा से संबंधित पारिभाषिक शब्दसवलियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

## 9.3 भारतीय सं वधान एवं हिन्दी

भारतीय संविधान में भाषा संबंधित 11 अनुच्छेद हैं। संविधान के 18 भागों में, भाग 17 भाषा संबंधी व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ हम संविधान में हिन्दी का क्या स्थान है, इस विषय का अध्ययन करेंगे।

### 9.3.1 संविधान और हिन्दी

संघ की राजभाषा-

1. अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और इसकी लिपि देवनागरी होगी।
2. खंड 1 में इस बात का संकेत है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा।
3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

### 9.3.2 राजभाषा अधिनियम

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएँ

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ - अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में स्वीकार/अंगीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा- संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा केा भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

I. उस भाषा के बोलने वालों की पर्याप्त संख्या हो,
II. वे माँग करे कि उनकी भाषा को मान्यात दी जाए।

संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 के दो अनुच्छेदों-अनुच्छेद 348 तथा 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के सवाल पर विचार किया गया है।

इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में करने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 344 (1) और 351 अष्टम सूची से संबंधित है। अष्टम अनुसूची की भाषाएँ हैं-

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलुगु
9. पंजाबी
10. बांग्ला
11. मराठी
12. मलयालम

13. संस्कृत
14. सिंधी
15. हिन्दी।

संविधान के भाग 17 के अंतिम परिच्छेद (अनुच्छेद 351) 'हिन्दी भाषा के विकास के निर्देष' से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची मे विर्निदिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ मुखतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इस अनुच्छेद के निम्नलिखित तथ्य हैं-

I. संघ का पहला दायित्व है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए।
II. संघ का यह दायित्व होगा कि वह हिन्दी का विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
III. संघ का यह दायित्व होगा कि वह हिन्दी की समृद्धि सुनिश्चित करें।

राजभाषा आयोग और राष्ट्रपति आदेश

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को आदेश जारी किया जिसमें राज्यपालों और उच्चतक तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र में अंग्रजी के साथ हिन्दी के प्रयोग को भी लागू किया जाये।

3 दिसम्बर, 1955 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को भी लागम किया जाये-

I. जनता से व्यवहार
II. प्रशासनिक रिपोर्टे, सरकारी पत्रिकाएँ तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट
III. सरकारी संकल्प एवं विधायी अधिनियम।
IV. राजभाषा हिन्दी वाले प्रदेशों के साथ पत्र व्यवहार में
V. संधियों और करार
VI. अन्य देशों की सरकारों, राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार
VII. राजनयिक और कांसल के पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राजभाषा अधिनियम (1963)

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम स0 19)

(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों , संसद कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

2) धारा3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्दीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिनन तारीखें नियत की सकेंगी।

2. परिभाषाएँ :

इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''नियत दिन'' से, धारा 3 के सम्बन्ध में , जनवरी, 1965 का 26वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होत है;

(ख) ''हिन्दी'' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।

(1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही-

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए; प्रयोग में लायी जाती रह सकेगीः

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

**राजभाषा नियम 1976**

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं. 11011/1/73-रा.भा. (1) दिनांक 28-6-76 की प्रतिलिपि सा.का.नि. - राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए केंन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्ः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

2. इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

3. से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2) परिभाएँ - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्याथा अपेक्षित न होः

क) ''अधिनियम'' से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभ्रिपेत हैः

ख) ''केन्द्रीय सरकार के कार्यालय'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात्:

I. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रायल, विभाग या कार्यालय

II. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

III. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी नियम या कंपनी का कोई कार्यालय;

ग) ''कर्मचारी'' से केंन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम 4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

ङ) ''हिन्दी में प्रवीणता'' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

च) ''क्षेत्र के'' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

छ) ''क्षेत्र ख'' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत है;

ज) ''क्षेत्र ग'' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

झ) ''हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान'' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-1

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केंन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-

क) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परन्तु यदि कोई राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4) उपनियम1 ) और 2) में किसी बात के होत हुए भी क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख़' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति की पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों का ध्यान रखते हुए समय पर अवधारित करें;

ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंन्द्रीय सरकार के एसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है पत्रादि हिन्दी में होंगे;

घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते है :

परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि-

I. 'क' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित हों वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

II. क्षे 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएँगे।

6) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग -अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और

ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते है और जारी किए जाते हैं।

7) आवेदन, अभ्यावेदन, आदि-1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

2) जब उपनियम 1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है सेवा संबंधी विषयों (जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8) केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना - 1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकत ाहै, जब वह दस्तावेज़ विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4) उपनियम 1) में किसी बात के होत हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हे हिन्दी में प्रणीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9) हिन्दी के प्रणीणता- यदि किसी कर्मचारी ने -

क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उतीर्ण कर जी है या

ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

ग) यदि वह इन नियमों को उपाबद्ध प्ररूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर जी है।

10) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

I. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उतीर्ण कर ली है; या

II. केन्द्रीय सरकार को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, जहाँ उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत केाई निम्न परीक्षा विनिर्दिष्ट है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जी है, या

III. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निर्मित विनिर्दिष्ट कोई अन्या परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

ख) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषण करता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यलय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित-विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सककार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम 2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्याल उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11) मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री

आदि-1)केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषीय रूप में, यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2) केन्द्रीय सरकार के कसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और राजभाषा अधिनियम और आदर्श शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएँगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगीः

परन्तु यदि केंन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधों में छूट दे सकती है।

12 अनुपालन का उत्तरदायित्व-1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशानिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

I. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

II. इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त और प्रभायकारी जाँच के लिए उपाय करें।

2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालक के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

**अभ्यास प्रश्न 1**

**टिप्पणी कीजिए**

1. 343 (1) अनुच्छेद

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. 1967 अधिनियम

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

1. अनुच्छेद 351 ............... है। (देवनागरी लिपि/हिन्दी भाषा प्रसार/राष्ट्रभाषा)
2. अनुच्छेद 343 (1) का संबंध .........से है। (राजभाषा/राष्ट्रपति आदेश/राज्यपाल से)
3. भारत की राष्ट्रीय लिपि............. है। (देवनागरी/खरोष्ठी/ब्राहमी)
4. संविधान का भाषा संबंधी भाग है। (17/19/21)
5. अनुच्छेद 348 संबंध........... से है। (न्यायालय की भाषा/संसद की भाषा/कार्यालय की भाषा)।

## 9.5 राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का प्रश्न

हिन्दी भाषा और संविधान को लेकर कभी-कभी कुछ प्रश्नों से जूझना पड़ता हें उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है- राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का। हिन्दी को कभी राजभाषा कहा गया तो कभी राष्ट्रभाषा। कभी संपर्क भाषा तो कभी संघभाषा । ये नामकरण दरअसल हिन्दी के व्यापक स्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसमें क्या संदेह, लेकिन इस पर यह कह कर

आपत्ति उठायी गई कि ऐसा करने से हिन्दी भाषा को विशेष गौरव मिलेगा, और अन्य भारतीय भाषाएँ बहिष्कृत होंगी। हिन्दी के विरोधीयों ने इस तर्क को उठाया कि राष्ट्र की भाषाएँ तो भारत की अन्य भाषाएँ भी है, फिर हिन्दी को इतना गौरव क्यों? हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने कारणों की तलाश करते हएु देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि,''वस्तुतः राष्ट्रभाषा शब्द के प्रयोग का ऐतिहासिक कारण है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कहा गया हे कि वह राष्ट्र की एकमात्र या सर्वप्रमुख भाषा है, बल्कि इस नाम का प्रयोग अंग्रेजी को ध्यान में रखकर किया गया।'' आगे देवेन्द्रनाथ शर्मा जी ने अपने तर्क को विस्तार देते हुए लिखा है, ''दूसरी बात यह है कि कि सम्पूर्ण राष्ट्र में संचार की कोई भाषा हो सकती है तो हिन्दी। हिन्दी की इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसे संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। अतः समग्र राष्ट्र के लिए जो भाषा सर्म्पक स्थापित करने का कार्य कर सके उसे राष्ट्रभाषा कहने में कोई हानि या आपत्ति नहीं है। ये ही कारण है जिनसे हिन्दी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है।''

भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली हे। अनुच्छेद 343 (1) में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यात मिली है। संविधान में कहीं भी हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं हे। संवधिान में इसे संघभाषा (Language of the Union) या संघ की राजभाषा (off~icial Language of the Union) कहा गया है। संघभाषा कहने के पीछे भी वही तर्क है कि यह पूरे राष्ट्र को एक साथ बांध सके। वस्तुतः राजभाषा का अर्थ है- राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा तथा राष्ट्रभाषा का अर्थ है- किसी राष्ट्र की संवेदनाओं, इच्छाओं को जोड़नेवाली भाषा।

## 9.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपने जाना कि-

- अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा तथा देवनागरी संघ की लिपि होगी।
- राजभाषा के इतिहास का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि संस्कृत-पालि-प्राकृत-अपभ्रंश-फारसी-अंग्रेजी-हिन्दी का क्रम चला है।
- भारतीय संविधान में प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रावधान था, जो क्रमशः आगे बढ़ता गया।
- अनुच्छेद1976 के अनुसार हिन्दी भाषा व अन्य प्रादेशिक भाषाओं में सामंनस्य लाने के लिए भारतीय भाषाओं को 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है।
  'क' हिन्दी भाषी क्षेत्र
  'क' जहाँ हिन्दी द्वितीय भाषा है
  'ख' दक्षिण भारतीय राज्य- अंग्रेजी के साथ मातृभाषा एवं एक प्रति हिन्दी का प्रयोग।

- राजभाषा का आशय राजकाज की भाषा से है तथा राष्ट्रभाषा का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं- संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली भाषा से है।

## 9.7 शब्दावली

- राजभाषा - राजकाज में प्रयुक्त सांवैधानिक भाषा
- राष्ट्रभाषा - देश की संवेदना को सामूहिक अभिव्यक्ति देने वाली भाषा
- विनिर्दिष्ट - लागू करना
- प्राधिकृत - निर्देशित
- अनुच्छेद - संविधान में व्याप्त धाराएँ

## 9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(2)

1. हिन्दी भाषा प्रसार
2. राजभाषा
3. देवनागरी
4. 17
5. न्यायालय की भाषा

## 9.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान-शर्मा, देवेन्द्रनाथ, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2010
2. संविधान में हिन्दी - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मानविकी विद्यापीठ, दिल्ली।

## 9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भाषा विज्ञान हिन्दी भाषा और लिपि:शर्मा, रामकिशोर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2007

## 9.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा पर टिप्पणी लिखिए।
2. 'संविधान और हिन्दी' विषय पर निबन्ध लिखिए।